त्रयोदश माला, खंड 5, अंक 12

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERENCE ONLY.

गुरूवार, 9 मार्च, 2000

19 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No. D 61

Date 12/1/2001

(खण्ड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)

[अंक 12, गुरुवार, 9 मार्च, 2000/19 फाल्गुन, 1921 (शक)]

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220	2-33
अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 से 2369	34-312
सभा पटल पर रखे गए पत्र	313-317
समिति के लिए निर्वाचन	317
राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड	
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	318
अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000	318
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक	319
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	319
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संसोधन) विधेयक	319
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	320
विधेयक - पुरः स्थापित	
(एक) भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निबंधन) निरसन विधेयक	320
(दो) संविधान (नवासींवा संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 269 में संशोधन, अनुच्छेद 270 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, अनुच्छेद 272 का लोप)	321
नियम 377 के अधीन मामले	321-328
(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनारायण पासी	321
(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के लिफ्ट केनाल सिस्टम के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए धनराशि किए जाने की आवश्यकता	
श्री विक्रम केशरी देव	322
(तीन) देश में लाटरी पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय गोयल	323

(चार) उड़ीसा के क्योंझर जिले में कानपुर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 323

(पांच) सूखे से प्रभावित लोगों विशेषकर बुन्देलखंड क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 324

(छह) केरल के वायनाड जिले और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों में कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋण को बट्टे–खाते में डालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 324

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र में टेलीफोनों का सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री बृजलाल खाबरी 325

(आठ) तमिलनाडु में मंगम्मापेट्टई में अराकोणम–तिरूत्तनी मार्ग पर और अराकोणम–शोलीनगर मार्ग पर ई.डब्ल्यू.एस. रेलवे गार्ड गेट पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. एस. जगतरक्षकन 325

(नौ) तमिलनाडु में तूतीकोरिन में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. एच. पांडियन 326

(दस) उड़ीसा में जगतपुर और चांदबाली के बीच सड़क निर्माण और उसके रखरखाव की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय 327

(ग्यारह) पुणे–मिराज–कोल्हापुर खंड को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे को अन्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव ददोबा मंडलिक 327

(बारह) पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरह जम्मू–कश्मीर को वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 328

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 329-337

लोक सभा

गुरुवार, 9 मार्च, 2000/19 फाल्गुन 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : अध्यक्ष जी, आप बहस करने की तारीख निश्चित कीजिए। इस मुद्दे पर सदन में बहस होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 201 श्री सुरेश चंदेल।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होना चाहिए। इन्हें जो भी बात उठानी हो, वह जीरो आवर में उठाएं। ...*(व्यवधान)* लगातार प्रश्नकाल रद्द किया जाता रहा है। देश की समस्याओं को सदस्यों द्वारा उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आपसे अपने स्थानों पर जाने की अपील करता हूं। मैं आपको 'प्रश्न काल' के बाद अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के बाद ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपको 'प्रश्नकाल' के बाद बोलने की अनुमति दूंगा। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, हम आज 'प्रश्न काल' चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने–अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थिति को समझिए। पिछले 14 दिनों से हम सदन में कोई भी कार्यवाही नहीं कर पाए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप भी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोल रहे हैं, रामदास आठवले जी, आप भी बैठ जाइये। प्रश्नकाल के बाद आप कुछ भी कह सकते हैं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, हमारा प्रत्येक दिन व्यर्थ जा रहा है। यह सभा की संपत्ति है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्नकाल नहीं चाहते हैं तो कृपया मुझसे कहिए, मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

मंदिरों का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

***201. श्री सुरेश चन्देल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कतिपय मंदिरों/तीर्थ स्थलों की बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992 में गठित समिति की सिफारिशों पर, पर्यटक अवसरंचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए कुछ निश्चित तीर्थ केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया गया था।

(ख) अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने विवरण में दर्शाए गए तीर्थ केन्द्रों सहित, देश में विभिन्न तीर्थ केन्द्रों पर पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए वर्ष 1992 से अब तक 2407.94 लाख रुपए राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

विवरण

अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों की सूची

12 राज्यों में 19 तीर्थ केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश में 2 परिपथों को विकास हेतु अभिनिर्धारित किया गया है :

क्रम सं.	राज्य	केन्द्र
1.	असम	कामाख्या
2.	बिहार	बोधगया और पटना
3.	गुजरात	द्वारका, पालिताना और उडवाडा (वापी के निकट)
4.	हिमाचल प्रदेश	पौंटा साहिब और ज्वालाजी
5.	जम्मू और कश्मीर	माता वैष्णों देवी
6.	केरल	गुरूवायुर
7.	कर्नाटक	गुलबर्गा और शृंगेरी
8.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9.	महाराष्ट्र	शिर्डी, नांदेड़, ज्योतिबा (कोल्हापुर जिले में)
10.	उड़ीसा	जगन्नाथ पुरी
11.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
12.	तमिलनाडु	रामेश्वरम
13.	उत्तर प्रदेश	(i) बद्रीनाथ–केदारनाथ–गंगोत्री–यमुनोत्री
		(ii) बरसाना–नंदगांव–वृंदावन–गोवर्धन

[अनुवाद]

कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में रिपोर्ट

*202. **श्री माधवराव सिंधिया :***

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुब्रह्मण्यम समिति ने भारत की रक्षा और सुरक्षा प्रणाली में ऐसी किन–किन खामियों और कमियों का उल्लेख किया है जिनकी वजह से गत वर्ष कारगिल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी घुसपैठ हुई;

(ख) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या समिति ने गुप्तचरी की असफलता के लिए कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट (सुब्रह्मण्यम समिति) उसके कार्यकारी सारांश और सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सहित दिनांक 24 फरवरी, 2000 को लोक सभा में पेश की गई है। इस रिपोर्ट पर सदन में विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया गया है।

2. उक्त समिति, जिसका गठन कारगिल में पाकिस्तानी आक्रमण होने तक की घटनाओं की समीक्षा करने और ऐसे उपायों की सिफारिश करने के लिए किया गया था जो इस प्रकार की सशस्त्र घुसपैठों से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, ने पाकिस्तानी आक्रमण होने तक की गतिविधियों, आसूचना, प्रतिविद्रोही संक्रियाओं, प्रौद्योगिकीय आयाम तथा अन्य संबंधित मामलों पर अपना निष्कर्ष दे दिया है।

3. यह रिपोर्ट कारगिल समीक्षा समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के संदर्भ में सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था में कतिपय कमियों का उल्लेख करती है। भारत की रक्षा तथा सुरक्षा–व्यवस्था में समिति द्वारा इंगित की गई कमियों/खामियों को कारगिल जैसी भावी घुसपैठों को रोकने के लिए समिति की सिफारिशों के संदर्भ में चिह्नित किया गया है। समिति ने मुख्यतः व्यवस्थागत कमियों को उजागर किया है और उसकी सिफारिशें मोटे तौर पर सामान्य स्वरूप की हैं। समिति ने माना है कि यद्यपि कतिपय अप्राप्त महत्त्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो गई होती तो भी यह जरूरी नहीं था कि जिस तरह की घुसपैठ हुई उसके बारे में पूर्वानुमान लग ही जाता। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के अपनी

ओर के क्षेत्र में सैन्य तैयारी से पहले के महीनों के दौरान किसी महत्त्वपूर्ण व दृष्टिगोचर होने वाली गतिविधि के बिना कारगिल में सैन्यरहित स्थानों पर घुसपैठ करवाकर अचंभे में डाल दिया। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि संभवतः सैन्य हलकों में यह स्पष्ट धारणा थी कि कोई भी समझदार कमांडर सर्दियों में इस प्रकार के भूस्खलन के जोखिम वाले ऊंचे भूभागों में अपने सैन्य बलों को भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा।

4. इस प्रश्न पर विशेष रूप से चर्चा करते समय कि "क्या करगिल युद्ध को टाला जा सकता था ?" – समिति का यह मानना है कि कारगिल किस्म की स्थिति को संभवतः टाला जा सकता था यदि भारतीय सेना ने कैवोबालगली से चोरबाट ला तक के 168 किमी तक के सैन्य रहित इलाके में सेना की तैनाती कर सियाचीनीकरण की नीति का अनुपालन किया होता। इस प्रकार सेनाओं की तैनाती करने से सेना की संख्या में तो काफी कमी होती ही और ये किसी प्रकार से बिल्कुल भी लागत प्रभावी नहीं होता समिति ने इस प्रकार के रुख को "अस्थायी उपाय से अधिक कुछ नहीं" माना है।

5. समिति ने भारत की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित बड़ी कमियां व खामियां पाई हैं :

(क) हाफ–मीटर रिज़ोल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी क्षमता, मानवरहित समुचित हवाई वाहनों और बेहतर मानव आसूचना समेत पर्याप्त निगरानी और आसूचना क्षमता का अभाव। उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी घटिया क्षमता की है इसलिए मानवरहित हवाई वाहन को कारगिल के ऊंचे इलाके में संतोषजनक ढंग से नहीं चलाया जा सकता है।

(ख) शीतकाल में सीमा के आर–पार सभी एजेंसियों के मानव आसूचना संबंधी प्रयास पूर्णतः ठप रहते हैं।

(ग) एफ सी एन ए क्षेत्र में भारत की मानव आसूचना, संचार आसूचना और इमेजरी आसूचना अपर्याप्त थी।

(घ) शीतकाल में कारगिल क्षेत्र में हवाई निगरानी के लिए भरी गई संक्रियात्मक उड़ानें अपर्याप्त और अप्रभावी थीं इसलिए अधिक परिष्कृत संवेदकों और बेहतर उपस्करों की आवश्यकता है।

(ङ) आसूचना की भूमिका को और अच्छी तरह समझे जाने की आवश्यकता है और यह भी कि इसकी आवश्यकता किसे है और इस बात को भी समझा जाना आवश्यक है कि उपलब्ध सूचना के संबंध में आगे कार्रवाई किसके द्वारा की जानी है।

(च) विभिन्न आसूचना एजेंसियां/संगठन अर्थात् अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ), आसूचना ब्यूरो और सैन्य आसूचना महानिदेशालय एक दूसरे को संगत जानकारी देने में असफल रहे। अंतर–एजेंसी संपर्क और समन्वय की कमी पाई गई। समन्वित आकलनों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।

(छ) भारतीय आसूचना तंत्र में कमियां हैं क्योंकि सूचना एकत्र करने में और रिपोर्ट देने में होने वाली चूकों और कमियों को दूर करने के लिए आधार ही सीमित है। बाह्य खतरे के बारे में केवल एक अभिकरण अर्थात् 'रॉ' ही रिपोर्ट भेजता है और इस संबंध में इस अभिकरण को एकाधिकार प्राप्त है।

(ज) आसूचना संकलन और प्रेषण के मौजूदा तंत्र तथा प्रक्रियाओं के कारण पृष्ठभूमि तथा अपुष्ट सूचना और अपर्याप्त रूप से आकलित आसूचना का भार बढ़ जाता है। जे आई सी से निचले स्तर पर समय–समय पर विचार–विमर्श करने के लिए कोई संस्थागत प्रक्रिया नहीं है।

(झ) सेना ने कभी भी किसी अन्य एजेंसी अथवा संयुक्त आसूचना समिति को आसूचना नहीं दी। सैन्य आसूचना महानिदेशक से निचले स्तरों पर एजेंसियों को आसूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेना प्राधिकारियों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी।

(ञ) एक लंबे समय तक प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों संबंधी भूमिका निभाने में तैनात रहने के कारण सेना के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम, चुस्त–दुरुस्त स्वरूप, और बाह्य आक्रमण से देश को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी उसकी मुख्य भूमिका की ओर विशेष रूप से ध्यान रखने के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ट) नियंत्रण रेखा के उस पार से निरंतर नवीनतम उपस्करों से लैस होकर आने वाले सुप्रशिक्षित भाड़े के विदेशी आंतकवादियों द्वारा सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद से लड़ने के लिए अर्द्ध सैन्य बल और केन्द्रीय पुलिस बल गठित, प्रशिक्षित और सुसज्जित नहीं किए जाते।

6. इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है। निगरानी और संचार अन्तर्रोधन एवं एन्क्रिप्शन व डिक्रिप्शन के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति की श्रेणी में आने वाली सिफारिशों

को कार्यान्वयन हेतु सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आसूचना, जनशक्ति प्रबंधन एवं संरचना और शीर्ष स्तर पर रक्षा मंत्रालय तथा सेना मुख्यालयों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों से मुख्यतः संबंध रखने वाली सिफारिशें सामान्य सुझावों के तौर पर की गई हैं, जिन्हें विशिष्ट कार्रवाई–योग्य नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। सशस्त्र सेना कार्मिकों की सध्वज सेवा को कम करने तथा तत्पश्चात् उन्हें अर्द्ध सैन्य बलों में और वहां से नियमित पुलिस बलों में शामिल करने जैसी कुछ सिफारिशों के व्यापक प्रभाव हैं, जिनके संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच और राज्य सरकारों के साथ भी विचार–विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण समीक्षा सहित इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले एक समुचित निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

7. समिति का प्रयास यह देखना रहा है कि "देश तथा इसकी सुरक्षा के संरक्षक" कारगिल के अनुभव से क्या सबक सीख सकते हैं। समिति ने व्यक्ति विशेष पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया है।

8. जबकि इस रिपोर्ट में निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कारगिल संघर्ष का परिणाम राष्ट्र की सैन्य तथा राजनयिक विजय रहा, सरकार ने इस संबंध में ऐसे उपाय शुरू किए हैं जिनसे हमारी सुरक्षा व्यवस्था के मौजूदा दोषों एवं कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

अनधिकृत निर्माणों का गिराया जाना

***203. श्री राम मोहन गाड्डे :**

श्री रामशकल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी बड़े विमानपत्तनों के आस–पास बसी झुग्गी बस्तियों समेत अनधिकृत निर्माणों को गिराए जाने के निदेश राज्य सरकारों को दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन अनधिकृत निर्माणों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास सरकार किस प्रकार करना चाहती है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) हवाई अड्डों पर अतिक्रमण हटाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, इस मामले को मंत्रालय/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, गुजरात और दिल्ली राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। राज्य सरकारें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि से अप्राधिकृत अतिक्रमण हटाने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के परामर्श से उनके पुनर्वास के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर चुकी हैं।

विरासत सूची में हम्पी

*** 204. श्री आर.एल.जालप्पा :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने विरासत सूची से हम्पी को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस स्थल की संरक्षा हेतु क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्व विरासत स्थल हम्पी को वहां पर किए गए कुछ निर्माण कार्यों के कारण, यूनेस्को द्वारा संकटपूर्ण स्थल के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) भारत सरकार की पहल के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने, दीर्घावधि के सुधारात्मक उपायों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है।

रेलवे भूमि के विकास हेतु हुडको के साथ समझौता

***205. श्री जी.एस. बसवराज :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चार महानगरों में रेलवे भूमि का विकास करने के लिए आवास और शहरी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "हुडको" द्वारा कुल कितनी भूमि का विकास किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रेलवे के पास उपलब्ध मूल्यवान गैर–शुल्क विकल्प के रूप में रेलवे भूमि

और आकाश क्षेत्र (एयर स्पेस) के वाणिज्यिक उपयोग का पता लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) जनवरी, 2000 में रेल मंत्रालय और हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने रेलवे भूमि और आकाश क्षेत्र (एयर स्पेस) के वाणिज्यिक विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार हुडको कुछ चुनी गई परियोजनाओं के लिए सह–प्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। इन परियोजनाओं में रेलवे का अनिवार्य रूप से अंशदान अपनी भूमि/सम्पत्ति और उस पर आकाश क्षेत्र (एयर स्पेस) के रूप में ही होगा। इन योजनाओं में इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) और इरकॉन इंटरनेशनल, रेलवे का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विस्तृत वित्तीय और व्यावहारिकता एवं मांग आकलन अध्ययन आवश्यक रूप से प्रत्येक चिह्नित स्थल के विकास से पहले करना पड़ेगा और प्रत्येक चिह्नित परियोजना के निष्पादन के विस्तृत तौर तरीकों को शामिल करते हुए एक करार किया जाएगा।

इसके लिए हुडको के सहयोग से रेलवे भूमि के कतिपय चिह्नित स्थलों और कतिपय महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का विकास करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वास्तविक कार्यान्वयन से पहले विस्तृत योजना, बाजार अध्ययनों और विभिन्न एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदनों के कारण सम्पत्ति विकास योजनाओं में आम तौर पर काफी समय लगता है। अतः आमदनी होने में कुछ समय लगेगा।

एअर इंडिया-कैरिबजेट वैट लीज सौदा

***206. श्री पवन कुमार बंसल :**

श्री अशोक म्र. मोहोल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एअर इंडिया कैरिबजेट वैट लीज सौदे को रद्द किए जाने में की गई कथित अनियमितताओं की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाला गुप्त) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बेहतर ऑफर को जान–बूझ कर अनदेखी करने और स्रोत सूचना पर 1994 के पट्टा करार के संबंध में करार पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी को छिपाने के लिए एक नोट में तारीख में तबदीली करने के संबंध में आरोपों की छानबीन की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दोबारा स्रोत सूचना पर 1995, में पट्टा करार को अंतिम रूप देने में मैसर्स कैरिबजेट इन्कारपोरेटेड के प्रति दिखाए गए पक्षपात के आरोपों की भी छानबीन की थी। जांच करने के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया कि नियमित मामला दर्ज करने के लिए कोई आधार नहीं था।

2. हाल ही में, एअर इंडिया और मैसर्स कैरिबजेट इन्कारपोरेटेड के बीच किये गये पट्टा करार को समाप्त करने के लिए एअर इंडिया के विरुद्ध न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा 23.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 103 करोड़ रुपए) के निर्णय के परिप्रेक्षय में, नागर विमानन मंत्रालय ने, 1995 के करार के मामले में समाप्ति तथा न्यायिक कार्यवाहियों सहित पट्टा करार 1995 में अनियमितताओं के आरोपों की सम्पूर्ण विषय की छानबीन करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, एअर इंडिया द्वारा कैरिबजेट इन्कारपोरेटेड के साथ 1994 में किये गये पट्टे से संबंधित कुछ आरोपित अनियमितताओं की जांच करने के लिए भी कहा है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम को हुआ घाटा

***207. डॉ. बलिराम** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिल मालिकों और वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक की मिलीभगत से वर्ष 1994–95 के दौरान पंजाब क्षेत्र से धान की खरीदारी के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को 224 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न अदालतों में दर्ज मुकदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम को स्टाम्प ड्यूटी यात्रा भत्ता और अधिवक्ता फीस की मद में और कितना अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा है;

(घ) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही करने का है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान चावल मिल–मालिकों के पास भंडारित धान की हानि के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 224 करोड़ रुपये के दावे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जहां तक चावल मिल–मालिकों और तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक के बीच सांठ–गांठ का संबंध है, जां के बाद इसे सिद्ध किया जाना है जिसके लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारम्भिक जांच शुरू कर दी है।

(ख) कुल मिलाकर 374 चावल मिल–मालिक धान के इस दुर्विनियोजन में शामिल हैं जिसके कारण हानि हुई। दो चावल मिल–मालिकों के विरुद्ध विवाचन कार्यवाही की जा रही है। शेष 372 मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले दर्ज कर दिए गए थे जिन पर अब निर्णय दे दिया गया है।

(ग) सरकार उन चावल मिलों के विरुद्ध न्यायिक मामले जारी रखने के संबंध में हुए खर्च पर विचार नहीं करती जिन्होंने हानि के रूप में धान का दुर्विनियोजन किया है।

(घ) से (च) सरकार धान के दुर्विनियोजन के कारण हुई ऊपर उल्लिखित हानि के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को माफ नहीं करेगी। श्रेणी–1 के एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है और श्रेणी II एवं III के 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी संलिप्तता साबित होने पर प्रमुख/लघु दण्ड दिया गया है। अन्य मामले जांच/कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर

***208. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को धनराशि प्रदान करने के अतिरिक्त, देश में पर्यटन के विकास के संबंध में संघ सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) सरकार पर्यटन विकास के प्रयासों में राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा पर्यटक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता मंजूर करने तथा सूचना तकनालाजी के इस्तेमाल तथा उसके व्यापक प्रचार–प्रसार में सहायक एवं समन्वयक का कार्य करती है।

(ख) और (ग) पर्यटन उद्योग से अधिकांशतः सभी सेवा सेक्टरों को शामिल करते हुए गुणक प्रभाव द्वारा बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। वर्ष 1985–86 के मूल्यों के आधार पर पर्यटन उद्योग में प्रति मिलियन रुपए के निवेश से 47.5 रोजगार सृजित हुए जो अन्य उद्योगों के मुकाबले में अधिक हैं। वर्ष 1997–98 के दौरान पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अनुमानतः 32.57 मिलियन था जो देश की समग्र श्रमशक्ति का लगभग 2.4% है। अवसंरचना सृजन, प्रचार–प्रसार, विपणन तथा मानव संसाधन विकास जैसी सभी सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य/संघ राज्य प्रशासनों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं का स्तर

***209. श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह एक आम धारणा है कि एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपयुक्त स्तर की नहीं हैं;

(ख) सरकार द्वारा एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस समय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा केरल से कितनी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार के पास केरल के हवाई अड्डों से और सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो हवाई अड्डा–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) सुधार की गुंजाइश है। दोनों एयरलाइन्सें का यात्रियों को भूमि पर तथा विमान में दोनों जगह दी जा रही सेवाओं में सुधार

लाने का सदैव प्रयास रहता है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में कुछ निम्न प्रकार हैं :

इंडियन एयरलाइंस

(i) सेवा की विश्वसनीयता

(ii) उत्पाद सुधार

(iii) यात्री सुविधाओं में सुधार

एअर इंडिया

(i) सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए अलग चैक–इन काउंटर

(ii) प्रथम श्रेणी यात्रियों के लिए टेली–चैक इन सुविधा

(iii) सीट के पूर्व चयन की सुविधा

(iv) कोड शेयर उड़ानों पन चैक इन सुविधा

(v) विश्वव्यापी सामान पहचान सेवा की सुविधा

(vi) विश्व की प्रमुख एयरलाइनों की तर्ज पर खोए हुए/क्षतिग्रस्त सामान का मुआवजा

(vii) अधिकांश भारतीय हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरीकृत चैक–इन

उपरोक्त के अतिरिक्त दोनों एयरलाइनों ने एक संयुक्त फ्लायर कार्यक्रम शुरू किया है जिसे 'फ्लाइंग रिटर्न' के नाम से जाना जाता है जिससे सदस्य दोनों एयरलाइनों पर अपनी यात्रा के लिए माइलेज प्वाइंट को प्राप्त/उपयोग कर सकता है।

(ग) इस समय एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस केरल से क्रमशः 17 तथा 32 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित कर रहे हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, दोनों एयरलाइनें केरल से 12 संयुक्त उद्यम उड़ानें भी प्रचालित कर रही हैं।

(घ) और (ङ) इस समय क्षमता की तंगी के कारण एअर इंडिया केरल से किसी अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय उड़ान प्रचालित करने की स्थिति में नहीं है। तथापि इंडियन एयरलाइन्स की केरल के हवाई अड्डों में/से निम्नलिखित अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालन करने की योजनाएं हैं :

हैदराबाद	–	कोचीन	–	दोहा
त्रिवेन्द्रम	–	शारजाह		

कोयले की धुलाई में छूट

*210. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा आयातित कोयले की धुलाई पर वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान अब तक कितनी धनराशि की छूट दी गई है;

(ख) क्या सरकार का इस छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस छूट को किस तारीख से समाप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इसके घरेलू बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान आयातित कोयले के महत्त्वपूर्ण यातायात के संबंध में क्रमशः दक्षिण रेलवे पर 34.30 लाख रु. और 129.55 लाख रुपए तथा पश्चिम रेलवे पर 92 लाख रुपए और 341 लाख रुपए की छूट प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। रेल मंत्रालय ने 1.4.2000 से इस रियायत को वापिस लेने के लिए पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) यह नीति रेलवे की ओर अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने पर आधारित थी।

[हिन्दी]

कारगिल कोष

*211. **श्री विजय गोयल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल कोष में विभिन्न राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए योगदान का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने उक्त प्रयोजनार्थ एकत्रित राशि का उपयोग अन्य शीर्षों के अंतर्गत किया है; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन–सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस निधि का अन्यत्र उपयोग किया है और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) सरकार को कारगिल संघर्ष के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई धनराशि के बारे में कोई सूचना नहीं है।

सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि कारगिल आपरेशन में हताहत सैनिकों के लाभ के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तथापि, राज्य सभा के एक सदस्य ने, विशेष उल्लेख के माध्यम, से 07 दिसंबर, 1999 को उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश में कारगिल मुख्यमंत्री कोष में 11 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे, किन्तु सैनिकों के कल्याण पर 1 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का उपयोग

***212. श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विमानों का उपयोग करने के कारण वर्तमान प्रधानमंत्री/भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों, अन्य मंत्रियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों पर आज की स्थिति के अनुसार बकाया देय धनराशि कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर देय राशि कब से बकाया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक किसी भी मंत्री से यदि कोई राशि वसूल की गई है, तो उक्त धनराशि कितनी है;

(घ) ऐसी देय राशि की वसूली के मामले में हाल ही में दायर जनहित याचिका और उच्च न्यायालयों में परवर्ती आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) भारतीय वायु सेना के वायुयानों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप पूर्व प्रधानमंत्रियों/वर्तमान प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राजनीतिक दलों पर बकाया प्राप्य धनराशि तथा गत तीन वर्षों के दौरान की गई वसूली का ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न है। मंत्रालयों/विभागों पर बकाया प्राप्य धनराशि के ब्यौरों में मंत्रियों को मुहैया कराई गई वायुयान सुविधा भी शामिल है क्योंकि वायुसेना मुख्यालय अलग-अलग मंत्रियों के नाम से पृथक ब्यौरे नहीं रख रहा है।

(घ) और (ङ) न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस मामले को संबंधित राजनीतिक दलों के साथ उठाया जा रहा है। यदि आवश्यक हुआ, तो बकाया धनराशि की वसूली के लिए कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

क्रम सं.	एजेंसी	बकाया धनराशि	अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	की गई वसूली (रुपए) ** 1996-97	*** 1997-98	**** 1998-99
1	2	3	4	5	6	7
	पूर्व/वर्तमान प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल					
1.	श्री चन्द्र शेखर	5,91,31,476	1991-92	—	—	—
2.	श्री पी. वी. नरसिम्हा राव	5,52,40,647	1995-96 और 1996-97	13,30,64,150	—	—
3.	श्री एच. डी. देवगौड़ा	54,61,497*	1996-97 और 1999-2000	—	—	—
4.	श्री अटल बिहारी बाजपेयी	शून्य		—	—	4,55,941

1	2	3	4	5	6	7
5.	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति	44,73,053	1980–81; 86–87; 90–91 एवं 95–96	–	–	–
	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग					
6.	कृषि	शून्य	–	89,94,736	1,15,66,250	31,68,167
7.	रसायन एवं उर्वरक	शून्य	–	–	1,10,000	–
8.	नागर विमानन	20,158	1997–98	12,55,833	–	86,08,500
9.	संचार	44,21,953	1978–79 से 1999–2000	2,33,204	98,65,306	2,44,902
10.	संस्कृति, युवा कार्य और खेल	2,03,166	1994–95	–	–	–
11.	पर्यावरण एवं वन	11,21,192	1995–96 एवं 1997–98	–	1,73,333	–
12.	विदेश मंत्रालय	12,58,79,077	1973–74 से 1999–2000	8,59,51,174	20,96,34,820	9,47,85,221
13.	वित्त	42,80,593	1982–83 से 1999–2000	71,28,334	1,45,98,000	–
14.	खाद्य	21,657	1968–69 से 1986–87	–	–	–
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	62,42,542	1994–95	–	–	–
16.	गृह मंत्रालय	5,80,65,614	1999–2000	18,60,26,288	71,60,000	51,72,750
17.	मानव संसाधन विकास	8,565	1983–84	–	–	–
18.	उद्योग	शून्य	–	2,87,000	–	–
19.	सूचना एवं प्रसारण	37,15,874	1974–75 से 1999–2000	55,258	17,929	10,53,91,000
20.	श्रम	शून्य	–	35,000	2,50,000	–
21.	लोक सभा सचिवालय	शून्य	–	5,62,502	–	–
22.	संसदीय कार्य	शून्य	–	7,12,499	–	13,05,000
23.	पेट्रोलियम	शून्य	–	–	3,00,00,000	58,15,000
24.	योजना आयोग	शून्य	–	–	48,98,659	–
25.	विद्युत	2,82,333	1999–2000	36,336		6,75,833
26.	रेलवे	1,02,201	1962–63 से 1981–82	63,07,083	5,04,77,084	1,54,44,538

1	2	3	4	5	6	7
27.	ग्रामीण विकास	शून्य	–	6,41,667	–	–
28.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7,98,232	1995–96 एवं 1998–99	–	–	–
29.	इस्पात एवं खान	शून्य	–	–	33,71,250	–
30.	जल भूतल परिवहन	1,09,327	1968–69 एवं 1974–75	–	55,26,626	–
31.	पर्यटन	73,922	1994–95	–	–	34,33,333
32.	जनजातीय मामले	19,25,000	1999–2000	–	–	–
33.	शहरी रोजगार	शून्य	–	–	7,87,000	–
34.	जल संसाधन	4,60,336	1994–95	–	6,80,000	92,083
35.	कल्याण	शून्य	–	19,26,667	–	4,67,500

* प्रधानमंत्री की स्वीकृति पर श्री. सी. एम. इब्राहिम द्वारा की गई यात्रा से संबंधित 28,13,333 रुपए भी इसमें शामिल हैं।

** स्व. श्री राजीव गांधी को मुहैया कराई गई वायुयान सुविधा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से वर्ष 1996–97 में 1,00,00,000 रुपए वसूल किए गए।

*** वर्ष 1997–98 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई. के. गुजराल से 1,69,021 रुपए वसूल किए गए।

**** वर्ष 1998–99 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई. के. गुजराल से 3,95,984 रुपए वसूल किए गए।

[अनुवाद]

माल भाड़ा नीति तैयार करना

***213. श्रीमती रानी नरह :**

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल भाड़ा नीति बनाने हेतु कोई कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्ष्य को प्राप्त करने में ये किस हद तक प्रभावी हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

संरक्षित स्मारकों में अवैध कब्जा

*** 214. श्रीमती श्यामा सिंह :**

डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्राटेक्टेड मोनूमेंटस् इन ग्रिप आफ इन्क्रोचर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बड़ी संख्या में इन स्मारकों में अवैध कब्जा कर लिया गया है और संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे अवैध कब्जों को हटाने के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिनमें अवैध कब्जा कर लिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 3602 स्मारकों तथा स्थलों में से 187 मामलों में अतिक्रमण की रिपोर्ट मिली है। अतिक्रमणों को हटाने के लिए निरपवाद रूप से राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों की सहायता मांगी जाती है। जहां भी लागू होता है, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई भी शुरू की गई है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का पुनर्गठन

*215. **श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को पर्यटन मंत्रालय के भारत में आने और भारत से विदेशों के लिए अपने जाने हेतु अधिक से अधिक विमान सेवाएं शुरू करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों और एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इनसे कितनी आय हुई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

एअर इंडिया

(1) अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए मार्केटिंग प्रयास बढ़ा दिए गए हैं, (2) नेटवर्क युक्तिकरण और मार्ग लाभप्रदता पर ध्यान देने के साथ–साथ समेकन, (3) अधिक घरेलू मरम्मत कार्य करके विमान की बाहरी मरम्मत पर होने वाले व्यय में कमी (4) विदेशों में भारतीय अधिकारियों के कई पदों को समाप्त कर दिया गया है, (5) सेवानिवृत्त की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स

(1) विमान की उपयोगिता की वृद्धि, (2) आर्थिक और यातायात मांग के मापदण्ड पर क्षमता लगाया जाना (3) मार्केटिंग प्रयास, (4) ग्राहक सेवाओं में सुधार, (5) सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करना।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने भारत से जाने और आने वाली अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित राजस्व और वाहित यात्रियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	वर्ष	उड़ानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	राजस्व (करोड़ रुपए में)
एअर इंडिया	96–97	6320	2910556	2554.00
	97–98	6188	2933117	2745.06
	98–99	6136	3041201	2907.40
इंडियन एयरलाइन्स	96–97	9262	960000	620.27
	97–98	10816	1110000	805.61
	98–99	11821	1160000	880.00

[हिन्दी]

बी.ओ.टी. की आर्थिक व्यवहार्यता

*216. **श्री हरिभाऊ शंकर महाले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत पहली बार कोंकण रेलवे निगम (के.आर.सी.) को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेलवे निगम द्वारा एक वर्ष पूरा कर लेने के बाद इस योजना की आर्थिक व्यवहार्यता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल योजना के अनुसार कोंकण रेलवे के 40 प्रतिशत माल को ग्रांड ट्रंक मार्ग के बजाय कोंकण रेलवे द्वारा ढोया जाना था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या के.आर.सी. की माल वहन क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है;

(च) क्या कोंकण रेलवे निगम को माल वहन क्षमता के अल्प उपयोग की वजह से भारी घाटा हो रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इसकी क्षमता के अभीष्टतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट में यातायात प्रक्षेपण के आधार पर परिकलित प्रतिफल की दर 15.58% थी। बहरहाल, अपने परिचालन के पहले वर्ष अर्थात् 1997–98 में कोंकण रेल निगम लिमिटेड ने 153.64 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था।

(ग) लाइन की यातायात संबंधी संभाव्यता के बारे में राइट्स की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया गया था कि अपने परिचालन के शुरु–आती दो वर्षों के दौरान कोंकण रेलवे पर संचलित होने वाला 40% माल यातायात भारतीय रेलों के बदले कोंकण रेलवे पर संचलित होना था।

(घ) कोंकण रेलवे को मिलने वाला वास्तविक यातायात उत्तर–दक्षिण मार्ग पर यातायात की कुल पेशकश, भारतीय रेल के वैकल्पिक खंड की क्षमता तथा प्रारंभिक और गंतव्य स्टेशन आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है. अब तक यातायात की कम पेशकश, नए उत्पादन केन्द्रों के विकास के कारण कोंकण रेलवे के लिए प्रक्षेपित स्तर का यातायात फलीभूत नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां।

(च) जी हां। बहरहाल, यद्यपि कोंकण रेल निगम अपनी आमदनियों से अपने परिचालन व्यय को पूरा करने में सक्षम है तथापि बाजार ऋणों की अत्यधिक लागत के कारण समग्र घाटे की स्थिति बनी हुई है।

(छ) अपने परिचालन के पहले वर्ष में कोंकण रेल निगम को हुआ कुल घाटा, उत्तर के उपर्युक्त पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है। 1998–99 में कुल घाटा 340.3 करोड़ रुपए था।

(ज) यातायात को आकर्षित करने के लिए सेवाओं में नई संकल्पनाएं यथा रेलों पर भरे हुए ट्रकों के संचलन के लिए आरओ–आरओ (रोल ऑन–रोल ऑफ) योजना तथा जहां–कहीं संभव है स्टेशन–से–स्टेशन तक दरों की पेशकश शुरू की गई है। इस प्रणाली पर कुछ और यातायात आकर्षित करने की दृष्टि से कोंकण रेल मार्ग पर स्थानीय उद्योगों से संपर्क करके विपणन के जोरदार प्रयास किए गए हैं।

अलाभकारी रेल मार्ग

*217. **श्री सुकदेव पासवान :**

डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अलाभकारी रेलमार्गों पर अनेक रेलगाड़ियां चला रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्गों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1998–99 के दौरान इस कारण रेलवे को कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इन मार्गों को लाभकारी बनाने के लिए सरकार को विशेषज्ञों से कुछ योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन मार्गों पर हो रहे घाटे को रोकने के लिए ठेका प्रणाली के अंतर्गत इन मार्गों के कुछ रेल प्रचालनों का निजीकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) *अलाभप्रद रेल लाइनों के नाम तथा 1998–99 के दौरान इन लाइनों के परिचालन से हुई हानि का ब्यौरा*

हानि हजार रुपयों में

मध्य रेलवे		
1.	नेरल–माथेरन (छोटी लाइन–21 कि.मी.)	54826
2.	कर्जत–खापोली (बड़ी लाइन–15 कि.मी.)	11609

3.	ग्वालियर–भिंड (छोटी लाइन–84 कि.मी.)	35120
4.	ग्वालियर–शिवपुर–कलां (छोटी लाइन–200 कि.मी.)	104969
5.	धोलपुर–तंतपुर–सिरमुत्रा (छोटी लाइन–89 कि.मी.)	32447
6.	ऐट–कोंच (बड़ी लाइन–14 कि.मी.)	16817
7.	कुर्दुवाड़ी–मिरज–लातूर (छोटी लाइन–327 कि.मी.)	95808
8.	पचोरा–जामनेर (छोटी लाइन–56 कि.मी.)	13276
9.	माजरी–राजपुर (बड़ी लाइन–21 कि.मी.)	5206
10.	गुना–मकसी (बड़ी लाइन–193 कि.मी.)	43191
11.	दौंड–बारामती (बड़ी लाइन–44 कि.मी.)	12900
12.	पनवेल–उरान (बड़ी लाइन–27 कि.मी.)	18935
	जोड़	445104

पूर्व रेलवे

13.	भीमगढ़–पलसथाली (बड़ी लाइन–27 कि.मी.)	3204
14.	बारासत–हसनाबाद (बड़ी लाइन–53 कि.मी.)	28339
15.	शांतीपुर–नबदीपघाट (छोटी लाइन–27.5 कि.मी.)	9653
16.	बर्धमान–कटवा (छोटी लाइन–53 कि.मी.)	27855
17.	भागलपुर–मंदारहिल (बड़ी लाइन–50 कि.मी.)	10648
18.	बरुईपुर–लक्ष्मीकांतपुर (बड़ी लाइन–37 कि.मी.)	21534
19.	जमालपुर–मुंगेर (बड़ी लाइन–10 कि.मी.)	5587
20.	सोनारपुर–कैनिंग (बड़ी लाइन–29 कि.मी.)	14659
21.	दिलदारनगर–ताडीघाट (बड़ी लाइन–19 कि.मी.	2991
22.	कल्याणी–सिमांता (बड़ी लाइन–4 कि.मी.)	9063
23.	तीनपहाड़–राजमहल (बड़ी लाइन–12 कि.मी.)	2332
24.	लक्ष्मीकांतपुर–कुल्पी (बड़ी लाइन–10 कि.मी.)	58183
	जोड़	194048

उत्तर रेलवे

25.	रोहतक–गोहाना (बड़ी लाइन–32 कि.मी.)	12157
26.	गोहाना–पानीपत (बड़ी लाइन–39 कि.मी.)	12217
27.	रोहतक–भिवानी (बड़ी लाइन 49 कि.मी.)	38217
28.	शामली–सहारनपुर (बड़ी लाइन–64 कि.मी.)	44173
29.	दिल्ली–शहादरा–शामली (बड़ी लाइन–87 कि.मी.)	17393
30.	तुगलकाबाद–शकूरबस्ती (बड़ी लाइन–26.60 कि.मी.)	29953
31.	कालका–शिमला (छोटी लाइन–97 कि.मी.)	116132
32.	लालगढ़–श्रीकोलायत जी (बड़ी लाइन–46 कि.मी.)	15500
33.	गढ़ी–हरसरू–फर्रुखनगर (मीटर लाइन–11 कि.मी.)	2816
34.	सरदार शहर–रतनगढ़ (मीटर लाइन–43 कि.मी.)	9724
35.	डालमऊ–दरयापुर (बड़ी लाइन–25 कि.मी.)	4788
36.	अमृतसर–अटारी (बड़ी लाइन–25 कि.मी.)	11085
37.	फगवाड़ा–नवां शहर दोआबा (बड़ी लाइन–36 कि.मी.)	31117
38.	बटाला–कांदियां (बड़ी लाइन–19 कि.मी.)	14903
39.	वेरका–डेराबाबा नानक (बड़ी लाइन–46 कि.मी.)	73285
40.	अमृतसर–खेमकरन (बड़ी लाइन–77 कि.मी.)	8082
41.	राय का बाग–पोखरण (बड़ी लाइन–192 कि.मी.)	21996
42.	मेड़ता रोड–मेड़ता सिटी (बड़ी लाइन–14.5 कि.मी.)	3278
43.	रानीवाड़ा–भिलड़ी (मीटर लाइन–71 कि.मी.)	51669
44.	समदड़ी–मुनाबाव (मीटर लाइन–248 कि.मी.)	83242
	जोड़	601727

पूर्वोत्तर रेलवे

45.	बनमंखी–बिहारीगंज (मीटर लाइन–27 कि.मी.)	19315
46.	सकरी–जयनगर (मीटर लाइन–70 कि.मी.)	60078
47.	नरकटियागंज–भिखनाथोरी (मीटर लाइन–47 कि.मी.)	15414
48.	सलेमपुर–बरहज बाजार (बड़ी लाइन–22 कि.मी.)	7433
49.	इंदारा–दोहरीघाट (मीटर लाइन–40 कि.मी.)	14229
50.	मनकापुर–कटरा (बड़ी लाइन–30 कि.मी.)	19367
51.	आनंदनगर–नौतनवा (मीटर लाइन–49 कि.मी.)	18131
52.	झंझारपुर–लौकहा बाजार (मीटर लाइन–43 कि.मी.)	29438
53.	मथुरा–वृंदावन (मीटर लाइन–13 कि.मी.)	5196
54.	मंदघना–ब्रह्मावर्त (मीटर लाइन–9 कि.मी.)	2965
55.	काशीपुर–रामनगर (बड़ी लाइन–27 कि.मी.)	23367
56.	रामपुर–न्यू हल्द्वानी (बड़ी लाइन–89 कि.मी.)	67596
	जोड़	**282529**

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

57.	न्यू जलपाईगुड़ी–दार्जिलिंग (छोटी लाइन–88 कि.मी.)	43107
58.	कटिहार–मनिहारीघाट (मीटर लाइन–36 कि.मी.)	31599
59.	कटिहार–जोगबनी (मीटर लाइन–108 कि.मी.)	87253
60.	सिंहाबाद–ओल्ड मालदा (बड़ी लाइन–24 कि.मी.)	21967
61.	बरसोई–राधिकापुर (मीटर लाइन–53 कि.मी.)	987
62.	अलीपुरद्वार–बामनहाट (मीटर लाइन–71 कि.मी.)	45269
63.	तेजपुर–रंगापाड़ा नार्थ (मीटर लाइन–27 कि.मी.)	28815
64.	फकीराग्राम–धुबरी (मीटर लाइन–65 कि.मी.)	28726
65.	करीमगंज–महिसाशन (मीटर लाइन–10 कि.मी.)	8632
66.	बरईग्राम–दुल्लभचेरा (मीटर लाइन–28 कि.मी.)	7528
67.	काटाखल–लालाबाजार (मीटर लाइन–36 कि.मी.)	8622
68.	चापरमुख–सिलघाट (मीटर लाइन–81 कि.मी.) और चापरमुख–हैबरगांव (बड़ी लाइन–27 कि.मी.)	9142
69.	सिमलगुड़ी–नगिनीमोरा (मीटर लाइन–14 कि.मी.)	739
70.	मरियानी–जोरहाट टाउन (मीटर लाइन–17 कि.मी.)	10363
71.	सिमुलगुड़ी–मोरानहाट (मीटर लाइन–54 कि.मी.)	2047
72.	माकुम–डंगारी (मीटर लाइन–30 कि.मी.)	642
73.	धर्मनगर–पंचारथल–कुमारघाट (मीटर लाइन–41 कि.मी.)	97892
74.	लालबाजार–जमीरा–मैराबी (मीटर लाइन–45 कि.मी.)	49181
75.	सिलचर–जिरीबाम (मीटर लाइन–49 कि.मी.)	38932
76.	बालीपाड़ा–गमई–भालुकपोंग (मीटर लाइन–35 कि.मी.)	38375
	जोड़	**559818**

दक्षिण रेलवे

77.	शोरानूर–नीलंबुर (बड़ी लाइन–66 कि.मी.)	4071
78.	रवपुपुरम–पांडिचेरी (मीटर लाइन–38 कि.मी.)	12432
79.	थिरूथुरियापूंडी–कोडिकराई (मीटर लाइन–46 कि.मी.)	3151
80.	मेट्टूपलायम–उधगमंगलम (मीटर लाइन–46 कि.मी.)	28843
81.	मदुरै–बोडिनायाकुनूर (मीटर लाइन–90 कि.मी.)	13909
82.	नंजनगुड–चामराजनगर (मीटर लाइन–35 कि.मी.)	19409

83.	तिरुनेलवेली–तिरुचंदूर (मीटर लाइन–62 कि.मी.)	17910
84.	सागरजंबागुरू–तालागुप्पा (मीटर लाइन–16 कि.मी.)	8877
85.	त्रिचूर–गुरुवायूर (बड़ी लाइन–24 कि.मी.)	5657
86.	चित्रदुर्ग–रायदुर्ग (बड़ी लाइन–99 कि.मी.)	19050
	जोड़	133309
दक्षिण मध्य रेलवे		
87.	भीमावरम–नरसापुर (बड़ी लाइन–29 कि.मी.)	8716
88.	गुडीवाडा–मछलीपट्टनम (बड़ी लाइन–40 कि.मी.)	12238
89.	जंकमपेट–बोधन (मीटर लाइन–20 कि.मी.)	2396
90.	मुदखेड़–आदिलाबाद (मीटर लाइन–162 कि.मी.)	23412
91.	आदिलाबाद–पिंपलकुट्टी (बड़ी लाइन–20 कि.मी.)	650
	जोड़	47412
दक्षिण पूर्व रेलवे		
92.	खुर्दा–रोड–पुरी (बड़ी लाइन–43 कि.मी.)	52798
93.	नवपाड़ा–गुनुपुर (छोटी लाइन–90 कि.मी.)	20356
94.	पुरुलिया–कोटशिला और रांची लोहारदगा (छोटी लाइन–104 कि.मी.)	125334
95.	रायपुर–धमतरी (छोटी लाइन–89 कि.मी.)	65722
96.	सतपुड़ा रेलवेज (छोटी लाइन–1007 कि.मी.)	759390
97.	रूपसा–तालबंध (छोटी लाइन–89 कि.मी.)	29106
98.	कन्हा–रामटेक (बड़ी लाइन–24 कि.मी.)	17455
99.	बोंडामुंडा–नौगांव–पुर्णपांणी (बड़ी लाइन–29 कि.मी.)	252
100.	जखापुरा–दैतारी (बड़ी लाइन–33 कि.मी.)	53926
101.	हटिया–नवगांव (बड़ी लाइन–18 कि.मी.)	39209
102.	बोल्ली–सालूर (बड़ी लाइन–18 कि.मी.)	7379
103.	तुमसर रोड–तिरोडी (बड़ी लाइन–24 कि.मी.)	20210
104.	टाटा–बादामपहाड़ (बड़ी लाइन–99.05 कि.मी.)	17946
105.	संतरागाछी–बड़गछिया (बड़ी लाइन–24 कि.मी.)	46473
106.	तुप्काडीह–तलगड़िया (बड़ी लाइन–35 कि.मी.)	71647
	जोड़	1327203
पश्चिम रेलवे		
107.	बिलिमोरा–वघई (छोटी लाइन–63 कि.मी.)	10092
108.	छुछापुरा–तेंखाला (छोटी लाइन–38 कि.मी.)	821
109.	चोरांडा–मोतीकोरल (छोटी लाइन–19 कि.मी.)	1792
110.	सामनी–दहेज (छोटी लाइन–39 कि.मी.)	2115
111.	भरूज–जम्बूसर–कवि (छोटी लाइन–76 कि.मी.)	3562
112.	छोटा उदयपुर–जंबूसर (छोटी लाइन–150 कि.मी.)	7666
113.	चंदेड–मालसर (छोटी लाइन–87 कि.मी.)	7533
114.	नाडियाद–कपड़वंज (छोटी लाइन–45 कि.मी.)	2971
115.	नाडियाद–भादरन (छोटी लाइन–58 कि.मी.)	1606
116.	गांधीधाम–न्यू कांडला (मीटर लाइन–12 कि.मी.)	19281
117.	मावली जं.–बड़ी सादड़ी (मीटर लाइन–82 कि.मी.)	63512
118.	प्रांची रोड–कोडिनार (मीटर लाइन–26 कि.मी.)	12206
119.	सिहोर–पलीताना (मीटर लाइन–27 कि.मी.)	7283
120.	राजुला जं.–राजुला सिटी (मीटर लाइन–9 कि.मी.)	2155
121.	रणुज–नेत्राना रोड–काकोसी	5125
122.	मेहसाणा–तरंग हिल (मीटर लाइन–56 कि.मी.)	8422
123.	हिम्मतनगर–खेडब्रह्म (मीटर लाइन–55 कि.मी.)	8698
124.	आनंद–खंभात (बड़ी लाइन–51 कि.मी.)	13221
125.	बोरीवली–वडताल–स्वामीनारायण (बड़ी लाइन–6 कि.मी.)	2563
	जोड़	180624
	कुल जोड़	3771774

हवाई अड्डों पर सुरक्षा के मानक

***218. श्री रामदास आठवले :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को भारतीय आकाश क्षेत्र और हवाई अड्डों की सुरक्षा के संबंध में 'घ' श्रेणी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सुरक्षा–मानकों के संबंध में देश की छवि सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन (शिकागो) 1944 के अभिसमय के अनुबंध 17 तथा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन सुरक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों और सिफारिश की गई प्रक्रिया के अनुसार किये जाते हैं।

विमान सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(i) प्रथम चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही पटना, जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच–पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(iv) फोटो–पहचान पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों के पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 31.3.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम–से–कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में भागीदारी

***219. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग, राष्ट्रीय ताप–विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) की विद्युत–उत्पादन परियोजनाओं में इक्विटी आधार पर भागीदारी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की आर्थिक और कानूनी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा अपेक्षाकृत सस्ती, विश्वसनीय और अबाधित विद्युत–आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन से अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) रेलें राष्ट्रीय ताप बिजली घर और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के अन्य बिजली घरों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश कर रही हैं ताकि अपेक्षाकृत अधिक उचित दरों पर बिजली प्राप्त की जा सके। ऐसी भागीदारी के तौर तरीकों को अभी कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) यद्यपि रेलों ने पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों से संपर्क करके उपयुक्त स्तर पर दरों को संशोधित करने का अनुरोध किया है तथापि निष्पन्न/तलाशे जा रहे अन्य विकल्प निम्नानुसार हैं :

(i) केन्द्रीय बिजली उत्पादक एजेंसियों के गैर आबंटित

15% केन्द्रीय भाग से बिजली की सीधी आपूर्ति का लाभ उठाना। बहरहाल, यह तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता तथा बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली के आबंटन पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय ताप बिजली घर से बिजली की सीधी सप्लाई प्राप्त करने की एक पायलट योजना इस समय दिल्ली–कानपुर खंड पर निष्पादित की जा रही है।

(ii) राज्य बिजली विनियमन आयोगों के साथ बातचीत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना।

(iii) स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से बिजली सप्लाई प्राप्त करना जो तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(iv) कैप्टिव बिजली संयंत्रों की स्थापना, अधिमानतः सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की भागीदारी से संयुक्त उपक्रमों के जरिए।

आमान परिवर्तन

***220. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पिछले दशक के दौरान एक समान आमान परिवर्तन करने की नीति के क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक धनराशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो 1991 से कुल कितने कि.मी. को एक समान आमान परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या रेलवे को इस नीति से लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो एक समान आमान परिवर्तन करने की नीति के क्रियान्वयन से प्राप्त प्रचालन लाभ और अतिरिक्त राजस्व का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ग) रेलों ने 1.4.1989 से 31.3.1999 के दौरान आमान परिवर्तन के संबंध में 7563.95 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

(ख) 1.4.1991 से 8717 कि.मी. रेलपथ को बड़ी लाइन में बदला गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आमान परिवर्तन परियोजनाओं को निष्पादित करने से होने वाले लाभ, अतिरिक्त वहन क्षमता का सृजन, वैकल्पिक मार्गों का विकास तथा थ्रू–पुट और आमदनियों में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में हैं, इससे परिचालन संबंधी लचीलेपन में वृद्धि हुई है। सामाजिक रूप से वांछनीय तथा आर्थिक रूप से गैर–अर्थक्षम आमान परिवर्तन संबंधी उन कार्यों, जिन्हें विकासात्मक दृष्टिकोण से शुरू किया गया है, के कारण रेलों को कोई अतिरिक्त राजस्व अथवा परिचालनिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहरहाल, परिवर्तित की गई लाइनों से अर्जित राजस्व का पृथक रूप से कोई लेखा–जोखा नहीं रखा जाता है।

श्रीलंका में मारे गए सैनिकों के आश्रितों को मुआवजा

2188. श्री आर. एस. पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ अघोषित युद्ध में भारतीय शांति सेना के मारे गए सैनिकों के आश्रितों को दी गई सुविधाएं और मुआवजा, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी गई सुविधाओं और मुआवजे से कितनी भिन्न है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : श्रीलंका और करगिल संघर्ष में संक्रिया के दौरान मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के आश्रितों को दिए गए लाभ इस प्रकार हैं :

	श्रीलंका संक्रिया	कारगिल संघर्ष
	1	2
पेंशन संबंधी अधिनिर्णय	अधिकारी :	अधिकारी :
	1. विधवा के मामले में मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन।	1. विधवा के मामले में मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर उदारीकृत परिवार पेंशन।
	2. ऐसे अधिकारी के आश्रित माता–पिता के मामले में, जो	2. ऐसे अधिकारी के आश्रित माता–पिता के लिए, जो अविवाहित

1	2
	अविवाहित हो या जिसके पीछे विधवा/बच्चा न हो, माता–पिता दोनों के लिए मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के 75% की दर पर और माता या पिता एक को, माता–पिता दोनों के लिए स्वीकार्य पेंशन का 75% की दर पर उदारीकृत परिवार पेंशन।	हो या जिसके पीछे विधवा/बच्चा न हो, माता–पिता दोनों के लिए मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के 75% की दर पर और माता या पिता एक को, माता–पिता दोनों के लिए स्वीकार्य पेंशन का 75% की दर पर परिवार पेंशन।
	अधिकारी रैंक से निचले रैंक के कार्मिक : मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर नामित वारिस को उदारीकृत परिवार पेंशन।	अधिकारी रैंक से निचले रैंक के कार्मिक : मृतक द्वारा आहरित अंतिम गणनीय परिलब्धियों के बराबर नामित वारिस को उदारीकृत परिवार पेंशन।
अनुग्रह पूर्वक	अनुग्रहपूर्वक मुआवजे की कोई योजना नहीं थी।	10 लाख रुपए।

कारगिल संघर्ष को युद्ध जैसी संक्रिया माना गया था और इस संक्रिया के दौरान सशस्त्र सेना के मारे गए कर्मिकों को अनुग्रह का विशेष पैकेज और राष्ट्रीय रक्षा कोष से सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

2189. श्री सुबोध राय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को राज्य–वार शामिल किया गया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 1995 से आज तक दुःखी परिवारों को कितना लाभ दिया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. खजा) : (क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान देश में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1995 से योजना के अंतर्गत लाभ 19–64 वर्ष की उम्र में मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर गरीबी रेखा के नीचे के शोक संतप्त परिवारों को एकमुश्त अनुदान के रूप में दिया जाता है। 1.8.1998 से पहले, मुख्य जीविकोपार्जक की स्वाभाविक मृत्यु होने पर 5,000 रुपए और दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान था। 1.8.1998 से यह राशि एक समान 10,000 रुपए कर दी गई है, चाहे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

योजना : राष्ट्रीय लाभ योजना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित लाभार्थियों की संख्या 1997–98	1998–99
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36760	38661
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	41
3.	असम	3916	5545
4.	बिहार	20654	23184
5.	गोवा	123	123
6.	गुजरात	780	2552
7.	हरियाणा	661	867
8.	हिमाचल प्रदेश	351	289
9.	जम्मू व कश्मीर	586	478
10.	कर्नाटक	1412	2105
11.	केरल	5100	6501
12.	मध्य प्रदेश	47912	54353

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	7172	20944
14.	मणिपुर	39	66
15.	मेघालय	109	211
16.	मिजोरम	14	91
17.	नागालैंड	50	असूचित
18.	उड़ीसा	16605	16328
19.	पंजाब	1364	949
20.	राजस्थान	8001	9498
21.	सिक्किम	20	13
22.	तमिलनाडु	26455	36184
23.	त्रिपुरा	900	788
24.	उत्तर प्रदेश	31223	35624
25.	पश्चिम बंगाल	7422	10730
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	असूचित	असूचित
27.	चंडीगढ़	22	असूचित
28.	दादरा व नगर हवेली	असूचित	असूचित
29.	दमन व दीव	30	9
30.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	658	197
31.	लक्षद्वीप	54	3
32.	पांडिचेरी	25	24
	कुल	218439	266358

एन. आर. : असूचित

चल रही परियोजनाओं की समीक्षा

2190. श्री अनंत गुढे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चल रही परियोजनाओं और पर्यटन नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए पर्यटन उद्योग के विकास की अवधारणा क्या है; और

(घ) निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं सहित चल रही परियोजनाओं और नवीन परियोजनाओं में किए जा रहे निवेश का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) चालू परियोजनाओं की समीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। पर्यटन नीति की भी समीक्षा की गई है। नौवीं योजना में पर्यटन विकास के लिए जनता तथा निजी क्षेत्र द्वारा समन्वित प्रयास करने और चुनिन्दा केन्द्रों तथा परिपथों का विकास करने तथा पर्यटकों की सभी श्रेणियों, स्वदेशी तथा विदेशी दोनों, के लिए मूल अवसंरचना प्रदान करने पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है।

(घ) 1.8.91 से 31.10.99 की अवधि के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों में, 4249.97 करोड़ रुपये की राशि के लिए 382 प्रस्तावों के मामले में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डे का विस्तार

2191. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डे के सुधार और विस्तार हेतु कोई योजना शुरू की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में 10.30 करोड़ रुपए की लागत से पटना विमानपत्तन में टर्मिनल भवन का विस्तार तथा परिवर्धन का कार्य पूरा किया है जिससे एक ही समय में 500 यात्रियों को हैंडल किया जा सके।

नेताजी पर शोध-कार्य

2192. श्री तूफानी सरोज : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध–कार्य कर रहे भारतीय विद्वानों को मदद करने के लिए रूस से अपने पुरातत्त्व लेख खोलने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर रूस की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार नेताजी पर शोध–कार्य करने के लिए कुछ विद्वानों को भेजने की व्यवस्था कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कौन–कौन सी सुविधाएं दिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

2193. श्री साहिब सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1600 मिलियन डालर की कुल राशि वाली "विश्व बैंक की जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना – जुलाई, 1998" जैसी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना पहले शुरू की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने विश्व बैंक से सहायता के लिए "दिल्ली जल आपूर्ति और मलव्ययन प्रबंध परियोजना" के वास्ते परियोजना तैयार करने की सुविधा का एक प्रस्ताव सितम्बर, 1998 में प्रस्तुत किया था। बोर्ड परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का विचार कर रहा है और बोर्ड के संस्थागत, वित्तीय और तकनीकी पुनर्निर्माण के लिए इसकी अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए है जिसमें मास्टर प्लान बनाना, विद्यमान बुनियादी ढांचे और सेवाओं का उन्नयन/पुनर्वास तथा नई/अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना शामिल है। आर्थिक कार्य विभाग ने परियोजना निर्माण सुविधा प्रदान करने के लिए 2.5 मिलियन अमरीकी डालर के प्रस्ताव की विश्व बैंक से सिफारिश की थी। अतः भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

पिछड़ापन और बेरोजगारी

2194. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करने और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कोई बृहत् योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करने और रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार और ढांचागत विकास कार्यक्रम बनाए हैं– जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम।

[अनुवाद]

ए. एम. पी. लिमिटेड कम्पनी के उत्पाद

2195. श्री एस. अजय कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कोची निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थित कम्पनी ए. एम. पी. लिमिटेड, जेन्स अन्तर्राष्ट्रीय रक्षा निदेशिका में सूचीबद्ध है और इससे यह संकेत मिला है कि कंपनी रक्षा संबंधी उत्पादों का विनिर्माण कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक और वित्तीय रूप में कम्पनी का कार्य–निष्पादन कैसा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) ए. एम. पी. टूल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टर्स के लिए औजार सांचे और डाइयों के विनिर्माण कार्य में कार्यरत कम्पनी के रूप में जेन्स अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निदेशिका, 1998 में सूचीबद्ध किया गया है। रक्षा मंत्रालय का इस फर्म के साथ कोई व्यापार संबंध नहीं है और अतः उसे इसके कार्यनिष्पादन की कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे ठेकेदार के विरुद्ध मामला

2196. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों ने एक रेलवे ठेद को गिरफ्तार किया है व उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है;

(ख) क्या उक्त ठेकेदार की गिरफ्तारी के बाद बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर आगजनी, लूटपाट की घटनाएं हुईं और रेल सुविधाओं में व्यवधान पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने तोड़-फोड़ की घटना में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) क्या उक्त ठेकेदार को गिरफ्तार करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को भुसावल डिवीजन से हजारों किलोमीटर दूर आरपीएसएफ में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ङ) क्या पूर्वोक्त गिरफ्तारी से असंबद्ध कुछ अधिकारियों को भी स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) इस घटना में की गई प्रारंभिक जांच से कतिपय कार्यों में रेलवे सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारियों की मिली-भगत का पता चला है जिसके कारण 29.9.1999 को बुरहानपुर में आगजनी और लूटपाट की स्थिति उत्पन्न हुई। रेलवे सुरक्षा बल के 9 कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए थे और बुरहानपुर में मौजूदा हालात में सुधार करने के लिए उन्हें तत्काल मध्य रेलवे से रेलवे सुरक्षा विशेष बल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(ङ) और (च) हालांकि इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल के 9 कर्मचारी तत्काल स्थानांतरित किए गए थे तथापि बाद में हुई जांच से पता चला था कि इनमें से तीन कर्मचारी इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं थे। इसलिए रेलवे सुरक्षा विशेष बल में उनके स्थानांतरण के आदेश रद्द कर दिए गए थे तथा उन्हें मध्य रेलवे में वापस तैनात कर दिया गया था।

[अनुवाद]

गोंदिया-बल्लारशाह रेल लाइन का काम पूरा किया जाना

2197. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंदिया-बल्लारशाह रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या उक्त नई लाइन पर कोई ट्रेन शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पूर्व की योजना के तहत इस लाइन का चन्द्रपुर तक विस्तार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 237 करोड़ रुपए

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय 2 जोड़ी दैनिक यात्री गाड़ियां अर्थात् 3 जी सी/4 जी सी चांदा फोर्ट गोंदिया-चांदा फोर्ट तथा 1 जी एन वी/2 जी एन वी वल्हारशाह-गोंदिया-बल्हारशाह चल रही हैं।

(ङ) से (छ) इस लाइन को चन्द्रपुर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। क्योंकि स्थल हालत प्रतिकूल होने तथा आस-पास ऊंची-ऊंची इमारतों के कारण इस लाइन का चन्द्रपुर तक विस्तार न तो तकनीकी रूप से और न ही परिचालनिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है। नई व.ला. चांदाफोर्ट स्टेशन सभी अपेक्षित सुविधाओं सहित चन्द्रपुर सिटी क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त जगह पर स्थित है। शहर की म्यूनिसिपल सीमाएं अब बढ़ाई जा रही हैं अतः चांदाफोर्ट स्टेशन व्यावहारिक रूप से विस्तारित शहर क्षेत्र के मध्य में आ जाएगा।

ब्रिटिशर्स द्वारा ले जाई गई वस्तुएं

2198. श्री मोइनुल हसन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिशर्स द्वारा भारत छोड़ते समय अपने साथ ले जाई गई मूल्यवान वस्तुओं की कोई सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से कुछ बहुमूल्य वस्तुओं की ब्रिटेन में नीलामी की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्रिटेन से इन वस्तुओं के वापस लेने के मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) लंदन स्थित भारतीय मिशन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, भारत छोड़ते समय अंग्रेजों द्वारा ले जायी गयीं बहुमूल्य वस्तुओं की किसी सूची के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। साथ ही, इसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ब्रिटिश सरकार के पास या ब्रिटेन के विभिन्न संग्रहालयों में उपलब्ध किन्हीं बहुमूल्य वस्तुओं की कभी नीलामी की गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर सीमांत रेल मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव

2199. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेल के अधिकांश पथ–पार्श्व रेलवे स्टेशनों को विद्युत और आवश्यक जन सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के ऐसे रेलवे स्टेशन कितने हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया हैं और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 5 स्टेशनों को छोड़कर सभी रेलवे स्टेशनों पर मानदण्ड के अनुसार बिजली सहित आवश्यक जन सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं। छोटे स्टेशनों पर बिजली व्यवस्था के लिए मानदण्ड है कि स्टेशन के 1 किमी के दायरे में राज्य बिजली बोर्ड से बिजली आपूर्ति उपलब्ध हो और वहां रात्रि के दौरान कम–से–कम एक यात्री गाड़ी नियमित रूप से ठहरती हो। अन्य जन सुविधाएं संभाले जाने वाले यातायात के अनुरूप मुहैया करायी जाती है।

(ग) नई सुविधाओं की व्यवस्था और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए रेलें जहां कहीं अपेक्षित होता है, उन स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू करती हैं और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाता है। 2000–2001 के दौरान इस प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 11.13 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है। मानदण्ड के अनुसार बिजली की व्यवस्था के लिए अर्हक 5 स्टेशनों में से 2 पर बिजली की व्यवस्था संबंधी कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और शेष 3 स्टेशनों के लिए बिजली की व्यवस्था का कार्य 2000–2001 के दौरान स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की लाभकारी मार्गों पर उड़ानें

2200. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निजी विमान सेवाओं की तरह लाभकारी मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की उड़ानों हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): पूर्व–स्थिति बहाली रणनीति के एक भाग के रूप में, एअर इंडिया ने अधिक लाभकारी मार्गों पर पुनः तैनाती क्षमता द्वारा अपने मार्ग ढांचे को युक्ति संगत बनाया है। मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस में वाणिज्यिक मुद्दों को भी तरजीह दी जाती है।

[हिन्दी]

सैन्य वाहनों का रख-रखाव

2201. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा जोंगा, निसान तथा शक्तिमान वाहनों को अनुपयोगी घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका उत्पादन बंद कर दिया गया है; और

(ग) सेना द्वारा वर्तमान उक्त वाहनों के प्रचालन तथा रख–रखाव हेतु क्या योजना तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना में पुरानी पीढ़ी के वाहनों को सरकार की छंटनी नीति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। इसीलिए जोंगा, निसान 1 टन और 3 टन शक्तिमान वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया गया है और सेना में इनकी कमी को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत इनके प्रतिस्थापना के रूप में नई पीढ़ी के वाहनों की खरीद की जाती है। छंटनी नीति के अनुसार इन वाहनों को अंतिम रूप से हटाए जाने तक सेना में जोंगा, निशान 1 टन और 3 टन शक्तिमान वाहनों के मौजूदा बेड़े की शेष उपयोगिता अवधि का उपयोग वाहन निर्माणी जबलपुर से अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों की खरीद करके किया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में नई रेल-लाइनों के प्रस्ताव

2202. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य संगठनों की ओर से प्राप्त नई रेल लाइन बिछाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षणों से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए और नई रेल लाइनों के लिए कौन–कौन से मार्गों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने नौवीं पचंवर्षीय योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में नए रेल मार्गों के संबंध में योजना तैयार कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोहरीकरण और आमान–परिवर्तन सहित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए परियोजना–वार कितनी राशि आबंटित की गई है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

सशस्त्र बलों के वेतनमानों में विसंगतियां

2203. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग के पश्चात् सशस्त्र बलों के वेतन तथा भत्तों में विसंगतियों की जांच करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह का पैनल अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों सहित उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की थीं। तथापि, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों में उत्पन्न विसंगतियों पर विशेष रूप से विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल संचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के एक ग्रुप ने आगे और जांच की थी। वेतन और भत्तों से संबंधित उनकी अधिकांश सिफारिशों पर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारी रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों और लेफ्टिनेंट जनरल/समकक्ष अफसरों के वेतनमानों से संबंधित दो विषयों पर उनके व्यापक प्रभावों को देखते हुए मंत्रियों के ग्रुप द्वारा विचार किया जा रहा है। मंत्रियों के ग्रुप द्वारा इन मुद्दों पर शीघ्र ही विचार किए जाने की संभावना है।

सुपर बाजार में घोटाले

2204. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक सुपर बाजार में हुए घोटालों की जांच सी.बी.आई. से कराने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन घोटालों का ब्यौरा क्या है जिनकी जांच सी.बी.आई. से कराने का विचार है;

(ग) सी.बी.आई. द्वारा जांच कब तक पूरी कर लेने और अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सुपर बाजार के निदेशक मंडल हेतु चुने गए निदेशकों को बड़े पैमाने पर अनियमितताओं में शामिल होने के कारण हटा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन चुने गए निदेशकों का निदेशक–वार ब्यौरा क्या है जो अनियमितताओं में शामिल है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामले की जांच पहले की गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हाल ही में सात और मामले जांच के लिए भेजे गए हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अपनी जांच शीघ्र पूरी करने के लिए कहा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. सुपर बाजार की गुणता परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन प्राप्त किए बिना घटिया किस्म के दालों की खरीद।
2. उत्पाद शुल्क में कमी किए जाने के ठीक पहले दालों की खरीद का थोक आर्डर देना।

3. उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना सुपर बाजार के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को बिना बारी के भुगतान करना।

4. घटिया किस्म के आलुओं की खरीद जिससे सुपर बाजार को नुकसान उठाना पड़ा।

5. सुपर बाजार, नई दिल्ली के परिसर में एक निजी व्यापारी (मै. बिफ्स सिस्टम लि.) को दुकान खोलने की अनुमति देना।

6. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा उद्धृत दरों से ऊंची दरों पर मसालों की खरीद में अनियमितताएं बरतना।

7. राजेन्द्र प्लेस में "संत लोंगोवाल टावर" का निर्माण करने के लिए सुपर बाजार द्वारा मैं. वी.वी. कन्स्ट्रक्शन को निर्माण का ठेका देने में अनियमितताएं बरतना।

सांस्कृतिक गतिविधियां

2205. श्री कृष्णमराजू : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके विभाग द्वारा राज्य-वार कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये, और

(ग) सरकार द्वारा इन गतिविधियों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी तथा वर्ष 2000-2001 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की जानी है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार का संस्कृति विभाग देश में घटित हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों के संबंध में सूचना संकलित नहीं करता है और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष रूप से आयोजन करता है। तथापि, विभाग, अपने तत्त्वावधान में, प्रदर्शनकारी कलाओं के प्रोन्नयन व प्रसार संबंधी स्कीमों को संचालित करने के लिए कई संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां प्रदान करता है।

विगत 3 वर्षों के दौरान विभाग को योजनागत व योजनेतर शीर्षों के अन्तर्गत निम्नलिखित निधियां प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2000-2001 के समक्ष प्रस्तुत आंकड़े अभी भी प्रस्तावना-चरण में हैं :

(करोड़ रुपए में)

	योजनागत	योजनेतर
1997-98 (बजट अनुमान)	120.90	127.00
1998-99 (बजट अनुमान)	127.20	174.00
1999-2000 (बजट अनुमान)	147.20	211.21
2000-2001 (बजट अनुमान)	162.25	260.00

आवंटन राज्य-वार नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

2206. श्री राम शकल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों का राज सहायता प्रदान करने का है जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की शुरुआत करना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने नौवीं योजना अवधि के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के दोहन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय अपने कार्यक्रमों अर्थात् पवन ऊर्जा, बायोमास विद्युत/सहउत्पादन, बायोमास गैसीफायर, लघु पनबिजली, सौर प्रकाशवोल्टीय और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा के अंतर्गत विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक राज सहायता/वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक राज सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उत्तर प्रदेश से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करके 4 मे.वा. तक की विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। दिशा–निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कतिपय स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।

विवरण-I

9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नियोजित कार्यक्रम–वार वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजना	9वीं योजना के वास्तविक लक्ष्य
1	2	3
1.	बायोगैस	10 लाख
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	800
3.	उन्नत चूल्हा	150 लाख
4.	बायोमास/गैसीफायर	40 मे.वा.
5.	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	660 (पुराने ब्लॉक) 200 (नए ब्लॉक)
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रदर्शन	
	एसपीवी घरेलू रोशनी	2 लाख
	एसपीवी लालटेन	3 लाख
	एसपीवी विद्युत संयंत्र	1.6 मे.वा.
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	4000
8.	सौर तापीय (एसटी) ऊर्जा	
	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्गमी. संग्राहक क्षेत्र)	1.5 लाख
	सौर कुकर	1.5 लाख
9.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणालियां	1000 250 कि.वा.
10.	पवन विद्युत	1000 मे.वा.
11.	लघु जल विद्युत (एसएचपी)	130 मे.वा.
	(पन चक्कियां)	700
	(मरम्मत एवं रखरखाव)	65 मे.वा.
12.	बायोमास विद्युत	314 मे.वा.
13.	सौर विद्युत	141.5 मे.वा.
14.	शहरी एवं औद्योगिक व राष्ट्रीय बायोऊर्जा बोर्ड	42 मे.वा.

मे.वा. = मेगावाट; कि.वा. = किलोवाट; वर्गमी. = वर्गमीटर

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उत्पादन (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहित) पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक राज सहायता के ब्यौरे।

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	आर्थिक राज सहायता
1	2	3
1.	**पवन विद्युत**	प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए कतिपय बैंच मार्कों के अध्यधीन उपकरण लागत के 60% तक
2.	**बायोमास गैसीफायर**	सहकारी, पंचायत, गैर–सरकारी संगठनों, केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों, व्यक्तिगत/उद्यमिताओं आदि के स्वामित्व वाले कतिपय बैंच मार्क पर 30 से 60% तक

1	2	3
3.	ग्रिड संबंद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	2 करोड़ रुपए/100 कि.वा. (अधिकतम)
4.	लघु पन बिजली	
	पूंजीगत आर्थिक राज सहायता	
	क. पर्वतीय क्षेत्रों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	प्रति कि.वा. 15000 रुपए या परियोजना की वास्तविक लागत जो भी कम हो
	ख. उत्तर–पूर्वी राज्यों में 3 मे.वा. तक की परियोजनाएं	प्रति मे.वा. 3.00 करोड़ रुपए या परियोजना की लागत का 50% जो भी कम हो।
	ब्याज आर्थिक राज सहायता	
	क. पर्वतीय, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5% प्रति मे.वा. अधिकतम 1.12 करोड़ रुपए के साथ
	ख. अन्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए	2.5% प्रति मे.वा. अधिकतम 38.3 लाख रुपए के साथ
5.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन	
	क. न्यूनतम निर्यात योग्य विद्युत 45 मे.वा. (साझा उद्यम पद्धति के माध्यम से मिलों के समूह में)	35 लाख रुपए/मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत (अधिकतम 31.50 करोड रुपए/परियोजना से 45 लाख रुपए/मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत (अधिकतम 40.50 करोड़ रुपए परियोजना)
	ख. न्यूनतम निर्यात योग्य विद्युत 9 मे.वा. (आईपीपी पद्धति के माध्यम से सिंगल मिल)	35 लाख रुपए/मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत (अधिकतम 6.30 करोड़ रुपए/परियोजना) से 45 लाख रुपए/मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत (अधिकतम 8.10 करोड़ रुपए/परियोजना)
6.	शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्ट	
	क. पूंजीगत आर्थिक राज सहायता प्रति मे.वा.	प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए 50% तक अधिकतम 3.00 करोड़
	ख. ब्याज आर्थिक राज सहायता	वित्तीय संस्थानों को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर को 7.5% तक कम करना।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र युद्धपोत को शामिल किया जाना

2207. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'ब्रह्मपुत्र' श्रेणी के युद्धपोतों को नौसेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : ब्रह्मपुत्र श्रेणी के तीन पोतों को क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में सेना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

हज यात्रा के लिए यात्रियों को जहाज में चढ़ाने संबंधी स्थल

2208. श्री जार्ज ईडन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हज यात्रियों के लिए कोचीन अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों को जहाज में चढ़ाने के लिए अलग से स्थल खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) जी, हां। हज–2000 सत्र के लिए हज उड़ानों का प्रचालन कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से किया जा रहा है।

अंगूल सुकिन्दा रेल लाइन को पूरा किया जाना

2209. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंगूल–सुकिन्दा रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए अब तक कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इसको पूरा करने के लिए कौन–सी तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 245.58 करोड़ रुपये है।

(ख) 4 करोड़ रुपये। 2000–2001 के बजट में इस परियोजना के लिए 23 करोड़ रुपये का और प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कोई निश्चित लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

समुद्र में तस्करी और शस्त्रों की डकैती

2210. श्री आर. एल. भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना और तटरक्षकों ने समुद्री–दस्युता, शस्त्रों की तस्करी और उग्रवादियों की घुसपैठ तथा अन्य हरकतों से निपटने के लिए कोई नई कार्यनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे समुद्र में ऐसी हरकतों को रोकने के लिए किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना और तटरक्षक हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण, समुद्री डकैती, हथियारों की तस्करी और ऐसी अन्य अवांछनीय गतिविधियां रोकने के लिए इस क्षेत्र में नियमित रूप से सतर्कता बरत रहे हैं। समुद्र में ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए तटीय गश्त के अतिरिक्त नौसेना और तटरक्षक द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाइयां भी की जाती हैं।

पनडुब्बियों का उत्पादन

2211. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री भीम दाहाल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ही पनडुब्बियों के उत्पादन की नौसेना की दीर्घकालिक योजना को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) सरकार ने देश में पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए भारतीय नौसेना और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग की एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना में पनडुब्बी का डिजाइन तैयार करने, उसका विकस करने और पनडुब्बी तथा उसकी कोर प्रणालियों के निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता प्राप्त करने की परिकल्पना है। इस योजना को दो चरणों अर्थात् 2000–2012 और 2013–2030 में कार्यान्वित किया जाएगा।

तमिलनाडु में फ्लाईओवरों का निर्माण

2212. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में लंबित प्रस्तावित/निर्माणाधीन रेलवे पुलों/फ्लाई ओवरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पुलों को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पुलों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तमिलनाडु में स्वीकृत लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के फिलहाल 30 कार्य योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों पर है। इनमें 12 ऐसे पुल शामिल हैं जिनका निर्माण भी, आमान परिवर्तन योजना के भाग के रूप में लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और रेलों

के 2000–2001 के निर्माण कार्यक्रम में 23 प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए हैं जिन्हें संसद द्वारा रेलवे बजट 2000–2001 के पारित होने के पश्चात् स्वीकृत कार्यों के रूप में लिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों के परामर्श से कार्य नियोजित एवं निष्पादित किए जाते हैं। कार्य का पूरा होना राज्य सरकार प्राधिकारी स्थानीय द्वारा पहुंच मार्गों के निष्पादन पर निर्भर करता है।

(ग) कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 2000–2001 के दौरान अधिक निधियों के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

संदिग्ध जांच प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आयातित गोला बारूद

2213. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1993 में पिटकेयर लिमिटेड हांगकांग से संदिग्ध जांच प्रमाण–पत्र से आयातित कई करोड़ रुपये के गोला बारूद को बाद में निरस्त कर दिया गया क्योंकि ये केन्द्रीय शस्त्रागार, पुलगांव में हुई जांच के दौरान नाकामयाब हो गये थे;

(ख) क्या सी.ए.जी. ने भी अपनी 1999 की सातवीं रिपोर्ट (रक्षा सेवाओं) में इस सौदे के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की थी;

(ग) यदि हां, तो इस सौदे का ब्यौरा क्या है और इस पर सी.ए.जी. की संक्षिप्त टिप्पणी क्या है; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) 6.12 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से प्रदीपक गोला–बारूद के 130 मि.मी. के 10,000 राउंडों और 122 मि.मी. के 6,700 राउंडों की आपूर्ति हेतु मैसर्स पिटकेयर लिमिटेड, हांगकांग के साथ दिनांक 21.1.93 की एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। केन्द्रीय गोला–बारूद डिपो, पुलगांव ने इस संविदा के तहत हांगकांग से प्रदीपक गोला–बारूद के 130 मि.मी. के 10,000 राउंडों का परेषण प्राप्त करने की सूचना सितंबर, 1993 में दी थी। चूंकि यह परेषण तकनीकी साहित्य और रेंज टेबलों के बिना प्राप्त हुआ था अतः चैक–प्रूफ में देरी हो गई। चैक प्रूफ, इस फर्म से फ्यूज सैटिंग की तथा रेंज टेबलें प्राप्त होने पर, अगस्त, 1995 में किया गया था। दस राउंड दागे गए और तीन में त्रुटियां दर्ज की गईं। दिसंबर, 1995 में 13 राउंड दागकर इस परेषण का पुनःपरीक्षण किया गया, जिसमें दागे गए 23 राउंडों में से 12 निष्फल दर्ज किए गए।

चैक प्रूफ के दौरान गोला–बारूद के असंतोषजनक कार्य–निष्पादन को देखते हुए इस परेषण के बारे में 'इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं' की सिफारिश की गई और गुणवत्ता संबंधी दावा किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) 1999 की रिपोर्ट संख्या 7 (रक्षा सेवाएं) से लिए गए उद्धरण के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) यह मामला, स्वतंत्र रूप से जांच के लिए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाएगा।

विवरण

अध्याय-2 : रक्षा मंत्रालय

1999 की रिपार्ट संख्या (रक्षा सेवाएं)

12. गोला-बारूद के आयात में संभावित धोखाधड़ी

एक विदेशी फर्म ने ऐसे गोला-बारूद, जो निरीक्षण के समय फेल होने पर बाद में नामंजूर कर दिया गया था, के निरीक्षण संबंधी संदेहास्पद प्रमाण-पत्र के तहत 11.84 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया।

केन्द्रीय गोला–बारूद डिपो, पुलगांव और मंत्रालय में अभिलेखों की जांच करने से एक व्यापारिक फर्म के माध्यम से ऐसे गोला–बारूद के आयात का पता चला जो इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया। गोला–बारूद के निरीक्षण और भुगतान निर्मुक्त किए जाने से संबंधित परिस्थितियां सांठ–गांठ को इंगित करती हैं।

मंत्रालय ने 6.12 मिलियन अमरीकी डालर 16.54 करोड़ रुपए के बराबर की कुल लागत पर प्रदीपक गोला–बारूद के 130 मि.मी. के 10,000 राउंडों और 122 मि.मी. के 6700 राउंडों की आपूर्ति के लिए जनवरी, 1993 में पिटकेयर लिमिटेड हांगकांग के साथ एक संविदा की।

गोला–बारूद का क्रेता द्वारा स्थल पर प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निरीक्षण किया जाना था

संविदा की संशोधित शर्तों के अनुसार, इस गोला–बारूद का अंतिम रूप से निरीक्षण क्रेता द्वारा नियुक्त दल द्वारा किया जाना था और सामान की स्थल पर प्राप्ति के 60 दिन के भीतर स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना था। तथापि, यह बात साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि निरीक्षण की शर्त संबंधी संशोधन की बैंक को सूचना दी गई थी।

इस संविदा में यह शर्त थी कि गोला–बारूद की लागत का भुगतान, विक्रय पत्र, लदान–पत्र, पैकिंग सूची और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात के तौर पर निरीक्षण एवं स्वीकृति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर साख–पत्र के माध्यम से किया जाना था।

निरीक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र गोला–बारूद के प्रेषण से भी पहले जारी कर दिया गया था

छानबीन से यह पता चला कि परेषण 30 मई, 1993 को प्रेषित किया गया था। जबकि, संविदा में किए गए संशोधन के अनुसार क्रेता द्वारा स्थल पर गोला–बारूद की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निरीक्षण किया जाना था लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस गोला–बारूद के मूल स्टेशन से रवाना किए जाने से भी पहले इसके निरीक्षण और स्वीकृति की सूचना देते हुए दिनांक 30 मई, 1993 का एक प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया था। निरीक्षण प्रमाण–पत्र में न तो यथोल्लिखित निरीक्षण दल के अध्यक्ष एवं सदस्य का नाम दिया गया था और न ही उस प्राधिकार का उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत उन्होंने इस परेषण का निरीक्षण किया था।

निरीक्षण प्रमाण–पत्र में निरीक्षकों के नाम और पदनाम नहीं दिए गए थे

प्रूफ परीक्षण सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त होने के दो वर्ष, बाद किया गया था

परेषण केन्द्रीय गोला–बारूद डिपो में अगस्त, 1993 में प्राप्त हुआ था। प्रूफ परीक्षण, स्थल पर गोला–बारूद की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर किया जाना था। तथापि, गुणता आश्वासन नियंत्रक ने सितंबर और दिसंबर, 1995 में, अर्थात् गोला–बारूद प्राप्त होने के दो वर्ष से भी अधिक समय के बाद, प्रूफ परीक्षण किए। प्रूफ परीक्षण में देरी का कारण तकनीकी दस्तावेजों का प्राप्त न होना बताया गया, जो फार्म द्वारा अक्टूबर, 1994 में सप्लाई किए गए थे। तकनीकी दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद भी एक और वर्ष की देरी होने का कारण नहीं बताया गया है। प्रदीपक गोला–बारूद के 130 मि.मी. के 10,000 राउंडों का संपूर्ण परेषण, जिसके लिए इस फर्म द्वारा संदिग्ध प्रामाणिकता वाले निरीक्षण प्रमाण–पत्र की सहायता से साख–पत्र के माध्यम से 3.76 मिलियन अमरीकी डालर (जो 11.84 करोड़ रुपये के बराबर है) का दावा किया गया था, प्रूफ परीक्षण के बाद नामंजूर कर दिया गया था।

11.84 करोड़ रुपए मूल्य का गोला–बारूद प्रूफ परीक्षण में नामंजूर कर दिया गया था

गुणवत्ता संबंधी दावा किए जाने तक इस फर्म ने अपना करोबार बंद कर दिया था

जब मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर के माध्यम से इस फर्म का पता लगाने के प्रयास किए तो श्री पीटर लिम नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने इस संविदा पर पिटकेयर के प्रबंध निदेशक के रूप में हस्ताक्षर किए थे, यह कहते हुए कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि पिटकेयर हांगकांग बंद कर दी गई है और सिंगापुर कार्यालय ने केवल अग्रेषण एजेंट के रूप में ही कार्य किया था। इस मामले में संदिग्ध लेन–देन के साक्ष्य के बावजूद मंत्रालय ने इस मामले में जवाबदेही नियत किए जाने हेतु दिसंबर, 1998 तक कोई जांच नहीं की है।

मंत्रालय ने उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

यह सिफारिश की जाती है कि इस मामले की एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए जांच करवाई जाए ताकि इस संविदा की निरीक्षण संबंधी संशोधित शर्त, बैंक को नोट न करवाने और निरीक्षण संबंधी संदेहास्पद प्रमाण–पत्र जारी करने, प्रूफ परीक्षण में देरी करने के साथ–साथ इस मामले की जांच करने में मंत्रालय के असफल रहने के वास्ते जिम्मेदारी निश्चित की जा सके।

यह मामला जून, 1998 में मंत्रालय को भेजा गया था; जनवरी 1999 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

सुनिश्चित रोजगार योजना

2214. श्री पी.सी. थामस : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुनिश्चित रोजगार योजना के हकदार कई विकास खण्डों को उनके हिस्से की राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1998–99 और 1999–2000 के दौरान केरल में एरनाकुलम जिले के कितने खण्डों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत समुचित रूप से धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में सभी विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना का क्रियान्वयन हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे समस्त विकास खण्डों में कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) सुनिश्चित रोजगार योजना देश के सभी ग्रामीण ब्लॉकों में कार्यान्वित की जाती है। 31.3.1999 तक कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि ब्लॉक–वार जारी की जाती थी। 1.4.1999 से योजना पुर्नगठित की गई है। धनराशि जिलावार आबंटित की जाती है। धनराशि प्राप्त होने के बाद डी.आर.डी.ए. 70 प्रतिशत धनराशि पंचायत समितियों और 30 प्रतिशत धनराशि जिला परिषद को दे देती है ताकि वे मजदूरों के प्रान्तीय पलायन वाले क्षेत्रों/गरीबी वाले क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल कर सकें। जहां तक एरनाकुलम जिले का संबंध है वर्ष 1998–99 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा 15 ब्लॉकों को 300 लाख रुपए जारी किए गए। वर्ष 1999–2000 के दौरान एरनाकुलम जिले के लिए केन्द्रीय आबंटन 216.28 लाख रुपए था और सारी राशि जारी की जा चुकी है।

चार पहियों वाले वाहन इकाइयों का पुनर्वासन

2215. श्री सुशील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट, येसो और बर्न स्टैण्डर्ड, बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के संदर्भ में पुनर्वासनाधीन हैं, जबकि उनकी टर्न–अराउण्ड योजना ने 8857.5 एफ.डब्ल्यू.यू. (चार पहियों वाले वाहन) के कुल उत्पादन लक्ष्य का अनुमान किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में इन वाहनों के आर्डरों में कटौती हुई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार, वैगनों के पर्याप्त आर्डर देकर इन एककों का पुनरुद्धार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ये मालडिब्बा विनिर्माण इकाइयां भारी उद्योग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत बीएफआईआर द्वारा पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के उत्पादन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत की गयी है :

(i)	बर्न स्टैण्डर्ड	– 4437.5	चौपहियां इकाइयां
(ii)	जेस्सप्स	– 720.0	चौपहियां इकाइयां
(iii)	ब्रैथवैट	– 3075.0	चौपहियां इकाइयां
		8232.5	चौपहियां इकाइयां

(ग) जी, नहीं।

(घ) यातायात की मांग तथा निधियों की उपलब्धता के अनुरूप मालडिब्बों के क्रयादेश दिए जाते हैं। सभी मालडिब्बा विनिर्माण इकाइयों को और क्रयादेश देते समय खरीद के मानदंडों, पिछला निष्पादन तथा फर्म की क्षमता जिसमें सरकार की नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कतिपय खरीद में वरीयता देना शामिल है, को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

विज्ञापन की दर

2216. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :

श्री पी. एच. पांडियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई की रेलगाड़ियों में रेलवे की रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में विज्ञापनों की दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस मद में पिछले वर्ष के दौरान कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) द्रुत परिवहन प्रणाली के लिए विज्ञापन की दरें अलग नहीं हैं। बड़ी लाइन खंड पर चल रही ई.एम.यू. गाड़ी के बाहरी पैनल अर्थात् व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली खंड के साथ–साथ चेन्नै से सुलूरपेट्टा तथा चेन्नै से तिरुतानी तक प्रति रेक 60000/– रुपए की वार्षिक दर पर विज्ञापन के प्रदर्श हेतु ठेका दिया जाता है।

(ख) 1998–99 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत 15,20,000/– रुपए की आय हुई।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा रक्षा मामलों के संबंध में की गई टिप्पणी पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण

2217. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री शीश रामसिंह रवि :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा आज की तिथि के अनुसार रक्षा संबंधी मामलों के बारे में की गई कितनी टिप्पणियां/जांच रिपोर्टें उनके मंत्रालय के पास लंबित पड़ी हैं और ये कब से लंबित पड़ी हैं;

(ख) की गई कार्रवाई टिप्पण को अब तक प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए अब क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सभी लंबित टिप्पणियों की जांच करने और खामियों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु अधिकारियों का एक समूह गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 1998 तक की विभिन्न रिपोर्टों से संबंधित लगभग 120 पैरों पर कार्रवाई संबंधी नोट अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। इनमें से 88 पैरों से संबंधित कार्रवाई नोट लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के पास पुनरीक्षण हेतु भेज दिए गए हैं। इनमें से कुछ कार्रवाई नोट लेखापरीक्षा के लिए बकाया हैं और कुछ पर आगे सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ मामलों में कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत करने की कार्रवाई चल रही है क्योंकि इनसे संबंधित तथ्यों की पुष्टि संबंधी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है अथवा संबंधित संगठन/सैन्य मुख्यालयों द्वारा अपेक्षित ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कार्रवाई संबंधी नोटों का निपटारा तेजी से करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बकाया कार्रवाई संबंधी नोटों का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नवत् है :

रिपोर्ट का वर्ष	बकाया पैरे
1	2
1989	1
1990	2
1991	3
1992	3
1993	10
1994	7
1995	8
1996	12
1997	26
1998	51

(ग) और (घ) हथियारों, गोलाबारूद और अतिरिक्त हिस्से–पुर्जों की खरीद, उनके भंडारण, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, स्वदेशीकरण तथा अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई सभी मुख्य टिप्पणियों पर तुरंत तथा प्रभावी अनुपालन कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक में हैं, की अध्यक्षता में अधिकारियों के एक विशेष दल का गठन किया गया है। अधिकारियों का यह विशेष दल पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों/निष्कर्षों की आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए, पहचान करेगा और चूक/देरी/भ्रष्टाचार, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदारी निश्चित करेगा ताकि अपेक्षित प्रशासनिक, अनुशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई की जा सके।

कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती रेलगाड़ी से धक्का दिए गए दैनिक यात्री के परिवार को मुआवजा

2218. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस मामले का ब्यौरा क्या है जिसमें हाल में कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेल अधिकारियों द्वारा एक दैनिक यात्री को चलती रेलगाड़ी से धक्का देकर उतार दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या मंत्रालय ने मृतक के परिवार के सदस्य/सदस्यों का पुनर्वास करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) यह सत्य नहीं है कि दिवंगत श्री मोतीलाल महादेव महादिक को किसी रेल कर्मचारी द्वारा गाड़ी से धकेल दिया गया था। रा. रे. पु./कल्याण

की जांच रिपोर्ट से पता चला है कि 14/1/2000 को कल्याण रेलवे स्टेशन पर स्थानीय गाड़ी संख्या बी एल–19 डाउन में चढ़ते समय वह गिर गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में बन्द किए गए हवाई अड्डे

2219. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में किन–किन स्थानों पर हवाई अड्डों को बन्द किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन हवाई अड्डों को राज्य को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) आंध्र प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) का कोई विमानपत्तन अप्रयुक्त (व्यक्त) नहीं है। किन्तु डोनाकोन्डा, कुडप्पा और वारंगल स्थित विमानपत्तन पर यातायात की कमी के कारण एक दशक से ऊपर की अवधि से प्रचालन नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। संक्षेप में शर्तें निम्नवत् हैं :

धावनपथ, भवन इत्यादि सहित विमानक्षेत्र को 1 रुपए प्रतिवर्ष के नामात्र लाइसेंस शुल्क पर सिर्फ विमानन से संबंधित कार्यकलाप के लिए पन्द्रह वर्षों तक राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार धावनपथ, टर्मिनल भवन का अनुरक्षण करेगी और फायर–फाइटिंग, सुरक्षा तथा टर्मिनल भवन सुविधाएं प्रदान करेगी तथा प्रचालन के मामले में लैंडिंग, हाउसिंग, पार्किंग प्रभार इकट्ठा करेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार आदि एकत्र करती है।

स्मारकों का विकास

2220. श्री पवन सिंह घाटोवार :

श्री अकबर अली खांदोकर :

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा राज्य–वार किन–किन स्मारकों को संरक्षण दिया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण/रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इन स्मारकों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीय स्मारक गिरने के कगार पर हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन स्मारकों को संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 3602 स्मारक तथा स्थल हैं। स्मारकों का राज्य–वार ब्यौरा संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

1996–97	रु. 1740.17 लाख
1997–98	रु. 2339.30 लाख
1998–99	रु. 2437.34 लाख

(ग) केन्द्र द्वारा संरक्षित कुछ स्मारकों में पर्यटकों से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न संरक्षित स्थानों पर वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा, चुनिन्दा स्मारकों पर फ्लड लाइटिंग और ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रमों की व्यवस्था राज्य पर्यटन विभागों द्वारा की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन मंदिर

2221. श्री प्रभात झा :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने प्राचीन मंदिर हैं जो राष्ट्रीय स्मारकों की श्रेणी में आते हैं और राज्य–वार वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) उनमें से कितनों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है;

(ग) कितने राष्ट्रीय स्मारक और मंदिरों को रख–रखाव के लिए राज्य सरकार को दिया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान (मंदिर–वार) इन मंदिरों के उचित संरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) इन मंदिरों और स्मारकों के उचित रख–रखाव और जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) धार्मिक इमारतें अनेक गैर–धार्मिक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक परिसरों का अंग होती हैं, अतः स्मारकों की किसी विशेष कोटि के बारे में विशिष्ट सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) जिन स्मारकों को केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है, उनका अनुरक्षण तथा संरक्षण भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(घ) धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, इत्यादि संरक्षित स्मारकों, परिसरों का अंग होते हैं, अतः उनके अनुरक्षण और संरक्षण पर हुए व्यय को अलग करना संभव नहीं है। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के अनुरक्षण तथा संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्न प्रकार है :

1996–97	1740.17 लाख
1997–98	2339.30 लाख
1998–99	2437.34 लाख

(ङ) स्मारकों के नियमित अनुरक्षण और रख–रखाव के अलावा, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की ढांचागत मरम्मतें, रासायनिक संरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास कार्य उनकी वास्तविक आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

पॉम ऑयल का मूल्य

2222. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणाकुमारी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पॉम ऑयल के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पॉम ऑयल/पॉम से निकले ताजे फल के लिए निर्धारित मूल्य लाभकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) पॉम ऑयल पर आयात शुल्क में कटौती के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर महसूस किया गया है अन्य तेलों की तरह पॉम तेल की मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। मूल्यों में गिरावट की इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता और मूल्यों के संबंध में स्थिति का संतोषजनक होना है। इसके अनुसरण में देश में पॉम तेल के मूल्यों में भी गिरावट की प्रवृत्ति रही है।

(ग) और (घ) देश में तेल पॉम फ्रेश फ्रूट बंचों (एफ.एफ.बी.) की खेती की लागत लगभग 2750 रुपये प्रति टन से 3000 रुपये प्रति टन तक होने का अनुमान लगाया गया है। कच्चे पॉम तेल के मूल्य में अत्यधिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए, तेल पॉम फ्रेश फ्रूट बंचों का मूल्य आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2300 रुपये प्रति टन और कर्नाटक सरकार द्वारा 2750 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है।

(ङ) कृषि मंत्रालय आन्ध्र प्रदेश में एक बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) कार्यान्वित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल पॉम उत्पादकों को तेल पॉम फ्रेश फ्रूट बंचों का उचित मूल्य अदा किया जाता है, बाजार हस्तक्षेप योजना के अधीन तेल पॉम फ्रेश फ्रूट बंचों के लिए 2750 रुपये प्रति टन का मूल्य अदा किया जा रहा है।

(च) खाद्य ग्रेड के कच्चे पॉम तेल पर 16.5 प्रतिशत आयात शुल्क की प्रभावी दर में कोई कमी नहीं की गई। खाद्य ग्रेड के आर.बी.डी. पॉम तेल और उसके अंश पर सीमा शुल्क की अधिकतम दर जारी रही है।

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2223. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर स्थित बाजुगांव और साबुलिया रेल फाटकों पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों को विज्ञापन संबंधी अधिकार देना

2224. श्री रघुनाथ झा :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लगभग 100 कम्पनियों को वैगनों, रेलवे समपारों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख रेलगाड़ियों को प्रायोजित करने के बारे में विज्ञापन अधिकार देने के लिए लिखा है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त कंपनियों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और प्रचार से कुल कितनी आय हुई;

(ङ) क्या रेलवे इस प्रयोजन हेतु रेलदे स्टेशनों पर भी स्थान मुहैया करा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विज्ञापनों से कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्व के गैर परंपरागत संसाधनों से निवेश के प्रवाह की योजना के संबंध में वाणिज्यिक प्रचार सहित विभिन्न मामलों का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया था। रेल मंत्रालय सहित भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के परिसंघ तथा भारत के वाणिज्य और उद्योग चैंबर्स संघ के प्रतिनिधि भी इस कार्यबल के सदस्य थे। विभिन्न मामलों का निपटान करने के लिए कार्य बल द्वारा विस्तृत वार्ताओं की कार्य प्रणाली अपनाई गई। तथा यह विचार किया गया था कि विज्ञापन के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यापार केन्द्रों के साथ रेलों को संपर्क करना चाहिए। तदनुसार, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के कई प्रमुख उपक्रमों को पत्र भेजे गए थे जिनमें भारतीय रेल पर विज्ञापनों के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। कुछ कम्पनियों ने इसमें रुचि दिखाई। विज्ञापन अधिकार देने के लिए अभी तक इन कम्पनियों का चयन नहीं किया है और निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद ही ठेके दिए जाएंगे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापनों और प्रचार से हुई आय 89,24,94,042 रुपए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। होर्डिंग्स, बोर्ड, इश्तहारों, ग्लोसाइनों आदि के रूप में विज्ञापन देने के लिए विभिन्न निजी संगठनों को रेलवे स्थान और अन्य रेल परिसर उपलब्ध कराए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई कुल आय 69,72,89,200 रुपए हैं।

लमडिंग-कुमार घाट रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2225. श्री समर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लमडिंग–सिलचर–करीमगंज–बराई ग्राम कुमार घाट मीटर गेज लाइन के आमान परिवर्तन की क्षेत्र–(सेक्टर) वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कुमार घाट–अगरतल्ला नई लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परिवर्तनों तथा नए निर्माण कार्यों को क्षेत्र–वार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लमडिंग–सिलचर आमान परिवर्तन परियोजना के संबंध में बदरपुर और सिलचर के बीच (30 कि.मी.) मिट्टी और पुलों का कार्य प्रगति पर है, जहां पर संरेखन बदलने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी लाइन की आवश्यकता के अनुरूप घाट खंड में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण सहित लमडिंग–बदरपुर खंड (लगभग 170 कि.मी.) पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है और भूमि अधिग्रहण योजना के नक्शे और कागजात तैयार किए जा रहे हैं। राइट्स ने पहले ही कागजी संरेखन तथा लगभग 100 कि.मी. की लंबाई में भूमि पर संरेखन की निशानदेही का कार्य पूरा कर लिया गया है।

करीमगंज–बराइग्राम और बराइग्राम–कुमारघाट के आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हो चुका है और परिणामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर सर्वेक्षणों के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विचार करना संभव हो पायेगा।

(ख) मैदानी क्षेत्रों में पड़ने वाले दो भागों यथा कुमारघाट छोर से 20 कि.मी. की लंबाई और अगरतला छोर से 22 कि.मी. की

लंबाई में कार्य प्रगति पर है। बाकी बचे हुए 77 कि.मी. लंबे पर्वतीय भू–भाग में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(ग) लक्षित तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

खंड विकास कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

2226. श्री पी. आर. खुंटे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विकास खंड कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 200 जनपद पंचायतों (विकास खंड कार्यालयों) के कम्प्यूटरीकरण के लिए धनराशि मंजूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे जनपद पंचायतों का जिला–वार ब्यौरा देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

शिर्डी (महाराष्ट्र) में हवाई अड्डे का निर्माण

2227. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शिर्डी (महाराष्ट्र) में एक हवाई अड्डे के निर्माण को मजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर जिला अहमदनगर में शिर्डी पर विमानपत्तन के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने व्यवहार्यता अध्ययन किया है। राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए स्थान को 50 सीट वाले विमान के प्रचालन के लिए विमानपत्तन के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया। परियोजना पर कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य सरकार को भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों से अभापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करना है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन का विकास

2228. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एक नए आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण हेतु कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सदस्य (योजना) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति को पूर्ण औचित्य नहीं मिल सका। किन्तु राज्य सरकार ने ऐसा टर्मिनल बनाने की स्वेच्छा व्यक्त की है। केरल सरकार से औपचारिक प्रस्ताव मिलना प्रतीक्षित है।

एयर फील्डों का विस्तार

2229. श्री कमल नाथ :

श्री मोहन रावले :

श्रीमती रेनु कुमारी :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में 'ऑफ्टर पम्पिंग इन क्रोर्स, गवर्नमेंट ग्राउण्ड्स एयरफील्ड एक्सटेंशन प्लान' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) :

(क) से (ग) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानपत्तनों पर धावनपथ विस्तार कार्यों को रोकने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। विमानपत्तन का आधार संरचना का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे एयरलाइनों द्वारा प्रचालित विमान के प्रकार, यातायात और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से हाथ में लिया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को चावल का वितरण

2230. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान गुजरात सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को चावल का वितरण करने के लिए आबंटन राज्य सरकार की आवश्यकता से अत्यधिक कम किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गुजरात सरकार को इस संबंध में सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह जारी करने के लिए गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। इन परिवारों की संख्या का हिसाब 1995 की प्रक्षेपित आबादी के अनुसार लगाया गया है। इसके आधार पर 20,000 टन खाद्यान्नों की मासिक पात्रता में से गुजरात सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मार्च, 1998 तक सम्पूर्ण आबंटन गेहूं का करने; अप्रैल, 1998 से 10,000 टन चावल का आबंटन करने और मई, 1999 से 8,000 टन चावल का आबंटन करने का विकल्प दिया था।

गेहूं की खुली बिक्री का उदारीकरण

2231. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की खुली बिक्री की योजना का उदारीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना से लोगों को मदद मिली है और साथ ही भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडारों में भी कमी आई है; और

(ग) गरीब और दलित लोगों को सस्ती दर पर गेहूं उपलब्ध कराने हेतु अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। खुले बाजार में बिक्री योजना को 1.12.1999 से उदार बनाया गया है और भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि यदि निविदा की गई मात्रा उपलब्ध हो तो किसी भी खरीदार को किसी भी गोदाम से गेहूं जारी करने के लिए इंकार न किया जाए। जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करेंगे कि खरीदारों को स्टॉक "पहले आओ, पहले पाओ" आधार पर जारी किया जाए। 1.12.1999 से 29.2.2000 तक की अवधि के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन कुल 22.72 लाख टन मात्रा की बिक्री होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं के आबंटन को 1.4.2000 से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया जाए।

गोवा में आई.टी.डी.सी. द्वारा खर्च की गई धनराशि

2232. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक स्थान-वार गोवा के आई.टी.डी.सी. द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन प्रतिष्ठानों से कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या आई.टी.डी.सी. द्वारा गोवा में स्थित अपनी इकाइयों के विकास के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम गोवा में शुल्क मुक्त दुकानें चलाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी 2000 तक) के दौरान गोवा में शुल्क मुक्त दुकानें चलाने में कुल खर्च हुई राशि (प्रचालन व्यय) क्रमशः 231.24 लाख रुपये और 87.74 लाख रुपए थी।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों और

चालू वर्ष (जनवरी 2000 तक) के दौरान गोवा में शुल्क मुक्त दुकानें चलाने से क्रमशः 119.50 लाख रुपए तथा 64.24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया।

(ग) और (घ) फिलहाल, गोवा में इसकी मौजूदा स्थापनाओं के विस्तार हेतु कोई भी प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे द्वारा वृक्षों की बिक्री

2233. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने खाली खजाने को भरने के लिए रेलवे की करोड़ों रुपए के पुराने वृक्षों को बेचने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोनल रेलवे को नीलामी कर उन सभी वृक्षों को जो बहुत पुराने हो चुके हैं, काटने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलों के पास पिछले कई दशकों से रेलवे की भूमि पर लगाए गए बहुत से वृक्षों की सम्पदा है। इनमें से बहुत से वृक्ष परिपक्व हो गए हैं और काटने लायक हैं।

आंतरिक संसाधन जुटाने की दृष्टि से क्षेत्रीय रेलवे को यह सलाह दी गई है कि ऐसे सभी वृक्षों को स्थानीय वन विभागों द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कटवा दिया जाए।

फारेस्ट कवर का नवीकरण सुनिश्चित करने के लिए इस तरह खाली हुई भूमि पर वृक्षारोपण किया जाए।

[हिन्दी]

पटना और रांची से सीधी उड़ान

2234. श्री रामजीवन सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटना और रांची से मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के लिए सीधी हवाई सेवा हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। उन मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के अधीन, जिसमें मार्गों के विभिन्न श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किसी भी मार्ग/किसी भी स्थान पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

बंजरभूमि

2235. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में भूमि बंजर पड़ी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस बंजरभूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इन राज्यों की सरकारों ने इस राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राजस्थान के 32 जिलों में और उत्तर प्रदेश के 83 जिलों में बंजरभूमि मौजूद है। जिलों के नाम संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने कार्यक्रमों के तहत बंजरभूमि के विकास के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को वर्ष 1999-2000 के दौरान 29.2.2000 तक उपलब्ध करायी गई राशि 103.89 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बंजरभूमि के विकास के लिए परियोजनाएं पांच वर्ष तक की अवधि में कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृति की जाती हैं और राज्यों को निधियां किस्तों में जारी की जाती हैं। प्रथम किस्त जारी किये जाने के पश्चात् अगली किस्त को जारी करना, पहले जारी की गई किस्त की 50 प्रतिशत से अधिक राशि के उपयोग किये जाने पर निर्भर करता है। जारी की गई राशि के राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पूर्णतः इस्तेमाल किये जाने के बारे में जानकारी परियोजनाओं को पूरा होने के बाद ही प्राप्त हो सकती है।

विवरण-I

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां पर बंजरभूमि मौजूद है।

राज्य का नाम		जिलों के नाम
1	2	
राजस्थान	1.	अजमेर
	2.	अलवर
	3.	बीकानेर
	4.	बन्सवाड़ा
	5.	बाड़मेर
	6.	भरतपुर
	7.	भीलवाड़ा
	8.	बूंदी
	9.	चित्तौड़गढ़
	10.	चुरू
	11.	धौलपुर
	12.	डुंगरपुर
	13.	हनुमानगढ़
	14.	जयपुर
	15.	दौसा
	16.	जैसलमेर
	17.	जालोर
	18.	झालावाड़
	19.	झुनझुनु
	20.	जोधपुर
	21.	कोटा
	22.	बरान
	23.	नागौर
	24.	पाली
	25.	सवाई माधोपुर
	26.	करौली
	27.	सीकर
	28.	सिरोही
	29.	श्रीगंगानगर
	30.	टोंक
	31.	उदयपुर
	32.	राजसमंद
उत्तर प्रदेश		
	1.	आगरा
	2.	फिरोजाबाद
	3.	अलीगढ़
	4.	महामायानगर
	5.	इलाहाबाद
	6.	कौसाम्बी
	7.	अल्मोड़ा
	8.	आजमगढ़
	9.	बदायूं
	10.	बागेश्वर
	11.	बहराइच
	12.	श्रावस्ती
	13.	बलिया
	14.	बान्दा
	15.	महारायनगर
	16.	बाराबंकी
	17.	बरेली

1	2	1	2
	18. बस्ती		45. हरदोई
	19. संतकबीरनगर		46. हरिद्वार
	20. बिजनौर		47. जालौन
	21. बुलंदशहर		48. जौनपुर
	22. गौतम बुद्धनगर		49. झांसी
	23. चमोली		50. कानपुर (देहात)
	24. रुद्रप्रयाग		51. कानपुर (शहर)
	25. चम्पावत		52. लखीमपुर खीरी
	26. देहरादून		53. ललितपुर
	27. देवरिया		54. लखनऊ
	28. कुशीनगर		55. मैनपुरी
	29. ऐटा		56. मथुरा
	30. एटावा		57. मौनाथभंजन
	31. औरैया		58. मेरठ
	32. फैजाबाद		59. बागपत
	33. अंबेडकर नगर		60. मिर्जापुर
	34. फरूखाबाद		61. सोनभद्र
	35. कन्नौज		62. मुरादाबाद
	36. फतेहपुर		63. ज्योतिबाराव फुले नगर
	37. गाजियाबाद		64. मुजफ्फरनगर
	38. गोरखपुर		65. नैनीताल
	39. महाराजगंज		66. पौड़ी (गढ़वाल)
	40. गाजीपुर		67. पीलीभीत
	41. गोंडा		68. पिथौरागढ़
	42. बलरामपुर		69. प्रतापगढ़
	43. हमीरपुर		70. रायबरेली
	44. महोबा		71. रामपुर

1	2	1	2
	72. सहारनपुर		78. उधमसिंहनगर
	73. शाहजहांपुर		79. उन्नाव
	74. सिद्धार्थनगर		80. उत्तरकाशी
	75. सीतापुर		81. वाराणसी
	76. सुल्तानपुर		82. चन्दौली
	77. टिहरी गढ़वाल		83. संतरविदास नगर

विवरण-II

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 1999–2000 के दौरान जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण।

कार्यक्रम का नाम	वर्ष 1999–2000 के दौरान राजस्थान को जारी की गई राशि (फरवरी, 2000 तक) (लाख रुपये में)	वर्ष 1999–2000 के दौरान उत्तर प्रदेश को जारी की गई राशि (फरवरी, 2000 तक) (लाख रुपये में)
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	233.29	1063.43
सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम	385.75	958.55
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	2377.27	***
सुनिश्चित रोजगार योजना	3148.43	2222.82
योग	6144.74	4248.80

कुल जारी — 103.89 करोड़ रुपये

*** मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के किसी जिले को शामिल नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद हवाई अड्डे से हज यात्रियों के लिए सीधी उड़ान

2236. दिग्भा पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद से जेद्दाह तक हज यात्रियों के लिए सीधी उड़ान शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों का ब्यौरा क्या है और कितने हज यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) 7 फरवरी से 4 मार्च, 2000 के हज सत्र के पहले चरण में, अहमदाबाद से जेद्दाह के लिए 27 उड़ानें प्रचालित की गईं जिनमें 8 शिशुओं सहित 7295 हज तीर्थ यात्रियों को लाया–ले जाया गया।

[हिन्दी]

हरियाणा में रेल दुर्घटना

2237. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2000 के दौरान हरियाणा में दो रेल

दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) इनमें जान–माल का कितना नुकसान हुआ;

(घ) मृतकों के सगे संबंधियों और घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया अथवा दिया जायेगा; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) फरवरी 2000 में बिना चौकीदार वाले समपारों पर 2 दुर्घटनाएं हुईं जो मुख्यतः सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही की वजह से हुई थीं। पहली दुर्घटना अंबाला मंडल के बरवाला–उकलाना ब्लाक खंड में 7/2/2000 को 14.10 बजे हुई जिसमें बिना चौकीदार वाले समपार पर एक जीप एच आर जे 3695 3एल जे एच पेसेंजर गाड़ी के इंजन से टकरा गई। इस दुर्घटना में जीप पर सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 4 गंभीर रूप से घायल हो गए।

दूसरी दुर्घटना दिल्ली मंडल के केथल–कुलैत ब्लाक खंड में 19.2.2000 को 11.15 बजे हुई जिसमें बिना चौकीदार वाले समपार पर एक मेटाडोर एच आर–45–2135 गाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में मेटाडोर पर सवार एक व्यक्ति मारा गया तथा दो सवार मामूली रूप से घायल हुए। रेलवे संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

(घ) चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही की वजह से होती हैं इसलिए रेलवे के नियमों के तहत उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाये गए कदम :

1. समपारों के पहुंच मार्गों पर समुचित सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को समपार फाटक की मौजूदगी की जानकारी मिल सके।

2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को गति धीमी करने की याद आ सके।

3. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेल पथ के साथ–साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाना अपेक्षित होता है ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधान किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

4. सड़क उपयोगकर्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 कि.मी. की रफ्तार से चल रही गाड़ी एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 150 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि से यह केवल 6 सेकंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार उपायों से इस संदेश को उन तक उत्तरोत्तर रूप से पहुंचाया जा रहा है।

5. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आवधिक प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

6. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं, अतः राज्य सरकारें, ड्राइविंग लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सभी मुख्य सचिवों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

8. रेल जन जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

9. ग्राम पंचायत कार्यालयों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त की गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

10. रिटेल पेट्रोल पंपों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए आई.ओ.सी/एच.पी.सी. बी.पी.सी. से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

11. विस्फोटक सामग्रियों से खतरे के बारे में लोगों को आगाह करने तथा लावारिस/उपेक्षित पड़ी वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए एक गहन अभियान शुरू किया गया है।

12. जनता को सामान में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खतरों से आगह करने के लिए दूरदर्शन क्विकीज, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से गहन प्रचार किया जाता है।

[अनुवाद]

निजी एयर टैक्सी सेवाएं

2238. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे शहरों को जोड़ने के लिए निजी एयर–टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी एयर–टैक्सी सेवाओं को शुरू करने के लिए शहरों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) अल्प दूरी तथा गैर–महानगरीय शहरों को प्रचालन से जोड़ने के लिए छोटे विमान (टर्बो प्राप) प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के विमानों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाईन ईंधन प्रदान किया जाए तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन, विमान टरबाईन ईंधन को घोषित सामान के रूप में अधिसूचित किया जाए।

(ग) और (घ) उन मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन जिसमें मार्गों के विभिन्न श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार स्थानों पर प्रचालन करने की लिए स्वतंत्र है।

बोगीबील सड़क-सह-रेलवे पुल का निर्माण

2239. श्रीमती रानी नरह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्माण हेतु प्रस्तावित (सड़क–सह–रेलवे) बोगीबील पुल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पुल की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) कार्य का प्रथम चरण कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस कार्य को बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण और विस्तृत जांच शुरू की गई है।

(ख) कार्य की अनुमानित लागत का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा।

(ग) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और विस्तृत जांच के पूरा होने और कार्य की वास्तविक लागत के आकलन के बाद ही अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इन स्वीकृतियों के मिल जाने के बाद कार्य तत्काल शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर सेक्टर पर घरेलू उड़ान

2240. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली लखनऊ–गोरखपुर क्षेत्र पर घरेलू उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) उन मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अधीन, जिसमें मार्गों के विभिन्न श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार, किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

दिल्ली-बैंगलूर उड़ान को कोयम्बटूर तक बढ़ाना

2241. श्री सी.पी.-राधाकृष्णन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–बेंगलूर उड़ान को कोयम्बटूर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं। इस समय इंडियन एयरलाइंस दिल्ली–मुम्बई–कोयम्बटूर–कालीकट तथा वापसी मार्ग पर एक दैनिक सेवा का प्रचालन कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टी.पी.डी.एस. को पुनः उन्नत बनाना

2242. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उन्नत बनाने हेतु सरकार का कोई नया प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य पदार्थों को खुले बाजार में बेचने, जाली राशन कार्डों/कार्डों पर अतिरिक्त नहीं रह रहे सदस्यों के नाम हटाने और विशेष अभियान द्वारा नए राशन कार्ड जारी करने और जांच के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों पर विशेष बल देते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्संरचित और खाद्यान्नों की वर्तमान 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की मात्रा को दुगुना करके उनकी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक इनकी ढुलाई करने और इन्हें राज्यों को उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की होती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों और विपथन को नियंत्रित करने के लिए अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी निगरानी करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल कर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के वितरण के लिए प्रबंध करें। उन्हें बोगस राशन कार्डों और राशन कार्डों में बोगस यूनिटों को समाप्त करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन चूककर्ता उचित दर दुकानों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का भी परामर्श दिया गया है।

वाणिज्यिक उपयोग हेतु अतिरिक्त रेल भूमि की पहचान

2243. श्री ए. ब्रह्मनैया :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने होर्डिंग्स और बिल बोर्डों के लिए बजट होटलों और वाणिज्यिक परिसरों और रेलवे फाटक आदि का निर्माण कराकर उनका वाणिज्यिक सदुपयोग करने हेतु अतिरिक्त रेल भूमि और वायुक्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके उपयोग से कितनी धनराशि अर्जित की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलों के पास फालतू भूमि नहीं है। बहरहाल, अपने संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से रेलों ने अपनी भूमि/सम्पत्ति के ऊपरी स्थान का उपयोग करने का विनिश्चय किया है। अब तक पहचाने गए स्थानों में मुंबई, महाराष्ट्र में अंधेरी, बोरीवली, कल्याण तथा थाणे, आन्ध्र प्रदेश में सिकंदराबाद और हैदराबाद, चेन्नै तमिलनाडु में चेन्नै सैन्ट्रल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में सियालदह, हावड़ा स्टेशनों और मेट्रो रेलवे के कुछ स्टेशनों की इमारतें शामिल हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहचाने गए खाली भूखंड हैं कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में साल्ट गोला तथा मुंबई, महाराष्ट्र में बान्द्रा।

भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम के अंतर्गत निजी भागीदारी के जरिए विभिन्न जोनों में बजट होटलों, रेल यात्री निवासों

का निर्माण करने के लिए भारतीय रेल के पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 100 स्टेशनों की भी पहचान की गई है।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रेलवे स्टेशनों, स्थानों, समपारों, मालडिब्बों, यात्री गाड़ियों और अन्य विविध क्षेत्रों का विज्ञापनों के लिए उपयोग करने का भी विनिश्चय किया गया है।

(ग) चूंकि सम्पत्ति विकास योजनाओं के लिए विस्तृत योजना और रूपरेखा बनाने, बाजार संबंधी अध्ययन करने तथा वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है इसलिए ऐसी योजनाओं के फलीभूत होने की अवधि लम्बी होती है। इस स्तर पर इस उपाय के जरिए सृजित की जाने वाली संभावित राशि का सही–सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सेना अधिकारियों के बीच बैठक

2244. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत–पाक सेना अधिकारियों के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और उसमें क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) भारत–पाक सीमा पर तनाव कम करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) अगस्त, 1999 से भारत और पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के बीच कोई बैठक नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सी.एम.डी. मिधानी द्वारा एल.टी.सी. के नकली दावे

2245. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्टूबर, 1999 को हैदराबाद से प्रकाशित 'द दक्कन क्रानिकल' में सी.बी.आई. नेल्स मिधानी सी.एम.डी. फार बेडिंग रुल्स टू क्लेम बेनिफिट्स' शीर्षक से अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कदाचार के दोषी पाये गये भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को हटाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समाचार के अलावा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मिधानि के कुछ अफसरों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए सरकार को एक स्वतः स्पष्ट नोट भेजा है। इस स्वतः स्पष्ट नोट की जांच की गई है और इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास उनकी सलाह के लिए भेजा गया है। सरकार, कानून के अनुसार इन अफसरों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करेगी और यदि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वह दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगी।

[हिन्दी]

रायपुर के लिए उड़ान को आगे बढ़ाया जाना

2246. श्री रामानन्द सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइंस की रायपुर तक की हवाई सेवा को जबलपुर और चित्रकूट तक कब तक बढ़ा दिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : प्रचालनात्मक कठिनाइयां तथा क्षमता की कमी के कारण, रायपुर से जबलपुर तथा चित्रकूट तक इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर सेवाओं का विस्तार कर पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्णा स्थित सवारी तथा माल डिब्बा कार्यशाला का परिवर्तन

2247. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत पूर्णा स्थित सवारी तथा माल डिब्बा कार्यशाला को बड़ी लाइन की माल डिब्बा कार्यशाला में परिवर्तित करने की निरन्तर मांग की जा रही है क्योंकि पूर्णा में उपलब्ध सभी आधारभूत सुविधायें बेकार पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। माननीय संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। बहरहाल पूर्णा में कोई सवारी एवं माल डिब्बा कारखाना नहीं है बल्कि सवारी एवं मालडिब्बा डिपो है।

(ख) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न किस्म के चल स्टाक की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल कारखाने स्थापित किए जाते हैं। क्षेत्र में उपलब्ध चल स्टाक अनुरक्षण सुविधाएं रेलवे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं अतः पूर्णा में स्थित सवारी एवं मालडिब्बा डिपो का संपूर्ण रूप से बड़ी लाइन के सवारी एवं मालडिब्बा कारखाने में परिवर्तित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतापनगर-छोटा उदयपुर रेल लाइन की मरम्मत

2248. श्री रामसिंह राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हुई प्रतापनगर–छोटा उदयपुर संकरी लाइन की मरम्मत का कार्य कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है और इस लाइन पर रेल सेवाएं कब तक बहाल होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रतापनगर और बोरदेली के बीच नियमित ट्रेन सेवा पहले से ही मौजूद है। बोरदेली–छोटा उदयपुर के बीच पुनर्स्थापन कार्य के समापन का अनंतिम लक्ष्य सितंबर, 2000 रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीजल लोकोमोटिव कार्यशालाओं द्वारा प्रदूषण का विसर्जन

2249. श्री नरेश पुगलिया :

कुमारी भावना पुंडलिकराव गावली :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

डॉ. संजय पासवान :

श्री श्रीनिवास पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 2000 के "द स्टेट्समैन" में "गवर्नमेंट टर्न्स ब्लाइंड आई टू रलवेज़ मिसडीड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेल विभाग ने देश में अपनी विभिन्न "डीजल लोकोमोटिव" वर्कशापों/शेडों से विसर्जित होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं/उठाने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट कहती है कि तुगलकाबाद में डीजल रेल इंजन वर्कशॉप तथा निजामुद्दीन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्थित अन्य वर्कशॉप भारी मात्रा में अप्रयुक्त डीजल तेल तथा प्रयुक्त तेल और प्रदूषण फैलाने वाले अन्य तत्त्व यमुना नदी में डालते हैं। इस मामले में तथ्य यह है कि स्नेहक तेल और उच्च गति डीजल तेल कुछ मात्रा में तुगलकाबाद स्थित डीजल शेड की अनुरक्षण गर्त से बहकर नगरपालिका के निकासी पाइप में चला गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच किए गए नमूनों को प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित पाया गया है। निजामुद्दीन, नई दिल्ली और दिल्ली स्टेशनों पर रेलवे के पास सवारी डिब्बा धुलाई एवं अनुरक्षण की सुविधाएं हैं। जहां से गाड़ियों की धुलाई का पानी नगरपालिका के निकासी पाइप में जाता है। इस पानी में डीजल अथवा तेल की मात्रा नहीं होती है।

(ग) से (ङ) तुगलकाबाद डीजल शेड से निकले गंदे पानी में प्रदूषण की मात्रा का जायजा लेने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस पानी की आवधिक रूप से जांच करने का प्रस्ताव है। गंदे पानी में से तेल को अलग करने के लिए एकल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देश में स्थित अन्य डीजल शेडों के लिए भी चरणबद्ध आधार पर इसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

यात्री डिब्बों की आवश्यकता

2250. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कितने यात्री डिब्बों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या हमारे कारखाने इन यात्री डिब्बों की आवश्यकता को पूरा करते हैं अथवा अन्य देशों से भी डिब्बे मंगाने पड़ते हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन यात्री डिब्बों का निर्यात करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान रेलों को प्रतिवर्ष 70 किस्म के रेल डिब्बों की आवश्यकता है।

(ख) इन डिब्बों की आवश्यकताओं को रेल मंत्रालय के अधीन दो कारखानों यथा सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै और रेल कोच फैक्टरी कपूरथला, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक कारखाना यथा बी.ई.एम.एच. एवं भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एक फैक्टरी अर्थात् जैसप्स के माध्यम से देश में ही बने डिब्बों से पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित अति आधुनिक सवारी डिब्बों का सीमित मात्रा में आयात किया जाता है ताकि बाद में भारत में उनका विनिर्माण किया जा सके।

(ग) और (घ) सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा विगत में विभिन्न देशों को डिब्बे निर्यात किए गए हैं। विभिन्न देशों को अब तक जितने अदद डिब्बे निर्यात किए गए हैं उनमें शामिल हैं : ताइवान–113, फिलीपीन्स–66, जांबिया–6, तंजानिया–44, उगांडा–20, वियतनाम–65, नाइजीरिया–32, बंगलादेश–70, और मोजाम्बिक–151

मंगलौर-मैसूर रेल लाइन के दोहरीकरण का सर्वेक्षण

2251. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर–मैसूर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

होटलों और रेस्तरांओं पर वित्तीय दबाव

2252. श्री के. पी. सिंह देव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महत्त्वाकांक्षी पर्यटन नीति में वर्तमान होटलों और रेस्तरांओ की परंपरागत व्यवहार्यता के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन इकाइयों के वित्तीय दबाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने अभी तक कोई पर्यटन नीति घोषित नहीं की है। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार ने उन होटलों सहित पर्यटन एककों को, निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया है, जो विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों के हकदार हैं। केन्द्र सरकार अनुमोदित होटलों, रेस्तरांओं और होटल परियोजनाओं को आयकर छूट, 1–3 सितारा तथा हैरिटेज होटलों के लिए ब्याज इमदाद, विशेष मदों आदि के शुल्क मुक्त आयात सहित विभिन्न प्रोत्साहन एवं आयात पर सीमा शुल्क रियायत भी प्रदान करती है। राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में नीतियों के अनुसार पर्यटन हेतु समर्थन प्रदान करती हैं।

होटलों तथा रेस्तरांओं की सतत व्यवहार्यता इन तथ्यों से सिद्ध होती है कि नए होटल तथा रेस्तरां निरन्तर स्थापित हो रहे हैं।

पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा

2253. श्री सुरेश कुरूप :

श्री समर चौधरी :

श्री बाजू बन रियान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं का एक अंग वायुसेना पायलटों, जिनमें वरिष्ठ और प्रशिक्षित पायलट भी शामिल हैं, की गलतियों के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वायुसेना के विशेषतः डीप पेनीट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट केटेगरीज वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में गंभीर शंकाएं उत्पन्न हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की शीघ्र समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं। तथापि, मानव–चूक के कारण दुर्घटनाएं होने के मामले हुए हैं, जिनमें ऐसे युवा वायुयान कर्मी अन्तर्ग्रस्त हैं, जो अपना उड़ान–अनुभव अर्जित करने की प्रक्रिया में हैं, न कि वरिष्ठ पायलट।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

रेलवे की परिचालन लागत

2254. श्री नवल किशोर राय :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्ष पूर्व श्वेत–पत्र के माध्यम से यह विचार व्यक्त किया था कि रेलवे की परिचालन लागत को कम किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कम करने हेतु सरकार ने कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ईंधन और बिजली खपत पर खर्च, अनुरक्षण तथा मरम्मत लागत, संविदागत भुगतान और कर्मचारियों के भत्तों के खर्चों पर कड़े नियंत्रण करके रेलों की परिचालन लागत कम की जा रही है। बेहतर जनशक्ति योजना के जरिए कर्मचारी लागतों में कमी करने का भी अनुसरण किया जा रहा है। रेलें अपनी परिसम्पत्तियों के इस्तेमाल में सुधार कर रही हैं तथा वस्तुसूची में कड़े नियंत्रण कर रही हैं। आतिथ्य सत्कार, प्रचार, विज्ञापन, सेमिनारों तथा कारखानों, आकस्मिक कार्यालय खर्चे, यात्रा आदि जैसे कार्यों पर मितव्ययिता एवं किफायती उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ बेहतर विपणन प्रयासों, रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा रेलवे भूमि और ऊपरी स्थान के वाणिज्यिक उपयोग आप्टिक फाइबर केबुलों के लिए मार्गाधिकार पट्टे पर देना, वाणिज्यिक प्रचार इत्यादि जैसे राजस्व सृजन के वैकल्पिक एवं नवीन स्रोतों के माध्यम से संसाधनों में वृद्धि करके अधिक राजस्व सृजित करने के लिए जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में विमानपत्तन का निर्माण

2255. श्री पोन राधाकृष्णन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, में घरेलू विमानपत्तन की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर के सैनिक शिविर से उपभोक्ता वस्तुओं की चोरी

2256. श्री के. करूणाकरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1999 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित जम्मू और कश्मीर के सैन्य अड्डे से पेट्रोल, मिट्टी का तेल, रम आदि की चोरी से संबंधित ताजा समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां।

(ख) सेना मुख्यालय को इस मामले की जांच करने और निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि उत्तर कमान मुख्यालय द्वारा इस मामले की पूर्णतया जांच की गई है। सेना मुख्यालय से रिपोर्ट की प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

के. पी. सिंह देव समिति की रिपोर्ट

2257. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना की सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिए श्री के.पी. सिंह देव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की गई;

(ग) क्या इस रिपोर्ट की जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) रिपोर्ट को सिफारिश–वार स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(च) उक्त रिपोर्ट को पटल पर रखे जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट 6 अगस्त, 1996 को सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) से (च) समिति ने व्यापक कार्यकलापों के संबंध में सिफारिशों की थी जिनके दूरगामी प्रभाव हैं। इसलिए सेना मुख्यालयों तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ परामर्श करके इसकी गहन जांच किए जाने की आवश्यकता थी। इसके लिए समय-समय पर कई बार परामर्श किया जाना जरूरी था। यद्यपि सिफारिशों के संबंध में अंतरिम निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं, तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है। अब इतने विलंब से इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार का प्रावधान

2258. श्री राधा मोहन सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में संसाधनों का उपयोग कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) मंत्रालय कमजोर वर्गों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों की निगरानी नहीं करता है। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान तत्कालीन मुख्य स्वरोजगार कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कवरेज से संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कवर किए गए अनु. जाति/अनु. जनजाति के परिवारों की संख्या (लाख में)	सहायता प्राप्त कुल परिवारों में अनु. जाति/अनु. जनजाति का प्रतिशत (लाख में)	अनु.जाति/अनु. जनजाति को वितरित सब्सिडी	अनु.जाति/अनु. जनजाति को वितरित ऋण
1997-98	7.92	46.42	431.27	822.33
1998-99	7.76	46.29	442.23	926.76

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

2259. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के सुझावों पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें बताया गया है कि विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद विनिर्माता उत्पादों के पैक पर कम्पनी के नाम और पते का उल्लेख नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। अधिनियम को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपभोक्ता वस्तुओं के पैक पर विनिर्माता कम्पनियों के नाम और पते का उल्लेख नहीं करना बाट तथा माप कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं और इन मामलों में कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

राज्यों की ग्रामीण विकास योजनाएं

2260. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु कई ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से वर्ष-वार कितनी योजनाओं/परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु उनको पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई भी विशेष कार्य योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

चेन्नई मेट्रो रैपिड ट्रांजिट रेलवे

2261. श्री पी. एच. पांडियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई मेट्रो रैपिड ट्रांजिट रेलवे तमिलनाडु राज्य द्वारा संचालित बस मालिकों से कड़े मुकाबले का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य बस मालिकों द्वारा उत्पन्न की गई इस अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तमिलनाडु राज्य की बस परिवहन से कोई अनियमित प्रतिस्पर्धा नहीं है। तमिलनाडु राज्य सरकार अंतर मोडल प्रणाली के विकास के लिए हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। चिंताद्रिपेट स्टेशन में बस टर्मिनल का विकास किया गया है इस क्षेत्र में झुग्गियों को हटाने के बाद त्रिप्लीकेन और धिरूमलाई में बस टर्मिनलों को विकसित करने के आगे की प्रक्रिया जारी है। व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के चरण-II में बस टर्मिनल के स्थान हेतु सभी स्टेशनों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु निधियां

2262. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियां आबंटित करने के लिए कोई नियम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने मौजूदा नियम को जारी रखने का निर्णय लिया है क्योंकि नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में इसके आधार पर ही निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) राज्य सरकारों ने इन निधियों का किस सीमा तक पूर्ण उपयोग किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन के लिए मानदंड से संबंधित राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति ने इस समय अपनाए जा रहे मानदंड को जारी रखने की सिफारिश की है अर्थात् पूर्ण योजना आयोग द्वारा यथानुमोदित समायोजित शेयरों को निधि आबंटित करने के लिए फार्मूला के रूप में अपनाना। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि गरीबी कम करने की दिशा में किए गए बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन और अत्यधिक गरीबी तथा तकलीफ वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त निधियों से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण सुझावों को 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य शुरू होने पर उठाया जा सकता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्र और राज्य के अंश के रूप में 8001.36 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जिसमें 3439.30 करोड़ रुपए की राशि का राज्यों द्वारा इस्तेमाल किया गया।

[हिन्दी]

पॉम ऑयल का आयात

2263. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख से पॉम ऑयल को सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत लाया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान अब तक कितनी मात्रा में पॉम ऑयल का आयात किया गया और किन–किन देशों से किस दर पर इसका आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पॉम ऑयल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने और देश के कृषकों और तेल उद्योग के हित में इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अन्य कौन–सी उपभोक्ता वस्तुओं के खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत लाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1999 की अधिसूचना द्वारा पॉम तेल को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लाया गया है।

(ख) 1998–99 के दौरान कच्चे पॉम तेल के आयात की मात्रा नगण्य थी। नवम्बर 1999 से जनवरी, 2000 के दौरान 21.136 टन कच्चे पॉम तेल का आयात किया गया था। कच्चे पॉम तेल का आयात मूलतः मलेशिया और इंडोनेशिया से किया गया है। तेल की दर 320 से 330 अमरीकी डालर सी.आई.एफ. प्रति टन भिन्न–भिन्न थी।

(ग) से (ङ) 30.12.1999 से सरकार ने रिफाइंड तेलों के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि की है और कच्चे पॉम तेल सहित कच्चे तेलों के आयात के लिए "वास्तविक प्रयोक्ता" शर्त निर्धारित की है। खाद्य तेलों के आयात को सीमित करने की जो मुख्य धारणा है, वह देश के किसानों और तेल उद्योग के हितों के लिए की गई है।

[अनुवाद]

इम्फाल हवाई अड्डे का विकास

2264. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इम्फाल हवाई अड्डे का विकास और विस्तार करके उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भूमि विवाद संबंधी लंबित मामले

2265. श्री भीम दाहाल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भूमि विवाद संबंधी कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संबंधित पार्टियों से इन मामलों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार लंबित भूमि–विवाद की संख्या क्षेत्र–वार इस प्रकार है – पश्चिमी क्षेत्र में 137, उत्तरी क्षेत्र में 23, दक्षिणी क्षेत्र में 38, पूर्वी क्षेत्र में 01 और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 02।

(ग) विभिन्न विधि न्यायालयों में मामलों के अनुसरण के अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने सार्वजनिक प्रांगण अधिनियम 1971 (अप्राधिकृत निवासियों की बेदखली) के अन्तर्गत इन मामले को हैंडिल करने के लिए प्रमुख विमानपत्तनों पर संपदा अधिकारियों की नियुक्ति की है।

विमानपत्तनों का विस्तार

2266. श्री वैको : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मदुरै, तिरूची, कोयम्बटूर, सलेम तथा पांडिचेरी स्थित विमानपत्तनों का अत्यधिक यातायात तथा इन शहरों के महत्त्व को ध्यान में रखकर इनका विस्तार किए जाने का विचार है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उनका योजनागत आबंटन कितना है तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एबी–320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए मदुरै और त्रिची विमानपत्तनों तथा एबी–300 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए कोयम्बतूर विमानपत्तन के विकास/स्तरोन्नयन किये जाने की योजनाएं हैं। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सलेम और पाण्डिचेरी विमानपत्तनों के स्तरोन्नयन करने की कोई योजनाएं नहीं हैं क्योंकि किसी भी एयरलाइन्स प्रचालकों ने सलेम और पाण्डिचेरी विमानपत्तनों के लिए अपनी उड़ानों के प्रचालन में अपनी रुचि नहीं दिखाई है।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 9वीं योजनावधि (1997–2002) के दौरान मदुरै पर नये टर्मिनल भवन का निर्माण और धावनपथ के विस्तार के लिए 5.10 करोड़ रुपए की तथा त्रिची विमानपत्तन के नये टर्मिनल भवन के निर्माण और धावनपथ के विस्तार के लिए 8.00 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तमिलनाडु राज्य सरकार से मदुरै विमानपत्तन के विकास के लिए 60 एकड़ भूमि और त्रिची विमानपत्तन के विकास के लिए 75 एकड़ भूमि तथा कोयम्बतूर विमानपत्तन के विकास के लिए 175 एकड़ भूमि की मांग की है।

अहमदाबाद में मंडलीय कार्यालय का निर्माण

2267. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने अहमदाबाद में मंडलीय कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इस मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(घ) क्या मंडलीय कार्यालय ने वर्तमान परिसर से कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अहमदाबाद में एक मंडल कार्यालय को खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने थलतेज में रेलवे भूमि के बदले आर सी तकनीकी संस्थान की भूमि मुहैया कराई जिसकी लागत उसके बराबर है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा आर सी तकनीकी संस्थान थलतेज की भूमि का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है। भूमि की दरों का मूल्यांकन हो जाने के बाद भूमि की औपचारिक रूप से अदला–बदली की जाएगी, इसके बाद मंडल कार्यालय का निर्माण आरंभ किया जाएगा।

(ग) 2000–2001 के दौरान 20 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय एक मंडल कार्यालय के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।

चीनी घोटाला

2268. श्री रामसागर रावत :

श्री के. करूणाकरन :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एनेदर शुगर स्कैम इन दी कंट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यह घोटाला किस कारण हुआ है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) दिनांक 2 फरवरी, 2000 के इंडियन एक्सप्रेस में "एनेदर शुगर स्कैम इन दी कंट्री" शीर्षक से नहीं बल्कि "एनेदर शुगर स्कैम इन दी ऑफिंग" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है। समाचार में सामान्य खुली बिक्री कोटा के अलावा सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के बारे में उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त समाचार के प्रकाशन के परिणामस्वरूप

सरकार ने निम्नवत स्थिति स्पष्ट की है :

"सरकार ने खुली बिक्री में चीनी के मासिक रिलीज में से चीनी मिलों के आनुपातिक आधार पर आबंटन के अलावा चीनी मिलों को अतिरिक्त मात्रा के तदर्भ आबंटन को पूर्णतः विवेक के आधार पर समाप्त कर दिया है। यह नई नीति 01 जनवरी, 2000 से लागू है।

तथापि, कुछ चीनी मिलों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण उन्हें किसानों के बकाया का निपटान करने में विशेष रूप से व्यस्ततम पेराई मौसम के दौरान कठिनाई पेश आ रही है। किसान इन क्षेत्रों में उनके बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण आन्दोलन कर रहे हैं जबकि चीनी मिलें चीनी का उत्पादन कर उनका भंडारण कर रही हैं। इन व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत कम मामलों में ऐसी मिलों को उनकी रिलीज की कुल वार्षिक पात्रता के अन्तर्गत पेराई मौसम के दौरान अग्रिम अतिरिक्त आबंटन अपवाद के रूप में करने का निर्णय लिया है। ऐसी मिलें जिनके पास कार्यशील पूंजी की कठिनाई हैं, इनकी संख्या बहुत कम करने के लिए स्पष्ट मार्ग निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि ये अग्रिम रिलीज पेराई मौसम के दौरान केवल कुछ महीनों के लिए किया जाएगा और ये खुली बिक्री तथा लेवी पात्रता दोनों के लिए है। वसूली से, गन्ना मूल्य बकाये हेतु किसानों को धन के संवितरण तथा इन अतिरिक्त मात्राओं की बिक्री को भी मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाएगा। अग्रिम रिलीज का समायोजन पेराई मौसम के तत्काल बाद उसी दर पर किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि अग्रिम आबंटन उस मौसम के दौरान किया जाता है जब खुले बाजार में मूल्य नियंत्रण में हो तथा मिलों को अन्य मिलों से अनापेक्षित लाभ न हो। चीनी का वास्तविक आबंटन, चीनी मिलों से प्राप्त अभ्यावेदनों की शर्करा और खाद्य तेल विभाग द्वारा जांच के बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का संदर्भ अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय की इसमें किसी अन्य प्रकार से भागीदारी अपेक्षित नहीं है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने चीनी मिलों को अतिरिक्त आबंटन की प्रक्रिया को पुनः बहाल नहीं किया है। केवल कुछ अपवादात्मक मामलों में ही अग्रिम आबंटन किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

कारगिल में मारे गये अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को मुआवजा

2269. श्री शीश राम ओला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल संघर्ष में अर्द्धसैनिक बलों के कितने सैनिक मारे गये;

(ख) क्या कारगिल में हुए ऑपरेशन विजय के दौरान मारे गये अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को वही सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो युद्ध में मारे गए भारतीय थल सेना के जवानों को दी जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) एक।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मौजूदा नियमों के अनुसार, कारगिल संघर्ष के दौरान मारे गए केन्द्रीय अर्ध–सैन्य बलों के कार्मिकों के निकटतम संबंधी, सशस्त्र सेना के मृतक कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिए जाने वाले पेंशन संबंधी सभी लाभों के हकदार हैं। जहां तक केन्द्रीय अर्ध–सैन्य बलों के कार्मिकों के निकटतम संबंधी को मुआवजे के रूप में एकमुश्त अनुग्रह राशि दिए जाने का संबंध है, यदि अर्ध–सैन्य बलों के कार्मिक अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा पर झड़पों में शत्रु की कार्रवाई में अथवा उग्रवादियों, आंतकवादियों, अतिवादियों आदि के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं तो उनके निकटतम संबंधी 7.5 लाख रुपये पाने के हकदार हैं, जबकि 1.5.99 से 31.10.99 की अवधि में कारगिल संघर्ष के दौरान मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों के निकट संबंधी 10 लाख रुपए पाने के हकदार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कारगिल संघर्ष का युद्ध/युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई माना गया था जिसमें सामान्यतया केवल सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक ही भाग लेते हैं।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता

2270. डॉ. गिरिजा व्यास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उदयपुर जिले के बेरोजगार युवकों को स्व–रोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) :

(क) जी, हां। इस मंत्रालय के स्व–रोजगार कार्यक्रम–स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई)–के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिनमें ऐसे परिवारों के बेरोजगार युवा भी शामिल हैं, को बैंक ऋण तथा सरकारी सबसिडी के रूप में सहायता उपलब्ध है। यह कार्यक्रम राजस्थान के उदयपुर जिला सहित सभी जिलों में लागू है।

(ख) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक कार्यक्रम अप्रैल, 1999 में शुरू किया गया। पूर्व में गरीबी रेखा से नीचे के बेरोजगार युवा को सहायता समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत आय सृजक गतिविधियों के लिए तथा ट्राइसेम के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण/मजदूरी रोजगार के लिए दिया जाता था। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपए में)

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्वीकृत केन्द्रीय निधि	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उदयपुर को स्वीकृत निधि	ट्राइसेम के अंतर्गत राज्य को स्वीकृत केन्द्रीय निधि	ट्राइसेम के अंतर्गत उदयपुर को स्वीकृत निधि
1996–97	1814.85	101.81	72.80	4.15
1997–98	1618.16	95.50	154.37	4.14
1998–99	2078.85	175.73	44.73	3.30

(ग) सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रम की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए इसे 1.4.1999 से पुनर्गठित किया है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक नया कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता केन्द्र प्रावधान सहित प्रभावी स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक गतिविधियां सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

2271. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों के मुक्त आयात से भारतीय किसानों को दी जाने वाली कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का आयात 10 प्रतिशत बढ़ गया है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) वर्तमान मौसम में मूलतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं वैतेलिक केक के कम मूल्यों की वजह से कुछ समय के लिए सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम हो गई थीं। हालांकि सोयाबीन की प्रचलित बाजार–कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक हैं।

(ख) आयातकों से प्राप्त की गई विवरणियों के आधार पर, तेल वर्ष (नवम्बर–अक्टूबर 1997–98 और 1998–99 में खाद्य तेलों का आयात क्रमशः 18.93 लाख टन और 35.06 लाख टन रहा है।

(ग) वर्तमान वर्ष में तेल आयात के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह के ठीक–ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, व्यापार के आकलनों के अनुसार, आयातों की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा सड़कों एवं बंकरों का निर्माण

2272. श्री अधीर चौधरी :

श्री मोहन रावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) ने भारतीय क्षेत्र के अक्साई–चीन इलाके में प्वाइंट 5459 से 5495 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर पक्की सड़कों और बंकरों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी प्रश्न का समाधान किया जाना शेष है। सीमा क्षेत्रों, जिनमें जम्मू–कश्मीर (पश्चिमी सेक्टर) का लद्दाख क्षेत्र भी शामिल है, में वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी दृष्टिकोण में भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं। दोनों ही पक्षकार वास्तविक नियंत्रण–रेखा के संबंध में अपने–अपने दृष्टिकोण के अनुसार गश्त की कार्रवाई करते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के अतिक्रमणों से संबंधित मामले, राजनयिक माध्यमों और सीमा कार्मिक बैठकों/ध्वज बैठकों के माध्यम से उठाए जाते हैं।

भारत और चीन, भारत–चीन सीमा प्रश्न संबंधी संयुक्त कार्यकारी दल के तहत सीमा प्रश्न पर विचार–विमर्श करते रहे हैं। दोनों पक्षकारों ने इस बात को दोहराया है कि उनका उद्देश्य बातचीत के माध्यम से सीमा के प्रश्न का निष्पक्ष, औचित्यपूर्ण और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजना है। दोनों पक्षकारों ने इस बात को भी दोहराया है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच इस तरह के वार्तालाप का उद्देश्य सभी बकाया मसलों का समाधान करना है।

सरकार सतर्क रहती है और भारत की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते सभी आवश्यक और समुचित उपाय करती है।

उड़ीसा में रेलवे परियोजनाएं

2273. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के क्षेत्र में उड़ीसा के पिछड़ेपन को दूर करने और रेल द्वारा इसके नए क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कौन–सी कार्य योजना तैयार की है;

(ख) देश के कुल रेल नेटवर्क में से उड़ीसा का प्रतिशत कितना है;

(ग) समूचे देश में चल रही कुल रेलगाड़ियों में से उड़ीसा में रेल सुविधाओं का प्रतिशत कितना है; और

(घ) उड़ीसा में निर्माणाधीन नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एकीकृत तथा आवश्यकता के आधार पर रेल परियोजनाएं नियोजित एवं निष्पादित की जाती हैं। रेलवे निवेशों का निर्धारण किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के आधार पर नहीं किया जाता है, विशेषकर उस परिदृश्य में जहां कई परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में फैली होती हैं।

(ख) 31.3.1999 को देश के कुल नेटवर्क का लगभग 3.67% रेलवे नेटवर्क उड़ीसा के अंतर्गत आता है।

(ग) यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार रेलों द्वारा गाड़ियां चलाई जाती हैं। गाड़ियां चलाते समय राज्य की भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अतः देश में चल रही कुल गाड़ियों में से राज्य विशेष में उपलब्ध गाड़ी सुविधाओं के प्रतिशत से संबंधित आंकड़े रेलवे द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(घ) उड़ीसा में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

परियोजनाओं की लक्ष्यतिथि जहां कहीं निर्धारित की गई हैं, प्रत्येक परियोजना की स्थिति में उसका उल्लेख कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	टिप्पणी
1	2	3
	नई लाइन	
1.	अंगुल–सुकिंदा रोड	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और 30 कि.मी. तक पूरा हो चुका है। शेष के मार्च, 2000 तक पूरा होने की संभावना है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने और भूमि अधिग्रहण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 8 प्रमुख पुलों की मिट्टी जांच का काम पूरा हो चुका है और तीन अन्य प्रमुख पुलों में यह कार्य जारी है।
2.	दैतारी–बांसपानी	बांसपानी छोर से 0 से 129 कि.मी. तक मिट्टी संबंधी और पुल का कार्य प्रगति पर है। 248 छोटे पुलों में से 190 पर कार्य पूरा हो चुका है और 16 प्रमुख पुलों पर कार्य शुरू किया गया है। 0 से 58 कि.मी. की दूरी तक आवश्यक 1.75 लाख घन मीटर

1	2	3
		गिट्टी में से 1.48 लाख घन मीटर गिट्टी इकट्ठी कर ली गई है। 129 से 155 कि.मी. की दूरी तक वन भूमि का हस्तांतरण हो चुका है और पेड़ों की कटाई के बाद यह उपलब्ध हो जाएगी। इस क्षेत्र में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्र की आवश्यकता के मद्देनजर इस लाइन को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2003 रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बांसपानी से जोरूरी (11 कि.मी.) तक पहला खंड पूरा होने की आशा है।
3.	हरिदासपुर–पारादीप	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजातों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे राज्य सरकार को सौंपा जा चुका है। भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार को मुहैया कराई गई है। जैसे ही भूमि उपलब्ध होगी कार्य आरंभ किया जाएगा।
4.	खोरधा रोड–बोलनगीर	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। 23 कि.मी. तक की लंबाई तक भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को सौंपे जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा देने पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
5.	कोरापुट–रायगडा	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
6.	लांजीगढ़ रोड–जूनागढ़	वन भूमि, जिसके लिए चरण–I का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, को छोड़कर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा हो गया है। लाजीगढ़ से भवानीपटना तक पहले ब्लाक खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
7.	तालचेर–संबलपुर	परियोजना पूरी हो चुकी है और इसे चालू कर दिया गया है।
	आमान परिवर्तन	
8.	नौपाड़ा–गुनुपुर	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा
9.	रूपसा–बांगरीपोसी	0 से 89 कि.मी. तक मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
	दोहरीकरण	
10.	खोरधा रोड–पुरी चरण-I (खोरदा रोड–देलांग)	बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
11.	नेरगुंडी–कटक–रघुनाथपुर	योजना और अनुमान तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे का कार्य शुरू कर दिया गया है। नेरगुंडी–कटक खंड के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है, नेरगुंडी कटक खंड के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है और रघुनाथ–पुर कटक खंड के लिए इसकी आवश्यकता है। केन्द्रपाड़ा रोड यार्ड में पुल संबंधी और मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है। अन्य खंडों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
12.	रघुनाथपुर–रेहामा	गोरखनाथ से रेहामा तक का खंड पूरा हो चुका है और रघुनाथपुर से गोरखनाथ तक का खंड भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। चक्रवात के कारण यह खंड प्रभावित हो गया था।

1	2	3
13.	रेहामा–पारादीप	नक्शों और अनुमानों की तैयारी संबंधी कार्य शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया गया है और पांच गांवों के भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।
14.	रजतगढ़–बैरंग	यह बजट 1999–2000 में शामिल नया कार्य है। आवश्यक स्वी–कृतियां प्राप्त होने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
15.	रजतगढ़–नरगुंडी	रजतगढ़ से सालेगांव तक का खंड पूरा हो चुका है। शेष 4 कि.मी. के खंड पर एक फ्लाई ओवर है और यह दिसंबर, 2000 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते कि भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाए।
16.	तालचेर–कटक–पारादीप (महानदी और बिरूपा पर दूसरा पुल)	बिरूपा पुल के लिए मिट्टी संबंधी जांच और विस्तृत अभिकल्प पूरा कर लिया गया है और आरेख तैयार किए जा रहे हैं, पुल के निर्माण के लिए पूर्व अर्हता निविदा आमंत्रित की गई हैं और बिरूला पुल के लिए इरकॉन पूर्व अर्हता प्राप्त है और उनका महानदी पुल के लिए भी विचार किया जा रहा है। महानदी के अभिकल्प और आरेख के लिए परामर्शदाता का चयन कर लिया गया है और विस्तृत डिजाइन प्रगति पर है। डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने पर पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
17.	टिटलागढ़–लांजीगढ़	योजना के नक्शों और अनुमान तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक प्रमुख पुल और 3 खंडों के मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
	विद्युतीकरण	
18.	भुवनेश्वर–कोटापालसा	कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2002 रखा गया है। मार्च, 1999 तक 179 मार्ग कि.मी. को विद्युतीकृत कर दिया गया है।
19.	बोकारो स्टील सिटी मूरी–हटिया–बोंडामुंडा–बिमलगढ़– किरीबुरू/ बरसुआन, सहित पुरुलिया कोटशिला	मार्च, 1999 तक 221 रूट कि.मी. को विद्युतीकृत कर दिया गया है। पूरे खंड के विद्युतीकरण का लक्ष्य मार्च, 2002 रखा गया है। परियोजना में विलंब खराब कानून और व्यवस्था और ओ एच ई ठेकेदार की विफलता और डीवीसी/बीएसईबी द्वारा 132 किलोवाट विद्युत आपूर्ति में देरी के कारण हुआ है।

वायुदूत के कर्मचारी

2274. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने 11 नवम्बर, 1994 को वायुदूत लिमिटेड के कर्मचारियों को एक नियुक्ति पत्र जारी किया था जिसमें सेवा शर्तों की अन्य बातों के अलावा यह कहा गया था कि 1 दिसम्बर, 1994 से इंडियन एयरलाइन्स के शार्ट हाऊल ऑपरेशन विभाग में उनका विलय होने के पश्चात् भी उनकी वरीयता इंडियन एयरलाइन्स संवर्ग से अलग बहाल रखी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स उक्त नियुक्ति पत्र का पालन नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या वायुदूत लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारी

वर्गों की पदोन्नतियां जो 30 जून, 1998 से ही उन्हें देय थीं, रोक दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वायुदूत लिमिटेड के विभिन्न कर्मचारी वर्गों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

ई.ई. जैड में पकड़े गए विदेशी जलपोत

2275. श्री विजय गोयल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तटरक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान–निकोबार द्वीप समूह में और इसके आसपास हमारी ई.ई. जैड का उल्लंघन करने के पकड़े गये मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के उल्लंघनों के फलस्वरूप पकड़े गए जलपोतों और चालक दल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की स्थिति क्या है; और

(ग) दो या दो से अधिक बार पकड़े गए जलपोतों और इनके कैप्टनों/कर्मी दल के अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है और बार–बार होने वाले ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए की गई/प्रस्तावित दंडात्मक/सुधारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान तटरक्षक तथा भारतीय नौसेना द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तथा उसके चारों ओर हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पता लगाए गए अतिक्रमण के मामलों के वर्ष–वार ब्यौरे निम्नवत हैं :

	भारतीय नौसेना		तटरक्षक	
वर्ष	नौकाएं	कर्मी दल	नौकाएं	कर्मीदल
1997	20	28	19	99
1998	23	61	14	133
1999	44	200	8	193

पकड़े गए जलयानों तथा उनके कर्मीदल को, जिनका संबंध इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड से था, कानून के अनुसार जांच करने तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के हवाले कर दिया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जलयान या कर्मीदल को एक से अधिक बार पकड़ा गया हो।

भारतीय नौसेना तथा तटरक्षक हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर के क्षेत्र में नियमित रूप से सर्तकता बरत रहे हैं।

[हिन्दी]

पेयजल का अभाव

2276. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले की नगर पालिका समिति, ग्राम पंचायतों और संसद सदस्य ने पेयजल के अभाव के बारे में कई शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा योजना–वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) प्रत्येक योजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेयजल का संकट

2277. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखा–पीड़ित जिलों में पेयजल संकट से निपटाने के लिए और अधिक धनराशि मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सूखा–पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत उपाय शुरू करने के लिए आपदा राहत कोष से प्रतिवर्ष राज्यों को सहायता दी जाती है। 1999–2000 के लिए आंध्र प्रदेश को आपदा राहत कोष के अंतर्गत 143.59 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है जिसमें 107.69 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश शामिल है। पूरा केन्द्रीय अंश राज्य को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, आपदा राहत कोष के अतिरिक्त, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केवल भीषण आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता पर विचार किया जाता है। 1999–2000 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 720.36 करोड़ रुपये की सहायता के लिए एक ज्ञापन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पेयजल आपूर्ति के लिए 302.50 रुपये करोड़ की राशि शामिल है। केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया और सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 75.36 करोड़ रुपये की सहायता, जिसमें पेयजल आपूर्ति के लिए भी सहायता शामिल है, को अनुमोदित किया, जो वित्त मंत्रालय द्वारा उचित समय पर राज्य सरकार को जारी की जाएगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 1999–2000 के दौरान आंध्र प्रदेश को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियां शुरू करने के लिए 125.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 1999–2000 के दौरान आंध्र प्रदेश को गुणवत्ता से प्रभावित बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान उपमिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 38.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रयासों से संबंधित ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

अनिर्वाचित पंचायतों वाले गांव

2278. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने ग्राम और उनका प्रतिशत क्या है, जिनमें निर्वाचित पंचायतें नहीं हैं;

(ख) क्या दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायती राज विकास निधि केवल निर्वाचित पंचायतों को ही दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो 1997–98, 1998–99 और इस वर्ष अब तक पंचायतों को जारी की गई आबंटित निधि का प्रतिशत क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) 1 जनवरी, 2000 तक अरुणाचल प्रदेश, बिहार तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुपालन में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। आंध्र प्रदेश में राज्य के अनुसूची पांच वाले क्षेत्रों में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं जो पंचायत (विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम, 1996 के अनुसार हो जाने चाहिए थे।

(ख) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 तथा संविधान (74वां संशोधन अधिनियम) 1992 के लागू हो जाने के कारण स्थानीय निकायों का चुनाव अपरिहार्य हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान उस व्यापक संवैधानिक योजना का हिस्सा है जिसमें कार्यों तथा जिम्मेदारियों को राज्यों से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है (ताकि वे स्थानीय स्व–शासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य कर सकें), दिशा–निर्देशों में यह व्यवस्था दी गई है, तथा जो राज्यों को जारी कर दी गई है, कि केवल चयनित स्थानीय निकायों के संदर्भ में ही अनुदान दिया जाए।

(ग) 1996–2000 के दौरान पंचायती राज संस्थानों के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तथा आज तक जारी अनुदान एवं दसवें वित्त आयोग अनुशंसित अनुदान के प्रतिशत के रूप में जारी अनुदान का राज्य–वार तथा वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पंचायती राज संस्थानों के लिए 1996-97, 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान टी. एफ. सी. द्वारा स्वीकृत 7.3.2000 के अनुरूप तथा जारी किया गया अनुदान

(लाख रुपये में)

राज्य	1996–97		1997–98		1998–1999		1999–2000		कुल 1996–2000		कालम 9 के प्रतिशत के रूप में
	अनुशंसित	जारी	अनुशंसित	जारी	अनुशंसित	जारी	अनुशंसित	जारी	अनुशंसित	जारी	कालम 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	8,775.00	8,775.00	8,775.00	6,581.00	8,775.00	0.00	8,775.00	17,736.03	35.,100.00	33,092.28	34.5
अरुणाचल प्रदेश	113.00	113.00	113.00	28.25	115.00	0.00	112.00	0.00	451.00	141.25	31.5
असम	3,334.00	3,334.00	3,334.00	833.50	3,334.00	0.00	3,334.00	0.00	13,336.00	4,167.50	31.3
बिहार	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	12,679.00	0.00	12,680.00	0.00	50,719.00	12,680.0	25.0
गोवा	148.00	148.00	148.00	37.00	148.00	0.00	147.00	73.50	591.00	258.50	43.7
गुजरात	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,200.00	4,800.00	0.00	4,801.00	2.400.50	19,201.00	8,400.50	43.8
हरियाणा	2,066.00	2,066.00	2,066.00	516.50	2,066.00	0.00	2,066.00	4,648.50	8,264.00	7,231.00	87.5
हिमाचल प्रदेश	805.00	805.00	805.00	805.00	804.00	0.00	804.00	1,206.00	3,218.00	2,816.00	87.5
जम्मू व कश्मीर	940.00	940.00	940.00	235.00	940.00	0.00	939.00	0.00	3,759.00	1,175.00	31.3
कर्नाटक	5,544.00	5,544.00	5,544.00	1,386.00	5,544.00	4,158.00	5,545.00	0.00	22,177.00	11,088.00	50.0
केरल	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,471.00	4,471.00	17,881.00	17,881.00	100.0
मध्य प्रदेश	8,717.00	8,717.00	8,717.00	2,179.25	8,717.00	12,304.25	8,718.00	0.00	34,869.00	23,200.50	66.5
महाराष्ट्र	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	8,676.00	4,338.00	34,701.00	21,688.00	63.5
कानपुर	233.00	233.00	233.00	58.25	233.00	0.00	232.00	116.00	931.00	407.25	43.7
मेघालय	216.00	216.00	216.00	54.00	217.00	0.00	216.00	108.00	865.00	378.00	43.7
मिजोरम	74.00	74.00	74.00	18.50	73.00	128.50	73.00	73.00	294.00	294.00	100.0
नागालैण्ड	116.00	116.00	116.00	29.00	116.00	0.00	117.00	58.50	465.00	203.50	43.8
उड़ीसा	5,025.00	5,025.00	5,025.00	2,512.50	5,025.00	0.00	5,024.00	19,049.50	20,099.00	17,587.00	87.5
पंजाब	2,584.00	2,584.00	2,584.00	646.00	2,584.00	0.00	2,583.00	1,291.50	10,335.00	4,521.50	43.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्थान	5,305.00	5,305.00	5,305.00	3,978.00	5,306.00	5,327.00	5,306.00	3,959.00	21,222.00	18,569.00	87.5
सिक्किम	48.00	48.00	48.00	12.00	47.00	24.00	47.00	23.50	190.00	107.50	56.6
तमिलनाडु	7,183.00	7,183.00	7,183.00	7,183.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	3,592.00	28.734.00	25,142.00	87.5
त्रिपुरा	348.00	348.00	348.00	348.00	349.00	0.00	349.00	174.00	1,394.00	870.50	82.4
उत्तर प्रदेश	18,988.00	18,988.00	18,988.00	14,241.00	18,988.00	23,735.00	18,988.00	9,494.00	75,952.00	66,458.00	87.5
पश्चिम बंगाल	8,336.00	8,336.00	8,336.00	2,084.00	8,336.00	0.00	8,337.00	16,273.53	33,345.00	26,693.53	80.1
कुल	109,523.00	109,523.00	109,523.00	58,111.00	109,523.00	57,330.75	109,524.00	80,086.56	433,033.00	305,051.31	89.8

[अनुवाद]

सवारी रेल गाड़ियों का रख-रखाव

2279. श्री मोइनुल हसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक निकायों से कुछ सवारी रेल गाड़ियों के रख–रखाव में भागीदारी का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक और वाणिज्यिक घरानों से इस मामले में क्या उत्तर मिला है;

(ग) औद्योगिक और वाणिज्यिक निकाय किन शर्तों पर सरकार के प्रस्तावों से सहमत हुए हैं; और

(घ) ऐसे उपायों से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डे से उड़ानें

2280. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना से आने तथा जाने वाली उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पटना से उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) पटना को निम्नलिखित अनुसूचित विमान सेवाओं से जोड़ा गया है :

इंडियन एयरलाइंस : मुम्बई–दिल्ली–पटना–रांची और वापसी (दैनिक)

एलाइंस एयर : दिल्ली–लखनऊ–पटना–कलकत्ता और वापसी (दैनिक)

सहारा एयरलाइंस : मुम्बई–लखनऊ–पटना–कलकत्ता और वापसी (सप्ताह में 4 दिन)

(ख) से (घ) उन मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के अधीन, जिसमें मार्गों के विभिन्न श्रेणियों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार किसी भी मार्ग/किसी भी स्थान पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

फकीराग्राम जंक्शन-जोलकगंज रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2281. श्री एम. के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में एक समान आमान परिवर्तन योजना के अंतर्गत फकीराग्राम जंक्शन–जोलकगंज रेल लाइन (धुबरी जिला) का आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी लम्बी

लाइन का आमान परिवर्तन किया जायेगा और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। फकीराग्राम जंक्शन–गोलकगंज रेल लाइन का आमान परिवर्तन न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी–न्यू बोंगाईगांव आमान परिवर्तन परियोजना (280 कि.मी.) का एक भाग है जिसके लिए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है, परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 435.88 करोड़ रुपए है मुख्य लाइन के लिए मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य शुरू हो चुका है मुख्य लाइन पर कार्य त्वरित हो जाने पर शाखा लाइनों पर कार्य आरंभ किया जाएगा।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

2282. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा ग्रामीण सफाई कार्यक्रम संबंधी कौन–कौन से प्रस्ताव किए गए हैं;

(ख) उनमें से वर्ष 1999–2000 हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए; और

(ग) राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल को चावल का आबंटन

2283. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु पंजाब के बजाय आंध्र प्रदेश द्वारा चावल के आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) मार्च, 1999 में केरल सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ था कि शिथिल विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए चावल के स्थान पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आंध्र किस्म का चावल प्रदान किया जाए।

भारतीय खाद्य निगम अपने निकटतम गोदामों/डिपुओं से उपलब्धता के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों के प्रति राज्यों/उनके नामितियों को चावल जारी करता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को निदेश जारी किए गए हैं कि वह यथासंभव सीमा तक आंध्र प्रदेश से केरल को चावल मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करे कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य को आपूर्ति किया गया चावल पूर्णतया निर्धारित गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो। तदनुसार, राज्य सरकार को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया था।

[हिन्दी]

नालंदा में एक आयुध कारखाने की स्थापना

2284. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालंदा में आयुध कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है और वहां रक्षा आवश्यकता की कौन–कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) इस निर्माणी के सन् 2004–2005 से उत्पादन शुरू करने की संभावना है। यह निर्माणी प्रणोदक–चार्जों का निर्माण करेगी।

[अनुवाद]

लेवी चीनी की मासिक मांग

2285. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी की मासिक आवश्यकता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्यौहार कोटा के लिए राज्य–वार कितनी मात्रा लेवी चीनी की आवश्यकता है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। संघ सरकार ने 1.3.1990 को स्थितिनुसार प्रक्षिप्त आबादी के आधार पर लेवी चीनी की मासिक आवश्यकता का अनुमान लगाया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार ब्यौरा वार्षिक त्यौहार कोटा सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1999 की प्रक्षिप्त जनसंख्या सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य/संघशासित क्षेत्र–वार लेवी चीनी की आवश्यकता का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	मासिक कोटा (राज्य के लिए) मी. टन में	वार्षिक त्यौहार कोटा मी. टन में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31712	7614
2.	अंडमान व निकोबार	377	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	809	94
4.	असम	18114	2896
5.	बिहार	41707	10078
6.	चंडीगढ़	525	112
7.	दादरा तथा नागर हवेली	78	14
8.	दिल्ली	17054	2316
9.	गोवा	671	150
10.	दमन और दीव	59	12
11.	गुजरात	20212	4878
12.	हरियाणा	8307	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	4582	608
14.	जम्मू और कश्मीर	6796	868
15.	कर्नाटक	21860	5350
16.	केरल	13592	3600
17.	लक्षद्वीप	112	22
18.	मध्य प्रदेश	33294	7536
19.	महाराष्ट्र	38301	9014
20.	मणिपुर	1709	208
21.	मेघालय	1651	200
22.	मिजोरम	645	78
23.	नागालैंड	1140	128
24.	उड़ीसा	15102	3730
25.	पांडिचेरी	627	88
26.	पंजाब	9896	2392
27.	राजस्थान	22372	5092
28.	सिक्किम	379	50
29.	तमिलनाडु	26033	6790
30.	त्रिपुरा	2566	302
31.	उत्तर प्रदेश	70722	15936
32.	पश्चिम बंगाल	33138	7796
	कुल	444142	99950

माल सूचना प्रणाली का शुरू किया जाना

2286. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने माल परिचालन सूचना प्रणाली (फ्रेट ऑपरेशन इन्फोर्मेशन प्रणाली) नामक कोई माल सूचना प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किस तरह कार्य करेगी;

(ग) देश में कितने स्टेशनों को यह सुविधा प्रदान की गई है;

(घ) क्या तेनाली और गुंटूर जैसे व्यस्त स्टेशन इस प्रणाली के भाग हैं;

(ङ) क्या यह प्रणाली ग्राहकों को उनके माल का पता लगाने में मदद करेगी; और

(च) वैगनों में शीघ्र माल चढ़ाई और उतराई को क्रियान्वित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) से (ङ) रेक प्रबन्धन प्रणाली (आर एम एस) तथा टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टी एम एस) मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफ ओ आई एस) के दो महत्त्वपूर्ण मॉड्यूल हैं। रेक प्रबन्धन प्रणाली रेकों तथा परेषणों को ऑन लाइन ट्रेकिंग मुहैया कराती है। माल गाड़ियों के चालन से संबंधित आंकड़े मुख्य माल सम्हलाई टर्मिनलों, यार्डों तथा नियंत्रण कार्यालयों में मुहैया कराए गए कंप्यूटर टर्मिनलों में दर्ज किए जाते हैं। टी एम एस मॉड्यूल परेषणों की बुकिंग, रेलवे की प्राप्तियों तथा राजस्व लेखा को कवर करता है। उत्तर रेल में 23 स्थानों पर आर एम एस कार्यान्वित किए गए हैं। गुंटूर मुख्य टर्मिनल के रूप में प्रणाली का एक भाग है। अभी तेनाली तक सम्पर्क मुहैया कराने के लिए विचार नहीं किया गया है। प्रणाली से जुड़े कंप्यूटर टर्मिनल ग्राहकों को स्थान तथा रेकों एवं परेषणों की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराएंगे।

(च) मालडिब्बों में लक्षन एवं उतराई को गति प्रदान करने के लिए भारतीय रेलों का चुनिंदा साइडिंगों पर इंजन–ऑन–लोड योजना (जिसमें इंजन लदान/उतराई परिचालन के दौरान रेक के साथ जुड़ा होता है) को अपनाने का प्रस्ताव है। भारतीय रेलें परेषण अर्थात् कोयला आदि की शीघ्रतम उतराई के लिए तेल से निकासी करने वाले मालडिब्बों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। रेल परिसरों से परेषणों को हटाने हेतु फ्री टाइम को 12 कार्य घंटे तक घटा दिया गया है ताकि आने वाले रेकों की उतराई हेतु स्थान की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

हवाई अड्डों का उन्नयन

2287. श्री आर. एल. भाटिया :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री वसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

डॉ. अशोक पटेल :

श्री एम. वी. वी. एस मूर्ति :

श्री नवल किशोर राय :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री शिवाजी माने :

श्री एस. डी. एम. आर. वाडियार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में बदलने के मुद्दे को बुनियादी सुविधाओं संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त कृतिक बल को भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और किसी हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृतक बल से कुछ और उन विमानपत्तनों को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किये जाने की संभावना की जांच करने का अनुरोध किया गया है जहां पर मध्यम क्षमता वाले लांगरेंज के विमान और कम क्षमता वाले लांग रेंज के विमानों के प्रचालन की सुविधाएं और सीमा–शुल्क और आव्रजन सुविधाएं हों। कृतक बल की सिफारिशें जल्दी प्राप्त हो जाने की आशा की जाती है।

कश्मीर में भारतीय सैन्य बलों का तनाव में काम करना

2288. श्री सुबोध मोहिते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "हाऊ स्ट्रैस टेकन इट्स टोल इन द वैली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित परिस्थितिगत तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिस्थिति में सुधार और जवानों की तनाव और थकान संबंधी बढ़ रही शिकायतों को कम करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जम्मू–कश्मीर में चल रही प्रतिविद्रोही कार्रवाइयों के दौरान तनाव संबंधी कुछ घटनाएं हुई हैं। इस प्रकार की घटनाओं में कमी लाने के लिए तनाव वाली परिस्थितियों को कम करने पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है। इस संबंध में समुचित राहत कार्यक्रम बनाने, सतत् रूप से शिक्षा देने तथा कमांडरों और सैनिकों के बीच घनिष्ट संपर्क स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युद्ध संबंधी तनाव को कम–से–कम किया जा सके।

सुपर बाजार में अनियमितताएं

2289. **श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री राजनारायण पासी :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के सुपर बाजार के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताओं के चलते सरकार ने इसकी जांच सी.बी.आई. से कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आयी सुपर बाजार की वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में शामिल सुपर बाजार के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सी.बी.आई. से एक निर्धारित समयावधि के अन्दर इन अनियमितताओं की जांच करने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ध्यान में आई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं और उनमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सूची में क्रम संख्या 36 पर उल्लिखित मैसर्स महामाया फूड के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है/जो की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में क्रम संख्या 38 से 44 पर उल्लिखित सात और मामलों को अब जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। तथापि, जांच कार्य पूरा करने के लिए कोई समयावधि नियत नहीं की गई है।

विवरण

1 जनवरी, 1997 से 31 दिसम्बर, 1999 के दौरान वित्तीय व अन्य अनियमितताओं और उनमें लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा।

क्रम सं.	अनियमितता का विवरण	क्रम सं.	लिप्त अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	2	3	4
1.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	1.	श्री श्याम शंकर, बिक्री सहायक
2.	कैशमीमो तैयार करने में धोखाधड़ी	2.	श्री नरेन्द्र कौशिक, बिक्री सहायक
		3.	श्री राम सागर, पैकर
3.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	4.	श्रीमती सुनन्दा चटर्जी, शाखा इंचार्ज
		5.	श्री कुलदीप जैन, बिक्री सहायक
		6.	श्री पी. प्रसाद, बिक्री सहायक
		7.	श्री धीरेन्द्र, हैल्पर
4.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	8.	श्री ए. पी. मानिकतला, बिक्री सहायक
5.	भविष्य निधि खाते में दुर्विनियोजन	9.	श्री अमरजीत, बिक्री सहायक
6.	घटिया किस्म के सर्ज की खरीद	10.	श्री आनन्द मोहन, प्रबन्धक
7.	बिक्री से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन	11.	श्री दशरथ शर्मा, बिक्री सहायक
		12.	श्री खिलाड़ी सिंह, बिक्री सहायक

1	2	3	4
8.	बिक्री से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन	13.	श्री एच. सी. राज बिक्री सहायक
9.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	14.	श्री हुकम चन्द, हैल्पर
10.	सुपर बाजार की निधि का दुर्विनियोजन	15.	श्री जितेन्द्र कुमार, हैल्पर
		16.	श्री ब्रह्म पाल शर्मा, बिक्री सहायक
11.	औचक जांच में 24 थैली आटा कम पाया गया	17.	श्री पन्नी राम, बिक्री सहायक
12.	बिना कैशमीमो के सामान लिया गया	18.	श्री एस. पी. जग्गी, बिक्री सहायक
13.	ग्राहक से दुर्व्यवहार किया	19.	श्री एस. पी. जग्गी, बिक्री सहायक
14.	बारदाना के सर्तकता विभाग को उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया	20.	श्री बी. आर. सेठी, बिक्री सहायक
15.	घटिया किस्म के इस्पात के बने ट्रकों की सप्लाई की	21.	श्री विनीत सरीन, सहा. महाप्रबन्धक
16.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	22.	श्री के. जी. गुलाटी, बिक्री सहायक
		23.	श्री वी. पी. सिंह, बिक्री सहायक
		24.	श्री के. बी. सिंह, बिक्री सहायक
		25.	श्री किरन पाल सिंह, हैल्पर
17.	जाली चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया	26.	श्री कुलदीप जैन, बिक्री सहायक
18.	बिना कैशमीमो के सामान लिया गया	27.	श्री जगत सिंह, बिक्री सहायक
19.	उधार बिक्री के एक बिल में हेराफेरी की	28.	श्री शशि कान्त, बिक्री सहायक
		29.	श्री सहदेव, पैकर
		30.	श्री गोपाल किशन, कनि. बिक्री सहा.
		31.	श्री सुरेश, हैल्पर
20.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	32.	श्री राम निवास, बिक्री सहायक
		33.	श्री प्रेम चन्द्र, बिक्री सहायक
		34.	श्री अर्जुन प्रसाद, हैल्पर
21.	अधिक मूल्य वसूल किया	35.	श्री आर. एन. झा, बिक्री सहायक
22.	बिक्री से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन	36.	श्री सुरेश मलिक, कनि. बिक्री सहायक
23.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	37.	श्रीमती अनिता रावत, बिक्री सहायक
		38.	श्री आर. एस. राणा, बिक्री सहायक

1	2	3	4
		39.	श्री आर. पी. पाण्डेय, लेखा सहायक
24.	मांग पत्र में दरों को जानबूझकर बदला	40.	स्व. श्री आर.सी. शर्मा, सहा. प्रबन्धक
		41.	श्री डी. पी. शर्मा, बिक्री सहायक
25.	माल प्राप्त करते समय स्टोर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया।	42.	श्री सतपाल मान, बिक्री सहायक
26.	खरीद में दुर्विनियोजन	43.	श्री आर.सी. ओहरी, बिक्री सहायक
27.	खरीद में दुर्विनियोजन	44.	श्री विजय कुमार, सहा. महाप्रबंधक
28.	बिक्री कर का रिकार्ड नहीं रख पाए	45.	श्री एच.एस. रे, प्रबन्धक
		46.	श्री नवल किशोर मल्होत्रा, बिक्री सहा.
		47.	श्री राज पाल सिंह, लेखा सहायक
29.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	48.	श्री अशोक अरोड़ा, लेखा सहायक
30.	अधिक मूल्य वसूल किया	49.	श्री भगवान दास, बिक्री सहायक
31.	टोटल ब्रांड के नमक को सुपर बाजार के जरिए बेचने में पार्टी का पक्ष लिया	50.	श्रीमती पुष्पा नागपाल, स्थाना. प्रबन्धक
32.	मै. इटावा फ्लोर मिल को ठेका देना	51.	श्री रमा कान्त, पूर्व–प्रबंध निदेशक
33.	मै. इटावा फ्लोर मिल को ठेका देना	52.	श्री विजय कुमार उप प्रबन्धक
		53.	श्री विनीत सरीन, महा. प्रबन्धक
		54.	श्री श्याम सुन्दर, प्रबन्धक
		55.	श्रीमती प्रोमिला मेहरा, सहा. प्रबन्धक
34.	प्रोन्नति में अनियमितता	56.	श्री विजय कुमार, उप महाप्रबन्धक
35.	प्याज की बिक्री में अनियमितता	57.	श्री सी. के. भसीन, प्रबन्धक
		58.	श्री वी. के. मल्होत्रा, कनिष्ठ सुपरवाइजर
		59.	श्री कुलजीत सिंह, प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सहायक
		60.	श्रीमती वीरा राजपाल, प्रबंध निदेशक की स्टेनो।
36.	मै. महामाया फूड को ठेका देना	61.	श्री सुजीत बनर्जी, पूर्व महाप्रबंधक
		62.	श्री आर.डी. श्रीवास्तव, पूर्व–उप महाप्रबंधक (वर्तमान में एन.डी.एम.सी. में निदेशक)
		63.	श्री टी. एन. बजाज, प्रबंधक

1	2	3	4
		64.	श्री विनीत सरीन, सहा महाप्रबंधक
		65.	श्री रवी बाली, वरि. सुपरवाइजर
		66.	श्री आई. के. गर्ग, सहा. लेखाकार
		67.	श्री मुकेश कश्यप, कनि. बिक्री सहा.
		68.	श्री गोपाल किशन, लेखा सहायक
37.	सुपर बाजार की निधियों का दुर्विनियोजन	69.	श्रीमती सरोज अवशी, बिक्री सहा. इंचार्ज
		70.	श्री धरम पाल, कनि. बिक्री सहायक
		71.	श्री ओम प्रकाश, पैकर
		72.	श्री प्रेम चन्द, हैल्पर
38.	सुपर बाजार की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से अनुमोदन प्राप्त किए बिना घटिया किस्म की दालों की खरीद की।		– जांच चल रही है।
39.	उत्पाद शुल्क में कमी से ठीक पहले दालों की थोक में खरीद का आर्डर देना		– जांच चल रही है।
40.	उपयुक्त प्रक्रिया का अनुपालन न करके सुपर बाजार के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सप्लायरों को बिना बारी के भुगतान करना।		– जांच चल रही है।
41.	घटिया किस्म की आलू की खरीद करना जिससे सुपर बाजार को घाटा उठाना पड़ा।		– जांच चल रही है।
42.	सुपर बाजार, नई दिल्ली में एक निजी व्यापारी (मै. बिपस सिस्टम लि.) को अपनी दुकान खोलने की अनुमति देना।		– जांच चल रही है।
43.	राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा उद्धृत दरों से अधिक दरों पर मसालों की खरीद में अनियमितताएं बरतना।		– जांच चल रही है।
44.	राजेन्द्र प्लेस में "सन्त लोंगोवाल टावर" के निर्माण हेतु सुपर बाजार द्वारा मै. वी.वी. कन्स्ट्रक्शन को ठेका देने में अनियमितताएं बरतना।		– जांच चल रही है।

[हिन्दी]

सेसना वायुयान के साथ उड़ान प्रशिक्षण का प्रावधान

2290. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित उज्जैन हवाई पट्टी से सेसना–152 वायुयान से उड़ान प्रशिक्षण दिया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक औपचारिकताएं और इसकी उपयोगिता क्या है; और

(ग) इन पर कितना खर्च किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) जी, हां। उज्जैन हवाई पट्टी पर सेसना–152 विमान से उड़ान प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ग) चूंकि उज्जैन उड़ान क्लब एक निजी संस्थान है, इसलिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

अन्य संसाधनों से विद्युत प्राप्त करना

2291. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव जल और ताप विद्युत के मुकाबले सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ताप, जल और सौर ऊर्जा के अलावा अन्य संसाधनों से अधिक विद्युत का दोहन करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में पहले ही पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है। देश में सौर, पवन, बायोमास तथा लघु पन बिजली संसाधनों द्वारा लगभग 1600 मे.वा. की ग्रिड गुणवत्ता वाली विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में 30 मिलियन उन्नत चूल्हों, 2.9 मिलियन बायोगैस संयंत्रों और 675,000 सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के द्वारा विकेन्द्रीकृत ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा नीति के प्रारूप विवरण, जिसे आगे के अनुमोदनों के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है, में सौर ऊर्जा सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से और अधिक अंशदान बढ़ाने की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) सौर, पवन, बायोमास और लघु पन बिजली जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के लिए संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए हैं। इस सूचना का उपयोग, इन संसाधनों पर आधारित परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में किया जाता है।

[हिन्दी]

दलालों का आतंक

2292. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में रेल टिकटों तथा आरक्षण में दलालों तथा अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों द्वारा फैलाये गए आतंक की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से रेल कर्मचारी इन दलालों के साथ मिले हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक जोन में कितने छापे मारे गए तथा इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान प्रावधान अवैध आरक्षण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कानूनों को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु वर्तमान प्रावधानों को फिर से इस्तेमाल में लाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आरक्षण कार्यालयों में दलालों और अन्य असामाजिक तत्त्वों और गाड़ियों में झूठे नाम से आरक्षण के विरुद्ध वाणिज्यिक विभाग, सतर्कता विभाग और राजकीय रेल पुलिस द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं। आरक्षण कार्यालयों सहित रेल परिसरों से ऐसे तत्त्वों को बाहर निकालना सुनिश्चित करने के लिए रेल सुरक्षा बल को सक्रिया कर दिया गया है। प्राधिकृत रेल यात्रा एजेंटों के परिसरों पर भी यह देखने के लिए जांच की जाती है कि कहीं उनके द्वारा कोई अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है। अप्राधिकृत व्यक्तियों से टिकट खरीदने को हतोत्साहित करने के लिए आम जनता को शिक्षित करने के लिए मीडिया के विभिन्न माध्यम के जरिए समय–समय पर अभियान चलाए जाते हैं। स्थान की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए व्यस्त अवधि के दौरान गाड़ियों/सवारी डिब्बों की संख्या और गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जाती है।

(ग) दलालों के साथ रेल कर्मचारियों की मिली–भगत के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(घ) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1997–98, 1998–99 और चालू वर्ष 1999–2000 (दिसंबर 1999 तक) के लिए जोन–वार छापों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है और विभिन्न कार्रवाई यथा दलालों के विरुद्ध कानूनी कारवाई करने जुर्माने लगाने और संलिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (छ) रेल अधिनियम/नियमों के मौजूदा उपबंधों के पर्याप्तता की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और जब कभी अपेक्षित होता है, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

रेलवे	दलालों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध मारे गए छापों की संख्या	
	पिछले दो वर्ष 1997–98 और 1998–99	वर्तमान वर्ष अप्रैल से दिसम्बर, 1999
1	2	3
मध्य	6512	2780
पूर्व	9955	1693
उत्तर	5714	1000
पूर्वोत्तर	4955	2208
पूर्वोत्तर सीमा	2609	712
दक्षिण	17076	7013
दक्षिण मध्य	10016	3465
दक्षिण पूर्व	5963	1203
पश्चिम	12011	4728
जोड़	74811	24802

[अनुवाद]

खाद्यों पर राजसहायता

2293. श्री मामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम की उच्च प्रशासनिक और संचालनात्मक लागतों के कारण खाद्यों पर उपलब्धत राजसहायता में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य राजसहायता/भारतीय खाद्य निगम की संचालनात्मक और प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) खाद्य राजसहायता में वृद्धि मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि को केन्द्रीय निर्गम मूल्य में तद्नुरूपी वृद्धि करके निष्क्रिय न करने के कारण हो रही है। केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में फरवरी, 1994 से कोई वृद्धि नहीं की गई है केवल पहली जून, 1977 में जिस समय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी, उस समय मूल्यों में मामूली समायोजन किया गया था। यद्यपि, चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य केवल गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए 29.01.1999 से बढ़ाए गए थे, तथापि, 1.4.1999 से गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में और वृद्धि की गई थी।

राजसहायता में वृद्धि के अन्य कारण निम्न हैं :

(i) अधिक वसूली और अपेक्षाकृत कम उठान होने के कारण बफर स्टाक अधिक होना;

(ii) भाड़ा दरों में वृद्धि;

(iii) श्रमिकों का प्रगामी विभागीकरण;

(iv) 50 किलोग्राम की पैकिंग प्रगामी रूप से शुरू करना;

(v) बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में यथामूल्य पर देय राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले लगभग 50% सांविधिक प्रभार।

(ग) राजसहायता – प्रचालित प्रशासनिक लागत कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :

(i) यद्यपि अनाज की वसूली मौसमी होती है, तथापि, भंडारण लागत को कम करने के लिए 75% की औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने के प्रयास करना,

(ii) भाड़े के संबंध में खर्च में कमी करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित 1:1.35 के वसूली और संचलन के

अनुपात मानदंड का अनुपालन करने का प्रयास करना,

(iii) खाद्यान्नों की हैंडलिंग में कमियों को कम करने के लिए सतत् प्रयास करना,

(iv) रेलवे डेमरेज प्रभारों के भारग्रहण में कमी लाने के प्रयास करना,

(v) खुले बाजार में केन्द्रीय निर्गम मूल्य से ऊंचे मूल्यों पर स्टाक रिलीज करना,

(vi) प्रचालनों की मात्रा बढ़ने के बावजूद प्रवेश स्तर के पदों में न्यूनतम भर्ती करके प्रशासनिक लागत को नियंत्रित करना,

(vii) आर्थिक लागत पर निगाह रखने का प्रयास करना,

(viii) क्षति को कम करने का प्रयास करना,

(ix) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबतम पर केन्द्रित करने के तरीकों का पता लगाने का प्रयास करना।

देश में रेलवे फाटक

2294. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री रघुनाथ झा :

श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री वैको :

श्री रामानन्द सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री आर.एल. भाटिया :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री मोइनुल हसन :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार और जोनवार अलग–अलग कितने चौकीदार वाले रेलवे फाटक और बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे समपारों पर राज्य–वार कितनी रेल दुर्घटना हुई हैं;

(ग) क्या इनमें से अनेक दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले फाटकों के कारण होती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और बिना चौकीदार वाले फाटकों को चौकीदार वाले फाटकों में परिवर्तित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या बिना चौकीदार वाले फाटकों को व्यवस्थित करने का कार्य गैर–सरकारी क्षेत्र को सौंपने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी विचारार्थ विषय क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक चौकीदार और बिना चौकीदार वाले फाटकों की स्थापना/निर्माण करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :

विवरण

(क) इस समय देश में चौकीदार वाले 16,280 और बिना चौकीदार वाले 24,049 वाले फाटक हैं। राज्य–वार और रेलवे जोन–वार समपारों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

राज्यवार ब्यौरे

राज्य	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित
1	2	3
असम	431	908
आंध्र प्रदेश	1209	1537
बिहार	1365	1898
दिल्ली	55	2
गुजरात	1469	2927
हरियाणा	517	523

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	38	304
जम्मू और कश्मीर	17	33
कर्नाटक	657	1044
उत्तर प्रदेश	2820	3736
पश्चिम बंगाल	1083	1625
चंडीगढ़	6	1
पांडिचेरी	9	9
गोआ	14	2
नागालैंड	1	1
केरल	413	219
मध्य प्रदेश	1316	1693
महाराष्ट्र	1138	1504
मणिपुर	1	1
मिजोरम	–	1
उड़ीसा	283	1179
पंजाब	766	1092
राजस्थान	1416	2223
तमिलनाडु	1256	1565
त्रिपुरा	–	22

जोनवार ब्यौरे :

रेलवे	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित
मध्य	1831	1610
पूर्व	1285	1041
उत्तर	3224	4407
पूर्वोत्तर	1471	3205
पूर्वोत्तर–सीमा	694	1534
दक्षिण	2189	2544
दक्षिण–मध्य	1501	1956
दक्षिण–पूर्व	1115	3624
पश्चिम	2970	4128

(ख) भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं के ब्यौरे रेलवे जोन–वार रखे जाते हैं न कि राज्य–वार, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारो पर दुर्घटनाओं के जोन–वार ब्यौर निम्नलिखित हैं :

रेलवे	1996–97			1997–98			1998–99			1999–2000 फरवरी, 2000 तक		
	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित	जोड़	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित	जोड़	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित	जोड़	चौकीदार सहित	चौकीदार रहित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य	4	2	6	0	1	1	3	3	6	5	7	12
पूर्वी	4	1	5	1	0	1	1	1	2	2	0	2
उत्तर	4	6	10	3	10	13	3	9	12	3	13	16
पूर्वोत्तर	1	11	12	2	8	10	0	4	4	0	13	13
पूसी	0	0	0	2	2	4	2	2	4	2	3	5
दक्षिण	1	10	11	1	9	10	3	4	7	2	8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
द.म.	2	8	10	1	6	7	1	10	11	2	11	13
द.पू.	2	3	5	4	5	9	4	9	13	4	5	9
पश्चिम	2	4	6	2	9	11	2	6	8	3	2	5
मैट्रो	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
के.आर.सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	20	45	65	16	50	66	19	48	67	23	62	85

(ग) बिना चौकीदार वाले समपार चौराहों में दुर्घटनाएं मुख्यतः रेल उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण होते हैं, जो इन फाटकों पर उपलब्ध सड़क चिन्हों को पहचानने में और मोटरगाड़ी अधिनियम 1988 में सन्निहित नियमों को समझने में असमर्थ रहते हैं।

(घ) बिना फाटक वाले समपार चौराहों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. समपारों के पहुंच मार्गों पर समुचित सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को समपार फाटक की मौजूदगी की जानकारी मिल सके।

2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियो की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को गति धीमी करने की याद आ सके।

3. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेल पथ के साथ–साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाना अपेक्षित होता है ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधन किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

4. सड़क उपयोगकर्त्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 कि.मी. प्र.घ. की रफ्तार से चल रही गाड़ी एक सेकण्ड में 25 मीटर की दूरी करती है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 150 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि से यह केवल 6 सेकंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार उपायों से इस संदेश को उन तक उत्तरोत्तर रूप में पहुंचाया जा रहा है।

5. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आवधिक प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

6. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती है, अतः राज्य सरकारें, ड्राइविंग लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सभी मुख्य सचिवों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

8. रेल जन जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

9. ग्राम पंचायत कार्यालयों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त की गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

10. रिटेल पैट्रोल पंपों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए आई.ओ.सी./एच.सी.सी.बी.पी.सी. से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

11. विस्फोटक सामग्रियों से खतरे के बारे में लोगों को आगाह करने तथा लावारिस/उपेक्षित पड़ी वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता के लिए जन उद्घोषण प्रणाली के जरिए एक गहन अभियान शुरू किया गया है।

12. जनता को सामान में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खतरों से आगाह करने के लिए दूरदर्शन क्विकीज, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से गहन प्रचार किया जाता है।

1999–2000 के बजट में 686 समपारों पर चौकीदार तैनात करने की स्वीकृत दी गई थी और 2000–2001 के रेलवे बजट में 602 समपारों को शामिल किया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। रेल मंत्रालय द्वारा गठित टास्क दल ने निजी क्षेत्र की भागीदारी की सिफारिश की है कि उनको विज्ञापन अधिकार दिए जाएं जिसके बदले बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करें। इस योजना के तहत कर्मचारी आवास ड्यूटी करने के लिए बैठने की जगह, सड़क सेवा और टेलीफोन इत्यादि जैसी प्रारंभिक अवसंरचना के वास्ते 8 से 10 लाख रुपए के बीच पूंजी की व्यवस्था निजी क्षेत्र वहन करेगा और 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच होने वाली आवर्ती अनुरक्षण और परिचालन लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी। अनुरक्षण और परिचालन का कार्य रेलवे के द्वारा ही किया जाता रहेगा।

(छ) और (ज) बिना चौकीदार वाले किसी समपार की स्थापना नहीं जा रही है। जहां तक नये चौकीदार वाले समपारों को मुहैया कराने का प्रश्न है रेलवे आवश्यकता अनुसार इन्हें निक्षेप शर्तों पर भी मुहैया कराती हैं जिसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और नई रेलवे लाइन बिछाते समय रेल लाइन खुलने के दस वर्ष तक रेलें आवश्यक होने पर इसकी लागत अनुसार वहन करती हैं।

त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र का विकास

2295. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमीन से हवा में मार करने वाले "त्रिशूल" प्रक्षेपास्त्र का विकास करने के बाद इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे थल सेना और नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसे सम्मिलित करने का क्या कार्यक्रम है; और

(ङ) सेना में अब तक शामिल किए गए अन्य प्रक्षेपास्त्रों का ब्यौरा क्या है और इस समय कितनी परियोजनाएं हैं तथा उनकी स्थिति व प्रक्षेपण हेतु नियत समयावधि का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जमीन से हवा में मार करने वाले और "एंटी सी–स्किमर" प्रक्षेपास्त्र "त्रिशूल" का सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए विकास किया जा रहा है। इस प्रक्षेपास्त्र का प्रयोक्ता की भागीदारी से किया जाने वाला मूल्यांकन अंतिम चरण में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 2000 के मध्य तक निर्देशित उड़ान परीक्षणों के पूरा होने पर इसके प्रयोक्ता परीक्षण, उत्पादन और इसे सेना में शामिल किए जाने के चरण आएंगे।

(ङ) सेना के लिए "पृथ्वी" नामक जमीन–से–जमीन पर मार करने वाले प्रक्षोपास्त्र को सेना में शामिल किया जा चुका है। "आकाश" और "नाग" नामक अन्य प्रक्षेपास्त्र विकास के अंतिम चरणों में हैं।

भूमिगत केबल बिछाने का ठेका प्रदान करना

2296. श्री रघुनाथ झा :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री तूफानी सरोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 2000 के "इंडियन एक्सप्रेस" "गवर्नमेंट कंट्रेक्ट फार फर्म अंडर लॉकआउट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी को उक्त ठेका देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अखबार में यह खबर छपी थी कि जब फर्म में ताला लगा था तब मैसर्स विक्टर केबल को ठेकी मनमानी ढंग से दे दिया गया और अब इससे रेलवे बोर्ड को 7.6 करोड़ रुपये का दूसरा आदेश देने में कोई कठिनाई नहीं थी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि समाचार की खबर वस्तुतः सही नहीं है। मैसर्स विक्टर केबल सिगनल केबलों की सप्लाई के लिए अ.अ.मा.सं. के अनुमोदित स्रोतों में थी और फर्म ने विगत में सफलता पूर्वक सिगनल केबल सप्लाई किए हैं। सिगनल केबल की निविदा पर विचार किया गया था और मौजूदा मानदंडों के अनुसार इसका निपटान किया गया था तथा इस निविदा के संबंध में केबल की सप्लाई करने के लिए ठेके, अ.अ.मा.सं. द्वारा अनुमोदित कुछ फर्मों को दिए गए थे। निविदा पर विचार करने के समय फर्म में ताला लगने के संबंध में कोई सूचना नहीं थी। तत्पश्चात् तथ्यों को निर्धारित करने के बाद प्रक्रिया के मुताबिक मैसर्स विक्टर केबल के आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

अमेरिकी सेना कमाण्डर का भारत दौरा

2297. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सेना कमाण्डर ने जनवरी, 2000 में पहली बार भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने 1990 में बनाए गए भारत–अमेरिका सैन्य संचालन दल के दुबारा कार्य करने की संभावना की चर्चा हेतु रक्षा मंत्री से चर्चा की;

(ग) अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में भारत को कितने शस्त्रादि देने का आश्वासन दिया है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) अमरीका के पैसिफिक कमान के कमांडर–इन–चीफ एडमिरल डेनिस सी ब्लेयर ने 9–12 जनवरी, 2000 तक भारत की यात्रा की। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उनकी बैठकों के दौरान अमरीकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने, भारत–अमरीका रक्षा नीति समूह तथा सैन्य अधिकारी संचालन समूहों की बैठकें, जो कि भारत द्वारा मई 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप निलंबित कर दी गई थी, पुनः आयोजित करने, भारत–अमरीका संबंधों के रक्षा से संबंधित पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम, पंजाब में अनियमितताएं

2298. डॉ. बलिराम :

कुंवर अखिलेश सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 से 1998 के दौरान भारतीय खाद्य निगम, पंजाब के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा घटिया किस्म के गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की बिक्री खुले बाजार में की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बिक्री के कारण भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुपर बाजार द्वारा बिक्री और खरीद केंद्रों का खोला जाना

2299. श्रीमती शीला गौतम : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने नए बिक्री केंद्र और खरीद केंद्र खोलकर देश के विभिन्न भागों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके पास देश के विभिन्न भागों में नए बिक्री केंद्र और खरीद केंद्र खोलकर अपने नेटवर्क का विस्तार करने की फिलहाल कोई स्कीम नहीं है। तथापि, सुपर बाजार ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के पूर्व में प्रयास किए थे। सुपर बाजार ने इस प्रयोजन के लिए स्थान के आबंटन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से भी संपर्क किया था। इस संबंध में किए गए प्रयास सफल नहीं हो पाए।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में विदेशी मुद्रा काउंटर का खोला जाना

2300. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक विदेशी मुद्रा काउंटर खोला है;

(ख) यदि हां, तो इस काउंटर पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऐसे काउंटर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। पाइलट परियोजना के रूप में नई दिल्ली स्टेशन में एक विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर खोला गया है। यह विदेशी मुद्रा विनिमय, यात्री चैक और यात्रा संबंधी अन्य कार्यों के लिए 24 घंटे सुविधा मुहैया कराता है। यदि यह उपयोगी सिद्ध हुई तो इस योजना को अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा।

रेलवे द्वारा एशियाई विकास बैंक से ऋण लेना

2301. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण लिया है, या लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण लिया गया है; और

(घ) ऋण वापसी के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। एशियाई विकास बैंक (ए. डी. बी.) ने विशिष्ट रेल परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए दो ऋण अर्थात् ऋण संख्या 857–इंड और ऋण संख्या–1140 इंड दिए हैं। ए डी बी के ऋण संख्या 857 इंड के तहत से 175 मिलियन अमरीकन डालर की राशि निकाली गई है और ए.डी.बी. के ऋण संख्या 1140 इंड के तहत 104 मिलियन अमरीकन डालर की राशि निकाली गई है।

इन दो ऋणों से निम्नलिखित परियोजनाएं वित्त पोषित की जा रही हैं :

ऋण संख्या 857-इंड

1. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) में विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तानांतरण सहित मै. ए.वी.बी. से 20 अदद 3 फेज उच्च अश्व शक्ति वाले माल रेल इंजनों की आपूर्ति।
2. चल गाड़ी रेडियो संचार।
3. उत्तर और पूर्व रेलवे के गाजियाबाद और गोमोह खंड के बीच कर्षण उप स्टेशनों की स्थापना।
4. उत्तर रेलवे के कानपुर और तुगलकाबाद में रेल इंजन सिमुलेटरों की स्थापना।

ऋण संख्या 1140-इंड

1. सोननगर–मुगल सराय के बीच तीसरी लाइन का निर्माण।
2. पूर्व रेलवे के पतरातू–सोननगर खंड का विद्युतीकरण।

3. बी ओ एक्स एन मालडिब्बों के कलपुर्जे

4. उपस्करों की खरीद :

(1) डायनेमिक ट्रेक स्टेबिलाइजर

(2) प्वाइंट्स और क्रॉसिंग टेम्पर्स;

(3) प्वाइंट्स और क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन;

(4) स्थैतिक कनवर्टर;

(5) शिरोपरि उपस्कर निरीक्षण कार;

(6) 8 पहिया टॉवर माल डिब्बे।

रेल क्षेत्र में विकास के लिए ए डी बी से एक नए ऋण के लिए विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(घ) दोनों ऋणों पर लगाए गए ब्याज की दर भिन्न–भिन्न है जो एशियाई विकास बैंक के अर्हता प्राप्त उधारों की लागत तथा अवधि से (वर्तमान में कुल का 5.72% वार्षिक) संबंधित है और निकाले ने गए ऋण शेष पर 0.75% की दर से वार्षिक वचनबद्धता प्रभार लगाया जाता है। ऋणों की अदायगी 5 वर्ष की आरंभिक छूट अवधि के बाद 20 वर्षों की अवधि में अर्द्ध वार्षिक आधार पर की जाती है। भारत सरकार इन ऋणों की कर्जदार है जिसकी धन राशि अतिरिक्त बजटीय सहायता के रूप में रेलों को दी जाती है।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजनाएं

2302. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री के. मुरलीधरन :

श्री ए. नरेन्द्र :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री ब्रजमोहन राम :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री विजय गोयल :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री जी.एम. बनातवाला :

श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल) :

श्री मानसिंह पटेल :

श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री आर. एस. पाटिल :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान मंजूरी के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्य–वार कितनी पर्यटन परियोजनाएं भेजी गई थीं;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत परियोजना और प्रत्येक ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) शेष परियोजनाओं को स्वीकृति न प्रदान किए जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकार/संघराज्य के परामर्श से, राज्यों/संघराज्यों में पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजना प्रस्ताव, राज्य/संघराज्य प्रशासनों द्वारा सभी कोडल औपचारिकताएं पूरा करने के पश्चात् स्वीकृत किए जाते हैं।

विवरण

(क) से (ख) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त, स्वीकृत और वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की सूची नीचे दिए गए अनुसार है :

(रुपए लाखों में

क्रम सं.	राज्य	1998–99			1999–2000 (29.2.2000 तक)		
		प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14	10	244.08	16	4	126.00
2.	असम	13	9	348.10	18	11	274.95
3.	अरुणाचल प्रदेश	13	4	178.30	5	3	56.27
4.	बिहार	8	8	183.31	14	3	71.65
5.	गोआ	17	14	328.98	12	8	167.00
6.	गुजरात	18	15	449.57	27	–	–
7.	हरियाणा	9	9	277.08	7	3	92.21
8.	हिमाचल प्रदेश	6	6	295.00	19	11	465.50
9.	जम्मू व कश्मीर	4	4	139.85	18	12	195.78
10.	कर्नाटक	16	12	399.82	21	9	288.52
11.	केरल	17	13	653.05	17	3	200.00
12.	मध्य प्रदेश	18	18	441.39	6	2	40.00
13.	महाराष्ट्र	19	17	483.77	30	16	458.98
14.	मणिपुर	9	9	99.48	11	9	249.44
15.	मेघालय	13	8	200.00	9	1	12.97
16.	मिजोरम	8	8	175.16	12	11	259.13
17.	नागालैण्ड	8	7	223.64	12	7	160.25
18.	उड़ीसा	4	4	170.60	21	15	196.76
19.	पंजाब	1	1	97.64	7	1	40.00
20.	राजस्थान	19	19	376.47	17	7	54.49

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	22	19	238.58	13	5	47.53
22.	तमिलनाडु	22	17	316.20	19	8	123.75
23.	त्रिपुरा	9	8	81.25	7	4	202.10
24.	उत्तर प्रदेश	31	31	876.96	47	18	476.70
25.	पश्चिम बंगाल	10	10	201.13	13	1	20.00
26.	अंडमान और निकोबार	5	4	162.50	1	1	32.37
27.	चंडीगढ़	2	2	47.91	4	1	40.00
28.	दादरा एवं नागर हवेली	5	2	20.00	4	–	–
29.	दिल्ली	7	7	132.70	1	1	4.50
30.	दमन व दीव	–	–	–	2	–	–
31.	लक्षद्वीप	3	1	29.50	6	–	–
32.	पांडिचेरी	4	2	15.00	9	7	166.89
	जोड़	354	298	7887.02	425	182	4524.44

पंचायती राज प्रणाली को लागू करना

2303. श्री रामजीवन सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां 1999 तक पंचायती राज प्रणाली को पूरी तरह लागू कर दिया गया है;

(ख) सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने उक्त प्रणाली को लागू नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बिहार में पंचायती राज प्रणाली के लागू होने की वर्तमान स्थिति और इस प्रयोजनार्थ आबंटित तथा व्यय की गई धनराशि की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) पंचायती राज प्रणाली अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर ऐसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जहां संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 लागू है। उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने अब तक संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप पंचायतों के चुनाव नहीं करवाए हैं।

(ख) ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20 प्रतिशत मजदूरी रोजगार धनराशि प्रोत्साहन के रूप में जारी करने का निर्णय किया गया है, जहां निर्वाचित और शक्तिसम्पन्न पंचायतें हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह धनराशि जारी नहीं की जाएगी जहां निर्वाचित/शक्तिसम्पन्न पंचायतें नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश, जहां पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं, को संविधान विधेयक के कारण इससे छूट दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

माल डिब्बों की कमी

2304. श्री जी.गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुन्दरी में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल ढोने वाले रेल माल डिब्बों की भारी कमी के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिलें की विभिन्न चावल मिलों में काफी मात्रा में चावल इकट्ठा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो चावल ढुलाई हेतु अधिक रैक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। राजामुन्द्री से भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के चावल के परिवहन के लिए मालडिब्बों की कोई कमी नहीं है। अप्रैल 1999 से फरवरी 2000 तक चावलों की ढुलाई के लिए राजामुन्द्री में 75 रेक की मांग थी। अपेक्षित संख्या में रेक सप्लाई किये गये थे। 1 मार्च; 2000 को राजामुन्द्री से भारतीय खाद्य निगम के चावल को ढोने के लिए रेलवे के लिए रेलवे के वैगन की कोई मांग लम्बित नहीं है।

नकली रेल टिकट का गिरोह

2305. श्री दिन्शा पटेल :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

डॉ. संजय पासवान :

श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में नकली रेल टिकटों का धन्धा करने वाले किसी बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेलों द्वारा हाल ही में दिल्ली में जाली रेल टिकटों का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है। बहरहाल, प्रेस में यह रिपोर्ट की गयी है कि जाली टिकटें बेचने वाले एक बड़े गिरोह को दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे 400 जाली टिकटें बरामद की गई हैं।

(ग) रेलों के वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो और पुलिस जैसी विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित और आकस्मिक जांचें की जाती हैं। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को पकड़ा जाता है और उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है जिसमें जनता को सलाह दी जाती है कि वे अप्राधिकृत श्रोतों से टिकटें न खरीदें।

तमिलनाडु को खाद्यान्नों का आबंटन

2306. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से और अधिक चीनी, चावल, गेहूं आदि के आबंटन का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग)

चीनी

तमिलनाडु सरकार ने नवम्बर–दिसम्बर, 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के मानदण्ड के प्रति अधिकतम 2 किलोग्राम प्रति कार्ड की शर्त के अध्यधीन 500 ग्राम प्रति व्यक्ति माह की दर से लगभग 156 लाख सभी पारिवारिक कार्डधारकों के लिए चीनी के वितरण हेतु मांग को पूरा करने के लिए उनके लेवी चीनी के मासिक आबंटन को 23,741 टन से बढ़ाकर 31,000 टन करने के लिए अनुरोध किया है। लेवी चीनी की कम उपलब्धता के कारण राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

धान और गेहूं

राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल का आबंटन किया जाता है। तमिलनाडु सरकार से चावल के मासिक आबंटन को 56,000 टन बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोध को स्वीकार किया गया था और राज्य को जुलाई, 1999 से अप्रैल, 2000 तक प्रत्येक माह 56,000 टन चावल का और अतिरिक्त आबंटन किया गया था।

तमिलनाडु सरकार से गेहूं के अधिक आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

चावल की खरीद में एकाधिकार

2307. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में चावल की खरीद में एकाधिकार जारी रखने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या इस आदेश के अनुसार किसानों को राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में चावल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को अनुमति दी है कि वह केवल कावेरी डेल्टा क्षेत्र में साम्बा, 2000 के लिए धान और चावल की एकाधिकार वसूली करे।

(ख) जी, हां। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 8 जिलों से बाहर धान/चावल के संचलन पर प्रतिबंध है। शेष जिलों के तालुकों में मुक्त संचलन है।

(ग) तमिलनाडु खाद्यान्न उत्पादन में कमी वाला राज्य है। एकाधिकार वसूली प्रणाली से तमिलनाडु सरकार किसानों को धान की वसूली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन देती है और कमजोर वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को चावल की आपूर्ति करती है।

(घ) कावेरी डेल्टा के 8 जिलों से धान/चावल का संचलन अन्य राज्यों को भी नहीं किया जा सकता। तथापि, चूंकि यह कमी वाला राज्य है इसलिए अन्य राज्यों पर इसका मामूली प्रभाव पड़ता है।

नई दिल्ली-कोयम्बटूर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उड़ान

2308. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संध्या काल में नई दिल्ली–कोयम्बटूर के लिये एक और उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चालू रेल परियोजनाएं

2309. श्री सुकदेव पासवान :

श्री कृष्णमराजू :

श्री नवल किशोर राय :

श्री राजो सिंह :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामसागर रावत :

श्री अशोक प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रेल परियोजनाओं और उनकी अनुमानित लागत का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) श्वेत–पत्र के प्रकाशन के बाद प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस हेतु कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है और वर्ष 2000–2001 के दौरान आबंटित परियोजनावार धनराशि कितनी है;

(घ) निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इससे परियोजना–वार कितनी लागत वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) चालू रेल परियोजनाओं का उनकी अनुमानित लागत सहित,

परियोजना–वार ब्यौरा, प्रत्येक की प्रगति, 2000–2001 के दौरान परियोजना–वार आबंटित धनराशि, इन परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) रेल परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। मौजूदा वर्ष (1999–2000) में जिन परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्हें पूरा करने में निर्धारित से अधिक समय लगा, विलम्ब के कारणों सहित उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

नई लाइन परियोजनाएं

काशीनगर–काकद्वीप नई लाइन	भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण जून, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
जारुरी–बांसपानी नई लाइन	भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण जून, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
कपडवंज–मोडासा नई लाइन	पटरियों की अनुपलब्धता के कारण जून, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

आमान परिवर्तन परियोजनाएं

काशीपुर–लालकुंआ	कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण 31.5.2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
मुदखेड–आदिलाबाद	इस परियोजना में विलंब हो गया है। कार्य बोल्ट के अंतर्गत किया जा रहा है और अब वित्त की समस्या, जिसका अब समाधान हो गया है, के कारण मार्च, 2001 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।
मैसुर–हसन लाइन पर लक्ष्मणतीर्थ पुल का डायवर्सन	यह परियोजना संविदागत समस्याओं के कारण विलंबित हो गई हैं और अब लगभग 1 वर्ष पश्चात् पूरी कर लिए जाने की संभावना है।
धांगध्रा–कुडा	यह परियोजना सहभागीदारों की ओर से धन की अनुपलब्धता के कारण विलंबित हो गई है। अब दिसम्बर, 2000 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
गांधीधाम–भुज	पटरियों के उपलब्ध न होने के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है। अब इसे जून, 2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

इन सभी परियोजनाओं को मार्च, 2000 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ महीनों का विलंब हो गया है। चूंकि सभी सामग्री की व्यवस्था कर ली गई थी और ठेके पहले ही दे दिए गए थे अतः इस कारण से लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

विवरण

चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	रेल बजट 2000-01 के अनुसार लागत	2000–01 के लिए बजट परिव्यय	1.4.2001 को बकाया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	हुबली–अंकोला	991.1	6.00	979.49	152 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष जून, 2000 तक पूरा कर लिया जायेगा। 86 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार

1	2	3	4	5	6
					को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा। 1.8 कि.मी. के लिए निविदायें आमंत्रित कर दी गई हैं जहां रेलवे भूमि उपलब्ध है। 1.8 कि.मी. की लंबाई जहां भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतर्ग्रस्त नहीं है, मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	नांगलडैम–तलवाड़ा और मुकेरिया–तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण	210	8.00	162.61	नांगलडैम से उना तक पहले चरण को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष भाग पर कार्य को चरणबद्ध आधार पर पूरा करने की योजना है। उना–चुरारु–तकराला (26 कि.मी.) भूमि (26 हेक्टेयर) जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के लिए शेष 300 हेक्टेयर भूमि 6 माह की अवधि में उपलब्ध हो जाने की संभावना है। इस समय 2 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
3.	पुनतांबा–शिरडी	30.22	1.00	29.22	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।
4.	बारामती–लोनांड	75	0.10	74.80	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
5.	पनवेल–करजत	106.89	14.00	74.86	9 खंडों में से 7 खंडों पर मिट्टी संबंधी कार्य और सभी पुलों का कार्य तथा 2.7 कि.मी. लम्बी सुरंग का कार्य भली–भांति प्रगति पर है।
6.	गडवाल–रायचूर	100.41	5.00	91.19	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा रहा है, भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।
7.	अहमदनगर–बीड–परली वैजनाथधाम	353.08	3.00	349.60	अहमदनगर छोर से 15 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अहमदनगर छोर से 15 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा। बीड में स्टेशन की इमारत का कार्य प्रगति पर है।
8.	कुट्टीपुरम–गुरुवायूर	90	0.10	89.44	इस कार्य को दोहरीकरण योजना शीर्ष से नई लाइन योजना शीर्ष में अंतरित कर दिया गया है। नई लाइन संबंधी कार्य के रूप में आवश्यक स्वीकृत प्राप्त होने के बाद शुरू किया जायेगा।
9.	कोट्टायम–इरुमेली	200	0.10	199.89	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।
10.	अंगमाली–सबरीमाला	550	1.00	544.00	स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण

1	2	3	4	5	6
					शुरू कर दिया गया है और इसे अप्रैल, 2000 तक पूरा कर लिया जायेगा।
11.	फतेहाबाद और बाह के रास्ते आगरा–इटावा	108	10.00	97.81	भंडाई छोर से 49 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
12.	दल्लीराजहरा–जगदलपुर	369	1.00	126.86	इस कार्य को 1995–96 से रेलवे बजट में शामिल किया गया है। बहरहाल, इन लाइन पर कार्य इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर किया जाना था। दल्ली राजहरा से रावघाट तक प्रथम चरण के कार्य की लागत पूर्णतया इस्पात मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। शेष लाइन के लिए स्टील आर्थेरिटी ऑफ इंडिया 7% ब्याज पर 75 करोड़ रुपए के वित्त की व्यवस्था कर रहा है और इसे मालभाड़ा रियायत के माध्यम से समायोजित किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपए की लागत की भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगी और शेष धनराशि की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जानी है। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। सेल को दल्ली राजहरा–रावघाट खंड पर कार्य शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए रेलवे के पास जमा कराने के लिए कहा गया है। जगदलपुर से रावघाट 140 कि.मी. में से 130 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
13.	इटावा–मैनपुरी	120	0.10	119.90	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
14.	ललितपुर–सतना और रीवा–सिंगरौली	925	5.00	919.48	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। ललितपुर छोर से 70 कि.मी. और महोवा छोर से 45 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
15.	करुर–सेलम	225.51	10.00	180.33	30% भूमि अधिगृहित कर ली गई है और 45 कि.मी. से अधिक पर कार्य प्रगति पर है।
16.	बेंगलूरु–सत्यमंगलम	225	0.10	222.90	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने और संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद ही भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तैयार किए जा सकते हैं।

1	2	3	4	5	6
17.	रामपुर–लालकुंआ–काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	10.77	1.00	9.72	संशोधित नक्शा अनुमोदन हेतु भूतल परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का कार्य आरंभ कर दिए जाने के बाद रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू किया जाएगा।
18.	बगहा–छितौनी मीटर लाइन	93.56	0.10	0.000	आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया गया है और लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। गंडक नदी पर रेल एवं सड़क पुल (200 फुट के 14 स्पैन) संबंधी कार्य मै. इरकॉन को सौंपा गया है, जो प्रगति पर है। इस कार्य को लगभग 2 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा।
19.	हासन–बेंगलूरू	408.56	9.00	354.09	हासन और श्रवणबेलगोला और बेंगलूरु से नीलमंगल के बीच भूमि उपलब्ध है। मिट्टी संबंधी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
20.	कडुर–चिकमंगलूर–सकलेशपुर	157	2.90	144.40	80 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। 2 पहुंच मार्गों पर कार्य प्रगति पर है और 80% कार्य पूरा कर लिया गया है।
21	कोट्टूर–हरिहर	120.29	1.00	119.12	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
22.	उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला	3230	100.00	2,914.91	इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना का वित्त पोषण रेलवे योजना से बाहर से किया जाना है। उधमपुर–कटरा खंड के लिए भूमि संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 0 से 9 कि.मी. तक 847 केनल में से 755 केनल प्राप्त हो गई हैं और 9 से 25 कि.मी. तक 4013 केनल माप की समूची भूमि अधिगृहित कर ली गई है। जहां कहीं राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई है वहां कार्य आरंभ कर दिया गया है। 0 से 25 कि.मी. के बीच सभी 7 खंडों में मिट्टी संबंधी ठेके प्रदान कर दिए गए हैं और अभी तक मिट्टी संबंधी कार्य की 30% प्रगति हो चुकी है। 8 बड़े पुलों में से 6 पुलों और 22 छोटे पुलों में से 4 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। इसमें 7 सुरंगें हैं जिसमें से सुरंग सं. 4 और 5 के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं। काजीगुंड–बारामूला खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। श्रीनगर स्टेशन के लिए भूमि पहले ही अधिगृहित कर ली गई है और यह कार्य इरकॉन को सौंपा गया है। पम्पोर और काकपोर खंडों के लिए भी भूमि अधिगृहित कर ली गई है।

1	2	3	4	5	6
23.	जम्मू तवी–उधमपुर	407.74	30.00	72.53	85 लाख घनमीटर में से 78 लाख घनमीटर के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 बड़े पुलों में से 23 पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है। 5 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है और एक अन्य बड़े पुल के लिए ठेका प्रदान कर दिया गया है। 122 छोटे पुलों में से 106 पुलों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। और शेष 6 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। गिट्टी की खरीद की व्यवस्था की जा रही है और कुल अपेक्षित 90,000 घनमीटर में से 75,000 घनमीटर के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। शेष के लिए निविदाओं संबंधी कार्रवाई की जा रही है। कार्य भली–भांति प्रगति कर रहा है। कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 2001 है।
24.	कालका–परवानू	23	4.00	17.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
25.	अमरावती–नरखेड	175.3	6.00	135.02	70% भूमि अधिगृहीत कर ली गई हैं। 27 में से 18 खंडों पर मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
26.	अंगुल–सुकिंडा रोड	144	23.00	81.57	अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और 30 कि.मी. के लिए यह कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। 8 बड़े पुलों के लिए मिट्टी की जांच संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और अन्य 3 बड़े पुलों के लिए कार्य प्रगति पर है।
27.	कटरा–फैजाबाद	71.53	10.00	34.94	कुल 142.46 एकड़ भूमि में से 116 एकड़ भूमि अधिगृहित कर ली गई है। 7.06 लाख घनमीटर में से 6.64 लाख घनमीटर के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। सरयू नदी पर पुल का कार्य आरंभ कर दिया गया है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
28.	पेद्दापल्ली–करीमनगर–निजामाबाद	264.14	20.00	204.90	इस कार्य को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में पेड्डापल्ली से करीमनगर तक का कार्य शुरू कर दिया गया है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। चरण–I का कार्य भली–भांति प्रगति कर रहा है और इसे 1999–2000 तक पूरा लिया जाएगा। करीमनगर और निजामाबाद के बीच

1	2	3	4	5	6
					दूसरे चरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। पहले चरण का कार्य पूरा होने के बाद इस चरण का कार्य आरंभ किया जाएगा।
29.	दौसा–गंगापुर	217.93	0.10	217.61	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। दौसा–बामनिया के प्रथम खंड पर 34 हेक्टेयर के प्रथम ब्लॉक खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
30.	ब्यास से डेराबाबा जयमल सिंह	4.78	0.10	3.10	समझौते पर हस्ताक्षर होने और डेरा प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
31.	अबोहर–फाजिल्का	72	0.10	71.90	योजना आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही कार्य आरंभ किया जा सकता है।
32.	चंडीगढ़–लुधियाना	248.4	30.00	208.23	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से 9.9.98 को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मोडिंदा तक प्रथम चरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद ही कार्य आरंभ किया जाएगा। प्रथम 7 कि.मी. भूमि जो संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में आती है, को इस लाइन के लिए निर्धारित कर दिया गया है और शीघ्र ही इसे रेलवे को अंतरित कर दिया जाएगा। संघ शासित क्षेत्र से भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 1.14 करोड़ रुपये जमा करा दिए गए हैं।
33.	हवड़ा–आमता	120	17.00	65.57	हवड़ा से बड़गछिया (24 कि.मी.) तक का कार्य पूरा हो जाने के बाद इस कार्य को रोक दिया गया था। माननीय संसद सदस्यों से पुरजोर मांग के कारण बड़गछिया से मुनशीरहाट (8 कि.मी.) तक के खंड के लिए कार्य वर्ष 1995–96 में पुनः चालू किया गया था। इस 8 कि.मी. पर कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसके जून, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
34.	एकलाखी–बालूरघाट	128	50.00	31.10	एकलाखी के गजोल (14 कि.मी.) तक प्रथम ब्लॉक खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पूरा होने वाला है और इस खंड पर तल्प तथा पुल तैयार है। गजोल से बुनियादपुर (14 से 28 कि.मी.) तक 11 कि.मी. के लिए भूमि टुकड़ों में प्राप्त कर ली गई है और शेष भूमि शीघ्र प्राप्त हो जाने की संभावना है। मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। 28 से 45 कि.मी. तक भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। 45

1	2	3	4	5	6
					कि.मी. से आगे भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया के लिए रेलवे ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है।
35.	तामलुक–दीघा	255	100.00	74.02	मिट्टी और छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। 37.5 से 47.7 कि.मी. और 50.9 से 77.9 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी किया जाना है। हल्दी पुल के लिए उप–संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को 2000–01 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
36.	लक्ष्मीकांतपुर–नामखाना	105.92	15.00	34.70	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है, पहला चरण लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप है। लक्ष्मीकांतपुर से काशीनगर (31 कि.मी.) तक का खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। काशीनगर से काकद्वीप (3.16 कि.मी.) के बीच कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, 2 कि.मी. भूमि अभी राज्य सरकार द्वारा सौंपी जानी है। चरण–I का कार्य जून, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा। काकद्वीप से नामखाना तक चरण–II के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा रहा है।
37.	गुना–इटावा	337.32	25.00	65.74	गुना–ग्वालियर और ग्वालियर–नोनेरा खंडों पर कार्य पूरा कर लिया गया है। नोनेरा और भिंड के बीच आमान परिवर्तन संबंधी अगले चरण का कार्य प्रगति पर है और नोनेरा–सोनी (27 कि.मी.) 1999–2000 में चालू हो जाएगा और सोनी–भिंड (23 कि.मी.) 2000–01 तक पूरा हो जाने की संभावना है। भिंड से इटावा तक इस चरण के अंतिम चरण के कार्य में चम्बा, कुंवारी और यमुना नदियों पर 3 बड़े पुलों का निर्माण शामिल है। यमुना नदी पर पुल का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है। इस कार्य को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा।
38.	तरनतारन–गोइंदवाल	37.15	1.30	31.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और अन्य प्रारंभिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। भूमि के नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
39.	देवगढ़–दुमका	180	1.00	176.99	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शों और कागजातों के प्रस्ताव किए जा रहे हैं।
40.	हरिदासपुर–पारादीप	301.63	1.00	284.12	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजातों को अंतिम रूप में दे दिया गया है और राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। भूमि

1	2	3	4	5	6
					अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
41.	खुर्दा रोड–बोलनगीर	700	14.50	675.22	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। 23 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
42.	लांजीगढ़ रोड–जूनागढ़	105.08	2.00	89.69	वन भूमि, जिसके लिए स्तर–I का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, को छोड़कर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। लांजीगढ़ से भवानीपटना तक प्रथम ब्लॉक खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर लिया गया है।
43.	दैतारी–बांसपानी	587.12	39.50	329.22	यह एक महत्त्वपूर्ण चालू परियोजना है। बांसपानी छोर पर 0 से 129 कि.मी. तक मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड में लगभग 106 कि.मी. पर तल्प टुकड़ों में तैयार है। 248 छोटे पुलों में से 190 पुलों पर कार्य पूरा कर लिया गया है और 16 बड़े पुलों पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। 0 से 58 कि.मी. के लिए अपेक्षित 1.75 लाख घनमीटर में से 1.48 लाख घनमीटर गिट्टियां एकत्रित कर ली गई हैं। 129 से 155 कि.मी. तक वन भूमि के अंतरण को स्वीकृति दे दी गई है और वृक्षों की कटाई का कार्य पूरा हो जाने के बाद इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लाइन का कार्य इस क्षेत्र में उद्भूत हो रहे इस्पात संयत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप दिसम्बर, 2003 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। बांसपानी से जरूरी (11 कि.मी.) तक प्रथम खंडा का कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।
44.	तालचेर–संभलपुर	443.93	8.00	9.08	इस परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।
45.	विश्रामपुर–अम्बिकापुर	58.3	5.00	47.89	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। निर्माण कार्य आरंभ किया जा रहा है।
46.	गोधरा–इंदौर देवास–मक्सी	597	10.00	565.90	इस कार्य को चरणों में शुरू किया जा रहा है देवास में मक्सी तक प्रथम चरण का कार्य अब प्रगति पर है। सभी 8 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है। सभी 49 छोटे पुलों पर कार्य कर लिया गया है। मिट्टी संबंधी और गिट्टी संबंधी और गिट्टी सप्लाई जैसे अन्य कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड का कार्य 9वीं योजना

1	2	3	4	5	6
					अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
47.	फतुआ–इस्लामपुर लाइन	49.5	12.10	22.40	इस्लामपुर और हिलसा के बीच मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए हैं। शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की जा रही है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
48.	राजगीर–हिसुआ–तिलैआ	49.5	2.00	33.33	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 20 कि.मी. खंड जिसमें 70 हेक्टेयर भूमि आती है, के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यह कार्य इरकॉन द्वारा निष्पादित किया जाएगा। राजगीर क्षेत्र में संरेखण के संबंध में पुरातन स्मारकों के आस–पास प्रतिबंधों के कारण पुनः विचार किया जा रहा है।
49.	कोडरमा–रांची	491.2	25.00	452.19	अपेक्षित क्लीयरेंस अब प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
50.	बोंगांव–पेट्रापोल	6.7	1.00	2.00	कार्य पूरा कर लिया गया है।
51.	काकिनाडा–कोटापल्ली	50.89	1.00	49.90	आवश्यक स्वीकृतियां अभी प्राप्त नही हुई हैं। राज्य सरकार को उखाड़ी गई लाइनों से प्राप्त भूमि जिस पर उनके द्वारा बड़ी संख्या में इमारतें बना ली गई हैं, के बदले निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी।
52.	दुमका के रास्ते मंदारहिल–रामपुरहाट	170.47	4.00	162.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार किए जा रहे हैं। मंदारहिल छोर से 20 कि.मी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।
53.	तारकेश्वर–विष्णुपुर	260	22.0	238.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
54.	बोगीबिल पुल	1000	5.00	990.00	राइट्स द्वारा विस्तृत जांच एवं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंण्डल समिति की स्वीकृति भी सिद्धांत रूप में प्राप्त हो गई हैं। चूंकि यह रेल एवं सड़क पुल संबंधी कार्य है, लागत में भागीदारी की व्यवस्था करनी होगी। राइट्स ने फील्ड सर्वेक्षण, भौगोलिक तकनीकी जांच, भूकंपिक अध्ययन आदि पूरे कर लिए हैं।

1	2	3	4	5	6
					हाइड्रोलिक मॉडल, यातायात, पुल के अभिकल्प, संरक्षण कार्य आदि प्रगति पर हैं। इस वर्ष के अंत में रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है। मॉडल अध्ययन सहित सर्वेक्षण कार्य पूरा होने और संरेखण निर्धारित होने तथा भूमि उपलब्ध हो जाने एवं आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
55.	मुनिराबाद–मेहबूबनगर	438.96	4.00	430.60	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 26 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
56.	देवगढ़–सुल्तानगंज	282	6.00	276.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारिण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
57.	मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी	100	0.10	98.79	32 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि के नक्शे और कागजात तैयार करने और अन्य प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। सीतामढ़ी यार्ड में एक कि.मी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा। 67.55 एकड़ भूमि पर भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
58.	गिरिडीह–कोडरमा	145	5.00	135.99	अपेक्षित क्लीयरेंस अब प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
59.	आरा–सासाराम	120	6.00	101.45	20 कि.मी. के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सासाराम तथा नोखा के बीच जिसमें 206 एकड़ भूमि शामिल है, खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। शेष भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। दोनों सिरों पर जहां भूमि उपलब्ध है, कार्य आरंभ कर दिया गया है।
60.	कोट्टापल्ली–नरसापुर	330	1.00	329.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
61.	खगड़िया–कुशेश्वरस्थान	78	0.10	76.79	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तथा कागजात तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 18.5 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
					खगड़िया यार्ड में मिट्टी संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।
62.	मचरेला–नालगोंडा	125.09	0.10	123.29	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
63.	गांधीनगर–अदरेज मोती–कलोल	52	2.00	50.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
64.	सकरी–हसनपुर	89.7	0.10	71.54	समूची लम्बाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और 667 एकड़ भूमि अधिगृहित कर ली गई है। सकरी छोर पर 7 कि.मी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
65.	गुलबर्गा–बीदर	242.42	2.10	238.62	आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध होने के बाद कार्य आरंभ कर दिया जाएगा।
66.	जोगीघोपा–गुवाहाटी	637	15.00	13.37	ब्रह्मपुत्र पुल और जोगीघोपा से कृष्णाई तक लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। कृष्णई से कामाख्या तक कार्य भली–भांति प्रगति कर रहा है और इस कार्य के मार्च, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
67.	हरमुती–इटानगर	156	10.00	135.97	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। अनुमान तैयार करने संबंधी और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
68.	दीफू–करोंग चरण–I	1600	15.00	1,574.71	9.9.98 को आयोजित आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य के लिए निविदा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
69.	दूधनोई–देपा	22.33	0.10	18.53	इस कार्य को वर्ष 1992–93 में स्वीकृत किया गया था। मेघालय सरकार ने स्थानीय जनता द्वारा विरोध के कारण इस

1	2	3	4	5	6
					परियोजना के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। इस लाइन के असम राज्य में आने वाले भाग को अधिगृहित करने में कोई समस्या नहीं होगी और मेघालय सरकार द्वारा भूमि सौंपने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की जाएगी। भूमि अधिग्रहण उपलब्ध होने के बाद ही इस परियोजना पर कार्य आरंभ किया जाएगा और भूमि उपलब्ध कराए जाने के 2 वर्ष के भीतर ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
70.	कुमारघाट–अगरतला	825	40.00	721.29	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। 929 एकड़ भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं जिसमें से 560 एकड़ भूमि सौंप दी गई है। अगरतला में कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अगरतला से 22 कि.मी. और कुमारघाट से 5 कि.मी. तक के खंड में मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। अन्य 15 कि.मी. के लिए ठेका दे दिया गया है। भूमि अब बड़े आमान की लाइन का निर्माण करता है इसलिए खंड में राइट्स द्वारा नए सिरे से अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसकी रिपोर्ट जून, 2000 तक प्राप्त होने की संभावना है। शेष खंड पर कार्य संरेखण को अंतिम रूप दिए जाने और भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।
71.	पटना–गंगा पुल	600	5.00	593.99	विस्तृत जांच और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण राइट्स द्वारा शुरू किया गया है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा मॉडल अध्ययन किया जा रहा है और इसके जून, 2000 तक पूरा होने की संभावना है जिसके बाद पुल के संरेखण और रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। पुल के अभिकल्प और संरेखण को अंतिम रूप देने के बाद लागत का अनुमान लगाया जाएगा और स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किया जाएगा।
72.	कोरापुट–रायगडा	475	8.00	0.00	कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
73.	रामगंजमंडी–भोपाल	425	1.00	424.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
74.	न्यू मैयनागुड़ी–जोगीघोपा	733	6.00	727.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
75.	काकीनाडा–पिथपुरम	41.66	0.10	41.56	वर्ष 1999–2000 के बजट में शामिल नई परियोजना। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
76.	कपडवंज–मोडासा	62.74	10.00	2.73	हालांकि यह वर्ष 1978–79 में एक स्वीकृत कार्य है लेकिन कई वर्षों तक बंद रहा। नडियाद और कपड़गंज जो स्वीकृत कार्य का भाग है, के बीच आमानपरिवर्तन कार्य वर्ष 1992–1993 में पूरा कर लिया गया था। नई लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 1994–95 में शुरू कर दिया गया था। अब यह कार्य प्रगति पर है और जून, 2000 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
77.	पुत्तापर्थी के रास्ते धर्मावरम–पेनुकोंडा	124.22	20.00	89.02	पेनुकोंडा से पुत्तापारती तक चरण–I का कार्य भली–भांति प्रगति पर है इसे मार्च, 2000 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। चरण–II का कार्य भी प्रगति पर है।
78.	दुर्राधा–महाराजगंज	3.57	0.10	3.13	अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त होने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।
79.	नांदयाल–येरागुंतला	164.36	2.00	159.49	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और पहले 23 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य आरंभ किया जाएगा। पेन्नार पुल (38×18.3 मी.) के लिए मिट्टी संबंधी जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है और पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
80.	अजमेर–पुष्कर	67	1.00	66.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है।
81.	मोनधैयर–गंगा पर रेलवे पुल	600	2.00	597.49	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा। सर्वेक्षण और विस्तृत जांच संबंधी कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
आमान परिवर्तन					
1.	विषुपुरम–पांडीचेरी	30	1.00	28.99	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
2.	त्रिचिरापल्ली–नागौर–कराइकल	138.11	3.00	53.96	त्रिची से तंजावूर तक के खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है और लाइन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

1	2	3	4	5	6
3.	गुंदूर गुंतकल और गुंतकल–कल्लरू	460.97	10.50	11.13	गुंदूर से गुंतकल तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। गुंतकल कल्लूरू लाइन का कार्य अभी शुरू किया जाना है। धर्मावरम–पकाला लाइन की स्वीकृति के बाद, जिसके लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति अभी प्राप्त करनी है, गुंतकल–पकाला लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य एक चरण में किया जाएगा। पेडेकाल्लू–गूटी तक नई लाइन बिछाने के भाग का कार्य भली–भांति प्रगति कर रहा है और इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
4.	मदुरै–रामेश्वरम	240	5.00	229.99	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। मिट्टी संबंधी और पुलों संबंधी कार्य शुरू किया गया है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
5.	धर्मावरम–पकाला	251.22	0.10	251.12	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
6.	डिंडिगुल–त्रिची	132.13	5.50	16.58	कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
7.	रुपसा–बंगारीपोसी	80	1.00	63.12	0 से 89 कि.मी. तक मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
8.	चेन्नई बीच–तिरुच्चिरापल्ली	722.99	35.50	80.28	मद्रास–त्रिची खंड पर कार्य पूरा कर लिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। एर्णाकुलम–चेंगलपट्टू खंड पर भी कार्य पूरा कर लिया गया है।
9.	नौपाडा–गुनुपुर	66.35	5.10	61.20	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
10.	सिंकदराबाद–द्रोणाचलम	343.73	5.00	4.28	आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
11.	काटपाडी–पकाला–तिरुपति	173.50	12.00	136.36	19 बड़े पुलों में से 15 पर कार्य पूरा कर लिया गया है और 4 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। समूचे खंड पर मिट्टी और गिट्टी सप्लाई संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य भली–भांति प्रगति कर रहा है और इसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
12.	श्रीगंगानगर–सरुपसर	68.71	0.10	68.62	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
13.	लूनी–बाड़मेर–मुनबाव	240	25.00	178.59	समूचे मार्ग पर मिट्टी और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है

1	2	3	4	5	6
					और इसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
14.	अजमेर–उदयपुर–चित्तौड़गढ़	445.38	10.00	425.91	उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच प्रथम चरण में कार्य प्रगति पर है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
15.	लूनी–मारवाड़ और जोधपुर–लूनी	111.13	0.10	0.89	कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
16.	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद	668.14	15.00	37.00	इस लाइन को 14.3.97 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। साबरमती और अहमदाबाद में यार्ड के ढांचे में परिवर्तन संबंधी कार्य प्रगति पर है। रेवाड़ी–दिल्ली II लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य सामग्री आशोधन के रूप में फुलेरा–अहमदाबाद आमान परिवर्तन का भाग है।
17.	वीरमगांव–जोधपुर, मिलड़ी–समदड़ी	185	5.50	175.14	इस कार्य को कांडला–भटिंडा रेल लिंक के भाग के रूप में वर्ष 1990–91 में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद जब वर्ष 1992–93 में दिल्ली–अहमदाबाद मार्ग पर कार्य शुरू किया गया तब इस मार्ग के आमान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रही। इस स्थिति में, इस परियोजना को बंद कर दिया गया। अब इस कार्य को पुनः चालू किया गया है ताकि इस खंड के कार्य को गांधीधाम–पालनपुर खंड के साथ ही पूरा कर लिया जाए और इस प्रकार कांडला से भटिंडा तक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा दिया जाए।
18.	विषुपुरम–काटपाडी	175	5.00	170.00	बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
19.	आरसीकेरे–हासन–मंगलौर	217.82	26.00	62.02	अरसिकेरे–हासन–सकलेश्पुर लाइन पर कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खेल दिया गया है। कनकांडे और कम्बाकापुट्टूर के बीच मिट्टी पुलों संबंधी गिट्टी एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर है।
20.	सुरेन्द्रनगर–भावनगर	536.11	53.00	468.09	आर्थिक मामलों संबंधी मत्रिमंडल समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजुला से पिपबाव तक नई लाइन के भाग के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए आंशिक तौर पर निजी वित्त पोषण के लिए रूपरेखा का पता लगाया जा रहा है। शिरोपरि उपस्कर क्रासिंग का कार्य आरंभ कर दिया गया है।
21.	ध्रांगध्रा–कुडा साइडिंग	13.27	0.10	0.00	इस कार्य को गुजरात सरकार तथा उद्योग मंत्रालय के साथ

1	2	3	4	5	6
					लागत में 1/3 की भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। यह कार्य प्रगति पर है और 2000–01 तक पूरा हो जाएगा।
22.	रेवाड़ी–सादुलपुर	197.76	0.10	197.66	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
23.	गांधीधाम–भुज	52	20.00	23.70	कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे 2000–01 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
24.	राजकोट–वेरावल	153.36	10.00	125.16	मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों तथा बड़े पुलों का सुदृढ़ करने करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं और ये प्रगति पर हैं। यह कार्य आने वाले वर्षों में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
25.	मिलड़ी–वीरमगाम	64.88	6.90	46.55	वीरमगाम और मेहसाणा के बीच कार्य प्रगति पर है और इसे संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
26.	कटिहार–जोगबनी (कटिहार राधिकापुर सहित)	257	10.00	247.00	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
27.	समस्तीपुर–खगड़िया	70	0.10	69.90	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
28.	जयनगर–दरभंगा–नरकटियागंज	233	8.00	221.45	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। 3 कि.मी. में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। जयनगर–दरभंगा खंड के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
29.	टोरी तक विस्तार सहित रांची–लोहारदगा	193.19	3.00	170.73	रांची–लोहारदगा खंड के चरण–I में मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। लोहारदगा–टोरी (चरण–II) खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और जून, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
30.	मानसी–सहरसा–फारबिसगंज चरण–I	64.5	3.00	40.99	कार्य प्रगति पर है। 23 कि.मी. में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। 13 छोटे पुलों में से 9 पुल पूरे हो गए हैं। 10 बड़े पुलों में से 1 पुल पूरा हो गया है। बागमती नदी पर 2 पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। 3 बड़े पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन पुलों को पूरा होने में 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा।

1	2	3	4	5	6
31.	हाजीपुर–बछवाड़ा	72.46	3.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
32.	नरकटियागंज–वाल्मीकिनगर	59	3.00	0.16	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
33.	न्यू जलपाईगुड़ी–सिलीगुड़ी	535.88	80.00	407.87	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। 150 कि.मी. में मिट्टी संबंधी तथा पुल संबंधी कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। 120 कि.मी. के अन्य खंड के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
34.	मुदखेड़–आदिलाबाद	117.96	2.00	108.39	यह कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत प्रगति है। ठेका शर्तों में अपेक्षित रियायतें दी गई हैं और धनराशि के बारे में परस्पर विचार–विमर्श किया जा रहा है। इस कार्य के 2000–01 में पूरा होने की संभावना है।
35.	नीमच–रतलाम	116.74	5.00	102.71	दीर्घकालीन मदों से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। इस कार्य के लिए आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यक्रम बनाया जाएगा और इसे पूरा किया जाएगा।
36.	लमडिंग–डिब्रूगढ़ शाखा लाइनों सहित	634.83	10.00	64.10	लमडिंग से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया–लेखापानी तक मुख्य लाइन और फरकेटिंग से मरियानी और सिमलगुड़ी–मोरनहाट शाखा लाइनों से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। माकुम–डांगरी और अंगूरी–तुली खंडों पर आमान परिवर्तन संबंधी कार्य प्रगति पर है और इसे आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
37.	लमडिंग–सिलचर	648	40.00	562.24	बड़ी लाइन की आवश्यकताओं के अनूरूप घाट खंड में मार्ग परिवर्तनों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण के नक्शे और कागजात तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। राइट्स ने पहले ही समूचे लंबाई के लिए पेपर संरेखण तैयार कर लिया है और संरेखण के निशानदेही का कार्य शुरू किया जा रहा है। बदरपुर और सिलचर (30 कि.मी.) के लिए मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है, जहां संरेखण में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है। लमडिंग से हातीकड़ी तक 25 कि.मी. की लंबाई से संबंधित कार्य भी शुरू किया गया है।
38.	कटखल–बैरामी	200	0.10	197.10	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
39.	वांकानेर–मलिया मियाना	82.48	30.00	33.06	कार्य अच्छी प्रगति पर है। मोरबी से मलिया मियाना और दहिंसरा–नवलाखी तक पहला चरण पूरा हो गया है। शेष खंड को 2000–01 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5	6
40.	हासपेट–हुबली–गोवा	56946	1.00	36.50	कार्य पूरा हो गया है।
41.	सिकंदराबाद–मुदखेड़ और जनकमपेट–बोधन	287.83	20.00	250.30	मुदखेड़–निजामाबाद (96 कि.मी.) तक पहले चरण का कार्य शुरू किया गया है। मिट्टी संबंधी, गिट्टियों की खरीद तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। यह चरण आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
42.	बेंगलूरू–हुबली–बिरुर–शिमोगा	450.90	2.00	51.62	बेंगलूरू से हुबली तथा बिरूर और शिमोगा के बीच की लाइन पर कार्य पूरा हो गया। शिमोगा–तालगुप्पा खंड पर कार्य प्रगति पर है और आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
43.	मिरज–लातरू	314.02	15.00	205.02	इस कार्य की प्रगति चरणों में की जा रही है। पहले चरण में कुर्डुवाडि से पंढारपुर का कार्य शुरू किया गया है और उसे 1999–2000 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। लातूर रोड–लातूर (42 कि.मी.) खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य पूरे होने वाले हैं।
44.	गोंदिया–चांदाफोर्ट	234.23	1.26	0.00	कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
45.	कोल्लम–तिरूनेलवेली–त्रिचंदूर और तेनकासी–विरुदुनगर	280	15.00	255.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। तेनकासी और पुनालूर के बीच घाट खंड पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
46.	मैसूर–चामराजनगर	175	0.10	174.89	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
47.	मैसूर–हसन	212.11	10.00	8.39	लक्ष्मण तीर्थ पुल को छोड़कर, जिसे परिवर्तित स्थान पर बनाया जा रहा है, यह कार्य पूरा हो गया है। यह पुल मार्च, 2001 तक पूरा हो जाएगा।
48.	जबलपुर–गोंदिया बालाघाट–कटंगी सहित	391.28	16.80	369.42	बालाघाट–कटंगी सहित गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जिसमें बड़े पुलों से संबंधित भू–तकनीकी जांच शामिल है। बालाघाट–जबलपुर खंड पर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। गोंदिया और बालाघाट के बीच संरचना कार्य, पुल संबंधी कार्य तथा गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
49.	सोलापुर–गदग	265.77	10.00	133.82	यह कार्य चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। सोलापुर–होतगी और होतगी से बीजापुर तक कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है, जिसे आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5	6
50.	मथुरा–अछनेरा	33.67	1.00	32.57	इस कार्य को कानपुर–कासगंज–मथुरा खंड के साथ–साथ करने की योजना बनाई गई है और इसे आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।
51.	यशवंतपुर–सेलम	183.38	0.10	7.50	सेलम से बायपनहल्ली तक कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
52.	तंजावूर–विषुपुरम मुख्य लाइन	223	10.00	202.99	इस कार्य को अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
53.	न्यू गुवाहाटी–लमडिंग	194	0.20	0.13	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू किया गया है।
54.	मुजफ्फरपुर–रक्सौल	96.71	2.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू किया गया है। बीरगंज से रक्सौल खंड का कार्य, जो सामग्री आशोधन के रूप में स्वीकृत है, प्रगति पर है और इसे 2000–01 में पूरा कर लिया जाएगा।
55.	मऊ–शाहगंज	56	0.10	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू किया गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
56.	छपरा–औंड़िहार	167.79	0.10	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू किया गया है। वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं।
57.	फुलेरा–जोधपुर–पिपाड़रोड़–बिलारा	45.66	0.10	44.71	फुलेरा–जोधपुर खंड का कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया दिया गया है। पिपाड़ रोड से बिलारा तक शेष खंड का कार्य सामग्री आशोधन के रूप में स्वीकृत है। इस खंड पर बहुत कम थातायात होने के कारण इसकी निम्न परिचालनिक प्राथमिकता की वजह से इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा।
58.	सगौली–नरकटियागंज	64.22	0.10	7.69	कार्य पूरा हो गया है। इसे बंद करने के लिए वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
59.	कुड्डालूर–सेलम बरास्ता वृद्धाचलम	198.68	1.00	98.33	यह नया कार्य है जिसे 1999–2000 के बजट में शामिल किया गया है और इसे आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
60.	येलहंका–चिकबल्लापुर और कोलार–बंगारपेट	64.69	0.10	5.93	यह स्वीकृत कार्य है और पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
61.	बांकुड़ा–दामोदर रिवर परियोजना	100	40.00	56.99	इस कार्य को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति मिल गई है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं। एक ब्लाक खंड के अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

1	2	3	4	5	6
62.	गांधीधाम–पालनपुर	337.79	3.00	324.79	यह नया कार्य है जिसे 1998–99 के बजट में शामिल किया गया है और इसे आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
63.	आगरा–बांदीकुई	169.3	9.00	155.42	इस कार्य को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
64.	त्रिची–मानमदुरै	175	7.00	168.00	नया कार्य है जिसे बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
65.	अकोला–पूर्णा	228	10.00	218.00	नया कार्य है जिसे बजट में शामिल किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
66.	खड्डा–गोरखपुर	91.30	1.00	9.32	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
67.	काशीपुर–लालकुंआ	51.88	9.98	0.00	कार्य अच्छी प्रगति पर है और मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
68.	कानपुर–कासगंज–मथुरा	514.04	26.00	449.89	मिट्टी संबंधी 12.2 में से 8.99 लाख पूरा हो गया है। 460 छोटे पुलों में से 106 पुल पूरे हो गए हैं। इस कार्य को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
69.	गोंडा–बहराइच–सीतापुर–लखनऊ चरण–I	48	0.10	47.90	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
70.	इंदारा–फेफना	35	0.10	0.94	कार्य पूरा हो गया है और शुरू कर दिया गया है। अवशिष्ट कार्य पूरे होने वाले हैं।
71.	कप्तानगंज–थावे–सिवान–छपरा	268	0.10	267.90	यह नया कार्य है जिसे 1999–2000 के बजट में शामिल किया गया है और इसे आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
72.	समस्तीपुर–दरभंगा	41.54	0.10	5.88	कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय समायोजन किया जा रहा है।
73.	गोंडा–गोरखपुर आनंदनगर–नौतनवा लूप लाइन सहित	250	0.10	249.90	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
दोहरीकरण					
1.	दयाबस्ती–ग्रेड सेप्रेटर	25.48	5.00	19.98	यह 1999–2000 के बजट का नया कार्य है। विस्तृत नक्शे तैयार किए जा रहे हैं।
2.	दिवा–कल्याण पांचवीं–छठी लाइन का दोहरीकरण	47.70	13.00	34.20	यह 1999–2000 के बजट का नया कार्य है। दिवा–डोंगीवली और डोंगीवली–कल्याण के बीच मिट्टी संबंधी कार्य 2000–01 में शुरू किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6
3.	पुनपुन–तरेगना (पटना–गया)	42.53	1.00	36.53	यह नया कार्य है जिसे 1999–2000 के बजट में शामिल किया गया है। इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
4.	अमरोहा–मुरादाबाद	49	5.00	43.00	1999–2000 का नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
5.	छपरा–हाजीपुर	49.64	0.10	48.54	1999–2000 का नया कार्य है और इसे अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।
6.	बेंगलूरू–कंगेरी विद्युतीकरण सहित	20.72	0.10	19.93	कार्य की निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया।
7.	सेवाग्राम–चितोड़ा	12.60	1.20	0.00	मिट्टी तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूर हो गये हैं। गिट्टी आपूर्ति, निर्माण कार्य तथा रेलपथ जोड़ने से संबंधित कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 31.3.2000 तक पूरा हो जाएगा।
8.	मथुरा–भूतेश्वर	4.25	3.50	0.25	यह 1999–2000 का एक नया कार्य है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिये गये हैं। मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। यह कार्य 2000–2001 में पूरा किया जाएगा।
9.	अट्टीपट्टु–कोरूक्कुपेट्टै	40	10.00	29.50	1999–2000 का नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
10.	कंगेरी–रामनगरम	45	0.10	44.82	कार्य की निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण फिलहाल इसे रोक दिया गया।
11.	कोटा–गुर्ला चंबल पुल	11.70	0.10	0.00	यह कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
12.	बेंगलूरू सिटी–कृष्णराजपुरम	85	0.10	84.89	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।
13.	व्हाइटफील्ड–कुप्पम	104.93	4.00	25.77	कार्य प्रगति पर है और व्हाइटफील्ड से बंगारपेट तक पहला चरण पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। बंगारपेट से कुप्पम तक के कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
14.	नई दिल्ली–तिलक ब्रिज पांचवीं और छठी लाइन	36	10.00	24.00	प्रारंभिक कार्य शुरू किए गये हैं।
15.	निशातपुरा ए और डी केबिन	3.57	0.10	0.00	यह कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
16.	बोलपुर–अहमदपुर	49	1.80	47.20	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
17.	मानिकपुर–चौकी मानिकपुर–कातायदंडी दोहरीकरण का चरण–I	48	1.00	47.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
18.	अमरोहा–कंकाठेर	48	1.00	47.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रह है।
19.	सूरत–कोसम्बा वडोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन का चरण–I	49	1.00	48.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
20.	विजयवाड़ा–कृष्णा कैनाल तीसरी लाइन	44.31	14.00	12.84	अनुमान स्वीकृति कर दिये गये हैं। कृष्णा नदी की उपसंरचना पर दूसरे रेलपथ की व्यवस्था करके कृष्णा कैनाल और विजयवाड़ा के बीच तीसरी लाइन का प्रस्ताव है। इसके लिए अधि संरचना संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मिट्टी तथा अन्य बड़े पुलों के लिए भी निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
21.	विकाराबाद–तांदूर (वाडी–सिंकदराबाद खंड)	90.56	1.00	7.38	यह कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
22.	गुडूर–रेणिगुंटा	142.55	17.00	109.96	4 ब्लाक खंडों, 2 गुडूर छोर से और 2 रेणिगुंटा छोर से, के छोटे पुलों के मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्य को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। 25 कि.मी. कार्य के 2000–2001 में हो जाने की संभावना है।
23.	गजपतिनगरम–विजयानगरम	41.92	1.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
24.	गूटी–रेणिगुंटा खंड बल्लीपल्ली–पुल्लमपेट खंड का दोहरीकरण	48	1.00	47.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
25.	पनवेल–जसई जेएनपीटी	48	1.00	47.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। विस्तृत योजना बनायी गई है।
26.	जाफराबाद–उतरेतिया चरण–II जाफराबाद–श्रीकृष्णानगर)	48	1.00	47.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
27.	जरवल रोड–बुढवल (कहीं–कहीं दोहरीकरण)	23.8	1.00	22.80	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
28.	सोननगर–मुगलसराय	241	38.00	1.00	इस परियोजना का आंशिक रूप में वित्त पोषण एशियन विकास बैंक के ऋण में से किया गया है। यह कार्य अच्छी प्रगति पर है। 16 ब्लाक खंडों में से 8 ब्लाक खंड शुरू कर दिये गये हैं जिनकी लंबाई 46 कि.मी. है। समूचा कार्य जून 2000 तक पूरा हो जाएगा।
29.	कालीनारायणपुर–कृष्णनगर	40	5.00	35.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
30.	कर्पूरीग्राम–सिहो	32.67	0.10	31.14	1999–2000 का नया कार्य है। इस कर्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
31.	खोरघा रोड–पुरी चरण–I (खोरधा रोड–देलंग)	48	5.00	43.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
32.	पांसकुरा–हल्दिया चरण–I (पांसकुरा–राजगौडा)	48	2.00	46.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
33.	तारकेश्वर–शेवडाफुली चरण–I (शेवाडाफली नालीकुल)	41	2.00	39.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
34.	बरूईपुर–लक्ष्मीकांतपुर चरण–I (बरूईपुर–दक्षिणी बारासात)	49	5.00	44.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
35.	सोनारपुर कैनिंग चरण–I (सोनारपुर–घुटियारी शरीफ)	36	6.00	30.00	1999–2000 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
36.	रजतगढ–बारंग	166.16	0.10	166.05	बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद यह कार्य शुरू कर दिया गया है।
37.	हॉसपेट–गुंतकल (आमान परिवर्तन)	154.14	1.00	135.56	अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो गया है और अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। मिट्टी, छोटे पुलों तथा गिट्टी संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। अभी लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।
38.	एर्णाकुलम–एर्णाकुलम विज्यास यार्ड	3.16	2.66	0.00	इस कार्य को 1999–2000 के बजट में शामिल किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6
39.	कालीकट–मंगलोर	454.95	97.10	144.10	मंगलोर से कुट्टीपुरम खंड के दोहरीकरण का कार्य एक स्वीकृत परियोजना है। प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह भी विनिश्चय किया गया है कि इस लाइन को कुट्टीपुरम से आगे शोरवण्णूर तक दोहरीकृत किया जाये। कार्य अच्छी प्रगति पर है। 8 ब्लाक खंड (77 कि.मी.) पूरे कर लिए गये हैं। अन्य 65 कि.मी. को 2000–2001 में पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य के 3–4 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
40.	पटना–परसाबाजार (पटना–गया, चरण–I)	9.97	2.00	0.00	मिट्टी संबंधी कार्य पूरा होने वाले हैं और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
41.	परसाबाजार–पुनपुन (पटना–गया, चरण–II)	7	2.80	3.60	योजना और अनुमान तैयार कर लिए गये हैं। इस कार्य को शुरू किया जा रहा है।
42.	गोइलकेरा–मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर–बोंडामुंडा खंड)	186.91	10.00	174.23	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण योजना और अन्य कागजात तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। मनोहरपुर में रेल भूमि पर कार्य शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने के बाद अन्य खंडों पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
43.	बारासात–हसनाबाद विद्युतीकरण के साथ–साथ दोहरीकरण चरण–I (बारासात–सोन्दलिया)	27	5.00	22.00	यह बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
44.	तालचेर–कटक–पाराद्वीप (महानदी और विरूपा पर दूसरा पुल)	104.15	10.00	81.87	बिरूपा पुल पर भूमि की जांच तथा विस्तृत डिजाइन संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और आरेखण तैयार किए जा रहे हैं। पुल के कार्य निष्पादन के लिए पूर्वअर्हता निविदा आमंत्रित की गयी और मैसर्स इरकॉन, बिरूपा पुल के लिए अर्हक पाये गये हैं और महानदी पुल के संबंध में भी उन पर विचार किया जा रहा है। महानदी के लिए अभिकल्प तथा आरेखण निर्धारण करने हेतु परामर्शक निर्धारित किए गए हैं और विस्तृत अभिकल्प संबंधी कार्य प्रगति पर है। अभिकल्प को अंतिम रूप दिये जाने के बाद पुल के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
45.	बिलासपुर–उरकुरा	151.52	14.00	132.30	इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
46.	सरोना–भिलाई तीसरी	47.68	10.00	24.17	मिट्टी तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
	लाइन				महत्त्वपूर्ण बड़े पुल खरूम के लिए स्थान जांच संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
47.	कालापीपल–फांदा/ मकसी भोपाल	53	0.10	52.89	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी के कारण इस कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
48.	बोलाई–कालीसिंध–किसोनी–बेड़छा	49.28	16.00	5.00	4 ब्लाक खंडों पर कार्य प्रगति पर है और इसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है। मकसी–पीरउमरोद और बोलाई–कालीसिंध खंड पूरे हो गये हैं।
49.	चंदनपुर–गुरूप तीसरी लाइन	23.82	10.00	0.00	कार्य प्रगति पर है और चेराग्राम–गुरूप (5 कि.मी.) मार्च 2000 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्य को 2000–2001 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
50.	गुरूप–शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	41.53	10.00	27.42	नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्य की सापेक्ष प्राथमिकता निम्न है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
51.	कुट्टीपुरम–कालीकट	63.28	25.00	5.02	मंगलोर से कुट्टीपुरम खंड के दोहरीकरण का कार्य एक स्वीकृत परियोजना है। प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह भी विनिश्चय किया गया है कि इस लाइन को कुट्टीपुरम से आगे शोरवण्णूर तक दोहरीकृत किया जाये। कार्य अच्छी प्रगति पर है। 8 ब्लाक खंड (77 कि.मी.) पूरे कर लिए गये हैं। अन्य 65 कि.मी. को 2000–2001 में पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य के 3–4 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
52.	बजबज–आकरा चरण–I	10.37	5.00	0.00	अकरा–नुंगी तथा नुंगी–बजबज खंड इस वित्त वर्ष में पूरे हो जाएंगे।
53.	यशवंतपुर–तुमकुर	80	5.00	73.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। इस कार्य को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण सहित सभी प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
54.	झापटेरढाल–गुसकारा चरण-II	11.46	0.33	0.67	झापटेरढाल–बोनपास (5.4 कि.मी.) तथा बोनपास नक्धंढाल (5 कि.मी.) 2 ब्लाक खंड पूरे कर लिए गए हैं। शेष खंड पर कार्य मार्च 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा।
55.	रजतगढ़–नरगुंडी	72.67	1.00	3.38	रजनगढ़ से सालेगांव तक का खंड पूरा हो गया है। 4 कि.मी. के शेष खंड पर एक फ्लाइओवर है जो दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाये।

1	2	3	4	5	6
56.	खाना–सैथिया चरण–I	12.07	1.00	0.00	पहले यह कार्य अदालती मुकदमें तथा संविदागत समस्याओं के कारण तथा बाद में डीवीसी द्वारा अधिक पानी छोड़ने के कारण रुक गया था जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ आ गयी थी। अब इस कार्य के दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है जिसमें खाना में एक फ्लाईओवर भी शामिल है।
57.	कोरबा–सरगबुंदिया	32.13	1.00	2.20	कोरबा–उर्गा (6.5 कि.मी.) पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है और यह मार्च 2000 तक पूरा हो जाएगा।
58.	रघुनाथपुर–रहामा	72.93	9.00	8.13	गोरखनाथ से रहामा तक का खंड पूरा हो गया है और चक्रवात के कारण प्रभावित होने की वजह से रघुनाथपुर से गोरखनाथ तक का खंड शीघ्र ही पूरा हो जाएगा।
59.	न्यू अलीपुर–अकरा चरण–I	16.17	10.00	4.17	नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्य की सापेक्ष प्राथमिकता निम्न होने के कारण संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। निविदा संबंधी प्रलेख तैयार किए जा रहे हैं।
60.	टिटलागढ़–लांजीगढ़	112.65	15.00	80.48	नक्शे और अनुमान तैयार करने तथा भूमि अधिग्रहण योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। 3 खंडों तथा एक बड़े पुल के लिए मिट्टी संबंधी कार्यों हेतु निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
61.	रहामा–पारादीप	41.84	24.00	0.68	नक्शे और अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में कार्यवाही की जा रही है और 5 गांवों के भूमि अधिग्रहण संबंधी कागज़ात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
62.	नेरगुंडी–कटक–रघुनाथपुर	119.83	30.00	49.55	नक्शे और अनुमान तैयार करने तथा भूमि अधिग्रहण योजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। नेरगुंडी–कटक खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और यहां किसी भूमि की आवश्यकता नहीं है। भूमि की आवश्यकता केवल रघुनाथपुर–कटक खंड पर है। केंद्रपाडा रोड यार्ड में पुल तथा मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किए गये। अन्य खंडों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
63.	साहिबगंज–न्यू फरक्का–मालदा	62.35	1.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
64.	जालंधर–पठानकोट–जम्मू तवी	486	5.10	475.90	इस कार्य को अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
65.	गोरखपुर–सहजनवा	61.51	0.10	61.39	कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
66.	गोंडा–जरवल रोड	60.69	15.00	26.12	कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी 85% कार्य तथा 33 छोटे पुलों में से 31 पुलों का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2 पुलों का कार्य प्रगति पर है। सभी 8 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है। मैजापुर से जरवल रोड तक 27 कि.मी. के खंड के 2000–2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
67.	गाजियाबाद–(हापुड़) मुरादाबाद फेज–II	69.66	18.00	19.31	गाजियाबाद–महरौली (7 कि.मी.) तक के पहले ब्लाक खंड का कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। समूचे खंड पर कार्य प्रगति पर है। महरौली–डासना (8 कि.मी.) खंड के मार्च 2000 तक और शेष खंड के मार्च 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
68.	मुरादनगर–मरेठ	62.48	15.00	16.48	मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। बड़े पुलों से संबंधित कार्य पूरा हो गया है। मुरादनगर से प्रतापपुर तक 18 कि.मी. भाग के 2000–2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
69.	कानपुर–पनकी तीसरी लाइन	34.03	10.00	8.18	मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। फ्लाईओवर के 76.2 मी. गर्डरों का निर्माण मनमाड कारखाने में किया जा रहा है। इस कार्य के दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
70.	टूण्डला–यमुना पुल	35.95	7.00	5.24	टूण्डला–एत्मादपुर खंड तथा फ्लाईओवर से संबंधित कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों संबंधित कार्य पूरे हो गये हैं। फ्लाईओवर सहित टूण्डला–एत्मादपुर खंड का कार्य दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।
71.	इरूगुर–कोयम्बतूर	25.1	1.00	22.49	इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के लिए व्यापक योजना भी बनाई जा रही है। इस कार्य को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया जाएगा और इसे पूरा किया जाएगा।
72.	चंपा–सरगबुंदिया	56.55	3.00	21.79	कार्य प्रगति पर है और सरगबुंदिया–काठरी रोड–बोलपुर (15 कि.मी.) खंड सहित 15 कि.मी. के इन ब्लॉक खंडों का कार्य 1999–2000 के दौरान पूरा हो जाएगा।
73.	दौंड–भिगवन	40	5.00	5.00	कार्य अच्छी प्रगति पर है और मार्च 2000 तक पूरा हो जाएगा।

1	2	3	4	5	6
74.	अकलतारा–चंपा	53.6	1.00	1.40	अकलतारा–नैला (16 कि.मी.) पूरा हो गया है। हसदेव पुल, जो जून 2001 में पूरा हो जाएगा, को छोड़कर नैला–हसदेव (7 कि.मी.) पूरा हो गया है। इसे चालू करने के लिए सी.आर.एस. की स्वीकृति की प्रतीक्षा है जो बोर्ड द्वारा ग्रेड अतिक्रमणों को माफ कर देने के बाद प्राप्त होगी।
75.	गुसकारा–बोलपुर चरण–II	28.02	7.00	0.77	कार्य प्रगति पर है। गुसकारा से पिचकरी ढाल (5.5 कि.मी.) तक खंड पूरा हो गया है और शेष खंड 2000–2001 में पूरा हो जाएगा।
76.	दिवा–पनवेल	63	3.40	0.00	कार्य पूरा हो गया है।
77.	पनवेल–रोहा –भूमि अधिग्रहण	4.10	1.41	0.00	भूमि अधिग्रहण का कार्य 1999–2000 में पूरा हो जाने की संभावना है।
78.	कोरबा–गेवरा रोड	29.39	10.00	15.35	पुल तथा संरचना संबंधी कार्य शुरू किए गये हैं।
79.	उरकुरा–रायपुर–सरोना	31.05	5.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया हैं।
80.	हेतमपुर–घेर–इकहरी लाइन	44	1.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है।
81.	उतरेतिया–चंद्रोली और सुल्तानपुर–बंधुआ कलां	47.12	10.00	32.03	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत अनुमान तैयार कर दिए गये है। नक्शों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शुरू किया जा रहा है।
82.	किशनगंज–दलकोल्हा	43.73	15.00	0.00	किशनगंज–हटवार–कनकी (14 कि.मी.) तक के दो ब्लाक खंड शुरू कर दिये गये हैं और शेष खंड दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाएगा।
83.	अलुआवाडी रोड–किशनगंज	49.3	5.00	0.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।
84.	कोल्लम–त्रिवेन्द्रम	145.17	12.00	14.09	कार्य अच्छी प्रगति पर है और यह 31.3.2000 तक पूरा हो जाएगा।
85.	दिवा–वसई	133.99	20.00	13.29	पहले चरण में वसई रोड से कमान तक 11 कि.मी. पूरा हो गया है और कमान से भिवंडी तक 17 कि.मी. को मार्च 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भिवंडी से दिवा खंड को मार्च 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि अतिक्रमण हटा दिये जाएं और संसाधन उपलब्ध हों।
महानगर परिवहन परियोजना					
1.	विरार–दहानू रोड–ईएमयू गाड़ियां शुरू करने के	25.82	0.10	25.81	

	लिए सुविधाओं का विकास और दादर में टर्मिनल संबंधी सुविधाएं				
2.	राणाघाट–गेडे विद्युतीकरण	32.35	15.00	1.05	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिये गये हैं। राणाघाट–बगुला खंड पर सिरोपरि उपस्कर संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं सिवाय तार संबंधी कार्यों, सिविल इंजीनियरी और सिगनल तथा दूरसंचार कार्यों के जो प्रगति पर हैं।
3.	चैन्नै बीच–चेंगलपटटू आमान परिवर्तन	455.22	20.00	196.82	रेलवे ने विस्तृत अनुमान आंशिक रूप से स्वीकृति हेतु बोर्ड को प्रस्तुत कर दिये हैं।
4.	हसनाबाद–बारासत विद्युतीकरण	37.70	25.00	8.20	विस्तृत अनुमान अगस्त, 1999 में स्वीकृत कर दिए हैं। सिरोपरि उपस्करों तथा अवसंरचना संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
5.	बेलापुर–पनवेल दोहरीकरण	280.31	7.00	8.45	वास्तविक प्रगति 42% है। सिडको की वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस कार्य को निर्धारित तिथि के भीतर पूरा करने में सिडको पीछे रह गया है। स्टेशन संबंधी सुविधाओं में कटौती करके इस परियोजना को लक्ष्य तिथि के भीतर पूरा किया जा सकता है।
6.	चेन्नै बीच–लुज (अब तिरूमैलई) चरण–I द्रुत परिवहन प्रणाली	268.87	5.00	4.05	चालू कर दिया गया है।
7.	विरार–दहानू रोड में स्वचल सिगनल व्यवस्था	27.19	6.99	8.14	विस्तृत अनुमान दिसंबर 1998 में स्वीकृत किए गए हैं। कार्य समयानुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा है।
8.	बोरीवल और विरार के बीच चौहरीकरण	401.66	30.00	328.62	मूल रूप से बोल्ट योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इस कार्य को 1998 में इस योजना से हटा लिया गया था। मिट्टी संबंधी कार्य तथा छोटे और बड़े पुलों और क्वार्टरों के निर्माण सं संबंधित कार्य प्रगति पर है। महत्त्वपूर्ण पुल सं. 73 और 75 के लिए परामर्शक कार्यों के लिए निविदाएं दे दी गई हैं और कार्य निष्पादन रूप देने की कार्रवाई की जा रही है।
9.	सांताक्रूज–बोरीवली 5वीं लाइन	82.42	12.00	8.96	कार्य की वास्तविक प्रगति 75% है। अप्राधिकृत अतिक्रमणों को हटाने में हुए विलंब के कारण कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। सामग्री आशोधन के रूप में एफसीआई साइडिंग के लिए पृथक लाइन सहित 82.42 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान अनुमोदित किया गया है। सांताक्रूज से अंधेरी तक के पहले ब्लाक खंड तक के पहले 31.3.2000 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

1	2	3	4	5	6
10.	थाणे–मुंबरा पांचवीं और छठी लाइन	49.34	0.10	49.24	कार्य की प्रगति 42 प्रतिशत है। रेलवे भूमि के भारी अतिक्रमण के कारण और निर्मित अवसंरचना के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य की प्रगति रुक गई है।
11.	कुर्ला–थाणे पांचवीं एवं छठी लाइन (चरण-I)	97.39	14.00	29.20	कार्य की प्रगति 42 प्रतिशत है। रेलवे भूमि के भारी अतिक्रमण के कारण और निर्मित अवसंरचना के अधिग्रहण में विलंब के कारण कार्य की प्रगति रुक गई है।
12.	सीवुड–उरान विद्युतीकृत लाइन	495.44	12.00	141.99	सिडको को पेश आ रही वित्तीय तंगियों के कारण कार्य दो भागों में बांटा गया है। पहले चरण में बेलापुर–सीवुड–उरान खंड में एकल लाइन का निर्माण मार्च, 2003 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है, बशर्ते कि सिडको से निधियां उपलब्ध हों।
13.	थाणे–तुरभे–नेरूल/ वासी नवी मुंबई में गलियारा सं. 2 का भाग	403.39	7.90	40.40	वास्तविक प्रगति 36 प्रतिशत है। सिडको निष्पादित किये जाने वाले कार्य में पेश आ रही वित्तीय तंगियों के कारण अनुसूची से पिछड़ रही है। स्टेशन सुविधाओं में कटौती करके परियोजना लक्ष्य समय के भीतर शुरू किया जा सकता है परंतु थाणे (पूर्व) में भूमि के अधिग्रहण में विलंब हुआ जिसके कारण परियोजना में विलंब होने की संभावना है।
14.	थिरूमल्ली से वेल्लाचेरी तक द्रुत परिवहन प्रणाली चरण-2	705.5	35.00	108.11	विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए जा रहे हैं। तीन भागों में 177.6 करोड़ रुपए की राशि का अनुमान पहले ही स्वीकृत है। 85 प्रतिशत से अधिक अवसंरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है। अधिसंरचनात्मक कार्य के लिए 50 प्रतिशत से अधिक कार्य के ठेके दे दिए गए हैं। शेष कार्य के लिए ठेके दिए जा रहे हैं। प्रगति संतोषजनक है।
15.	दमदम–ताला विद्युतीकरण सहित सरकुलर रेलवे	192.90	45.00	98.96	प्रिंसेप घाट तक लाइन 17.6.1990 को खोल दी गई है। प्रिंसेप घाट से मजेरहाट तक विस्तार वस्तुपरक आशोधन के रूप में शुरू कर दिया गया है। और चल रही परियोजना का विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। प्रस्तावित हेस्टिंग्स स्टेशन के स्थल के समीप भूमि का अधिग्रहण जारी करने के लिए सैनिक प्राधिकारियों का औपचारिक प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है जिसे बैठक में स्वीकृत दी गई थी।
16.	कुर्ला–थाणे पांचवीं और छठी लाइन (भांडुप से थाणे चरण–2)	58.30	10.00	32.80	अनुमान स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है और रेलवे भूमि से 450 झुग्गी–झोपड़ियों और दुकानों को हटाने और पुनर्वास में विलंब के कारण विलंब होने की संभावना है। कार्य की प्रगति 13.5 प्रतिशत है।
17.	दमदम–गरिया अभिकल्प और द्रुत परिवहन प्रणाली	2401.69	150.00	470.79	दमदम से टालीगंज 27.9.95 को खोल दिया गया है। टालीगंज से गरिया तक मैट्रो रेलवे का विस्तार चल रही

1	2	3	4	5	6
	का निर्णय				परियोजना के वस्तुपरक आशोधन के रूप में शुरू कर दिया गया है। मिट्टी जांच संरचनात्मक अभिकल्प आदि सहित इंजीनियरी सर्वेक्षण के लिए कार्रवाई पहल ही शुरू कर दी गई है। 3.2 कि.मी. के प्रथम खंड में मिट्टी संबंधी जांच पूरी हो गई है। आधार/अवसंरचना कार्यों के लिए ठेकेदारों की लघुसूचीयन का कार्य पूरा हो गया है। टालीगंज से चांदीताला (825 मी.) पहले ब्लॉक खंड की पुलिया के लिए आधार और अवसंरचना के निर्माण के लिए पूर्वअर्हक ठेकेदारों को निविदा नोटिस पहले ही भेज दिए गए हैं।
	रेल विद्युतीकरण				
1.	रेणिगुंटा–गुंतकल–हॉस्पेट	291.90	20.34	267.30	पूर्व में रोका गया कार्य नवम्बर, 1998 में पुनः चालू कर दिया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लक्ष्य तिथि मार्च, 2004।
2.	भुवनेश्वर–कोटवल्लाशा	292.87	40.89	104.58	कार्य प्रगति पर है और पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2002 है। मार्च 1999 तक 179 मार्ग कि.मी. अर्जित हो गए हैं।
3.	बंडेल–कटवा	48.54	2.54	1.57	कार्य पूरा हो गया है।
4.	दिल्ली–अंबाला कैंट–लुधियाना	291.47	20.20	32.19	दिल्ली से लुधियाना तक मुख्य लाइन का कार्य पूरा हो गया है। अंबाला–कालका और सरहिंद–नांगलडैम शाखा लाइनों का कार्य हाथ में है। लक्ष्य मार्च, 2001।
5.	कृष्णानगर–लालगोला	72.12	7.20	64.92	यह बजट में शामिल नया कार्य है।
6.	लुधियाना–अमृतसर	93.06	10.25	81.02	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 2002 है।
7.	सीतारामपुर–दानापुर–मुगलसराय	400.00	40.20	30.82	286 मार्ग कि.मी. को मार्च, 99 तक अर्जित कर दिया गया है। कानून और व्यवस्था की समस्या तथा ठेकेदार के विफल होने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। कार्य को दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्षित समय है।
8.	चांडिल–मूरी–बरकाकाना	45.06	8.03	0.00	कार्य पूरा हो गया है।
9.	इरोड–पालघाट–एर्णाकुलम	224.17	18.00	6.42	इरोड–वालायार–शेरूवण्णूर–चोव्वार खंड का 294 मार्ग कि.मी. पूरा हो गया है। परियोजना के शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है जो कि केरल राज्य में है। संपूर्ण खंड का कार्य मार्च, 2000 तक पूरा हो जाएगा।
10.	कुसुंदा–कटरासगढ़ जमुनियाटांड	16.42	2.00	10.42	इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2001 है।

1	2	3	4	5	6
11.	राणाघाट–बोंगांव का विद्युतीकरण	14.78	5.00	0.77	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। कार्य प्रगति पर है। सिरोपरि उपस्कर कार्य, सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा सिगनल कार्य के भाग के लिए पहले ही ठेके दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। स्विचिंग पोस्टों तथा दूरसंचार कार्यों के लिए ठेकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
12.	आद्रा–मिदनापुर	84.41	10.00	4.17	सम्पूर्ण खंड के लिए लक्ष्य तिथि मार्च, 2000 है। मार्च, 99 तक 125 मार्ग कि.मी. को ऊर्जित कर दिया गया है।
13.	तांबरम–चेंगलपट्टू–विषुपुरम तथा चेंगलपट्टू–अरकोणम	34.20	15.00	19.10	अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। अनुसूची के अनुसार कार्य प्रगति पर है।
14.	अंबाला–मुरादाबाद	152.21	15.05	53.86	अंबाला से सहारनपुर तक कार्य पूरा हो गया है। सहारनपुर से मुरादाबाद तक के खंड का कार्य जो पहले रोक दिया गया था, अब नवम्बर, 98 में चालू कर दिया गया है तथा सम्पूर्ण खंड की लक्ष्य तिथि मार्च, 2003 है।
15.	खुर्जा–मेरठ–सहारनपुर	89.21	0.00	89.21	निम्नतर परिचालनिक प्राथमिकता होने के कारण कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है।
16.	कानपुर–लखनऊ	47.87	10.30	5.57	खंड के मार्च, 2000 तक पूरा होने का लक्ष्य है।
17.	एर्णाकुलम–त्रिवेन्द्रम	147.87	10.00	137.72	अपेक्षित स्वीकृतियों के मद्देनजर इस कार्य को रेलवे बजट 1999–2000 में शामिल कर लिया गया है। योजना आयोग से सितम्बर, 1999 में मूल्यांकन नोट प्राप्त हुआ है। परियोजना की रिपोर्ट विस्तारित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है।
18.	पटना–गया	41.23	0.10	41.03	केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में रिपोर्ट की पुनः जांच की जा रही है। प्रतिफल की दर ऋणात्मक है।
19.	उधना–जलगांव	138.12	25.20	97.94	लक्ष्य तिथि मार्च, 2002 है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्य में प्रगति हो रही है।
20.	खड़गपुर–भुवनेश्वर, तालचेर–पारीदीप सहित	310.19	40.05	154.69	कार्य पहले बोल्ट योजना के अंतर्गत नियोजित था। बहरहाल, उच्च दरें तथा अस्वीकार्य हालातों के कारण फरवरी, 97 में कार्य को रेलवे निधियों से करने का विनिश्चय किया गया है। 31.3.99 तक 56 मार्ग कि.मी. को ऊर्जित कर दिया गया है। अब इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2002 है।
21.	मुगलसराय–जाफराबाद	49.07	5.05	43.91	परियोजना की रिपोर्ट का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
22.	बोकारो स्टील सिटी–मूरी–हटिया–बोंडामुंडा–बिमलगढ़–किरीबुरू/बरसुआं, पुरूलिया–कोटशिला सहित	269.40	25.00	41.81	मार्च 99 तक 221 मार्ग कि.मी. अर्जित हो गया है। संपूर्ण खंड का कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2002 है। कानून और व्यवस्था की समस्या तथा ओ.एच.ई. ठेकेदार के असफल होने तथा दामोदर घाटी निगम/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 132 के.वी. आपूर्ति की वसूली में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

2310. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम ने आस्ट्रेलिया और कनाडा से गेहूं का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों में से प्रत्येक संगठन ने आस्ट्रेलिया और कनाडा से अलग–अलग कितने–कितने गेहूं का आयात किया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब भारतीय खाद्य निगम इस आयातित गेहूं को खुली निविदाएं आमन्त्रित कर बेचना चाहता है;

(घ) यदि हां, तो इससे हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सी.बी.आई. द्वारा इस मामले की जांच कराने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण में कोताही के कारण कितना गेहूं बर्बाद हुआ;

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किया गया गेहूं सस्ता पड़ता है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए गेहूं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	देश	मात्रा (लाख टन में)
1996–97	आस्ट्रेलिया	13.90
	कनाडा	2.66
	अर्जेन्टीना	0.95
	जोड़	17.51
1997–98	आस्ट्रेलिया	10.18
1998–99	आस्ट्रेलिया	14.15
1999–2000	शून्य	शून्य

देश में उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए गेहूं का आयात किया गया था। इस अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की किसी मात्रा का आयात नहीं किया गया था।

(ग) केन्द्रीय पूल में गेहूं का काफी स्टाक उपलब्ध होने की दृष्टि में यह निर्णय लिया गया है कि आयातित गेहूं की 1.00 लाख टन मात्रा का निपटान निविदा के माध्यम से किया जाए।

(घ) निविदा की दरों को अंतिम रूप देने के पश्चात ही लाभ अथवा हानि का पता चलेगा।

(ङ) सरकार ने दिनांक 20.7.1998 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा है कि वह 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान सरकारी खाते पर किए गए गेहूं के आयात की जांच करे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1996–97 के दौरान कनाडा से और 1998–99 के दौरान

आस्ट्रेलिया से किए गए गेहूं के आयात की जांच करने के लिए प्राथमिकता इन्वायरी दर्ज की है।

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण किए जाने के कारण गुणवत्ता में प्रमुख गिरावट आने के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) सरकार ने 1.12.1999 से गेहूं के समस्त आयात पर 50% शुल्क लगाया है। अतः खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन गेहूं का आयात अब घरेलू गेहूं से सस्ता नहीं है।

सड़क ऊपरि पुलों/सड़क अन्डरब्रिजों का निर्माण

2311. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क ऊपरिपुलों/सड़क "अन्डरब्रिज" के निर्माण हेतु रेलवे के मार्ग-निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क ऊपरिपुलों/सड़क "अन्डरब्रिज" के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश के लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रेलें नई रेलवे लाइन बिछाते समय और रेलवे लाइन को यातायात के लिए खोलने के पश्चात् 10 वर्षों तक आवश्यकता उत्पन्न होने पर राज्य सरकार/सरकारों के साथ परामर्श करके अपनी लागत पर सड़क ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करती है। तत्पश्चात् सड़क ऊपरी/निचले पुलों की व्यवस्था निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की जाती है :

(i) **लागत में भागीदारी के आधार पर :** रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर उन मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले सड़क ऊपरी/निचले पुल मुहैया कराती है जहां यातायात घनत्व 1 लाख या अधिक गाड़ी वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई-गाड़ियों की संख्या को 24 घंटे के दौरान समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई) है। यातायात घनत्व के मानदंड में व्यस्त यार्डों जहां सड़क/रेल यातायात की भारी रुकौनी होती है, के मामले में ढील दी जा सकती है।

(ii) ***निक्षेप शर्त पर :*** *रेलें, राज्य सरकार/सरकारों/स्थानीय निकायों के अनुरोध पर भी सड़क ऊपरी/निचले पुलों की व्यवस्था करती है यदि वे नई सड़कों के निर्माण के कारण "निक्षेप शर्त" अर्थात् निर्माण और अनुरक्षण* की संपूर्ण लागत प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन की जाती है, के आधार पर किसी भी क्रासिंग सुविधा के इच्छुक हैं। यदि राज्य सरकार/सरकारें स्थानीय प्राधिकरण एक लाख से कम यातायात घनत्व वाले समपारों के बदले सड़क ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करवाना चाहते हैं तो वह कार्य रेलों द्वारा "निक्षेप शर्त" पर किया जाता है।

(iii) **निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बोट) आधार पर :** निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बोट) आधार पर मुहैया कराए जाने वाले सड़क ऊपरी/निचले पुल की संपूर्ण लागत निजी उद्यमी द्वारा की जाती है जिसकी एक निर्धारित अवधि के लिए चुंगी लगाकर पहुंच मार्गों के नीचे की भूमि का वाणिज्यिक दोहन करके प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस मामले में पहल राज्य सरकार/भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा की जानी होती है।

उपरोक्त (i) से (iii) के सभी मामलों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।

(ग) "लागत में भागीदारी" के आधार पर राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित कोई निश्चित प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों की दशा

2312. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 2000 के "जनसत्ता" के नई दिल्ली संस्करण में "हवाई अड्डों की दशा सुधारने की योजना पर सरकार में ही अड़चनें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्ता) :

(क) से (ग) जी, हां। यह निर्णय किया गया है कि जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की बराबरी पर सेवाओं/सुविधाओं के स्तर को लाना उपयुक्त पाया जाता है तक दीर्घ कालीन पट्टे के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानपत्तनों की पुनःसंरचना की जाए। इस समय दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के मौजूदा विमानपत्तनों पर यह कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष लगने की आशा है।

[अनुवाद]

बिजली की खरीद

2313. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से "हाई इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन टेरिफों" में कमी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्ड टैरिफ दरों में कमी का विरोध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या रेलवे निजी विद्युत उत्पादकों से बिजली की खरीद के संबंध में दीर्घावधि संविदा करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। रेलों ने उपयुक्त कर्षण दरों के लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों के पास याचिका दायर कर दी।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ बिजली बोर्डों, जहां विनियामक आयोग में कार्रवाई शुरू हो गई है, ने कुछ सेक्टरों में दी गई आर्थिक सहायता के कारण वित्तीय भार की दलील पर दरों में कटौती करने का विरोध किया है।

(ङ) और (च) रेलें सार्वजनिक/निजी पावर कम्पनियों से बिजली प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रही हैं, बशर्ते तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता हो।

असम में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2314. श्री पवन सिंह घाटोवर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में गसीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उपयुक्त रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, जैसे कि वहां दो वर्षों से भी अधिक समय से कोई निर्वाचित पंचायतें नहीं हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार राज्य सरकार से चुनाव कराने का अनुरोध करती रही है और ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार का सितम्बर, 2000 में पंचायतों के चुनाव करवाने का प्रस्ताव है।

गेहूं का निर्यात

2315. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्नों में अत्यधिक वृद्धि होने के मद्देनजर गेहूं का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का किन-किन देशों को गेहूं निर्यात करने का विचार है तथा तत्संबंधी नियम एवं शर्तें क्या हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक बफर स्टाक के मानदंडों से काफी अधिक है। गेहूं की सामान्य फसल की दृष्टि में गेहूं के अतिरिक्त स्टाक का निपटान आवश्यक हो गया है। स्टाक का निपटान करने के लिए गेहूं का निर्यात करना एक तरीका हो सकता है। इराक, रूस, नेपाल और मारिशस से गेहूं के आयात के बारे में इन्क्वायरियां प्राप्त हुई हैं।

सरकार ने 1999 में निर्णय लिया था कि उन दरों पर जो भारतीय खाद्य निगम की खुले बाजार में बिक्री योजना की दरों से कम न हो, सरकार से सरकार आधार पर नेपाल की शाही सरकार को केन्द्रीय पूल से 50,000 टन गेहूं की आपूर्ति की जाए। तथापि, उन्होंने अब तक केवल 906 टन गेहूं का उठान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में भारत ने गेहूं के प्रचलित मूल्य अत्यधिक ऊंचे होने के कारण भारतीय गेहूं के निर्यात की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसके परिणामस्वरूप अभी तक किसी अन्य देश के साथ निर्यात समझौता नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड का गठन

2316. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को लंदन से अमरीका ले जाने की अनुमति हेतु द्विपक्षीय वार्ता

2317. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्रियों को लंदन से अमरीका ले जाने के लिए एयर इंडिया को अनुमति दिए जाने संबंधी मामला ब्रिटेन की सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में हवाई जहाज उतारने संबंधी द्विपक्षीय अधिकारों पर बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लंदन से अमेरिका जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होने की संभावनाएं हैं किन्तु एयर इंडिया को इस बाजार पर काबिज होने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत–ब्रिटेन हवाई यातायात क्षेत्र में इन वर्षों में यातायात में लगातार वृद्धि हुई है जबकि उस अनुपात में विमानों में सीटें नहीं बढ़ी हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस हवाई यातायात को अपने पक्ष में करने हेतु किस हद तक सफल रही है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (घ) 1–2 फरवरी, 2000 को यू.के. सरकार के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अंतिम दौर के दौरान, यह सहमति व्यक्त की गई थी कि एअर इंडिया, पहले की प्रति सप्ताह 10 सेवाओं के स्थान पर लंदन से यू.एस.ए. से आगे प्रति सप्ताह तक 16 सेवाओं तक यातायात अधिकारों का प्रयोग कर सकती है।

(ङ) और (च) भारत यू.के. सैक्टर पर यातायात में वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। यू.के. मार्केट सीधे ही तथा यूरोप से होकर सेवित होती है। समग्र क्षमता पर नियमित निगरानी रखी जाती है। हाल ही में एअर इंडिया ने दिल्ली तथा लंदन के बीच प्रति सप्ताह तीन अनुपयोगी आवृत्तियों के लिए, यू.के. की वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस के साथ एक कोडशेयर/ब्लाक स्पेस प्रबन्ध करार का एक ठेका भी किया है। इससे इस मार्केट में एअर इंडिया के कारोबार में वृद्धि होगी।

रेलवे में निवेश

2318. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे हेतु राज्य–वार कुल केन्द्रीय निवेश कितना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिचालनिक आवश्यकता, सामरिक महत्त्व और सामाजिक वांछनीयता के आधार पर रेल निवेश किया जाता है। रेल निवेश, विशेषकर जब बहुत सी रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्य में पड़ती हैं, का विनिश्चय करते समय राज्य/क्षेत्रीय सीमाएं इसका मानदण्ड नहीं होती हैं। अतः रेल निवेश का राज्य–वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

बहरहाल, जहां तक नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल केन्द्रीय निवेश का संबंध है, रेलवे ने बजटीय सहायता 4,500 करोड़ रुपए और सामाजिक सेवा दायिता 9,750 करोड़ रुपए के साथ 65,000 करोड़ रुपए के योजना आकार का प्रस्ताव किया।

वर्ष 1999–97 में व्याप्त कीमतों पर योजना के पहले तीन वर्षों में निवेश इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

			बजटीय सहायता	
वर्ष	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च
1997–98	7850	7792	1732	1884
1998–99	8420	7850	1950	1937
1999–2000 (सं.अ.)	7496		2124	

1996–97 के कीमतों पर 2000–01 के लिए योजना आकार 2606 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता (3291 करोड़ रुपए मौजूदा

मूल्य पर) के साथ 8713 करोड़ रुपए (11,000 करोड़ रुपए मौजूदा मूल्य पर) पर निर्धारित किया गया है। नौवीं योजना के दौरान निवेश की स्पष्ट स्थिति 2002 में योजना अवधि पूरा होने पर ही पता चलेगी।

[हिन्दी]

विज्ञापन पर किया गया खर्च

2319. श्री तूफानी सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996 और 97 के दौरान विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर धनराशि खर्च की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) नई सेवाएं और परियोजना आदि शुरू करने के लिए मीडिया में विज्ञापनों के जरिए प्रचार करने से, भारतीय रेल प्रणाली के विभिन्न जोनों में उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में जनता को सूचित करने का प्रयोजन पूरा हो जाता है। बहरहाल, किफायत लाने के लिए इन विज्ञापनों का दायरा और संख्या सीमित रखने के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण

ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षेत्रीय रेलवे	1996–97 (रुपयों में)	1997–98 (रुपयों में)
1	2	3
मध्य	7,26,388	9,03,068
पूर्व	35,38,789	9,11,158
उत्तर	42,07,420	46,45,253
पूर्वोत्तर	1,37,58,532	33,00,980
पूर्वोत्तर सीमा	6,90,246	3,02,922
दक्षिण	98,28,284	34,49,387
दक्षिण मध्य	27,00,000	7,00,000
दक्षिण पूर्व	19,62,351	21,31,370
पश्चिम	12,77,993	16,48,633
सभी क्षेत्रीय रेलों का जोड़	3,86,90,003	1,79,92,771

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

2320. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं;

(ख) अभी तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) ऐसा प्रत्येक संयंत्र कब तक काम करना शुरू कर देगा;

(घ) क्या अगले वित्त वर्ष के दौरान सरकार का विचार राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में गांव मथानिया, जोधपुर, राजस्थान में 140 मेगावाट के एक एकीकृत सौर संयुक्त चक्र (आईएससीसी) विद्युत परियोजना की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना का कार्यान्वयन राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (आरएसपीसीएल) द्वारा किया जाना है। इस परियोजना में 105 मेगावाट क्षमता के संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र से एकीकृत पाराबोलिक ट्रफ संग्राहकों पर आधारित 35 मेगावाट का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र शामिल होगा।

(ख) इस विद्युत संयंत्र की पूर्ण लागत 872 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ग) आशा की जाती है कि यह परियोजना वित्तीय संवृत्ति और ठेका देने के बाद तीन वर्षों में पूरी की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

कृषि योग्य जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था

2321. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारंपरिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा की किसी विधि के अंतर्गत खेती हेतु किसानों को जल उपलब्ध कराने के लिए कोई परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर प्रणाली के अंतर्गत गांवों को जल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों और अन्य लाभभोगियों के लिए जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां, जल पंपन चक्कियां और बायोमास आधारित गैसीफायर जल पंप सेट से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

मंत्रालय की योजना के अंतर्गत, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां आर्थिक राज सहायता और उदार ऋण के साथ उपलब्ध हैं। सभी श्रेणियों के उपयोगकर्त्ता सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां खरीदने के लिए पात्र हैं। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय पंपों के वे निर्माता और आपूर्तिकर्त्ता जो इरेडा की सूची में हैं, पंपन प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए पात्र हैं। मंत्रालय जल पंपन प्रणाली के साथ प्रयोग किए जाने वाले पीवी ऐरे के प्रति वाट 125 रुपए की आर्थिक राज सहायता उपलब्ध करा रहा है जो प्रति पंपन प्रणाली अधिकतम 2,50,000 रुपए के अध्यधीन है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आर्थिक राज सहायता के अतिरिक्त, एक उपयोगकर्त्ता पंपन प्रणाली की लागत के बचे हुए बिना आर्थिक राज सहायता प्राप्त भाग की 90% राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर इरेडा से उदार ऋण प्राप्त कर सकता है। मंत्रालय इरेडा के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत 200 वाट से 3000 वाट की पीवी ऐरे क्षमता वाली जल पंपन प्रणालियों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक, कुल 3,164 पंपन प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

जल पंपन पवन चक्कियों पर योजना का कार्यान्वयन राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। पवन चक्कियों के निर्माता भी अपनी प्रणाली को उपयोगकर्ताओं को सीधे ही बेचने के लिए पात्र हैं। ऐसी जल पंपन पवन चक्कियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो उथले और गहरे कुओं से भी जल पंपन के लिए उपयुक्त हैं। मंत्रालय पवन चक्की के मॉडल के आधार पर इसकी स्थापना के लिए 20,000 रुपए से 45,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कुल 618 जल पंपन पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं।

मंत्रालय, राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित जल पंपन के लिए बायोमास गैसीफायर के उपयोग पर एक अन्य योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। यह मंत्रालय पंप सेंटों की लागत का 25% या 25 एचपी रेंटिंग से ऊपर के पंप सेटों के लिए प्रति एचपी 1500 रुपए और 25 एचपी रेटिंग तक के पंप सेटों के लिए प्रति एचपी 1200 रुपए जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। द्वीपसमूहों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और लद्दाख तथा समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभभोगियों के लिए 10% की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

सूरत और अहमदाबाद विमानपत्तनों का विकास

2322. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मुम्बई विमानपत्तन पर वायु यातायात के बोझ को कम करने के लिए सूरत और अहमदाबाद विमानपत्तन का विकास एक विकल्प के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) बी-747 श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए अहमदाबाद विमानपत्तन को स्तरोन्नयित और विकसित किया जा रहा है। एप्रन सुदृढ़ीकरण और विस्तार सहित धावनपथ का 9000 फुट से 11500 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। कार्य के दिसम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है। सूरत विमानपत्तन गुजरात राज्य सरकार का है। राज्य सरकार इस विमानपत्तन को 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालनों के लिए योजना बना रही है।

[हिन्दी]

कारगिल में सर्पदंश से मरने वाले सैनिकों की स्थिति

2323. श्री शीशराम ओला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑपरेशन विजय में भाग ले रहे कारगिल में तैनात एक सैनिक की सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई तथा इसे शहीद माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी शहीद सैनिक के आश्रितों को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता के समान सर्पदंश से मरने वाले सैनिकों के आश्रितों को भी दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) "ऑपरेशन विजय" (कारगिल) के दौरान सर्पदंश के कारण किसी की भी मृत्यु होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नई दिल्ली में संतूर होटल की स्थिति

2324. श्री रामसागर रावत :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 2000 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "बिलीव इट ऑर नॉट, रेट्स, रोचीस एंड मंकीज ड्रोव ए–आई ऑउट ऑफ सेंटूर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) होटल की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) जी, हां। समाचार पूर्णरूपेण तथ्यात्मक नहीं है। यद्यपि एअर इंडिया के कर्मीदल के बी–747 सेट प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वर्ष 1993 में सेंटूर होटल से बाहर चले गए थे, एयरबस सेट वहीं खड़े हैं। इस समय एयरबस 310 कर्मीदल का एक सेट क्रू ले ओवर के पैटर्न पर सप्ताह में चार दिन ठहर रहा है। सेंटूर होटल, नई दिल्ली में आधारिक संरचना तथा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाने की शुरुआत से, भारतीय होटल निगम कर्मीदल को फिर से सेंटूर होटल, दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए एअर इंडिया से बातचीत कर रहा है। सेंटूर होटल, दिल्ली के सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) 100 अतिथि कक्षों की पूर्ण मरम्मत, जिसके मार्च, 2000 तक पूरा होने की आशा है।

(2) नया दूरभाष केन्द्र दिसम्बर, 1998 में संस्थापित किया गया।

(3) मार्च/अप्रैल, 1999 में 150 कमरों में नए टी.वी. सेट संस्थापित किये गये।

(4) कमरों/वातानुकूलन संयंत्र में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सर्विस फ्लोर पाइपिंग को बदला गया है।

(5) ग्रीष्म में शिकायतों के निवारण हेतु दो वातानुकूलन संयंत्रों के मरम्मत का कार्य प्रगति में है।

(6) सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया गया है कि सेवा मानकों (स्तर) को बनाए रखने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है और आतिथ्य सत्कार के स्तर को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं।

विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी

2325. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व पर्यटन हेतु तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना में विश्व पर्यटन में भारत की 0.4% भागीदारी को बढ़ाकर 1% करने पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विश्व पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री श्री अनन्त कुमार : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में हवाई परिवहन तथा आवास जैसी बुनियादी

सुविधा के सामान्य स्तर में कमी के कारण हो लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। विश्व पर्यटक आगमन में भारत की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, पर्यटक उत्पादों का विविधीकरण, मानव संसाधन विकास संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा सशक्त संवर्धन एवं प्रचार–प्रसार आदि शामिल हैं।

सोलापुर माल यार्ड को हटाया जाना

2326. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलापुर माल यार्ड को शहर के मध्य क्षेत्र से हटाकर बाहरी क्षेत्र में किए जाने की आम जनता की मांग संसद सदस्यों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों की ओर से भी निरंतर उठायी जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा गुड्स यार्ड को, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन के बाद मीटर लाइन स्टेशन की विनिर्मुक्त हुई खाली भूमि पर स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया गया है।

कूचबिहार-लमडिंग रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2327. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान आमान कार्यक्रम के तहत कूचबिहार से असम में लमडिंग तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई परियोजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लंबाई कितनी है और अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उपरोक्त आमान परिवर्तन परियोजना को लागू करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर कितना व्यय हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अलीपुरद्वार–गीताल्दा खंड का आमान परिवर्तन कार्य न्यू जलपाईगुड़ी–सिलिगुड़ी–न्यू बोंगईगांव आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में स्वीकृत किया गया है। आगामी वर्षों में जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो कूचबिहार स्टेशन से लमडिंग के लिए बड़ी लाइन का सीधा संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन पर व्यय

2328. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की प्रति कुंतल खरीद, भंडारण और परिवहन पर कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उक्त् अवधि के दौरान चावल और गेहूं के लिए निर्धारित अधिशीर्ष–प्रभारों को बढ़ा दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(घ) क्या खाद्यान्नों की वास्तविक लागत की अपेक्षा उनके परिक्षण पर भारी राशि खर्च की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त लागत को कम करने के लिए खाद्य निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और ढुलाई पर वहन किया गया खर्च निम्नानुसार है :

(रुपये/क्विंटल)

गेहूं		1996–97 अनन्तिम	1997–98 अनन्तिम	1998–99 अनन्तिम	1999–2000 संशोधित अ.
	1	2	3	4	5
(i)	अनाज की एकीकृत लागत	390.73	484.34	507.12	550.00
(ii)	राज्य एजेंसियों को देय वसूली प्रासंगिक खर्च और अग्रनमन प्रभार	134.37	122.67	126.95	132.12

	1	2	3	4	5
(iii)	वितरण लागत (भंडारण सहित)	115.06	179.34	163.09	137.73
	जोड़	640.16	786.35	797.16	819.85
(i)	अनाज की एकीकृत लागत	627.99	695.66	787.70	829.37
(ii)	वसूली प्रासंगिक खर्च	61.41	55.21	65.50	75.20
(iii)	वितरण लागत (भंडारण सहित)	158.29	188.46	173.47	170.88
	जोड़	847.69	939.33	1026.67	1075.45

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले वर्षों में उपरिप्रभारों में हुई, वृद्धि और चालू वर्ष के दौरान हुई गिरावट निम्नानुसार है :

(दर रुपये/क्विंटल)

जिन्स	1996–97 (अनन्तिम)	1997–98 (अनन्तिम)	1998–99 (अनन्तिम)	1999–2000 (सं. अ.)
गेहूं	115.06	179.34	163.09	137.73
चावल	158.29	188.46	173.47	170.88

यह वृद्धि रेल भाड़े में हुई वृद्धि, केन्द्रीय भंडारण निगम और अन्य एजेंसियों के भंडारण प्रभारों और सामान्य उतार–चढ़ाव के कारण हुई है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बफर पर खर्च प्रति क्विंटल रख–रखाव लागत निम्नानुसार है :

(दर रुपये/क्विंटल)

वर्ष	रख–रखाव लागत
1996–97	158.26
1997–98	172.89
1998–99	171.09
1999–2000 (स.अ.)	172.02

(च) उक्त लागत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

(i) हालांकि अनाज की वसूली मौसमी होती है, तथापि, भंडारण लागत को कम करने के लिए औसतन 75 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता हासिल करना;

(ii) केंद्रीय निर्गम मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार में स्टाक रिलीज करना;

(iii) वसूली/भंडारण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के कठोर उपाय सुनिश्चित करना;

(iv) पुराना स्टाक जारी करना, "ग" और "घ" श्रेणी के स्टाक का निपटान करना; और

(v) प्रचालनों की मात्रा बढ़ने के बावजूद प्रवेश स्तरीय पदों में न्यूनतम भर्ती करके प्रशासनिक लागत नियंत्रित करना।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती समारोह के लिए धन

2329. श्री टी. गोविन्दन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्र सरकार द्वारा भारत गणराज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में समारोह आयोजित करने के लिए राज्य–वार खर्च किए गए धन ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

सेवानिवृत्त होने वाले सुरक्षा कर्मियों का पुनर्वास

2330. श्री विजय गोयल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग में अगले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने अधिकारियों, जे. सी. ओ. के सेवानिवृत्त होने की संभावना है;

(ख) प्रशिक्षित और अनुशासित व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिए जाने हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित पुनर्वास महानिदेशक की पंजिका के अनुसार 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे पंजीकृत सेवानिवृत्त सैनिक कितने हैं जिन्हें आज तक कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल पाया है; और

(घ) विशेषकर जम्मू–कश्मीर और पूर्व क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किये गये पुनर्वास सहित सेवानिवृत्त सैनिकों के पुनर्वास के संबंध में दीर्घ–कालिक योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्कंधों से सेवानिवृत्त होने वालों की कुल औसत संख्या वर्ष 1991 से 1998 की अवधि के दौरान लगभग 56,000 थी। सेवा–वार अनुमानित ब्यौरा इस प्रकार है :

सेना	49,000
नौसेना	2,500
वायुसेना	4,500

सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें मंजूर किए जाने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दिए जाने के कारण सामान्य सेवानिवृत्ति स्थिर हो जाने की वजह से पिछले दो वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या में कमी आई थी। तथापि, अगले पांच वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होने वालों की औसत संख्या कमोबेश पिछले पैटर्न पर रहेगी।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए विभिन्न अवसरों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास/पुनर्नियोजन के लिए निम्नलिखित अवसर उपलब्ध करा रही है :

(i) सेवा निवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों को सिविल रोजगार के लिए पुनः तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ii) सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में पुनर्नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पदों का आरक्षण; और

(iii) स्वरोजगार हेतु योजनाएं।

(3) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के संबंध में सामान्य नीति निर्धारित करने, कल्याण निधियों का नियंत्रण करने और राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के कार्य का समन्वय करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड बनाया गया है। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ऋण मंजूर कराने के आवेदन अपने–अपने राज्यों के संबंधित जिला सैनिक बोर्डों को सीधे भेजे जाते हैं। आवेदनों की संपीक्षा की जाती है और जो आवेदन पात्रता–मानदंड और अन्य निबंधन तथा शर्तें पूरी करते हों उन्हें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से सहायता प्राप्त राज्य वित्त निगमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक से सहायता प्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग से सहायता प्राप्त राज्य खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड/बैंकों के जरिए ऋण मंजूरी की सिफारिश की जाती है। 31 दिसंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के चालू रजिस्टर में कुल 3,01,685 भूतपूर्व सैनिक थे।

(4) भूतपूर्व सैनिकों को स्व–रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं :

(i) चूंकि सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त होने के बाद सभी भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियां दे पाना संभव नहीं है इसलिए सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को महत्त्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाओं के जरिए ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सहित लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की अनेक योजनाएं बनाई गई हैं।

(ii) भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियां।

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कोयला कंपनियों में कार्य करने वाली भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन कंपनियों में विधवाओं के टिपर ट्रकों को लगाना।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों को रक्षा कोटे के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन।

(v) सेना की अधिशेष निपटान योग्य श्रेणी वी बी वाहनों का आबंटन।

(vi) भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा विनिर्मित सी एस डी तथा निम्न स्तर की प्रौद्योगिकीय मदों का आरक्षण।

(vii) भूतपूर्व सैनिकों की लघु उद्योग इकाइयों को कीमत संबंधी इमदाद देना।

(viii) नई दिल्ली में पार्किंग स्थलों का आबंटन।

(ix) टाइपराईटरों/डुप्लीकेटरों का आबंटन।

(x) मदर डेयरी/दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्रों और फल तथा सब्जी बिक्री केन्द्रों का आबंटन।

(xi) युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों और युद्ध में अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को पी सी ओ/एस टी डी बूथों का बारी से पहले आबंटन।

अपर्याप्त भंडारण सुविधा

2331. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को होने वाले नुकसान का कोई जायजा लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भंडारण सुविधा कम होने से होने वाले खाद्यान्नों के नुकसान को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की योजना नए गोदामों के निर्माण के लिए 25 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगमों और अन्य एजेंसियों के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता मौजूद है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि जब कभी आवश्यक हो वे अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर ले लें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार बल्क में खाद्यन्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है जिससे खाद्यान्नों की भंडारण और मार्गस्थ हानियों में कमी आएगी।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 2000 टन तक की क्षमता के छोटे गोदामों का निर्माण करने की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सतत् स्कीम है। इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भंडारण क्षमता विशेष रूप से दुर्गम, दूर-दराज, पहाड़ी और पिछले क्षेत्रों में भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना आधार पर निर्माण की लागत पूरी करने के लिए सहायता का पेटर्न 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत राजसहायता है। तथापि, विधान रहित संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में सहायता की पूरी राशि राजसहायता के रूप में होती है।

लेवल-क्रॉसिंग पर रेल-वैन दुर्घटना

2332. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 2000 को एक लेवल-क्रॉसिंग पर स्कूल वैन और भटिंडा-श्री-गंगानगर यात्री गाड़ी की टक्कर हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। बिना चौकीदार वाले समपार पर यह दुर्घटना स्कूल वैन के ड्राइवर की गलती के कारण हुई थी जिसने समपार को पार करने से पहले मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत निर्धारित एहतियातों का अनुपालन नहीं किया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाये गए कदम :

1. समपारों के पहुंच मार्गों पर समुचित सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को समपार फाटक की मौजूदगी की जानकारी मिल सके।

2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को गति धीमी करने की याद आ सके।

3. समपारों के पहुंच मार्गों पर रेल पथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाना अपेक्षित होता है ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधान किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

4. सड़क उपयोगकर्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 किमी. की रफ्तार से चल रही गाड़ी एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती

है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 150 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि से यह केवल 6 सेकंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार उपायों से इस संदेश को उन तक उत्तरोत्तर रूप से पहुंचाया जा रहा है।

5. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आवधिक प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

6. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं, अतः राज्य सरकारें, ड्राइविंग लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सभी मुख्य सचिवों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

8. रेल जन जागरूकता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

9. ग्राम पंचायत कार्यालयों पर समपार संरक्षा पोस्टर लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त की गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

10. रिटेल पेट्रोल पंपों पर समपार पोस्टर लगाने के लिए आई.ओ.सी/एच.पी.सी बी.पी.सी. से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस समय, ये पोस्टर मुद्रणाधीन हैं और निकट भविष्य में इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

11. विस्फोटक सामग्रियों से खतरे के बारे में लोगों को आगाह करने तथा लावारिस/उपेक्षित पड़ी वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता के लिए जन उद्घोषण प्रणाली के जरिए एक गहन अभियान शुरू किया गया है।

12. जनता को सामान में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खतरों से आगाह करने के लिए दूरदर्शन क्विकीज, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से गहन प्रचार किया जाता है।

होटलों में एस्ट्रो पामिस्ट

2333. श्री विजय गोयल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.टी.डी.सी. द्वारा संचालित विभिन्न पांच सितारा होटलों में, विशेषकर नई दिल्ली के अशोक होटल में "एस्ट्रो पामिस्ट" के तौर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा किन सेवा विनियमनों के तहत उनके कार्यों की निगरानी की जाती है;

(ख) इस बात के मद्देनजर कि वो उनसे समाज के अत्यंत प्रभावशाली तबके की सेवाएं करने की अपेक्षा की जाती है, पर्यटन उद्योग के वाणिज्यिक विकास पर उनका क्या प्रभाव है;

(ग) क्या सरकारी राजकोष की कीमत पर होटल परिसर को उनको अपनी निजी कक्ष के रूप में व्यक्तिगत आय के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए उनकी आचार संहिता पर कोई नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये एस्ट्रो पामिस्टस इन होटलों पर पधारने वाले विशिष्ट मेहमानों का शोषण न करें और इस प्रकार उनके पेशे की परम्परागत छवि खराब न हो, कोई नियंत्रण की व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वर्ष 1987 से भारत पर्यटन विकास निगम में नियमित एस्ट्रो पामिस्ट के रूप में केवल एक कर्मचारी कार्य कर रहा है और फिलहाल, वह अशोक होटल, नई दिल्ली में है। उक्त पदधारी पर भारत पर्यटन विकास निगम के सेवा नियम और विनियम लागू होते हैं।

(ख) ऐसी सुविधाएं होटलों का मूल्यवर्धन करती हैं क्योंकि ज्योतिष भारत की विपुल विरासत का एक भाग है।

(ग) निगम के सभी कर्मचारियों पर संगठन के आचरण नियम लागू होते हैं।

(घ) और (ङ) ग्राहकों द्वारा परामर्श शुल्क का भुगतान सीधे होटल को किया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी परामर्शदात्री समितियां

2334. डॉ. बलिराम : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र/राज्य-स्तर पर विभिन्न सलाहकार समितियां लम्बे समय से भंग पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समितियों का गठन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) खाद्यान्न प्रबंध और सार्वजनिक वितरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद् है। तेरहवीं लोक सभा के गठन के बाद दिनांक 11.01.2000 के आदेश द्वारा इस परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन किया गया है। चीनी के संबंध में एक चीनी उद्योग विकास विकास परिषद् है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अधीन गठित की गई है। विकास परिषद् एक समय पर दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती है। पिछली बार 11 नवम्बर, 1998 को इसका गठन किया गया था।

[अनुवाद]

पनधारा प्रशिक्षण हेतु समिति का गठन

2335. श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पनधारा कार्यक्रम में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.राजा.) : (क) जी, हां। श्री वी.बी. ईश्वरन की अध्यक्षता में प्रशिक्षण के संबंध में एक समिति फरवरी, 1997 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1997 में प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं। मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रशिक्षण के संबंध में ईश्वरन समिति की मुख्य सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सिफारिशें	सरकार द्वारा दी गई कार्रवाई
1	2	3
1.	वाटरशेड समिति के कम-से-कम एक-तिहाई महिला सदस्य होने चाहिए और वाटरशेड विकास दल में कम-से-कम एक महिला सदस्य शामिल होना चाहिए।	समेकित बंजरभूमि विकास योजना, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है ताकि विभिन्न प्रयोक्ता समूहों, स्व-सहायता समूहों और महिला समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में एक-तिहाई महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके और वाटरशेड विकास दल में भी एक महिला सदस्य शामिल हो सके।
2.	परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए।	परियोजना की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

1	2	3
3.	माइक्रो वाटरशेड स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्त्ताओं जैसे ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे सरकारी कार्यकर्त्ताओं, स्व–सहायता समूहों, महिलाओं, वाटरशेड संघों, वाटरशेड समितियों के सदस्यों, वाटरशेड सचिव, जिन्हें एक सप्ताह की अवधि में कुछ घंटों के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है, को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए। इसके अलावा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, वाटरशेड विकास दल, ब्लाक और जिला स्तर के अधिकारियों, ब्लाक पंचायत और जिला परिषद के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य स्तर के कार्यकर्त्ताओं के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए। राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों या नोडल एजेंसी के रूप में नामित अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित करना चाहिए। संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा एक व्यापक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए।	राज्यों से वाटरशेड कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त संस्थाओं, विशेष रूप से राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों का चयन करने के लिए अनुरोध किया गया है और राज्य स्तर की संस्थाओं के संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान सी.एस.डब्ल्यू.सी.आर.टी.आई. देहरादून आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक प्रशिक्षक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए भी उनसे अनुरोध किया गया है।
4.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों/विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण में सहायक साधनों, प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करने और वस्तु स्थिति संबंधी अध्ययन तैयार करने, आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।	विभिन्न श्रेणियों के वाटरशेड कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने और शिक्षण में सहायक उपस्करों को प्राप्त करने हेतु राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों अथवा नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं।
5.	प्रशिक्षण सहित कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं क्षेत्र में प्राप्त अनुभव का विश्लेषण करने हेतु वाटरशेड विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय स्थायी समिति गठित की जाए।	वाटरशेड विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, योजना आयोग के सदस्य (कृषि) तथा वाटरशेड विकास परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के नौ अधिकारियों को शामिल करके योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में वाटरशेड विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय स्थायी समिति 9.8.1999 को गठित की गई थी।
6.	प्रत्येक राज्य सरकार को प्रशिक्षण कार्यकलापों के संबंध में एक संघटक को शामिल करके वाटरशेड विकास के लिए राज्य कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।	राज्यों से वाटरशेड विकास कार्यक्रमों में लगे विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्त्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण सहित वाटरशेड विकास हेतु राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

माल ढुलाई शुल्क

2336. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल ढुलाई शुल्क लागत से चालीस प्रतिशत अधिक लिया जाता है और रेल किराए में पर्याप्त राजसहायता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1998–99 के दौरान प्रति शुद्ध टन किलोमीटर की औसत लागत की अपेक्षा प्रति शुद्ध किलोमीटर औसत आय 26.25 प्रतिशत अधिक थी। बहरहाल यात्री सेवा में प्रति यात्री प्रति किलोमीटर औसत लागत की अपेक्षा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 38.33 प्रतिशत कम थी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित धनराशि

2337. श्री रामजीवन सिंह :

श्री रामदास आठवले :

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

श्री राधामोहन सिंह :

डॉ. गिरिजा व्यास :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री जारबोम गामलिन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु छठी, सातवीं, आठवीं योजना तथा 1999–2000 के दौरान आबंटित तथा जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) सरकार की ग्रामीण व्यक्तियों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से सीधे ही लाभ पहुंचाने के संबंध में क्या नीति है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इससे कितना प्राप्त किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) यदि किसी राज्य के पास आदि शेष आबंटन के 20 प्रतिशत से ज्यादा है तो उनको आबंटित की जाने वाली निधि में कटौती की जाती है।

(घ) ग्रामीण गरीब लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाए हैं :–

(1) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(2) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(3) सुनिश्चित रोजगार योजना

(4) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(5) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

(6) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

(7) इंदिरा आवास योजना

(8) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1999-2000 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धि (3-3-2000 तक सूचित)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (लाख श्रमदिन)		इंदिरा आवास योजना (रिहायशी इकाइयों की सं.)		सुनिश्चित रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)		स्वर्णजयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना (सहायता प्राप्त स्व–सहायता समूह (संख्या)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश		35	88288	45035	302	112		11125
2.	अरुणाचल प्रदेश		2	5667	655	7	19		81
3.	असम		55	121765	18927	135	97		5979
4.	बिहार		309	308784	97027	645	260	लक्ष्य	54948
5.	गोवा		1	544	210	0	1	निर्धारित	302
6.	गुजरात	लक्ष्य	10	25944	12458	60	33	नहीं	566
7.	हरियाणा	निर्धारित	12	9368	4234	33	7	किया	4342
8.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	94	3870	1433	16	16	गया	4606
9.	जम्मू और कश्मीर	किया	3	4644	3685	26	7	है।	1746
10.	कर्नाटक	गया	115	47184	24127	195	114		4889
11.	केरल	है।	18	28416	12557	67	31		4116
12.	मध्य प्रदेश		166	73464	48969	419	145	लक्ष्य	7036
13.	महाराष्ट्र		155	84680	29240	572	115	निर्धारित	61331
14.	मणिपुर		1	5208	0	8	4	नहीं	सू. न.
15.	मेघालय	लक्ष्य	3	7944	356	10	6	किया	741
16.	मिजोरम	निर्धारित	1	1954	503	2	2	गया	सू. न.
17.	नागालैंड	नहीं	2	4907	5097	9	सू. न.	है।	सू. न.
18.	उड़ीसा	किया	125	73232	34654	335	142		6235
19.	पंजाब	है	5	5960	2343	14	13		2632
20.	राजस्थान		4	25864	16814	178	60		7722
21.	सिक्किम		1	917	103	2	2		11
22.	तमिलनाडु		88	46768	33331	227	84		19507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा		12	10769	0	17	13		2444
24.	उत्तर प्रदेश		155	187629	39594	593	168		48004
25.	पश्चिम बंगाल		60	96127	28339	215	64		53767
26.	अं. व नि. द्वीप समूह		19	727	6	1	0		541
27.	दा. व न. हवेली		0	414	32	1	सू. न.		सू. न.
28.	दमन व दीव		0	162	3	0	0		6
29.	लक्षद्वीप		0	17	6	0	0		सू. न.
30.	पांडिचेरी		0	402	118	1	0		0
31.	चण्डीगढ़								
32.	दिल्ली								
	कुल		1450	1271624	459856	4092	1515		302677

सू. न. : सूचना नहीं।

क्र. सं.	राज्यों के नाम	रा.वृ.पें. योजना लाभान्वित लोगों की सं.		रा.प.ला. योजना (लाभान्वित परिवार सं.)		रा.मा.ला. योजना लाभान्वित महिलाओं की सं.		के.ग्रा.स्व. कार्यक्रम निर्मित स्वच्छता शौचालय सं.	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	894400	466000	29141	21105	305316	221758	300000	295088
2.	अरुणाचल प्रदेश	6102	142	220	26	3713	244	2400	0
3.	असम	88353	67607	6205	3317	56129	22605	63426	406
4.	बिहार	734748	690826	16320	13160	158129	80725	126870	612
5.	गोवा	2200	2195	111	256	495	68	5000	5659
6.	गुजरात	160100	8860	1521	529	19968	5654	20000	1652
7.	हरियाणा	37700	19838	541	522	12420	8049	14323	2780
8.	हिमाचल प्रदेश	25272.44	11440	255	281	3669	2076	11290	9128
9.	जम्मू और कश्मीर	33895	17474	591	204	9460	3125	7029	6

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	कर्नाटक	316200	173238	6241	3882	77311	33244	154500	73011
11.	केरल	149178	116999	3664	4190	26223	16269	23862	17678
12.	मध्य प्रदेश	489900	584095	37992	23806	173710	46065	70096	30814
13.	महाराष्ट्र	444285	82894	9850	10709	87070	73174	150000	137932
14.	मणिपुर	11011	4665	275	84	7788	1403	4237	667
15.	मेघालय	11873	9019	329	117	7548	2054	2250	437
16.	मिजोरम	4000	3440	110	73	3055	1316	1184	0
17.	नागालैंड	8623	1232	165	56	5332	2566	3187	0
18.	उड़ीसा	333400	325876	12928	13300	119854	65126	42238	5395
19.	पंजाब	41324	15023	1288	407	9020	1215	12410	0
20.	राजस्थान	157536	454543	4494	3677	62465	10281	38258	0
21.	सिक्किम	3184	0	55	0	1148	0	1176	450
22.	तमिलनाडु	350000	3347604	18286	14314	174021	17179	136444	45443
23.	त्रिपुरा	19037	14598	696	363	15575	5662	7434	289
24.	उत्तर प्रदेश	882995	855458	29010	18505	329073	135741	103297	35137
25.	पश्चिम बंगाल	353900	352480	9367	7402	103905	57181	435000	70765
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	1857	0	27	0	209	0	400	35
27.	दा. व न. हवेली	1260	0	27	0	90	0	400	3
28.	दमन व द्वीव	265	262	27	1	60	0	400	0
29.	लक्ष्यद्वीप	199	0	27	0	31	0	142	51
30.	पांडिचेरी	5240	1500	27	10	1008	506	400	210
31.	चण्डीगढ़	1459	1763	27	20	509	0	400	0
32.	दिल्ली	26665	0	302	0	7098	0	400	0
	कुल	5596161	7629071	190111	140316	1781404	813286	1738453	734642

[अनुवाद]

रोजी पीक तक बड़ी रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2338. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के अंतर्गत जामनगर रेलवे स्टेशन के निकट रोजी पीक और न्यूबदर (बीडी बंदर) तक बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए किये जा रहे प्रारम्भिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पूरी कर प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अंतिम सर्वेक्षण हेतु एक वर्ष पहले आवश्यक प्रभारों का भुगतान कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो भुगतान किए गए प्रभारों का ब्यौरा क्या है और अंतिम सर्वेक्षण कब से शुरू होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) गुजरात मेरी टाइम बोर्ड द्वारा 2,94,645/– रुपए जमा कराए गए थे। बहरहाल, चूंकि एक तात्कालिक सर्वेक्षण हाथ में होने के कारण पश्चिम रेलवे सर्वेक्षण करने की स्थिति में नहीं था इसलिए गुजरात मेरीटाइम बोर्ड को मै. राइट्स से या पश्चिम रेलवे द्वारा अनुमोदित किसी परामर्शदाता से सर्वेक्षण करवाने को कहा गया था। लेकिन गुजरात मेरीटाइम बोर्ड से अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। उसके द्वारा जमा करायी गई राशि अनुमोदित परामर्शदाता, जो सर्वेक्षण करता है, द्वारा तैयार किए जाने वाले सर्वेक्षण के नक्शे और अनुमान के अनुमोदन के लिए रेलवे को देय राशि से समायोजित कर ली जाएगी या उसकी इच्छानुसार वापस कर दी जाएगी।

अपहरण रोधी कार्यक्रम

2339. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपहरण रोधी व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए विदेशों से तकनीकी जानकारी मांगने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इजराइल सहित विदेशों के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2340. श्री पी.डी. एलानगोवन : यदि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार क्रियान्वित की गई अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की संख्या कितनी है इनका परियोजना–वार उत्पादन कितना है और उनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के विकास में विदेशी कंपनियों, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भागीदारी विदेशी सहयोग सहित, का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जैविक रूप से नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रयोग हेतु कोई विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों तथा राज्य–वार और परियोजना–वार आवंटित निधियों के ब्यौरे विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–III में दिए गए हैं। पवन, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास/सहउत्पादन और अपशिष्ट से ऊर्जा क्षेत्रों जैसे कुछ प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में विशेषकर उपकरणों एवं प्रणालियों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग किए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के विकास में विदेशी सहयोग के राज्य–वार ब्यौरे विवरण–IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा सौर और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा के उत्पादन की राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण-I

देश में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान स्थापित की गई विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के विवरण

	यूनिट	वास्तविक उपलब्धियां 1996–97	वास्तविक उपलब्धियां 1997–98	वास्तविक उपलब्धियां 1998–99
1	2	3	4	5
पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	सं. लाख में	1.7	1.74	1.5
सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	सं	351	263	314
उन्नत चूल्हा	सं. लाख में	29.6	27.98	16.8
बायोमास/गैसीफायर	मे.वा.	5	2.5	5.77
एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉक सं.	–	200	0
विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम (ऊर्जा पार्क)	सं.	8	54	14
सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन				
सौर घरेलू रोशनी प्रणाली	सं.	14971	17814	12315
सौर लालटेन	सं.	50131	46808	43573
सड़क रोशनी प्रणालियां	सं.	528	1669	2137
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	कि.वा.पी.	84	6	57
सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत पंप	सं.	610	528	338
सौर तापीय ऊर्जा				
सौर जल तापन प्रणालियां	वर्गमी. संग्राहक क्षेत्र	40000	40000	40000
सौर कुकर	सं.	26000	21000	20000
पवन पंप	सं.	98	208	64
लघु एरोजनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां	कि.वा.	10	24	8
पवन विद्युत	मे.वा.	169.03	67	56
लघु जल विद्युत	मे.वा.	11	11.38	28
बायोमास विद्युत	मे.वा.	58	41.5	43.5
सौर विद्युत	कि.वा.	0.3	0.3	275
शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट	मे.वा.	–	1	2
बैटरी चलित वाहन	बैटरी चालित वाहनों की सं.	–	–	10

कि.वा. = किलोवाट; मे.वा. = मेगावाट; कि.वा.पी. = किलोवाट पीक

विवरण-II

मंत्रालय के बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर विद्युत, लघु पन बिजली और बायोमास विद्युत के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान राज्य–वार और कार्यक्रम–वार आबंटित और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे।

(रुपए करोड़ में)

राज्य/संघशासित प्रदेश	बायोगैस			उन्नत चूल्हा			सौर विद्युत			लघु पन बिजली			बायोमास विद्युत		
	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. आंध्र प्रदेश	3.08	5.82	6.13	1.15	1.44	0.93	0	0	0.2	0	0	0	0.7	0	0
2. अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.07	0.1	0	0	0.76	0	0	0	1.2	6.6	0	0	0	0
3. असम	0.18	0.27	0.15	0	0.4	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. बिहार	0	0	0.08	0	0	0.06	0	0	0	0.01	0.05	0	0	0	0
5. गोवा	0.03	0.03	0.2	0.39	0.14	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. गुजरात	5.11	5.19	3.88	0.05	0.05	0.3	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0
7. हरियाणा	0.4	0.62	0.45	0.28	0.26	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. हिमाचल प्रदेश	0.43	1.11	0.3	0.16	0.15	0.17	0	0	0	1.72	1.83	4.47	0	0	0
9. जम्मू और कश्मीर	0	0.02	0.02	0.28	0.43	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. कर्नाटक	3.95	5.12	3.5	0.47	0	0.25	0.5	0	0	0	0	0	0	1.76	4.99
11. केरल	0.08	0.23	0.3	0.58	0.36	0.45	0	0.09	0.25	0	0	0	0	0	0
12. मध्य प्रदेश	5.83	4.23	3.74	1.23	1.1	0.82	0.64	0	1	0	0	0.45	1.75	0.95	0.1
13. महाराष्ट्र	4.69	4.93	4.63	0.76	0.85	0.59	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0
14. मणिपुर	0.07	0.13	0.24	0.05	0.15	0	0	0	0	0	0	0.96	0	0	0
15. मेघालय	0.03	0.03	0.05	0	0.01	0.04	0	0	0	0.01	0.01	0.09	0	0	0
16. मिजोरम	0.02	0.22	0.14	0.02	0.03	0.09	0	0	0	3.6	9.11	2.7	0	0	0
17. नागालैंड	0.08	0.03	0.18	0	0.09	0.05	0	0	0	0	0	0.27	0	0	0
18. उड़ीसा	1.49	1.56	3.08	0.53	1.12	1.13	0	0.19	0.07	0.42	0	0	0	0	0
19. पंजाब	0.96	0.98	2.4	0.31	0.58	0.52	0	0	0.22	0.69	0.17	0	0	0	0

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20. राजस्थान	0.34	0.37	0.25	0.89	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. सिक्किम	0.17	0.15	0.17	0.04	0.04	0.04	0	0	0	1.26	1.36	3.75	0	0	0
22. तमिलनाडु	0.74	0.2	0.31	0.85	0.28	0.53	0.25	0.65	0	0	0	1	0.5	1.36	0
23. त्रिपुरा	0.02	0.06	0.07	0.05	0.13	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. उत्तर प्रदेश	3.08	1	4.61	1.16	0.83	0.6	0	0.65	0.21	0.06	0	0	0	1.53	0
25. पश्चिम बंगाल	2.11	1.5	3.23	1.06	2.02	1.16	0.13	0.33	0.05	0.18	0	1.52	0	0	0
26. अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0
27. चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. दमन व दीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. दिल्ली	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.51	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0	0.01	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. अन्य	0	0	0	4.45	6.05	5.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मंत्रालय के बायोमास गैसीफायर, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर कुकर एवं सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97 1997–98 और 1998–99 के दौरान राज्य–वार और कार्यक्रम–वार आबंटित और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोमास गैसीफायर			अपशिष्ट से ऊर्जा			सौर कुकर			सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी)		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.42	0.75	0.29	0.16	0.11	0.44	0.06	0.03	0.02	0.54	0	1.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.31
3.	असम	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0.06	0.21	0.7
4.	बिहार	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0	0	1.09	0.25	2.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
6.	गुजरात	0.05	0.01	0	0.01	0.02	1.98	0.04	0.07	0.04	0.22	0.06	1.04
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.21	1.05	1.76
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0.56	0.7	1.67
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.4	1.63
10.	कर्नाटक	0.49	0.12	0.27	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0.46
11.	केरल	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	1.03
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0.34	0.01	0.04	0.95	0.12	0.12	0.06	0	0.59	0.93
13.	महाराष्ट्र	0.07	0	0	0.12	0.05	0	0.04	0	0	0	0.23	0.21
14.	मणिपुर	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0	0.3
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0.38	0.08	0.19
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.24
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
18.	उड़ीसा	0.01	0	0.05	0	0	0	0.01	0	0	0	0.45	2.72
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0.03	0	0.64	2.74
20.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.81	1.34	4.81
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07
22.	तमिलनाडु	0	0.03	0.05	0.01	0	0	0	0.01	0	0	0	0.49
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0.26	0.83
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0.11	0.25	0.08	0.04	0.03	0.04	2.21	6.56	8.67
25.	पश्चिम बंगाल	0.07	0.2	0.23	0.03	0	0	0.02	0.03	0.02	1.01	2.12	1.73
26.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0.02	0.01	0	0	0.03	0.21
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0.15	0.38	0	0	0	0	0.26	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.02
33. अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0

मंत्रालय के पवन पंपन और ऐरोजेनरेटर पवन विद्युत, आईआर आर ई पी एवं एस ए डी पी कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान राज्य–वार और कार्यक्रम–वार आबंटित और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन पंपन एवं एयरोजेनरेटर			पवन विद्युत			आईआरईपी*			एसएडीपी**		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.1	0	0.16	0.2	0.05	0	0	0	0	0	0.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16	0	0.01	0.03
3.	असम	0	0	0	0.01	0	0.01	0.13	0.14	0.15	0	0.01	0.07
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0.11	0.35	0	0	0.01	0.07
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0.04	0.04	0.07	0	0	0.01
6.	गुजरात	0.18	0	0.1	0.67	0.48	0.02	0.01	0.02	0	0	0.02	0
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0.01	0.29	0.23	0.28	0	0.05	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.01	0	0.03	0	0.34	0.45	0.8	0	0.01	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0.04	0.15	0.1	0	0	0
10.	कर्नाटक	0.03	0.05	0	0.01	0.08	0	0.16	0.28	0.4	0.08	0.03	0.05
11.	केरल	0	0.01	0.06	0	0.02	0	0.45	0.33	0.37	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0.07	0	0.72	0.68	1.08	0.02	0.06	0.09
13.	महाराष्ट्र	0.02	0.03	0.16	1.22	0.07	1.79	0.29	0.37	0.48	0.02	0.05	0.06
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0.17	0.1	0.25	0	0.01	0.05
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0.51	0.11	0.27	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0.15	0.08	0.14	0	0	0.01
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0.11	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0.23	0.12	0.12	0.01	0	0
19.	पंजाब	0	0	0	0.01	0.03	0	0.29	0.51	0.51	0	0.13	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	राजस्थान	0	0.19	0.12	0	0	0.04	0.18	0.2	0.34	0	0	0.01
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0.04	0.31	0.06	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0.15	0	0.03	0.55	0.89	0.62	0.18	0.14	0.24	0	0	0.08
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0	0.01	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1.4	1.14	0.51	0.02	0.02	0.01
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0.01	0.02	0.48	0	0.01	0.01	0	0.02	0.31
26.	अंडमान व निकोबार	0	0	0.05	0	0	0	0.04	0.04	0	0	0	0.02
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.03	0	0	0.01
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0
29.	दमन व दीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0.17	0.06	0.07	0	0.01	0.01
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0.01	0	0.02	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0.01	0	0.06	0.05	0.03	0	0	0.01
33.	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0

(*आईआरईपी = एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, **एसएडीपी = विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम)

विवरण-III

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही विद्युत उत्पादन की प्रमुख परियोजनाओं के राज्य–वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत मे.वा.	लघु पन बिजली मे.वा.	बायोमास विद्युत/ सहउत्पादन मे.वा.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से विद्युत मे.वा.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत कि.वा.पी.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	64.74	8.3	12	7.7	20.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	7.9
3.	असम	–	–	–	–	3.0
4.	बिहार	–	–	–	–	–
5.	दिल्ली	..	–	–	–	5

1	2	3	4	5	6	7
6.	गोवा	–	–	–	–	1.7
7.	गुजरात	149.56	–	–	2.0	14
8.	हरियाणा	–	–	4	–	24.2
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	25.05	21.65	27	1.0	3
12.	केरल	–	–	–	-	4.7
13.	मध्य प्रदेश	20.85	–	5	2.7	22.6
14.	महाराष्ट्र	26.58	–	–	–	5.6
15.	मणिपुर	–	–	–	–	11
16.	मेघालय	–	–	–	–	31.5
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–	–	6
19.	उड़ीसा	–	–	–	25*	33.5
20.	पंजाब	–	–	10	0.75	41
21.	राजस्थान	–	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	24.6
24.	तमिलनाडु	739.08	–	89	0.03	21
25.	उत्तर प्रदेश	–	–	50.5	1.0	178.9
26.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	190.9
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	149.1
28.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	85

* प्रतिदिन उत्पादित घनमीटर बायोगैस

कि.वा.पी. = किलोवाट पीक; मे.वा. = मेगावाट

विवरण-IV

अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के विकास में विदेशी सहयोग के राज्य–वार ब्यौरे

कार्यक्रम/क्षेत्र	सहयोग		राज्य	अभ्युक्तियां
	भारत	विदेशी		
1	2	3	4	5
1.	पवन विद्युत			
(i)	एलएम ग्लास फाईबर (इं.) लि.	एलएम ग्लास फाईबर डेनमार्क	कर्नाटक	पवन ब्लेड विनिर्माण
(ii)	एबन लॉयड चाईल्स ऑफसोर लि., चेन्नई	केनेटेक की सहायक, संयुक्त राज्य अमेरिका	तमिलनाडु	पवन टरबाईन विनिर्माण
(iii)	एनरकॉल (इं. लिमि.)	एनरकॉन जीएमबीएच जर्मनी	दमन द्वीव	–वही–
(iv)	मै. एशियन विंड टरबाईन, चेन्नई	मै. एनईजी मिकॉन डेनमार्क	तमिलनाडु	–वही–
(v)	अरूल मरियाम्मन टेक्सटाईल्स लिमि. पोलाची	विंड वर्ल्ड, डेनमार्क	तमिलनाडु	–वही–
(vi)	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि. रानीपेट	नॉर्डेक्स, डेनमार्क	आंध्र प्रदेश	–वही–
(vii)	दास लगरवे विंड टरवाईन लिमि. चेन्नई	लगरवे, नीदरलैंड	तमिलनाडु	–वही–
(viii)	एलेकॉन इंजीनियरिंग कं. लिमि., गुजरात	टर्बो विंड्स एन.वी बेल्जियम	गुजरात	–वही–
(ix)	किर्लोस्कर इलेक्टिक कं. लिमि., मुम्बई	विंड एनर्जी ग्रुप, ब्रिटेन	महाराष्ट्र	–वही–
(x)	पायोनियर विनकॉन लिमि., चेन्नई	विनकॉन, डेनमार्क	तमिलनाडु	–वही–
(xi)	आरईपीएल इंजीनियरिंग लिमि., मुम्बई	बोनस, डेनमार्क	महाराष्ट्र	–वही–
(xii)	सुजलॉन इनर्जी लिमि., अहमदाबाद	सुडविंड एनर्जी सिस्टम, जर्मनी	उत्तर प्रदेश	–वही–
(xiii)	टेक विंड एनर्जी इंडिया (प्रा.) लिमि., नोएडा	टेकविंड एनर्जी, जर्मनी	उत्तर प्रदेश	–वही–

1	2	3	4	5
	(xiv) टीटीजी इंडस्ट्रीज लिमि., चेन्नई	हुसुमर शिफ्सवर्ट, जर्मनी	तमिलनाडु	–वही–
	(xv) वेसटास आरआरबी इं. लिमि. चेन्नई	वेसटास, डेनमार्क	तमिलनाडु	–वही–
	(xvi) विंडिया पावर लिमि., मुम्बई	नेडविंड, नीदरलैंड	महाराष्ट्र	–वही–
2.	सौर प्रकाशवोल्टीय :			
	(i) सोलर टेक, इंडिया लिमि.	हिलिओस, इटली	राजस्थान	सौर सेल विनिर्माण
	(ii) इको सोलर सिस्टम्स इंडिया प्रा., पूणे	मि. कोनार्ड जॉसलीन ईटीएल, स्वीट्जरलैंड	महाराष्ट्र	–वही–
	(iii) अरविंद माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमि.	सन पावर टेक्निक जीएमबीएच, जर्मनी	आंध्र प्रदेश	–वही–
	(iv) मै. ग्लोबल एनर्जी इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लिमि.	मै. प्लम स्ट्रीम इंटरप्राईज इनको, यू.एस.ए.	–	–वही–
	(v) सोलर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमि.	सोलर इलेक्ट्रिक लाईट फंड एंड मै. ई एंड कं.	कर्नाटक व आंध्र प्रदेश	–वही–
	(vi) महर्षि सोलर टेक्नोलॉजी	महर्षि टेक्नोलॉजी कॉरपो. बी.वी., नीदरलैंड	पश्चिम बंगाल	–वही–
	(vii) टाटा बीपी सोलर, बंगलोर	बीपी सोलर, ब्रिटेन	कर्नाटक	–वही–
	(viii) ई. एचटी लिमि., नासिक	सीमेंस, यूएसए	महाराष्ट्र	–वही–
	(ix) वेबेल–एसएल एनर्जी, कलकत्ता	हिलिओस, इटली	पश्चिम बंगाल	–वही–
	(x) पेंटाफोर ईएचटीपी यूनिट	सोलेक इंटे, यूएसए	––	–वही–
	(xi) पोलिप्लेक्स, नई दिल्ली	एनआरआई	दिल्ली	–वही–
3.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन			
	(i) मै. देसी पावर ओरछा प्रा. लिमि.	मै. फ्रेंड, स्वीट्जरलैंड	मध्य प्रदेश	विकेन्द्रित सहउत्पादन विद्युत संयंत्र
4.	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा :			
	(i) मै. फ्यूचर फ्यूल्स इंजी. इंडिया प्रा. लिमि. कल्याण	मै. इको टेक्नोलॉजी जेवीवीओवाई, फिनलैंड	महाराष्ट्र	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्र

बढ़िया किस्म के चावलों में सस्ते किस्म के चावल की मिलावट

2341. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपरफाइन चावल के रूप में बेचे जा रहे बढ़िया किस्म के चावल में मिलावट के लिए सस्ते किस्म के चावल की मात्रा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान मानदंड के अनुसार विक्रय हेतु बढ़िया किस्म के चावल में केवल 10 प्रतिशत ही सस्ते किस्म के चावल की मिलावट की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में विरोध के बावजूद भी मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के मिल मालिकों को घटिया किस्म के चावलों की बढ़िया किस्म के चावल में 13 प्रतिशत तक मिलावट करने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) खरीफ विपणन मौसम 1999–2000 के लिए चावल की एकल विनिर्दिष्टियों के अनुसार ग्रेड "ए" चावल में अधिकतम 10 प्रतिशत तक निम्न श्रेणी के अनाज के अपमिश्रण की अनुमति दी गई है। तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए, सरकार ने अधिकतम 13 प्रतिशत की सीमा तक निम्न श्रेणी (साधारण अनाज) के अपमिश्रण वाले ग्रेड "ए" चावल की वसूली की अनुमति दी है। यह 31.3.2000 तक लागू है।

[हिन्दी]

इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया में कर्मचारियों की संख्या

2342. श्री सुखदेव पासवान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1999 के अंत तक इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रचालन और रख–रखाव संबंधी कार्य में अलग–अलग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) इन उक्त एअरलाइंसों द्वारा कितने विमान प्रचालित किये जा रहे हैं; और

(घ) इन विमानों की यात्रियों को ले जाने की कुल क्षमता कितनी है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 22023 तथा 18063 है।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
प्रशासनिक	8571	13686
तकनीकी तथा अनुरक्षण	3974	6809
प्रचालनात्मक	5518	1528
कुल	18063	22023

(ग) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित किए जा रहे विमानों की संख्या क्रमशः 26 तथा 56 है।

(घ) 1999/2000 की शरदकालीन समयावली में एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा आफर की गई कुल सीटों की संख्या क्रमशः प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह क्रमशः लगभग 29000 तथा 240000 है।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों की ओवरहालिंग

2343. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन सवारी डिब्बों की ओवरहालिंग की गई हो उनके निरीक्षण के लिए कोई अनिवार्य अवधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में सवारी डिब्बे खराब पाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ओवरहालिंग के बाद भी खराब पाए गए सवारी डिब्बों का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मरम्मत कार्य में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और

(ख) ओवरहाल किए गए सभी सवारी डिब्बों को व्यापक निरीक्षण के बाद ही सेवा में लगाया जाता है। सवारी डिब्बों, दो ओवर हालों के बीच, निर्धारित मानदंडों के अनुसार रोधक अनुरक्षण के भी अध्ययधीन होते हैं। सवारी डिब्बों को रेक से अलग करने के बाद निम्नलिखित रोधक अनुरक्षण किया जाता है।

(क)	अनुसूची "ग"/माध्यमिक ओवरहाल	–6 माह
(ख)	राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के सवारी डिब्बों का माध्यमिक ओवरहाल	–2 लाख कि.मी. या 9 महीने जो भी पहले हो।

इसके अलावा, सवारी डिब्बों को रेक से हटाए बिना निम्नलिखित छोटे अनुरक्षण भी 'स्व स्थाने' किए जाते हैं :

1. अनुसूची की किस्म	आवधिकता
1. फेरा अनुसूची	प्रत्येक फेरे के अंत में, जैसा कि निर्धारित है।
2. अनुसूची "क"	मासिक
3. अनुसूची "ख"	3 माह

(ग) और (घ) सभी अनुरक्षण तथा ओवहाल का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित तथा बाधारहित यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कई वर्षों से सवारी डिब्बों के अधिक इस्तेमाल के कारण गाड़ी चालन के दौरान मार्ग में सवारी डिब्बे के अलग होने की किसी घटना को टालने के लिए अनुरक्षण जांचें तेज कर दी गई हैं। "100 दिनों के भीतर ओवरहालिंग के लिए सिक चिन्हित सवारी डिब्बों की" संकल्पना की भी फीड बैक तथा सुधार हेतु प्रभावी सहायता के रूप में शुरुआत की गई है।

इन उपायों से यह सुनिश्चित हुआ है कि उपयोग में वृद्धि के बावजूद सवारी डिब्बों की उपलब्धता लक्ष्यों के अनुरूप रखी जाती है तथा मार्ग में सवारी डिब्बों के अलग होने के संबंध में विश्वसनीयता में तेजी से 1996–97 से लगभग 50% की कमी आई है।

100 दिनों के भीतर आवधिक ओवर हालिंग के लिए सिंक चिन्हित सवारी डिब्बों में भी निरन्तर सुधार देखने में आया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि टर्मिनलों पर डिब्बों का अलगाव निवारक मरम्मतों के लिए है ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों की किसी असुविधा को टाला जा सके गत 3 तीन वर्षों के लिए ब्यौरे नीचे दिए हैं :–

	1996–97	1997–98	1998–99
आवधिक ओवर हालिंग के 100 दिनों के भीतर सिक चिन्हित सवारी डिब्बों की औसत संख्या	311	309	300
100 दिनों में औसत कारखाना उत्पादन	4830	5050	5297
कारखाना उत्पादन की सिंक प्रतिशतता	6.4%	6.1%	5.7%

(ङ) मानदंड की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा की जाती है। मरम्मत सुविधा पर विश्लेषण में पायी गई कमजोरी के क्षेत्र में सुधार करने के लिए भी कार्रवाई की जाती है। कार्य में सुधार हेतु रेलों द्वारा कुछ प्रमुख उपाय किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :

(i) महत्त्वपूर्ण आवधिक ओरवहालिंग कारखानों के लिए आई इस ओ प्रमाणन।

(ii) आवधिक ओवर हालिंग कारखानों तथा अनुरक्षण डिपो की गुणवत्ता अंकेक्षण।

(iii) न्यूट्रल परीक्षक की प्रणाली के जरिए सवारी डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग कारखानों से आउट पुट की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण।

(iv) बड़े सवारी डिब्बों के आवधिक ओवरहालिंग के कारखानों से संबद्ध आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों में कारीगरों को प्रशिक्षण।

(v) उपरोक्त सुधारों के अलावा, रेलें अत्याधुनिक सवारी डिब्बों को लगाकर तथा उनके अभिकल्प एवं निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी के उन्नयन में कार्यशील हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक

2344. श्री रामदास आठवले :

श्री रतन लाल कटारिया :

श्री एम. वी. वी.एस. मूर्ति :

श्री बसन गौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल) :

श्री शिवाजी माने :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री आर.एस. पाटिल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में कितने विदेशी पर्यटकों ने विभिन्न राज्यों का वर्ष–वार और राज्य–वार दौरा किया;

(ख) सरकार द्वारा इन पर्यटकों से वर्ष–वार और राज्य–वार अलग–अलग कितना राजस्व/विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में आतंकवाद के कारण पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2.36 मिलियन तथा 2.48 मिलियन थी। विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़े पर्यटकों के प्रवेश स्थल पर एकत्र किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान देशभर में पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि क्रमशः 11540.25 करोड़ रुपए और 12498.93 करोड़ रुपये थी। विदेशी मुद्रा की राज्य–वार प्राप्ति का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 में वर्ष 1998 की तुलना में देश में कुल मिलाकर विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि हुई। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन तथा ब्याज सहायता देती है। सरकार ने पर्यटन उद्योग को निर्यात गृह का दर्जा दिया है तथा साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, पर्यटक अवसंरचना (बुनियादी सुविधा) के विकास तथा पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा तथा उनकी सुविधा पर भी बल दे रही है।

[अनुवाद]

वैगन निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार

2345. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैगन निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के तीन रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। तीन यूनिटों यथा बर्न स्टैंडर्ड, जेसप्स और ब्रेथवेट जो भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रममंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, को बी आई एफ आर द्वारा पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत 1999–2000 के लिए उत्पादन कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है जो इस प्रकार है :

(1)	बर्न स्टैंडर्ड	4437.5 एफ डब्लू यू
(2)	जेसप्स	720.0 एफ डब्लू यू
(3)	ब्रेथवेट	3075.0 एफ डब्लू यू
		8232.5 एफ डब्लू यू

[हिन्दी]

रिक्त पद

2346. श्री रामशकल :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के दौरान रेल मंत्रालय और उसके उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग व्यक्तियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के श्रेणी–वार कितने विद्यार्थी अब तक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग व्यक्तियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए श्रेणीवार कितने आरक्षित पद इस समय रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हेलिकॉप्टर उद्योग को बढ़ावा देना

2347. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेनाध्यक्ष ने देश में हेलीकॉप्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत वैमानिक नीति का आह्वान किया है;

(ख) क्या यह बात स्पष्ट की गई है कि भारत में नागरिक और सेना बाजार में अगले पांच वर्षों में 50 से 60 हेलीकॉप्टरों की खपत होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी आयात घोटालों की उच्च स्तरीय जांच

2348. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सर्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1993 में लोक लेखा समिति ने 89 चीनी आयात घोटालों की एक उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की थी;

(ख) क्या लोक लेखा समिति इस संबंध में की गई कार्यवाही से असंतुष्ट है और इसीलिये उसने अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहाराया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूरी कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) लोक लेखा समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

सुरेन्द्रनगर-भावनगर रेललाइन का आमान परिवर्तन

2349. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरेन्द्रनगर–भावनगर रेललाइल का आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय किया जाएगा; और

(घ) वर्ष 2000-01 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गईं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस लाइन के सुरेन्द्रनगर–धौला भाग और धौला विपावाव की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2001 है, धौला–भावनगर के लिए लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत 356 करोड़ रुपये है।

(घ) 2000-2001 के बजट में 53 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

जबलपुर विमानपत्तन का विस्तार

2350. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान जबलपुर में बोइंग एयरलाइंस की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यहां रात्रि के समय विमान उतारने और उड़ान भरने की सुविधा सहित इसका विस्तार कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): (क) से (ग) दृश्यमान उड़ान नियम के अन्तर्गत बोइंग 737 दर्जे के विमान के प्रचालन के लिए जबलपुर विमानपत्तन का धावनपथ उपयुक्त है। वी.ओ.आर. का संस्थापन किया जाना है जिससे इस विमानपत्तन तक/से जेट विमानों के प्रचालन की अनुमति मिल जाएगी।

विमानपत्तन का रक्षा आयुधशाला डिपो से सामीप्य होने के कारण रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रदान करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

मुम्बई और अहमदाबाद के बीच अतिरिक्त रेल लाइन

2351. श्री दिग्विजय पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अहमदाबाद और मुम्बई के बीच पड़ी लाइन का अधिक उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और मुम्बई के बीच अतिरिक्त रेल लाइन के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अहमदाबाद–मुंबई मार्ग पर लाइन क्षमता का उपयोग संतृप्त स्तर पर पहुंच गया है। इस मार्ग पर एक अतिरिक्त लाइन बिछाने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

बदहाल, दैनिक यात्री और माल यातायात की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद–मुम्बई मार्ग के भागों को कवर करते हुए निम्नलिखित कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिए गये है :

1. सांताक्रुज–बोखिली – पांचवी लाइन
2. बोरिवली–विरार–तीसरी और चौथी लाइन
3. सूरत–कोसाम्बा–तीसरी लाइन।

[हिन्दी]

निगरानी समिति

2352. डॉ. बलिराम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी हेतु राज्य, मण्डल, जिला, तहसील और खंड स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये समितियां कब तक गठित कर ली जायेंगी?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का राज्य, जिला तथा खंड–स्तर पर निरीक्षण करने, सतर्कता बरतने तथा निगरानी करने के लिए सभी राज्य सरकारों को सर्तकता तथा निगरानी समितियाँ गठित करने की सलाह दी गई है।

(ख) सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन की राज्य–वार स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से इन समितियों के गठन तथा इनको सुचारु रूप से कार्य करने के संबंध में बराबर चर्चा करता रहा है।

विवरण

सतर्कता तथा निगरानी समितियों के गठन की राज्य–वार स्थिति

		जिस स्तर पर सतर्कता तथा निगरानी समितियाँ गठित की गईं।		
क्रम सं.	राज्य	राज्य	जिला	विकास खंड
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां
3.	असम	हां	हां	हां
4.	बिहार	हां	हां	हां
5.	गोवा	हां	हां	हां
6.	गुजरात	हां	हां	हां
7.	हरियाणा	हां	हां	हां
8.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां
9.	जम्मू व कश्मीर	=	=	=
10.	कर्नाटक	हां	x	x
11.	केरल	हां	हां	हां
12.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां
13.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां
14.	मणिपुर	हां	हां	हां
15.	मेघालय	हां	हां	हां

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	हां	हां	हां
17.	नागालैंड.	हां	हां	हां
18.	उड़ीसा	हां	हां	हां
19.	पंजाब	अनुपलब्ध	हां	हां
20.	राजस्थान	हां	हां	हां
21.	सिक्किम	हां	हां	हां
22.	तमिलनाडु	हां	हां	हां
23.	त्रिपुरा	हां	हां	हां
24.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां
25.	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	हां	हां	हां
27.	दादरा व नगर हवेली	हां	हां	हां
28.	दमन व दीव	हां	हां	जिला जैसा
29.	लक्षद्वीप	हां	हां	हां
30.	पांडिचेरी	हां	राज्य जैसा	हां

× कर्नाटक में राज्य, जिला तथा विकास खंड स्तर पर कर्नाटक विकास कार्यक्रम समीक्षा समिति गठित की गई है।

= जम्मू और कश्मीर में जिला विकास बोर्ड प्रणाली है जो ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करती है। राज्य सरकार का मानना है कि किसी अन्य प्रकार की जिला स्तरीय समिति का गठन करना उसी की प्रति करने के समान होगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामले

2353. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री बैको :

श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में इस बात का प्रावधान है कि संबधित मामलों का निपटारा 90 दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर देश में एक भी मामले का निपटारा नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और

(घ) उपभोक्ता अदालतों को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क)उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियम के तहत स्थापित किए गए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों को प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने की तारीख से यथासंभव 90 दिनों के भीतर और यदि प्रश्नाधीन वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता हो, तो 150 दिनों के भीतर मामलों का निपटान करना होता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय आयोग में 1933 मामलों, राज्य आयोगों में 20159 मामले और जिला मंचों में 272808 मामलों का 90 दिनों के भीतर निर्णय किया गया है। देश में उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान की प्रति उपभोक्ता न्यायालयों के अपर्याप्त आधार ढांचे, बार–बार स्थगन और अध्यक्षों/सदस्यों के पदों को नहीं भरे जाने से प्रभावित होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत बनाना जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों की अनुपूर्ति हेतु 61.8 करोड़ रुपए का एक–बारगी अनुदान दिया है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपभोक्ता न्यायालयों में अध्यक्षों/सदस्यों के रिक्त पड़े पदों को समय से भरने का अनुरोध किया गया है।

(iii) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उपभोक्ता न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटान की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों के साथ आवधिक रूप से बैठकें करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(iv) केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों

के कार्यकरण पर नियमित निगरानी रखते हैं।

(v) केंद्र सरकार उपभोक्ता न्यायालयों के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है ताकि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और नियमों तथा अन्य संगत कानूनों के उपबंधों से परिचित कराया जा सके।

(vi) आवश्यक समझे जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करना।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों की परिचालन लागत

2354. श्री सुकदेव पासवान :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों की परिचालन लागत अन्य एयरलाइनों की तुलना में ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा परिचालन लागत को कम करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिचालन लागत में कितनी वार्षिक कमी किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमल लाल गुप्त) : (क) से (घ) एयर इंडिया की प्रचालन लागत विश्व में अन्य एयरलाइनों की तुलना में अनुकूल मानी जाती है। विमान टरबाईन ईंधन की ऊंची लागत के कारण, इंडियन एयरलाइंस तथा कुछ अन्य विमान कम्पनियों की कुछ अलामकर स्थिति बन गई है प्रशासकीय मूल्य तंत्र से विमान टरबाईन ईंधन को हटाए जाने के प्रस्ताव से अंतर्देशीय विमान कम्पनियों को कुछ राहत मिलेगी।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख कार्यक्रमों में हुई प्रगति

2355. श्री रामदास आठवले : क्या अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य–वार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. कन्नय्यन) : देश में प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई प्रगति के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिनांक 31.10.1999 के अनुसार हुई प्रगति के राज्य–वार ब्यौरे।

क्र.स.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	बायोगैस (सं.)	उन्नत चूला (स.)	एसएचपी (मेवा)	पवन (मेवा)	बायोमास विद्युत (मेवा)	बायोमास गैसीफायर (किवा में)	यू एंड आई (मेवा)	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसएलएस) (सं)	(एचएलएस) (सं)	(एसए) (सं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	264520	33.58	26.51	67.79	12	12384	2.75	3078	1058	13309
2.	अरुणाचल प्रदेश	501	0.34	21.05	0	0	180	0	738	650	4437
3.	असम	36350	5.34	2.2	0	0	23	0	98	1666	475
4.	बिहार	112265	11.41	0.04	0	0	20	0	623	256	34499
5.	गोवा	3060	1.41	0	0	0	22	0	30	31	45
6.	गुजरात	325776	12.75	2	166.91	0.5	3921	2	1564	570	12977
7.	हरियाणा	38305	9.44	0.2	0	4	964	0	1025	1422	20160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हिमाचल प्रदेश	41876	6.55	11.66	0	0	7	0	573	4393	13021
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1782	3.92	8.37	0	0	120	0	389	9669	4975
10.	कर्नाटक	258968	14.49	25.85	27.625	27	3699	0	516	28	898
11.	केरल	57186	8.49	5.52	2.025	0	615	0	675	2450	30925
12.	मध्य प्रदेश	164684	28.76	5.66	19.825	5	4429	2.7	5554	149	7601
13.	महाराष्ट्र	634081	22.21	7.03	32.185	9	3323	0	3005	169	4820
14.	मणिपुर	1681	0.64	4.1	0	0	0	0	370	50	3400
15.	मेघालय	1042	0.18	1.51	0	0	0	0	593	270	2705
16.	मिजोरम	1749	0.41	8.77	0	0	0	0	266	1525	2362
17.	नागालैंड	1037	0.19	3.17	0	0	0	0	271	8	0
18.	उड़ीसा	153469	17.1	1.26	1.1	0	1672	0	5467	951	4930
19.	पंजाब	52358	10.72	6.9	0	10	660	0	911	2200	8500
20.	राजस्थान	64227	24.92	4.32	2	0	218	0	6512	10808	4604
21.	सिक्किम	2304	0.64	9.25	0	0	0	0	127	110	270
22.	तमिलनाडु	195762	25.76	4.75	757.46	98	853	0	1987	17	4778
23.	त्रिपुरा	953	0.47	1.01	0	0	0	0	340	1438	3830
24.	उत्तर प्रदेश	328638	35.4	33.26	0	46.5	511	1	708	50929	48525
25.	पश्चिम बंगाल	153552	27.45	7.98	0	0	530	0	1227	7627	3225
26.	अंडमान व निकोबार	137	0.3	0	0	0	167	0	315	390	433
27.	चंडीगढ़	97	0.19	0	0	0	0	0	0	100	775
28.	दादरा व नगर हवेली	168	0.13	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	671	2.66	0	0	0	74	0	301	0	4753
31.	लक्षद्वीप	0	0.05	0	0	0	0	0	701	0	5060
32.	पांडिचेरी	539	0.32	0	0	0	0	0	2	0	531
33.	अन्य	0	0	0	0.465	0	318	0	0	0	0

एस एच पी = लघु पन बिजली
मेवा मेगावाट
यू एंड आई = शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट ऊर्जा
एच एल एस = घरेलू रोशनी प्रणाली एस एल = सौर लालटेन
एस एल एस = सड़क रोशनी प्रणाली

[अनुवाद]

गुलवर्गा-रायचूर रेल सेवा

2356. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलवर्गा–रायचुर (इंटरसिटी) रेल सेवा शुरू की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख को शुरू किया गया है;

(ग) इससे अनुमानतः कितने दैनिक यात्री लाभान्वित हो रहे हैं; और

(घ) इसकी आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 1.2.2000 से 331/332 रायचूर–गुलवर्गा सवारी गाड़ी चलाई गई है।

(ग) और (घ) गुलवर्गा–रायचूर सवारी गाड़ी से यात्रा करने के लिए औसतन प्रतिदिन डाउन दिशा में 744 टिकट तथा अप दिशा में 525 टिकट जारी किए जाते हैं। इसके अलावा एक महीने में 1416 मासिक सीजन टिकट और 87 त्रैमासिक सीजन टिकट जारी किए जाते हैं।

तकनीकी/परिचालनिक व्यवहार्यता की पुष्टि होने के बाद ही ट्रेन सेवा चालू की गई है। इस गाड़ी की लोकप्रियता संतोषजनक है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात

2357. श्री रामशकल :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री कृष्णमराजू :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अनन्त नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में खाद्य तेलों की कितनी मांग है;

(ख) क्या सरकार घरेलू उत्पादन से मांग पूरी करने में सक्षम है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी मांग पूरा करने हेतु खाद्य तेलों का आयात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के कारण खाद्य तेलों का आयात महंगा हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खाद्य तेलों का कम–से–कम आयात करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में खाद्य तेलों की क्रमशः 96.43 लाख टन और 100.96 लाख टन मांग होने का अनुमान लगाया है।

(ख) से (घ) कृषि मंत्रालय के तिलहन उत्पादन के संबंध में प्रक्षेपण के अनुसार, खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर बना रहेगा। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच इस अन्तर को समाप्त करने के लिए, अनुपूरक उपाय के रूप में सरकार ने खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000) के दौरान 42.18 लाख टन खाद्य तेलों का आयात होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) केन्द्रीय बजट 2000-2001 से पूर्व और पश्चात् आयातित खाद्य तेलों के मूल्य नीचे दिए गए हैं :

अमरीकी डालर में प्रति टन सी. आई. एफ. मूल्य

तेल का नाम	28.2.2000	6.3.2000
आर.बी.डी. पामोलीन	340	347
सोयाबीन	373	383
सूरजमुखी	375	388
रेपसीड	उ.न.	404

(च) खाद्य तेलों के आयात को कम–से–कम करने हेतु सरकार द्वारा हाल में किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :

(i) परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत करना।

(ii) कच्चे तेल के आयात के लिए "वास्तविक प्रयोक्ता" की शर्त निर्धारित करना।

(iii) वास्तविक प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्यों द्वारा आयातित कच्चे तेलों तथा अन्य परिष्कृत तेलों पर 38.5 प्रतिशत का उच्च सीमा शुल्क लगाना।

(iv) "वास्तविक प्रयोक्ता" की शर्त को पूरा न करने पर खाद्य तेलों के आयात पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाना।

[अनुवाद]

एअर इंडिया द्वारा जाली बुकिंग

2358. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया जाली बुकिंग विवाद का शिकार हो रही है;

(ख) यदि हां, तो एअर इंडिया को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तिथि को इस अवैध बुकिंग की गतिविधियां पकड़ी गई थी;

(घ) एअर इंडिया ने अपनी आरक्षण व्यवस्था को किस हद तक प्रयोक्ता के अधिक अनुकूल बनाया है;

(ङ) क्या एअर इंडिया टिकटों की कम बिक्री और आरक्षण प्रबंधन को सुचारु बनाने के लिए कदम उठायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : (क) से (ग) पीक सीजन के दौरान ब्लाक बुकिंग का मामला खासकर खाड़ी मार्ग पर प्रकाश में आया है। खाड़ी मार्गों पर प्रचालन करने वाले अधिकांश वाहकों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब और जैसे ही ब्लॉक बुकिंग का पता चलता है, एयर इंडिया द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया जाता है, सीटों का क्रम पुनः बनाया जाता है इसलिए इससे कोई घाटा नहीं होता है।

(घ) से (च) आरक्षण प्रबंधन के बारे में विभिन्न उपाय किए जा रहें हैं इनमें से कुछ निम्नवत् हैं :

(1) खासकर पीक अवधि में उड़ानों की गहन जांच करने तथा ब्लॉक बुकिंग को समाप्त करने के लिए एक विशेष मौनिटरिंग यूनिट गठित की गई है।

(2) एअर इंडिया फील्ड स्टेशनों द्वारा इसी तरह के कार्य किए जा रहे हैं।

(3) स्टेशनों द्वारा उड़ान से पूर्व और बाद की कड़ी जांच पर अधिक जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी यात्रियों के पास टिकट हैं और बहु–बुकिंग तथा कुछ नहीं दिखाने वाले यात्रियों की आगे की/वापसी आरक्षण को निरस्त किया जाता है।

(4) एक नया सौफ्टवेयर आर्म्स संस्थापित किया जा रहा है।

उल्फा के साथ सेना का सम्पर्क

2359. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने उल्फा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सम्पर्क बना रखे हैं और संघ सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर वार्ता शुरू करने के लिए उसे प्रेरित कर रही है;

(ख) क्या उल्फा संगठन के पाकिस्तान और इसकी गुप्तचर एजेंसियों से लगाव होने की सूचना है;

(ग) क्या सेना इस बात से अवगत है कि उल्फा को अफगानिस्तान में आई.एस.आई. से प्रशिक्षण मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो सेना द्वारा इस संबंध में प्राप्त दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले कुछ महीनों से आई. एस आई. के एजेन्टों की सहायता से उल्फा आतंक फैलाता रहा है; और

(च) आई. एस. आई. की सांठ–गांठ से उल्फा की गतिविधियां रोकने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) समाचार माध्यमों में जो रिपोर्टें आई हैं वे उल्फा और आई एस आई के बीच संबंधों की ओर संकेत करती हैं। कारगिल संघर्ष के दौरान उल्फा ने असमवासियों से राष्ट्रीय रक्षा कोष में अंशदान न करने की अपील करते हुए सेना विरोधी वक्तव्य जारी किए थे। उल्फा उग्रवादियों ने, जैसा उन्होंने महसूस किया, कश्मीरियों के आत्म–निर्णय के अधिकार को दबाने के लिए भारत सरकार की आलोचना की तथा असमी सैनिकों का आह्वान किया था कि वे कारगिल में लड़ाई में भाग न लें तथा असम वापस लौट जाएं।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई पक्के साक्ष्य नहीं हैं।

(ङ) असम में उल्फा उग्रवाद काफी हद तक नियंत्रण में है, हालांकि ये उग्रवादी अभी भी हिंसा/आतंकवाद की कभी-कभार कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

(च) इस प्रयोजनार्थ, आसूचना व्यवस्था सुदृढ़ करने, सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई करने, पुलिस को आधुनिक तथा उन्नत बनाने और सीमा पर गश्त बढ़ाने, आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पार्सल की लदाई

2360. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षमता से अधिक लदान और लदान प्रभार के संबंध में चल रही धोखाधड़ी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सभी रेल मंडलों विशेषरूप से पूर्वी रेलवे में ऐसी गतिविधियों को रोकने के संबंध में किए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकुड स्टेशन पर रेल वैगनों में क्षमता से अधिक लदान के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पार्सलों के अधिक लदान की जांच करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलें आवधिक जांचों के साथ-साथ अचानक जांचें भी करती हैं। जब कभी किसी अधिक लदान का मामला पकड़ा जाता है तब नियमानुसार पैनल मालभाड़ा प्रभार वसूला जाता है। रेलवे में, विगत तीन वर्षों अर्थात् 1997, 1998, 1999 के दौरान कोई अधिक लदान का मामला नहीं पकड़ा गया था। बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान अधिक लदान के दो मामले 2842 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2382 पूर्वा एक्सप्रेस में क्रमशः 7.2.2000 और 9.2.2000 को पकड़े गए थे और अधिक भार के लिए पैनल्टी प्रभारों के रुपये क्रमशः 15641 रुपए और 2276 रुपए की राशि वूसली गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल मल्टी-कॉमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना

2361. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

डॉ. वी. सरोजा :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एक्सचेंज द्वारा कब तक अपना काम शुरू कर देने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया गया है। तदनुसार, वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में ब्यौरों की जांच करने हेतु एक तीन सदस्यीय कोर-ग्रुप का गठन किया गया है। नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना के संबंध में इस वक्त कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा वस्तुओं का ज्यादा कीमत पर बेचना

2362. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 15.12.1999 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. पेपर पंच सगल होल, स्टेप्लर नं. 10 हेवी ड्यूटी स्टेप्लर केंद्रीय भंडार के मूल्यों से भी ज्यादा मूल्यों पर बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन/इसी प्रकार की छाप वाली वस्तुओं को इतने ज्यादा मूल्य पर बेचने के क्या कारण हैं और उनके आपूर्तिकर्ताओं के नाम क्या है तथा उनकी क्या स्थिति है;

(ग) ज्यादा कीमत वाली वस्तुओं को स्वीकार करने वाले अधिकारियों और ज्यादा मूल्य वसूलने वाले आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें केंद्रीय भंडार के मूल्यों से भी ज्यादा मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एन.सी.सी.एफ. का खरीद मूल्य आपूर्तिकर्ता–वार, वस्तु–वार, छाप–वार सार्वजनिक करने का निर्देश देने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो एन.सी.सी.एफ. के सतर्कता विभाग द्वारा केंद्रीय भंडार के आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का क्या औचित्य है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे सरकारी विभागों को लेखन सामग्री की आपूर्ति प्रतिस्पर्धी दरों पर कर रहे हैं। पेपर पंच और स्टैपल की दरें गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों और सप्लाई की मदों पर निर्भर करती है। ये दरें राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्रीय भण्डार द्वारा की गई सप्लाई की दरों से भिन्न हो सकती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहाकारी संघ प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न लेखन सामग्रियों की सप्लाई करता है। किसी संगठन द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं की दरें–विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं। अतः संगठन की दरें अन्य संगठन द्वारा उद्धृत दरों से भिन्न हो सकती हैं।

(च) और (छ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उनके रिकार्ड की चाहे जब लेखा परीक्षा और जाच की जा सकती हैं।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता

2363. श्री रामसागर रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने उपभोक्ता मामले मंत्रालय को, एन.सी.सी.एफ. को विनिर्माताओं से थोक में खरीद करने का निदेश देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के निदेश जारी करने के क्या कारण हैं और क्या एन.सी.सी.एफ. ने इसका पालन किया है;

(ग) यदि हां, तो एन.सी.सी.एफ. द्वारा 1999 के दौरान और अब तक खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इनको ब्राड नाम, विशिष्टताएं, व स्टैप्लर्स, स्टैपल पिन्स, बैटरी सेल्स, स्लिप पैड्स, रूल्ड रजिस्टर्स, हीट कन्वेक्टर्स, पैडस्टल पंखे इत्यादि के संदर्भ में दरें और आपूतिकर्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एन.सी.सी.एफ. के आपूर्तिकर्ता, सरकारी विभागों को सीधे वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार से वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित की जाती है;

(च) क्या इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कोई कर लगाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सलाह पर उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को विनिर्माताओं से उन वस्तुओं की थोक में खरीद करने के लिए कहा है जिनकी उनसे पहले से खरीद नहीं की जा रही है।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सरकारी विभागों में सप्लाई की गई वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्यों के बारे में शिकायतें मिलती रही हैं। इसे ध्यान में रखकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने विनिर्माताओं से वस्तुओं की थोक खरीद करने का सुझाव दिया। तथापि, चूंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करता है और विनिर्माता/वितरक/सप्लायर उन्हें उधार पर वस्तुओं की सप्लाई करने के इच्छुक होते हैं, अतः राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों से सप्लाई आर्डर प्राप्त होने की प्रत्याशा में सुरक्षित भण्डारण के प्रयोजन से वस्तुओं की थोक मात्रा खरीद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ऐसी आवश्यकता होने पर इस विकल्प का सहारा लेगा।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सरकारी विभागों को बड़ी संख्या में लेखन सामग्री और अन्य कार्यालय उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करता है। व्यापार की अत्यधिक उच्च मात्रा को देखते हुए अपेक्षित सूचना का संकलन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उनके साथ किए गए समझौते के मुताबिक निर्धारित किए गए स्थानों पर वस्तुओं की सप्लाई करें।

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अधिकारी उपयुक्त गुणवत्ता और मात्रा की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित चीनी का वितरण

2364. श्री अनन्त नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों से आयातित चीनी वितरित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल कितनी आयातित चीनी वितरित की जाती है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 17.02.2000 को आवश्यक आदेश जारी किए हैं जिससे सरकार चीनी के आयातकर्त्ताओं पर 30 प्रतिशत लेवी बाध्यता लागू करने के लिए सक्षम हो गई हैं। चीनी के आयातकर्त्ताओं से लेवी चीनी अधिगृहीत करने विषयक आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीबों का जीवन स्तर

2365. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण गरीबों की संख्या और उनके जीवन स्तर का अनुमान लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण गरीबों की समस्याओं से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ग्रामीण गरीबों की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारें ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश पर हरेक पंचवर्षीय योजना की अवधि की शुरुआत में गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों के संबंध में जनगणना करवाती हैं। जनगणना में गांवों के सभी परिवारों को शामिल किया जाता है और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान करना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से संबंधित जनगणना के राज्य–वार परिणामों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। ग्रामीण गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है :

1. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. सुनिश्चित रोजगार योजना
3. इन्दिरा आवास योजना और
4. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

विवरण

नौवीं योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना के राज्य–वार परिणाम

(अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों की संख्या	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत
1		2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10484028	4184628	39.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	102852	80627	78.39
3.	असम	3412506	2028058	59.43
4.	बिहार	18933813	9399281	49.64

1		2	3	4
5.	गोआ	135816	23101	17.01
6.	गुजरात	5587768	1980879	35.45
7.	हरियाणा	2074615	503019	24.25
8.	हिमाचल प्रदेश	1036996	286112	27.59
9.	जम्मू व कश्मीर @	1175860	297125	25.27
10.	कर्नाटक	6479832	2202756	33.99
11.	केरल	एन आर	एन आर	
12.	मध्य प्रदेश $	9129655	5096757	55.83
13.	महाराष्ट्र	11010022	3860675	35.07
14.	मणिपुर	365670	246980	67.54
15.	मेघालय	282362	156646	55.48
16.	मिजोरम	एन आर	एन आर	
17.	नागालैंड	एन आर	एन आर	
18.	उड़ीसा $$	6790202	4445736	65.47
19.	पंजाब	एन आर	एन आर	
20.	राजस्थान	6768541	2097560	30.99
21.	सिक्किम	एन आर	एन आर	
22.	तमिलनाडु @	7356271	4874114	66.26
23.	त्रिपुरा	एन आर	एन आर	
24.	उत्तर प्रदेश	20430204	7541494	36.91
25.	प. बंगाल	11070535	4915295	44.40
26.	अ. व नि.द्वीप समूह	एन आर	6421	
27.	दादरा व न.हवेली	26327	17231	65.67
28.	दमन व दीव	10735	395	3.68
29.	लक्षद्वीप	8625	885	10.26
30.	पांडिचेरी	133555	63262	47.37
	अखिल भारत	122806700	54309037	44.22

एन आर : असूचति

$$ ग्रामीण परिवार

$ केवल 35 जिलों के लिए सूचित ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या

@ भारत की जनगणना 1991 से प्राप्त कालम–2 में ग्रामीण परिवारों की संख्या (एक परिवार में पांच सदस्य हों)

चीनी की मांग और आपूर्ति

2366. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :

डॉ. संजय पासवान :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

श्री आर.एस. पाटिल :

श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल) :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चीनी उत्पादन के क्षेत्र में आत्म–निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में चीनी की स्थापित क्षमता आवश्यकता से अधिक है;

(घ) क्या गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों के बीच पर्याप्त समन्वय है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 चीनी मौसम (अक्टूबर–सितम्बर) के दौरान चीनी की मांग तथा आपूर्ति (पूर्वावशिष्ट स्टॉक, उत्पादन तथा घरेलू खपत) का ब्यौरा निम्नवत है :

(आंकड़े लाख टन में)

विवरण	चीनी मौसम 1996–97	चीनी मौसम 1997–98	चीनी मौसम 1998–99 (अनंतिम)
1. पूर्वावशिष्ट	79.07	66.01	53.70
2. उत्पादन	129.05	128.44	155.20
3. कुल उपलब्धता	208.12	194.45	208.90
4. घरेलू खपत	136.75	139.78	141.45

(ग) 31.1.2000 को स्थितिनुसार चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता लगभग 154 लाख टन है और यह देश की खपत आवश्यकता को पूरा करती है। कुछ राज्यों में चीनी मौसम की अवधि में विस्तार होने के कारण देश में चीनी का उत्पादन चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता से कहीं अधिक है। बहुत सी नई तथा विस्तार परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन होने के साथ ही उद्योग की स्थापित क्षमता में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट गन्ना क्षेत्र निर्धारित किया है जहां से वे कच्चा माल यथा गन्ना प्राप्त कर सकते हैं। चीनी फैक्ट्रियां अपने क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों से या तो सीधे ही अथवा गन्ना सहकारी समितियां जहां भी विद्यमान हैं, के माध्यम से सम्पर्क कर सकती हैं। किसानों के द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के गन्ना उत्पादन में समन्वय बनाये रखना चीनी मिल प्रबंधन का मुख्य कार्य है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. के सतर्कता विभाग की गतिविधियां

2367. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. के सतर्कता विभाग ने केंद्रीय भंडार के कुछ आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में कोई जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.सी.सी.एफ. के सतर्कता विभाग से ऐसी जानकारी मांगने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सतर्कता विभाग को संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों पर या आपूर्तिकर्ताओं पर निगरानी रखनी होती है; और

(ङ) सतर्कता विभाग की इस तरह की गतिविधियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माल की आपूर्ति के कुछ मामलों में जांच पूरी करने की दृष्टि से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने केन्द्रीय भण्डार से इन आपूर्तिकर्ताओं के बारे में कुछ सूचनाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया है। इससे संबंधित ब्यौरे जनहित को ध्यान में रखते हुए बताए नहीं जा सकते।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ के कर्मचारियों पर

सतर्क निगाह रखने के अतिरिक्त सतर्कता विभाग आपूर्तिकर्ताओं की गतिविधियों/कार्य–निष्पादन पर भी नजर रख सकता है।

(ङ) संगठन के हित में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का सतर्कता विभाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अन्य संगठनों से भी संपर्क कर सकता है ताकि क्रॉस जांच/सत्यापन किया जा सके।

खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति में असंतुलन

2368. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी समेत खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति में असंतुलन रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस चिंताजनक स्थिति के क्या कारण हैं और इस असंतुलन को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख)

खाद्यान्न

भारत ने दालों को छोड़कर खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल प्रणाली क्षेत्रों पर आधारित चावल/गेहूं/मोटे अनाजों में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम की केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

दालों के संबंध में सरकार राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना भी क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के अधीन बीजों के वितरण, उन्नत कृषि उपकरण और स्प्रिन्कलर सैट्स आदि प्रोत्साहन किसानों को मुहैया किए जाते हैं। समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम–चावल की योजना के अधीन "पावर टिलर्स" पर प्रोत्साहन भी मुहैया किया जाता है। खेत पर प्रदर्शन और प्रशिक्षण द्वारा किसानों के बीच नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी का भी प्रचार किया गया है।

चीनी

देश में पिछले 3 वर्षों (अक्टूबर–सितम्बर), अर्थात् 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान चीनी की उपलब्धता इसकी मांग से अधिक है और चीनी की कोई कमी नहीं है।

आई.ए.टी.ओ. के वार्षिक सम्मेलन की सिफारिशें

2369. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एसोसिएशन ऑफ टुअर ऑपरेटर्स का 15वां वार्षिक सम्मेलन 1999 में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त सम्मेलन की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ग) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र में कुछ सिफारिशें लागू करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मंत्रालय को वर्ष 1999 में जयपुर में हुए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टुअर ऑपरेटर्स के 15वें वार्षिक सम्मेलन की सिफारिश का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के मामले पर सदन में बहस होनी चाहिए। आर.एस.एस. का मामला गुजरात तक सीमित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी पेपर्स ले हो रहे हैं। आप इसके बाद अपनी बात कह सकते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 1998–1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1427/2000]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1428/2000]

(ग) (एक) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1429/2000]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 1123(अ) जो 17 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसके साथ संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कलकत्ता मेट्रो रेलवे संरेखण में कतिपय परिवर्धन और परिवर्तन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 1430/2000]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1431/2000]

(ख) (एक) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकॉनोमिक सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998–99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1432/2000]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 2000–2001 के लिए रक्षा मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1433/2000]

(2) वर्ष 2000–2001 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1434/2000]

(3) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत नौसेना समारोह, सेवा शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1999, जो 24 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1435/2000]

(4) तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा 2 के अंतर्गत तटरक्षक (सामान्य) (संशोधन) नियम, 1998 जो 19 अप्रैल, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और जिनका एक शुद्धि–पत्र जो 11 अक्टूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 183 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1436/2000]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, श्री सुन्दर लाल पटवा की ओर से, मैं वर्ष 2000–2001 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1437/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित विधानों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2000 जो 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135 (अ) आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा.का.नि. 136(अ) आ.व./चीनी जो 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें यदि निदेश दिया गया है कि वर्ष 1999–2000 के लिये चीनी का नियंत्रित मूल्य 1050.99 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

(तीन) सा.का.नि. 137(अ) आ.वा./चीनी जो 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें यह निदेश दिया गया है कि प्रत्येक चीनी आयातक आयातित चीनी के तीस प्रतिशत की बिक्री लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1979 के अंतर्गत करेगा।

(चार) आयातित चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 2000 जो 17 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 138(अ) आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1438/2000]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, श्री श्रीराम चौहान की ओर से, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत खाद्य निगम संशोधन नियम, 2000 जो 11 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1439/2000]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड्स, नई दिल्ली के वर्ष 1997–98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 1440/2000]

अपराह्न 12.03 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :–

"कि राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय सागरगामी कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03½ बजे

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे उड़ीसा के आस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री नवीन पटनायक का 4 मार्च, 2000 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र की सूचना दी है और मैंने उनका त्यागपत्र 8 मार्च, 2000 से स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : नीतीश कुमार का क्या हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे प्रार्थना की थी ...

अपराह्न 12.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1999-2000

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, मैं वर्ष 1999–2000 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण सभा पटल पर रखती हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 1441/2000]

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आप हमें अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : पहले पेपर्स ले होने दीजिए; आप बाद में बोलिये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप तारीख निश्चित करें, यह हमारी मांग है।

अध्यक्ष महोदय : बाद में आपको जरूर सुनेंगे।

अपराह्न 12.04½ बजे

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संसोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संसोधन) अध्यादेश, 2000 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : श्री राम विलास पासवान की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तपन सिकदर : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : श्री रामविलास पासवान की ओर से, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यदेश, 2000 के द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.06½ बजे

भारतीय कंपनी (विदेशी हित) और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन) निरसन विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव कल रखा गया था। अब मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कंपनी (विदेशी हित), 1918 और कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बंधन), 1974 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यदि यह

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड–2 दिनांक 9.3.2000 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड–2 दिनांक 9.3.2000 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सारे का सारा बिजिनैस हो जायेगा तो हमारा क्या होगा। हमने नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दिया हुआ है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर है। उस पर बहस होनी चाहिये और बहस का कारण भी है। यह केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर धार्मिक स्थानों की स्थापना के लिये अनुमति लेने का कानून बनाया जा रहा है ... *(व्यवधान)* यह हमारा मौलिक अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है। हमें इस बात की आजादी है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. का मामला केवल गुजरात तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। आज गुजरात में ये गतिविधियां फैली हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले यह सब्जैक्ट तो होने दो। एक सब्जैक्ट और है, उसे भी खत्म होने दो, आप बाद में कहियेगा।

अपराह्न 12.07½ बजे

संविधान (नवासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269 में संशोधन, अनुच्छेद 270 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, अनुच्छेद 272 का लोप)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सम्बन्धी मद को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

---

* सभापटल पर रखे गए माने गए।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खंड–2 दिनांक 9.3.2000 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[हिन्दी]

श्री राजनारायण पासी (बांसगांव) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव, जनपद गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के अन्तर्गत सरैया शुगर मिल है, जिसमें तीन हिस्सेदार हैं। उस मिल पर किसानों का लगभग 23 करोड़ रुपया बकाया है और चीनी मिल बंद हो चुकी है। जिन किसानों का रुपया चीनी मिल पर बकाया है, उन किसानों ने सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी ऋण लिया हुआ है, उन पर ऋण वसूली के लिए तरह–तरह से दबाव डाल जा रहा है तथा दूसरी ओर उन किसानों का उक्त चीनी मिल पर गन्ने मूल्य का जो बकाया है, उसको दिलाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

यह विदित ही है कि पूर्वांचल में मुख्य उद्योग चीनी मिल ही है गोरखपुर और बस्ती दोनों मंडलों में किसानों का लगभग 80 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है।

देश के किसी भाग में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में तमाम धन दान–स्वरूप आपदा कोष से दिया करती है। वर्तमान समय में पूर्वांचल के किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य न मिल पाना मेरी समझ से एक आपदा ही है, क्योंकि किसानों को गन्ने का बकाया न मिल पाने की वजह से वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा बच्चों की शादी आदि भी नहीं कर पा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गोरखपुर व बस्ती के किसानों को उनके गन्ने का बकाया न मिलना दैवी आपदा मानकर, आपदा कोष से सहायता देकर उनको भुखमरी के कगार से बचाया जाये तथा आपदा कोष से उनको गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कराया जाये।

इस विषय में मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकारी संरक्षण में चीनी मिल को चलाया जाये।

(दो) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना के लिफ्ट केनाल सिस्टम के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपरि इन्द्रावती परियोजना जो बहुउद्देशीय सिंचाई एवं हाइड्रो पावर परियोजना है समाप्ति के कगार पर है। उपरि इन्द्रावती परियोजना की तीन नहर प्रणाली से 600 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता और 1.2 लाख हैक्टेयर भूमि

की सिंचाई होगी। इसकी लिफ्ट केनाल प्रणाली अथवा तीसरी केनाल नामक केनाल के कार्य को अभी शुरू नहीं किया गया है हालांकि राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी जब केन्द्रीय दल ने कालाहांडी जिले में भुखमरी से हुई मौतों और उस क्षेत्र के पिछड़े–पन का मूल्यांकन करने के लिए दौरा किया था।

अंतः मैं इस माननीय सभा से मांग करता हूं कि लिफ्ट केनाल प्रणाली को पूरा करने के लिए धन दिया जाए ताकि कालाहांडी जिले के किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

(तीन) देश में लाटरी पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, लाटरी के कारण आज लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई लाटरी में गवां रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने पहले ही एक अंक की लाटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है किन्तु अभी भी बहुअंकीय लाटरी (मल्टी डिजिट लाटरी) इस देश में चल रही है।

इसी सदन ने सर्वसम्मति से यह आवाज उठायी थी कि सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल राज्य सभा में प्रस्तावित किया है।

लाटरी माफिया यह तर्क दे रहे हैं कि इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप हजारों लोगों की बेरोजगारी को देखेंगे कि लाखों लोगों की बर्बादी को देखेंगे।

लाटरी के व्यापार में बर्बादी किसी से छिपी नहीं है।

इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सत्र में जल्द–से–जल्द इस बिल को पारित किया जाए व बिल पास होने तक ऐसे कठोर कदम उठाए जाएं ताकि लाटरी से होने वाली बर्बादी से बचा जा सके।

(चार) उड़ीसा के क्योंझर जिले में कानपुर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : उड़ीसा में जनजातीय जिले क्योंझर के लोग कानपुर सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने में असाधारण विलम्ब के कारण बहुत अधिक उत्तेजित हैं जैसे ही यह परियोजना पूरी होगी तो पिछड़े और सूखाग्रस्त जिले में रहने वाले जनजातीय बहुल क्षेत्र, जिसमें पूरे चम्पूआ उपमण्डल और सदर उप मण्डल के कुछ भाग शामिल हैं, की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ही साथ ही देश के सूखाग्रस्त जिलों की सूची में से इस जिले का नाम हमेशा के लिए हट जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के व्यवसाय विहीन लोगों को कृषि से स्थायी आय का साधन मिल जाएगा।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में कानपुर सिंचाई परियोजना को चालू करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त धनराशि दी जाए।

(पांच) सूखे से प्रभावित लोगों विशेषकर बुन्देलखंड क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह, पन्ना, झांसी, हमीरपुर, बांदा तथा ललितपुर जिलों में गत 3 वर्षों से लगातार अतिवृष्टि, सूखा तथा ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी क्षति होने के कारण भयानक अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बुंदेलखंड क्षेत्र पूर्णतया कृषि पर आधारित है तथा उद्योगविहीन है। इस साल भी खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण लाखों किसान, मजदूर, कारीगर रोजगार की तलाश में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देश के अन्यान्य भागों को पलायन कर रहे हैं। राज्य सरकारें स्वयं आर्थिक संकट में फंसे होने के कारण इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है। स्थिति का लाभ उठाकर असामाजिक तत्त्व स्थानीय जनता को आपराधिक गतिविधियों की ओर उकसा रहे हैं। जनसामान्य में भीषण रोष और आक्रोश व्याप्त है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल आवश्यक कदम उठाए और राज्य सरकार को राहत कार्यों हेतु समुचित धन उपलब्ध कराए।

(छह) केरल के वायनाड जिले और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों में कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋण को बट्टे-खाते में डालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : मैं आपका ध्यान केरल के वायनाड़ जिलों तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों में छोटे और मझोले कॉफी उत्पादकों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। 1970 के दशक के अन्त में और 1980 के दशक के आरम्भ में इस क्षेत्र के कॉफी उत्पादकों को एक ओर तो कॉफी के न्यूनतम मूल्य के कारण और दूसरी ओर उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण

उनके उत्पादकों के लिए बाजार प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 1980 के बाद से उत्पादकों को कॉफी बोर्ड से ऋण लेने पड़े। अनुगामी वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाए और न ही बोर्ड ने ऋण की वसूली के लिए कोई कदम उठाए। इसी अवधि के दौरान कुछ किसानों ने कॉफी की फसल छोड़कर अन्य फसल उगानी शुरू कर दी। 1987 में भारत सरकार ने 10,000 रुपए तक के ऋण को ए.आर.डी. (ऋण छूट) योजना के अन्तर्गत शामिल किया इसे कॉफी उत्पादकों को उपलब्ध नहीं कराया गया । अस्सी के दशक में लगभग 8,000 किसानों द्वारा ली गई 4 करोड़ रुपये की ऋण राशि, कुछ किसानों द्वारा भुगतान किये जाने के पश्चात् भी 16 करोड़ रुपये (दण्डिक ब्याज सहित) हो गई है और किसानों को काफी परेशानियों में डाल दिया गया है क्योंकि बोर्ड ने ऋण ग्रस्त किसानों से धन वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे कदम उठाए ताकि कॉफी बोर्ड छोटे और मझोले कॉफी उत्पादकों के ऋणों को माफ कर सके।

(सात) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोनों का सुचारु रूप से काम करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बृजलाल खाबरी (जालौन) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरोठा (उ.प्र.) में दूरसंचार की व्यवस्था ठीक न होने के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही एम.एस.आर. आर. योजना के अंतर्गत जितने भी टेलीफोन उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, वे भी अकसर खराब रहते हैं जिनके कारण दूरसंचार व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और लोगों को एक-दूसरे से सम्पर्क करने में दिक्कत आ रही है और वे टेलीफोन सुविधा से वंचित रह रहे हैं।

अतः, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की दूरसंचार व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्षेत्र के टेलीफोन विभाग के अधिकारियों को आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(आठ) तमिलनाडु में मंगम्मापेट्टई में अराकोणम-तिरुत्तनी मार्ग पर और अराकोणम-शोलीनगर मार्ग पर ई.डब्ल्यू.एस. रेलवे गार्ड गेट पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. एस. जगतरक्षकन (अर्कोनम) : तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र आर्कोनम में अराकोणम तिरुत्तनी मार्ग पर मंगम्मापेट्टई के रेल गेट के पास व्यस्त चौराहा है। यह दुर्घटना ग्रस्त स्थान बन गया है और अभी तक 100 से अधिक लोग इस स्थान पर मारे जा चुके हैं। हाल ही में इस स्थान पर स्कूल बस के साथ दर्दनाक दुर्घटना हुई जिसमें घटनास्थल पर 5 बच्चों की मौत हो गई। अतः इस चौराहे पर उपरिपुल की नितांत आवश्यकता है।

इसी प्रकार भारी यातायात के कारण आराकोणम-शोलनगर मार्ग पर ई.डब्ल्यू. एस. रेलवे गार्ड गेट पर एक उपरिपुल की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे गेटों में से एक गेट बन्द है जिससे लम्बे समय तक वहां कई वाहन फंसे रहते हैं।

अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन दोनों स्थानों पर उपरिपुलों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराए और सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करे और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए।

(नौ) तमिलनाडु में तूतीकोरिन में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवली) : तूतीकोरिन, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुनेलवेली का महत्त्वपूर्ण शहर है। यह महान स्वतंत्रता सेनानी श्री वी.ओ. चिदम्बरानर की जन्मस्थली है जिन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। इस नगर का एक पत्तन है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश भर के बड़े व्यावसायिक समुदाय इस नगर में आकर बसे हैं। तमिलनाडु सरकार ने 1997-98 के बजट में घोषणा की थी कि तूतीकोरिन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। आवश्यक प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा परिषद को उनकी स्वीकृति के लिए पहले ही भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने इस मेडिकल कालेज को चलाने के लिए एक भवन भी किराये पर ले लिया है। किराये के भवन की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही 20 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। कालेज भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 87 एकड़ म्युनिसपल भूमि का अधिग्रहण भी पहले ही किया जा चुका है और निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये आबंटित भी कर दिए गए हैं। प्रोफेसर और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। वर्ष 1998 और 1999 के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन भी कर लिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के एक दल ने इस स्थल का निरीक्षण भी कर लिया है और रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। लेकिन भारतीय चिकित्सा परिषद ने मेडिकल कालेज के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय चिकित्सा परिषद

को शीघ्र मंजूरी देने के लिए बाध्य करे ताकि बढ़ती हुई समस्याओं से विद्यार्थियों को बचाया जा सके।

(दस) उड़ीसा में जगतपुर और चांदबाली के बीच सड़क निर्माण और उसके रख-रखाव की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाडा) : उड़ीसा मे तटीय क्षेत्रों में जगतपुर और चांदवाली के बीच 99 कि.मी. लम्बा राज्यमार्ग महत्त्वपूर्ण मार्ग है। इस राज्य मार्ग का उदगम राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 5 से होता है और यह जगतपुर, सेलपुर, केन्द्रपाडा, पट्टामुंडाई और उद्गूल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में होते हुए चांदवाली में समाप्त होता है। यह मार्ग चांदवाली में बनाए गए नए हाम्मारा पत्तन को जोड़ेगा। उड़ीसा के राजनगर बारी डेरावीसी और पटकुरा जैसे कुछ अन्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोग भी इस महत्त्वपूर्ण राज्य मार्ग पर निर्भर रहते हैं।

हर रोज यहां हजारों वाहन आते–जाते हैं। कटक और भुवनेश्वर को जोड़ने वाला कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। लेकिन इस मार्ग की दशा बहुत खराब है। एक दशक पहले इस मार्ग को चौड़ा करने से संबंधित कार्य आरम्भ किया गया था लेकिन सड़क चौड़ा करने के कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई है। कार्य की गुणवत्ता विशेषकर जगतपुर से चांदवारी तक का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। उस हिस्से में विशेषकर बरसात के मौसम के दौरान यहां गाड़ी चलाना अत्यन्त कठिन है। मार्ग की खराब दशा के कारण उस मार्ग पर दुर्घटनाएं बार–बार हो रही हैं।

मार्ग की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को वर्ष 2000 में जगतपुर से चांदवाली मार्ग के निर्माण रख–रखाव और सड़क को चौड़ा करने के कार्य की पूरी लागत वहन करनी चाहिए।

(ग्यारह) पुणे-मिराज-कोल्हापुर खंड को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे को अन्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस समय कोल्हापुर से पुणे के बीच का खण्ड हुबली डिवीजन (कर्नाटक) में है और क्षेत्रीय मुख्यालय, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। इस बात के मद्देनजर महाराष्ट्र के लोगों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है क्योंकि, मुम्बई की तुलना में सिकंदराबाद की दूरी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त भाषा की भी समस्या है। उन्हें तेलुगु या कन्नड़ में बातचीत करनी पड़ती है जो कि उनके लिए अत्यंत कठिन कार्य है। मेरे क्षेत्र के लोग इस खण्ड को दक्षिण मध्य रेलवे के बजाय मुम्बई (मध्य रेलवे) से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। यह मांग 1971 से लम्बित पड़ी है, जब इस मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया था। यह पता लगा है कि पुणे–मिराज–कोल्हापुर को पुणे डिवीजन की अधिकारिता में लाने का निर्णय काफी समय पहले ले लिया गया था। परन्तु इस निर्णय पर कार्यान्वयन अभी आरम्भ नहीं हुआ है। 12वीं लोक सभा में मेरे पहली बार प्रवेश के समय से ही मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। उस क्षेत्र के लोगों ने तहे दिल से इस निर्णय का स्वागत किया है परन्तु कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हो रही देरी उन्हें खल रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह परिस्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग करती है और मैं केन्द्र सरकार से पुणे–मिराज–कोल्हापुर खण्ड को बिना किसी विलम्ब के दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे को हस्तांतरित किए जाने की मांग करता हूं।

(बारह) पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरह जम्मू-कश्मीर को वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में, जम्मू और कश्मीर राज्य, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर घाटी के सीमावर्ती जिलों को भारी क्षति पहुंची है। कश्मीर घाटी से आमदनी के सभी जरिये खत्म हो गए हैं। पर्यटन उद्योग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है। आतंकवादी हिंसा के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के सभी स्कूल टूट–फूट गए हैं। पुल, सड़कें और महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतें भी तोड़ दी गयी हैं। टूटे हुए बुनियादी ढाँचे को फिर से बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को नई शुरुआत करनी पड़ी है। एक ओर आतंकवाद का सामना करना और दूसरी ओर बुनियादी ढांचे का पुर्ननिर्माण और विकास प्रक्रिया की बहाली का दोहरा कार्य अत्यधिक कठिन है।

ऐसी परिस्थितियों में जम्मू और कश्मीर राज्य को केन्द्र सरकार से पूरी सहायता की आवश्यकता है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। हम इस बात की आवश्यकता पर जोर देते हैं कि ऐसा ही वित्तीय पैकेज जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भी दिया जाए जिससे कि शांतिप्रिय लोगों में शक्ति का पुनःसंचार हो सके और वे मजबूती के साथ आतंकवादी हिंसा से मुक्त सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आगे आ सकें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें मजबूर मत करें। हम सदन को चलवाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे हकों

को छीना जायेगा तो हमारी मजबूरी है। इसलिये हमारा आपसे निवेदन है कि इस पर बहस होनी चाहिये।....

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : हम पूरी बहस करेंगे, इनका नकाब उतार देंगे।....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश कुमार सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. की गतिविधियों से पूरा देश आक्रांत है ...

अपराह्न 12.09 बजे

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने वाली अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तुत करता हूं :

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 9.2.2000 [सा.का.नि. 101(अ) दिनांक 9.2.2000] की अधिसूचिना संख्या 12/2000 सी.शु. का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उप–शीर्ष संख्या 1701.11, 1701.12, 1701.91 तथा 1701.99 के अंतर्गत मदों पर लागू सीमा शुल्क दर को "40%" से बढ़ाकर "60%" किया जा सके।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 9.2.2000 [सा.का.नि. 101(अ) दिनांक 9.2.2000] की अधिसूचना संख्या 12/2000 सी.शु. का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उप–शीर्ष संख्या 1701.11, 1701.12, 1701.91 तथा 1701.99 के अंतर्गत मदों पर लागू सीमा शुल्क दर को "40%" से बढ़ाकर "60%" किया जा सके।"

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. की गतिविधियों के बारे में लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अधीन नियम 193 के अंतर्गत एक प्रस्ताव लंबित है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने समाचार पत्रों में पाया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, मद संख्या 19 पर श्री प्रिय रंजन दासमुंशी कुछ कहना चाहते हैं। उनके बोलने के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हमने नियम 193 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया हुआ है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम केवल तारीख जानना चाहते हैं कि किस दिन और किस समय इस पर बहस होगी। पहले से ही सरकार नियम 193 के तहत बहस के लिए तैयार थी और संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कुछ नेताओं, श्री मुलायम सिंह यादव, और श्री सोमनाथ चटर्जी ने आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। आपको उन्हें सुनना चाहिए। मैं आशा करता हूं मैं उनके प्रस्तावों पर बाद में उनका साथ दूंगा ... *(व्यवधान)*

महोदय, मद संख्या 19 जो कि चीनी पर सीमा शुल्क टैरिफ बढ़ाने से संबंधित सांविधिक संकल्प अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस मामले पर सरकार को सभा के समक्ष स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह सही है सीमा शुल्क बढ़ाने से किसानों को राहत मिलेगी। इसीलिए इस संकल्प के संबंध में हम सरकार का समर्थन करते हैं। परन्तु सरकार ने इस शुल्क को आरोपित करने में देर क्यों की है जिसके कारण राष्ट्र और किसानों को विपत्ति का सामना करना पड़ा ? श्री कल्याण सिंह जैसे उच्च पदासीन जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कारगिल ऑपरेशन के दौरान, प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया कि ओ.जी.एल. के अन्तर्गत पाकिस्तान से अंधाधुंध चीनी के आयात के कारण ऐसी कम्पनियों से भी जिनके बारे में आई.एस.आई. समर्थक होने का समाचार है– भारत में बहुतायत में चीनी आ रही है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही इस पर निगरानी रखने का कोई उपाय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को संकल्प प्रस्तुत करने के बाद यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार चुप क्यों रही और किसानों के मुद्दे पर अनिष्टकारी चुप्पी क्यों साध रखी थी और इन सब बातों को जारी क्यों रहने दिया जब सरकार के पास किसी भी समय आयात शुल्क लगाने का प्राधिकार था। सरकार ने देरी क्यों की ? ... *(व्यवधान)*

मैं घोटाले में संलिप्त धनराशि या चीनी घोटाले के बारे में वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं इसे उचित समय पर उठाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह मांग करूंगा कि बिना किसी शुल्क के ओ.जी.एल. के अंतर्गत आयात की अनुमति, जिसने काफी हद तक किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया, देने के पश्चात् इस प्रकार आयात शुल्क को लगाने में विलम्ब क्यों हुआ, इस संबंध में वित्त मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह के ज्ञापन के रूप दायर की गई शिकायत का उत्तर क्यों नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री के माध्यम से मांग रखी थी। यह फसाद की जड़ है। मैं समझता हूं कि सभा के समक्ष मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, चीनी के आयात का आदेश ... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैंने भी एक नोटिस दिया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा आपत्ति किए जाने का समय बीत गया है। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : किसी भी आपत्ति को उठाने की समय सीमा नहीं होती। ...*(व्यवधान)* मैंने उसे समय रहते दिया था .... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपके द्वारा आपत्ति किए जाने का समय बीत गया है। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे सच में खेद है। इस की समय सीमा समाप्त नहीं हो सकती ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चीनी को ओ जी एल के अन्तर्गत लाया गया था ... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसे समय-सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती मत दीजिए। आप स्वयं अध्यक्ष थे ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, आप भी कभी अध्यक्ष थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन्, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च, 1994 में ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत चीनी को लाया गया था। मुझे यहां याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मार्च, 1994 में सत्ता में कौन था जबकि चीनी को ओ जी एल के अन्तर्गत लाया गया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह सही नहीं है। कृपया वास्तविक मुद्दे से हटने की कोशिश न करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं, यह केवल गुजरात का प्रश्न नहीं है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक बार किसी वस्तु को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत लाया जाता है तो उसका निजी क्षेत्र सहित इस देश में किसी के द्वारा भी आयात किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप गुस्सा मत होइये, हमने आपकी आज्ञा मान ली है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, कृपया मुझे समझाने दीजिए कि सरकार ने कोई चीनी आयात नहीं की है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, यादव कृपया समझने का प्रयास कीजिए। मैंने वित्त मंत्री को बुलाया है और वे उत्तर दे रहे हैं। आप मंत्री महोदय के भाषण मे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : वित्त मंत्री जी रिप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है, हम शुरू से ही लड़ रहे थे ...*(व्यवधान)* हम मुम्बई की सभा में कहकर आये थे तब कोई नहीं बोला था ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि इसे ओ जी एल के अन्तर्गत ले आए हैं जो भी आयात किया गया है वह निजी क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया है न कि सरकार द्वारा किया गया है। जहां तक चीनी के आयात का संबंध है, इसमें शुल्क लगाने के अतिरिक्त सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की ओर से एक आउंस चीनी का आयात भी नहीं किया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हम मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते। ये दोनों मिले हुए हैं। कभी कहते हैं कि 1994 में हुआ – यह दोनों मिले हुए हैं ... *(व्यवधान)* यह हमारी लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, जब तक संघ परिवार के बारे में डिस्कशन नहीं कर लेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते कि सदन अव्यवस्थित हो। हम चाहते हैं कि सदन चले। पिछले कई दिनों से सदन नहीं चल रहा है, यह किसकी वजह से नहीं चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमने नियम 193 के तहत पहले से नोटिस दिया हुआ है। सदन जो नहीं चला यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों के कारण नहीं चला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी की अध्यक्षता में इस सरकार ने पहली बार मार्च, 1998 में कार्यभार संभाला था। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय इसे न केवल ओ जी एल की सूची में शामिल किया गया था बल्कि चीनी के आयात पर कोई शुल्क भी नहीं था। इसे इन सब वर्षों में बिना किसी शुल्क के आयात करने की अनुमति दी गई थी और केवल अप्रैल में ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कुल आयात कितना हुआ था ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मेरे पास यहां सब आंकड़े हैं। केवल अप्रैल 1998 में ही हमने कार्यभार संभाला था और पहली बार हमने चीनी पर 5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया था जो कि .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह केवल गुजरात का मामला नहीं है, यह पूरे देश का मामला है। इसलिए इस पर बहस कराइये। इनकी वजह से देश में पूरे अल्पसंख्यक मुसलमान परेशान हैं। लाखों–लाख मुस्लिम जुलूस निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* धर्मनिपेक्षता हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है। हम अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरिजाघर बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार बाधक बन रही है। इसलिए बहुत सारे लोग राजभवन को घेरे हुए हैं। बिहार की समस्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारण खड़ी हुई है चूंकि वहां गवर्नर ने असंवैधानिक काम किया है। सारी हिंसा, आतंकवाद आर.एस.एस. ने किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि नियम 193 के तहत इस पर बहस कराई जाए तथा बहस की तारीख और समय निश्चित किया जाए। यही हमारा कहना है।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : फिर जनवरी, 1999 में हमने 20 प्रतिशत और 850 रुपए एम.टी. तक शुल्क बढ़ा दिया था। 1 मार्च, 1999 तक इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। दिसम्बर, 1999 में इसे 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है और वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : अन्त में, महोदय, फरवरी 2000, तक इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया तथा प्रतिकारी शुल्क के रूप में 850 रुपए प्रति एम. टी. शुल्क लगाया गया। पिछले दो वर्षों में यह हमारा रिकार्ड है। जब भी हमें चीनी आयात पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई है हमने आयात शुल्क बढ़ाया है। मैं संसद में किसलिए आ रहा हूं ? मैं संसद में इसीलिए आ रहा हूं क्योंकि ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस संबंध में चर्चा नहीं करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : एक मुद्दा उठाया गया है और मैं केवल उसका उत्तर दे रहा हूं ... *(व्यवधान)* जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूं, वह यह है कि घरेलू कारणों से चीनी का आयात किसानों,

उपभोक्ताओं और चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक समझा हमने शुल्क की दरों में संशोधन किए हैं और हमने इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। मैं दोहरा रहा हूं कि हमने इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके लिए हमें दोषी ठहराना सरासर गलत है और इसका कोई आधार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : कांग्रेस खुद अपने प्रश्न में फंस गई, मुन्शी जी ने कांग्रेस को फंसा दिया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे के कारण जो कि लोगों के दिमाग में हल-चल मचा रहा था, सभा पिछले कुछ दिनों से कार्य नहीं कर सकी। पूरा विपक्ष गुजरात सरकार के जन-विरोधी और धर्म-निरपेक्षता विरोधी कार्यवाही का विरोध करने में एकजुट थी। नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, आज की कार्य सूची में दर्ज मद संख्या 19 की समाप्ति के बाद आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दे पर बहस कराना चाहें, तो करा लें, लेकिन अभी नहीं। अब तो वह मुद्दा समाप्त हो गया है। मैं मुलायम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अब तो सदन को चलने दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने रेडियो और दूरदर्शन पर सुना है। लेकिन इस सरकार ने इस सदन में अभी तक कोई घोषणा नहीं की है ...*(व्यवधान)* जी हां, यह इस देश की धर्म-निरपेक्ष ताकतों की जीत है।

अध्यक्ष महोदय : हम मद संख्या 19 पर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा को जारी रखना चाहते हैं।

बिहार में क्या हुआ है ? राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देना चाहिए ...*(व्यवधान)* वहां पर विपक्ष से अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सरकार ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यहां तक कि वे अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में यह सही परम्परा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मद संख्या 19 को समाप्त किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सर, ये लोग इसी बहाने सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. पर चर्चा के लिए पहले तारीख निश्चित कर दीजिए कि किस दिन आप उस पर सदन में चर्चा कराएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 19 पर चर्चा कर रही है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप आर.एस.एस. के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की तारीख निश्चित नहीं करेंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप मद संख्या 19 को मत लीजिए। आप इसे जरूर लीजिए, लेकिन पहले आर.एस.एस. के मुद्दे पर चर्चा की तारीख तय कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आइटम नंबर 19 को समाप्त होने दीजिए। मुलायम सिंह जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। आइटम नं. 19 खत्म होने के बाद आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी डिसाइड कर दीजिए कि आप उस मुद्दे पर कब बहस कराना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आइटम नं. 19 को पहले समाप्त होने दीजिए। आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप तो चेयर की बात भी नहीं मान रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले इस आइटम को समाप्त होने दीजिए। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने मद संख्या 19 को पूरा नहीं किया है। हम बीच में हैं। कृपया बात समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 12.24 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : बीच में कैसे लेंगे। पहले आइटम नंबर 19 को खत्म होने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा दिनांक 9.2.2000 [सा.का.नि. 101(अ) दिनांक 9.2.2000] की अधिसूचना संख्या 12/2000 सी.शु. का अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना है ताकि उप–शीर्ष संख्या 1701.11, 1701.12, 1701.91 तथा 1701.99 के अंतर्गत मदों पर लागू सीमा शुल्क दर को "40%" से बढ़ाकर "60%" किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आपका अनुरोध क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुलायम सिंह यादव को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.25 बजे

इस समय कुंवर सर्वराज सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, जब इनको बोलने देंगे तो हाउस चलेगा और जब इनको बोलने नहीं दिया जायेगा तो हाउस नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)* यह इनका नया तरीका हो गया है। ... *(व्यवधान)* आप इन सबको बर्खास्त क्यों नहीं करते जो दस दिन से हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पहले बुला लिया है। ...*(व्यवधान)* आप पहले मुझे बोलने दीजिए। ... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, अगर इनको बोलने दिया जायेगा तो हाउस चलेगा। ...*(व्यवधान)* यह कैसे होगा ? ...*(व्यवधान)* अगर इनको बोलने नहीं देंगे तो हाउस नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)* हमारा भी कुछ बोलने का राइट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज यह फैसला हो जाना चाहिए कि हाउस किस तरह से चलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जब यह बोलेंगे तब हाउस चलेगा और जब इन्हें नहीं बोलने देंगे तो हाउस नहीं चलेगा। ... *(व्यवधान)* इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों तरफ से सदन को इसी तरह से डिस्टर्ब्ड किया जायेगा तो हाउस कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम निर्णय चाहते हैं कि यह हाउस नियमों के अन्तर्गत चलेगा या लोगों के दबाव के अंदर चलेगा। ...*(व्यवधान)* इसका फैसला हो जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये सब मुझसे क्यों परेशान हैं ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह अत्यन्त दुखद परिस्थिति है। इस तरह से हाउस चलाना मुश्किल है

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं एक–एक करके सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रघुवेश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइए। कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं एक–एक करके सबको बुलाऊंगा। मैं सभी को एक साथ नहीं बुला सकता। अब श्री मुलायमसिंह यादव बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं एक मिनट लूंगा। श्री पांडियन कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवली) : महोदय, कृपया हमें बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : जी, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : नहीं, नहीं पहले हमारी बात सुनिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं पहले उनकी बात सुनूंगा। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पहले मैं बोलूंगा। *(व्यवधान)* इन्होंने यह तरीका अपना लिया है कि ये ही बोलेंगे, दूसरों को नहीं बोलने देंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए कह दिया है। श्री खुराना, श्री मुलायम सिंह यादव के बाद मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं विषय में नहीं जाऊंगा। मैं बाद में आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मदनलाल खुराना मैं बाद में आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप इनको कैसे नहीं बोलने देंगे ? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने उन्हें पहले बुलाया है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले मुलायम सिंह जी बोलेंगे ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ?

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को पहले बुलाया है। तत्पश्चात् मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : दोनों पक्ष कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं आपको किस प्रकार बुला सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले मैं श्री मुलायम सिंह यादव की बात सुनूंगा उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पहले वे बोल लेंगे और बाद में किसी को बोलने नहीं देंगे, हल्ला कर देंगे ...*(व्यवधान)* हम पिछले 10 दिनों से इनका यह रवैया देख रहे हैं। सॉरी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा की कार्यवाही चलने दीजिए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : हम रेल बजट पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव खड़े हैं। मैं बाद में श्री मदन लाल खुराना को बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए। यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अभी मैंने उन्हें बुलाया है बाद में मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पहले वे बोलेंगे, सिंधिया जी बोलेंगे, रघुवंश बाबू बोलेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले सुनिए तो सही वह क्या कहने जा रहे हैं। मैंने उन्हें मौका दिया है। श्री खुराना कृपया पीठाध्यक्ष के निर्देश का पालन कीजिए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हमने यह कदम क्यों उठाया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : हम रेलवे बजट पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। पूरे देश की रेल बजट में रुचि है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : जब कभी भी हम बोलना चाहते हैं तो ये सभा के बीचोंबीच उठ कर खड़े हो जाते हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैंने पहले ही श्री मुलायम सिंह यादव को बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप तो मुझे एलाऊ कर देंगे, सुनेंगे नहीं। ये पिछले 10 दिनों से ऐसा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आप तो मुझे एलाऊ कर देंगे, लेकिन ये सुनेंगे नहीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खुराना, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा तब आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : सभापति महोदय, कृपया मुझे 5 मिनट दीजिए और उसके बाद उन्हें अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : साधारणतया विपक्ष को पहले मौका मिलता है। मैं तुम्हें बाद में मौका दूंगा। यह उचित नहीं है। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री खुराना, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा कृपया अध्यक्षपीठ के निर्देश का पालन कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री खुराना कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ये जितनी डेमोक्रेसी कर रहे हैं हमें मालूम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खुराना, मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं आपको बुलाऊंगा। यह उचित नहीं है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : हम न केवल बिहार पर बल्कि रेल बजट संबंधी चर्चा सुनने के लिये तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पिछले दस दिनों से जिस तरह हाउस को बंधक बनाया हुआ है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना उन्होंने अभी अपनी बात कहनी आरम्भ भी नहीं की है। यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैं बाद में आपको मौका दूंगा। क्या अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह जब तेलुगू देशम पार्टी ने और चन्द्रबाबू नायडू ने इन पर प्रेशर डाला तो इन्होंने वापस लिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। यह ठीक नहीं है। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए बुलाया है। मैं इसके बाद श्री मदन लाल खुराना को बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना, मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : इन्होंने प्रश्नकाल क्यों नहीं चलने दिया।

हम विपक्ष को पिछले सात दिनों से सुन रहे हैं। अब वे श्री मदन लाल खुराना को क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लोकतंत्र के मानदण्ड के अनुसार, मैंने विपक्ष को बोलने का सबसे पहले मौका दिया। मैं आपको इसके बाद मौका दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ की बात सुनिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : आज जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, पिछले आठ दिन से लगातार जो हंगामा हो रहा था, तब ये कहां थे – यह मैं जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सब पता है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। मैं श्री मदन लाल खुराना को बाद में बोलने के लिए बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री खारबेल स्वाईं, मैं इसके बाद श्री मदन लाल खुराना को बुलाऊंगा। हम अनावश्यक रूप से सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के निवेदन के पश्चात् श्री मदन लाल खुराना को बोलने का मौका दिया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा। कृपया पहले अध्यक्षपीठ के निर्देशों का पालन कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना, मैं आपको बाद में मौका दूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे नहीं पता वे क्या कहेंगे कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : माननीय सभापति महोदय, मुद्दा यह है कि हम सभी आज अध्यक्षपीठ की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले दस दिनों से वे सभा के बीचों–बीच आकर कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। क्या आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें सुनें ? हम उन्हें सुन रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम संपूर्ण सभा को सुन रहे हैं ...*(व्यवधान)* किस नियम के अधीन, वे बोलना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, कुछ विधेयकों की पुरःस्थापना समेत, सभी पत्र, सभा पटल पर रख दिए गये थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। मैंने श्री मुलायम सिंह यादव जी को बोलने के लिए बुलाया है। बाद में, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : वे गृह मंत्रीजी के वक्तव्य में व्यवधान उपस्थित कर रहे थे ...*(व्यवधान)* उन्होंने वित्त मंत्रीजी के वक्तव्य में व्यवधान उपस्थित किया। अब, हम श्री मुलायम सिंह यादव के वक्तव्य में व्यवधान उपस्थित करेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पहले मुझे बोलने दो। ...*(व्यवधान)* मुलायम सिंह जी ने कहा कि पहले मुझे बोलने दो तब हाउस चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस प्रकार अनावश्यक रूप से आपस में क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया श्री मुलायम सिंह यादव जी को बोलने की अनुमति दीजिए। फिर, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : फिर, वे श्री मदन लाल खुराना जी के वक्तव्य में व्यवधान उपस्थित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : महोदय, उन्हें सभा को आश्वस्त करना होगा कि वे सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : क्या यह कमिटमेंट दे रहे हैं कि इसके बाद हाउस को चलने देंगे ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री खुराना, आप अध्यक्षपीठ के कथन में विश्वास करते हैं। प्रथम, मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लोकतंत्र है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : तब आपको लोकतंत्र की याद नहीं आती है ? ...*(व्यवधान)* आठ दिन से हाउस नहीं चलने दिया है और हमने एक बार लोकतंत्र का नाम लिया तो ताली बजा रहे हैं। ... *(व्यवधान)* आपकी संख्या जीरो पर जायेगी। ...*(व्यवधान)* आपने इस देश के साथ विश्वासघात ही नहीं किया है, आपने इस देश को लूटा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप सभी चाहते हैं तो, मैं सभा की कार्यवाही का संचालन करता हूं। अन्यथा मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सही तरीका नहीं है। मैं श्री मदन लाल खुराना जी को बोलने का मौका दूंगा। मैंने पहले ही श्री मुलायम सिंह यादव जी को बोलने के लिए कहा है। उसके बाद, मैं श्री खुराना जी को मौका दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पांच मिनट रुकिए।

[हिन्दी]

श्री मनोज सिन्हा : रेल बजट पर चर्चा प्रारम्भ कराइए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। मैंने श्री मदन लाल खुराना को बोलने के लिए बुलाऊंगा। यह सभा में व्यवहार का सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पहले मुझे सुनिए तो।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी और श्री मदन लाल खुराना के बोलने के पश्चात्, हम रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : महोदय, वे हमेशा सभा की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित करते हैं। उन्होंने अध्यक्षपीठ की कार्यवाही में

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवधान उपस्थित किया और प्रत्येक मंत्री के भाषण में व्यवधान उपस्थित किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ इस बात का ध्यान रखेगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : महोदय, हम उनसे प्रतिबद्धता चाहते हैं। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राजेश पायलट जी से यह प्रतिबद्धता चाहते हैं कि वे सभा में व्यवधान उपस्थित नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)* अन्यथा, यह कभी भी बंद नहीं होगा। वे प्रत्येक के लिए व्यवधान उपस्थित करते हैं। पिछले 14 दिनों से यह देश लज्जाजनक घटनाओं को देख रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं ध्यान रखूंगा। कृपया, अध्यक्षपीठ में विश्वास रखिए। श्री मदन लाल खुराना के भाषण के पश्चात्, हम रेल बजट पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : वे क्यों नहीं खड़े होकर ऐसा कहते हैं ? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये आश्वासन दें कि मुझे भी सुनेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ इसका ध्यान रखेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे केवल सभा में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले मुझे सुनिए। अध्यक्ष पीठ ध्यान रखेगा। मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, वे कई दिनों तक यहां नहीं आए, अब वे आए हैं तो वे बोलना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया ठहरिए और सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, जब कल विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था तब क्या हुआ था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, इस तरह नहीं। कृपया अध्यक्ष पीठ की बात का आदर करें। मैंने श्री मुलायम सिंह जी को बोलने का मौका दिया है। मैं आपको उनके बाद बुलाऊंगा

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : वे उसके बाद सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। समस्या यही है ...*(व्यवधान)* हम श्री मुलायम सिंह यादव की बात सुनने के लिए तैयार हैं परन्तु उन्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका फैसला अध्यक्ष पीठ द्वारा किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वैको : उन्हें भी चाहिए कि हमें अपनी बात कहने का मौका दें ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस बात का ध्यान अध्यक्षपीठ रखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस सदन की मर्यादा को निभाने का काम किया। ...*(व्यवधान)* महोदय, हमने नियम 193 के अन्तर्गत पहले से ही लिख कर दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि सारे देश में इस पर बहस हो, लेकिन अब उंगली क्यों उठ रही है। ...*(व्यवधान)*

गांधी जी की हत्या की अंगुली इन पर क्यों उठती है ? ... *(व्यवधान)* मस्जिद की अंगुली इन पर क्यों उठती है ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया पहले उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कल 10 मार्च, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 मार्च, 2000/20 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद हिन्दी संस्करण
गुरुवार, 9 मार्च, 2000/19 फाल्गुन, 1921 शक

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	19	निबंधम	निर्बंधन
44	14		
122	11	श्रीमती जयश्री बनर्जी	श्रीमती जयश्री बैनर्जी
288	22		
45	19	सेनानिवृत्त	सेवानिवृत्त
291	28	श्री बैको	श्री पैको
302	2	मल्टी-कॉमोडिटी	मल्टी-कॉमोडिटी

पी० एल० एस० — 48/5/12/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।